Monday, 09 April, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
24-8-12
Parliament Library

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35—सोमवार, 9 अप्रैल, 1973/19 चैत्र, 1895 (शक)

No. 35—Monday, April 9, 1973/Chaitra 19, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
661	उर्दू भाषा और साहित्य के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	Assistance to Voluntary Associations for promotion of Urdu language and Literature. .	1–5
662	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यों का विस्तार	Expansion of activities of Shipping Corporation of India	5–7
663	भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की जांच करने के लिए समिति अथवा आयोग की स्थापना	Committee/Commission to enquire into working of Food Corporation of India . . .	7–9
664	राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र से राहत कार्य अपने हाथ में लेने का अनुरोध	Request from Rajasthan Government to take over relief work.	9–11
665	खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के कार्यकारीदल का प्रतिवेदन	Report of Working Group of National Commission on Agriculture regarding need based minimum wages for Agricultural Labourers .	11–13
667	परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय	U. G. C.'s decision to abolish Examination System. . .	13–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
666	राजस्थान में आमेर स्थित मानसिंह पैलस में सत्रहवीं शताब्दी के चित्रों का पाया जाना	Discovery of 17th Century Paintings in Man Singh Palace at Amber, Rajasthan	15A
668	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिए नियत की गई राशि में वृद्धि करने के लिए मैसूर सरकार का आवेदन	Request by Mysore Government for increase in allocation for development of Inland Water Transport during Fifth Five-Year Plan	15–16

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—10 L. S.S./73

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
669	चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for Roads and National Highways for Madhya Pradesh for current Year	
670	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं की अधिक उपज वाली किस्म का विकास	Development of a new High-yielding variety of wheat by Indian Agricultural Research Institute . .	16–18
672	आन्ध्र प्रदेश में जयंती गांव	Jayanti Villages in Andhra Pradesh	18
673	गन्ने और चीनी के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कृतिक संस्थाएं (टास्क फोर्स)	Task forces to go into various aspects of Sugarcane and Sugar Production . .	19
674	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पृथक वरिष्ठता-सूची	Separate Seniority List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Education Directorate, Delhi. . .	19
675	दिल्ली में चेचक और खसरा आदि का बड़े पैमाने पर फैलना	Epidemic of Small Pox and Measles in Delhi. . .	19–20
676	आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के आयात की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiry by Central Bureau of Investigation into imports of RS-09 Tractors. . .	20
677	कृषि के संबंध में पूर्व-सूचना देने और निगरानी प्रणाली की स्थापना	Setting up of Agriculture Forecasting and Surveillance System	20–21
678	स्थानीय समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्टाफ रिपोर्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा देना	Extension of CGHS facility to the Staff Reporters of local News papers and News Agencies	21
679	विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संस्थाओं को इमारत बनाने के लिए अनुदान	Building Grants to Institutions Under various Universities	21
680	नेशनल कैपिटल रीजन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	National Capital Region	22
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
6450-A	श्री सनातन धर्म सभा (रजिस्टर्ड), ग्रीन पार्क, नई दिल्ली को भूमि का आबंटन	Allotment of land to Shri Sanatan Dharma Sabha (Regd.), Green Park, New Dehi.	22
6451	केरल में पानी के संसाधनों के उपयोग संबंधी योजनाएं	Schemes for Exploitation of water Resources in Kerala.	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6452	सुदर्शन पार्क (मोतीनगर), नई दिल्ली के निवासियों को पानी और सीवर की सुविधाओं के न होने के कारण कठिनाइयां	Inconvenience to the Residents of Sudarshan Park (Moti Nagar), New Delhi for non-Existence of Sewer and Water facilities	23
6453	दिल्ली–35 की कालोनियों में पानी तथा जल निकासी की सुविधाएं	Water and drainage facilities in Colonies of Delhi-35 .	23-24
6454	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जयदेव पार्क, दिल्ली में दूध का केन्द्र खोला जाना	Opening of a Milk Depot by D.M.S. in Jaidev Park, Delhi.	24
6455	राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली (गवर्नमेंट सेकेंडरी आर्ट टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली) द्वारा ज्ञापन देना	Memorandum by Government Secondary Art Teachers Association, Delhi. . .	24
6457	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में माडल प्राइमरी स्कूल का खोला जाना	Opening of Model Primary School in every Community Development Block. .	25
6458	पांचवीं योजना में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाएं	Projects to be undertaken by Archaeological Survey of India during Fifth Plan.	26
6460	आई० आई० टी०, खड़गपुर में कृषि इंजीनियरिंग में एम० टेक्निकल पाठ्यक्रम	M. Tech. Course in Agricultural Engineering at I.I.T., Kharagpur . . .	26
6461	नसबन्दी आप्रशन के बाद के प्रभावों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding after effects of Vasectomy Operations	26
6462	मूंगफली के तेल के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to M.P. for production of Groundnut Oil.	27
6463	मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की लोक संस्कृति का संरक्षण	Preservation of folklore of Chhatisgarh region in M.P.	27
6464	मध्य प्रदेश में हंडिया के निकट नर्मदा नदी पर पुल के निर्माण के लिए धनराशि	Amount for Construction of Bridge across Narmada River near Handiya in M.P. .	27
6465	मंत्रियों के बिजली और पानी के बिल	Electricity and Water Charges Bills for Ministers . .	28-29
6466	उर्वरक का बिक्री मूल्य	Sale Price of Fertilizer. . .	30
6467	हरित क्रान्ती में भारतीयों के साथ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का सहयोग	Cooperation of U. N. Experts with Indians in Green Revolution	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6468	बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परिवहन योजना	Transport Scheme submitted by Bihar Government . .	31
6469	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों और मकानों का आबंटन	Allotment of Plots and Houses to Refugees in Walled City by D.D.A. . . .	31
6470	दिल्ली में आंशिक रूप से मंजूरशुदा गैर मंजूरशुदा कालोनियां	Partly Approved/Unapproved Colonies in Delhi . .	32
6471	यमुनापार कालोनियों के मकानों का गिराया जाना	Demolition of Houses of Trans-Yamuna Colonies. . .	32
6473	नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय को मोतीनगर से पंजाबी बाग ले जाना	Shifting of CGHS Dispensary from Moti Nagar & Punjabi Bagh, New Delhi. . .	32-33
6474	मंदिरमार्ग, नई दिल्ली में बहुमंजिले क्वार्टरों का निर्माण और आबंटन	Construction and Allotment of Multi Storeyed Quarters on Mandir Marg, New Delhi	33-34
6475	डी० आई० झेंड० क्षेत्र, नई दिल्ली के टाइप II क्वाटरों में पावर प्वाइंट लगाना	Installation of power points in Type II Quarters of DIZ area, New Delhi . .	34
6476	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में पेट्रोल पम्प के निर्माण के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation against construction of petrol pump in Mandir Marg, New Delhi .	34-35
6477	शिक्षकों के लिए तिगुनी लाभ योजना	Triple benefit Scheme for Teachers	35
6478	लास पालमास (स्पेन) में भारतीय जहाज 'रत्न कीर्ति' में आग लग जाने के बारे में जांच	Enquiry into fire in Indian Ship 'Ratna-Kirti' at Las Palmas . . .	35-36
6479	वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मकान	Houses for aged Freedom Fighters	36
6480	भूमि की उर्वरता समाप्त होने से रोकने के लिए रासायनिक उर्वरक का न्यूनतम प्रयोग	Minimum use of Chemical Fertilizer to check loss of Fertility of land . . .	36
6481	समाज कल्याण विभाग से अनुदान-प्राप्त मुरैना (मध्य प्रदेश) की संस्थाएं	Institutions in Morena District (M.P.) getting Grants from Department of Social Welfare	36
6482	समाज कल्याण विभाग से अनुदान-प्राप्त ग्वालियर जिले (मध्य प्रदेश) की संस्थाए	Institutious in Gwalior District (M.P.) getting grants from Department of Social Welfare	37
6483	लक्ष्मीबाई नगर, उज्जैन (मध्य प्रदेश) में मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Construction of Houses in Laxmibai Nagar, Ujjain (Madhya Pradesh) .	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6484	गंदी बस्तियों के सफाई कार्यक्रमों के अधीन बनाए गए मकान	Tenements completed under the Slum Clearance Programme . . .	38
6485	केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास में हुई प्रगति	Progress in Development of Inland Water Transport in Kerala	38
6486	कोटायम, केरल में नेहरू स्टेडियम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Nehru Stadium in Kottayam, Kerala	38-39
6487	मंत्रियों के निवासस्थानों के रखरखाव पर किया गया व्यय	Expenditure on maintaining Ministers residences . .	39
6488	सस्ते मूल्यों पर मकान बनाने का सामान	Building material at cheap Rates . . .	40
6489	नागरिक जागरूकता पर गोष्ठी	Seminar of Civic Conciousness	40
6490	चीनी और अनाज के परिवहन के बारे में भारतीय खाद्य निगम के सहारनपुर के जिला प्रबन्धक के विरुद्ध कथित आरोप	Reported Allegation against District Manager of F.C.I., Saharanpur Re : Transportation of Sugar and Foodgrains . .	40-41
6491	पाली में श्रमिकों द्वारा मकानों के स्वामित्व की मांग	Demand of Ownership of Houses by Labourers in Pali . . .	41
6492	भारतीय समुद्री पदार्थों के निर्यातकर्ता	Indian Sea Food Exporters	41-42
6493	मैसूर में छोटे किसानों की विकास एजेंसी द्वारा किसानों को दिए गए ऋण	Loan Granted to Farmers by Small Farmers Development Agency in Mysore .	42-43
6494	1970 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई चीनी उद्योग जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Sugar Industry Enquiry Committee Appointed by the Government of U.P. in 1970 . . .	43
6495	खाद्यान्नों के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision in Prices of Foodgrains	43
6496	साउथ दिल्ली झुग्गी-झोंपडी सुधार समिति की बैठक	Meeting of South Delhi Jhuggi Jhonpri Improvement Committee	43-44
6497	भारत सरकार उत्पादन केन्द्र महिला कर्मचारी संघ का मांग-पत्र	Charter of Demands from Bharat Sarkar Utpadan Kendra Mahila Karmachari Sangh	44
6498	शिवपुरी, मध्यप्रदेश में एक सेंट्रल शीप फार्म की स्थापना	Setting up a Central Sheep Farm at Shivpuri, M.P.	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6499	विदेशों से वित्तीय सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाएं	Private Educational Institutions Receiving Financial Aid from Foreign Countries	44-45
6500	वर्ष 1973–74 में आदिवासी विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं	Pilot Project on Tribal Development during 1973-74	45-46
6501	अधिक मात्रा में अनाज के आयात की संभावना	Probability of more Food import	47
6502	नए कच्चे कुएं खोदने और वर्तमान कुओं को अधिक गहरा बनाने के लिए गुजरात का अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का अनुरोध	Request from Gujarat for Additional Amount for New Kuchcha Wells and Deepening of Existing Wells	47
6503	वर्ष 1972–73 में नल-कूप खोदने के लिए गुजरात सरकार का अधिक धनराशि दिए जाने के लिए अनुरोध	Request for Funds from Gujarat for Digging Tube-wells during 1972-73. . . .	47-48
6504	महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम की कमियां	Inadequacies of Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act	48
6505	तमिलनाडु में बिजली में कटौती के कारण खेतिहरों को हुई हानि	Loss to Agriculturists due to Power cut in Tamil Nadu	48
6506	केंद्रीय अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अधीन अपराध करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाना	Deterrent Punishment to Offenders under Central Adulteration Act, 1954	48-49
6507	दूसरे हुगली पुल के कार्य का बन्द होना	Work on Second Hooghly Bridge at a Stand still . .	49
6508	संकटकालीन सिंचाई योजना बनाना	Formation of Emergency Irrigation Scheme	49-50
6509	उत्तर प्रदेश और पंजाब में उर्वरक परियोजनाओं के लिए सहकारी बोर्ड	Cooperative Board for Fertilizers Projects in U.P. and Punjab	51
6510	राहत नियम पुस्तिका के अनुसार मजूरी की दर	Wages Rate Under Relief Manual	51
6512	चथम में आटा मिल को सख्त लकड़ी की सप्लाई	Supply of Hardwood to saw Mill at Chatham . . .	51-52
6513	सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Agro based Industries by Cooperative Sector . . .	52
6514	देवनागरी सिंधी लिपि को मान्यता	Recognition of Devnagri Sindhi Script . . .	52
6515	ट्रैक्टरों का आयात और उनका राज्यों को नियतन	Import of tractors and their Allocation to States . .	53

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6516	मध्य प्रदेश को दी गई सहायता का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of Assistance given to Madhya Pradesh	53
6517	पश्चिम बंगाल और कूच-बिहार में तम्बाकू की खेती वाली भूमि का क्षेत्र	Acreage of land under Tobacco cultivation in West Bengal and Cooch-Behar . . .	53
6518	मैसूर में छोटे चिड़ियाघर स्थापित करने संबंधी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Schemes to set up Mini-zoos in Mysore.	54
6519	बंगला देश से सूखी मछली का आयात	Import of Dry Fish from Bangla Desh . . .	54
6520	कारबैट नैशनल पार्क में चीतों की संख्या	Number of Tigers in Carbett National Park . . .	54-55
6521	ग्रामीण रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Rural Employment . . .	55
6522	चम्पारन, बिहार में लघु कृषि विकास परियोजना का कार्यकरण	Operation of Scheme of Small Farmers Development Agency in Champaran (Bihar) .	55-56
6523	मिंटो रोड प्रैस, नई दिल्ली में फोटो-सैटर मशीन के साँचों का खो जाना	Loss of Matrices of Fotosetter Machine from Minto Road Press, New Delhi . .	56-57
6525	वर्ष 1971-72 के दौरान कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिए राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋण और अनुदान	Central Grants and Loans to States for Agricultural Productivities during 1971-72.	57
6526	मुख्य पत्तनों पर काम कर रहे पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Port and Dock Workers employed at major ports	57
6527	संकटग्रस्त कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के बारे में इंडियन शूगर मिल्स एसोसियेशन का प्रस्ताव	Offer by Indian Sugar Mills Association to take over management of Sick Units.	58
6528	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से शारीरिक श्रम किया जाना	Compulsory Manual Work in Rural Area for Students.	58
6529	छात्रावासों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा सहायता	H.U.D.C.O. Assistance for Housing Projects for Hostels of Students and Employees of Public Undertakings.	59
6530	कृषि संबंधी कार्यों में उपयोग के जेनरेटरों का आयात	Import of generators for use of Agricultural Operation.	59
6531	बिहार में जयंती ग्राम	Jayanti Villages in Bihar.	59-60

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6532	बिहार में भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का कार्यकरण	Working of Soil Testing Laboratories in Bihar	60
6533	कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन	Conference of Agricultural Scientists	60-61
6534	खण्ड विकास अनुदानों का बन्द किया जाना	Discontinuation of Block Development Grants. .	61
6535	चौगुले एण्ड कंपनी द्वारा उसे हुई हानियों के बारे में शिकायत	Complaint by M/s. Chaugule & Co. Re : Losses Incurred	62
6536	महाराष्ट्र सरकार द्वारा चीनी की मांग और उसे चीनी की सप्लाई	Foodgrain and Sugar Demanded and Supplied to Maharashtra . . .	62-63
6537	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Reports Submitted by National Commission on Agriculture. . .	63
6538	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों से कालेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों द्वारा अमरीकी पुस्तकों का खरीदा जाना	Purchase of American Books by Colleges and University Libraries against Grants by U.G.C.	63-64
6539	मंत्रियों के आवासों/बंगलों की मरम्मत करने और उनमें सुधार करने में खर्च	Expenditure incurred on additions and alteration to Ministers' residences/Bungalows.	64
6540	देश में शहरी और ग्रामीण भूमि का समाजीकरण	Socialisation of Urban and Rural Lands in the Country	64-65
6541	भूमि सुधार कानूनों में बटाईदार की व्यवस्था	Provision of Share-Cropper in Land Reforms Legislature	65
6542	विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना	Switch over to Hindi as medium of Instruction in Universities	66-67
6543	दिल्ली के हस्पतालों में देर तक प्रतीक्षा और कम ध्यान देना	Long Wait, Little Attention in Hospitals in Delhi	67
6544	पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का अनाज जोन स्थापित करने के लिए दिल्ली प्रशासन का अनुरोध	Request from Delhi Administration to set up a Food Zone Comprising of Puniab, Haryana and Delhi	68
6545	केन्द्रीय सरकारी विभागों में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिए बनाए गए विशेष पल	Special Pools formed for Allotment of Government Quarters in the Central Government Departments.	68-69
6546	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के लिए तीसरी रजिस्ट्रेशन	Third Registration for Houses to be constructed by D.D.A.	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6547	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाई गई चीनी मिलें	Sugar Mills Set up during Fourth Five Year Plan	69
6548	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के भूतपूर्व वैज्ञानिक की मृत्यु के बारे में जांच	Investigation into the Death of Ex-Scientist of Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi.	70
6549	पशुपालन और दुग्ध योजना के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजना	Scheme for financial Assistance for Animal Husbandry and Milk Scheme. .	70-71
6550	गर्भपात की सुधरी हुई प्रणाली के लिए अनुसंधान	Research for improved Method for Abortions . . .	71
6551	भारत और विश्व के खेलों पर गोष्ठी	Seminar on India and the World Sports. . . .	71-72
6552	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में कृषि उत्पादन, पशु पालन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को सहायता देने हेतु पृथक विभाग	Separate Cells to assist States in stepping up Agricultural Production, Animal Husbandry in A.P. and U.P. and Western Rajasthan.	72
6553	राजस्थान को सप्लाई किया गया आयातित गेहूं	Imported Wheat Supplied to Rajasthan . . .	72
6554	मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने हेतु ऋण देने के लिए राज्यों को धनराशि देना	House Building Advance to State for advancing Loans to people of middle income and lower Income Group .	73
6555	खण्ड विकास योजनाओं से धनी किसानों को लाभ	Benefit to Rich Farmers from Block Development Schemes	73-74
6556	रबी और खरीफ की फसलों पर छिड़काव के लिए विमानों की संख्या	Number of Agricultural Aircraft for Aerial Spray on Crops of Rabi and Kharif Seasons.	74
6557	ट्रेक्टरों के आयात संबंधी नीति का पुनर्विलोकन	Review of policy of Import of Tractors. . . .	74
6558	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कच्छ की खाड़ी का सर्वेक्षण	Survey of Gulf of Kutch for Deep Sea Fishing. .	75
6559	भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का विरोध	Indian Medical Association opposed to National Health Scheme. . . .	75
6560	मैसूर से चारे के लिए अनुरोध	Request for Fodder from Mysore.	76
6562	मत्स्य बंदरगाहों का विकास	Development of Fishing Harbours.	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6563	निरक्षरता दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन	Incentive to Voluntary Organisations to eradicate illiteracy	77
6564	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विस्फोट	Explosion in B.H.U. .	77
6565	बिहार में कोसी नहर क्षेत्र के छोटे तथा सीमांत किसानों को पम्पिंगसट तथा ट्रैक्टरों का सप्लाई किया जाना	Supply of pumping sets and tractors to Small and marginal farmers in Kosi Canal Command Area in Bihar. . . .	77
6566	1971–72 और 1972–73 के दौरान कोसी नहर क्षेत्र के छोटे किसानों को सप्लाई किया गया उर्वरक	Fertilizer supplied to Small Farmers of Kosi Canal Command Area during 1971-72 and 1972-73. . . .	78
6567	सूखाग्रस्त रहने वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक सूखा नियंत्रण बोर्ड/ आयोग की स्थापना	Setting up a Drought Control Board / Commission for Drought Proven and Backward Areas.	78
6568	वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान बिहार में कोसी नहर के क्षेत्र में ग्रामीण रोज़गार के द्रुत कार्यक्रम के अधीन रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	Persons employed under Crash Programme for Rural Employment in Kosi Canal Command Area in Bihar during 1971-72 and 1972-73.	78
6569	कांडला में यातायात में सुधार	Improvement in Traffic at Kandla . . .	78-79
6570	कोहरे के कारण गुजरात में फसल को हुई हानि की जांच	Enquiry into loss to Crop due to Frost in Gujarat.	79
6571	मध्य आय वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लेटों का मूल्य	Cost of built up D.D.A. Flats for Middle Income Group.	80
6572	परिवहन विकास परिषद का राष्ट्रीय राजपथों से शराब की दुका ों को हटाने संबंधी सुझाव	Suggestion for Transport Development Council to remove Wine Shops from National Highways . . .	80
6573	लंदन के संग्रहालय में रखी गई भारतीय पुरातत्व की वापसी	Return of Indian Archaeological material kept in London Museum. . . .	81
6574	इंदौर होकर भोपाल से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजपथ बनाने की योजना	National Highway from Bhopal to Ahmedabad *via* Indore.	81
6575	गाय के गोबर से प्रोटीन तैयार करना	Protein for Cow-dung .	81-82
6576	दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राईवेट बसों का हटाया जाना	Withdrawal of Private Buses working under D.T.C. operation. . . .	82

अता० प्र० संख्या। U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6577	भूमि की अधिकतम सीमा लागू किए जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा कब्जे में ली गई भूमि और उसका भूमिहीनों को वितरण	Land taken possession of by States after Land Ceiling and its Distribution to Landless	82-83
6578	शिक्षा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation ofrecommendation of Education Commission	84
6579	ग्राम्य क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में सुधार	Improvement of Hospitalisation facilities in Rural Areas .	84-85
6580	कृषि विकास पर परामर्श देने के लिए आमंत्रित किए गए विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts invited for Agricultural Development	86
6581	बीजों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली	Public Distribution System for Seeds	87
6582	आहार की आदतों में परिवर्तन	Change in Food Habits .	87
6583	राज्यवार मार्गदर्शी परियोजनाओं का विवरण तथा उपलब्धियां	Breakup of Pilot Project and Result Achieved Statewise	88
6584	बिना रेशे वाली और नर्म लकड़ी के पेड़ों की सघन खेती के लिए विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Intensive Cultivation of Non-Fibre and Soft Woods . . .	88
6585	पौधों के विकास का समय कम करने के बारे में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा अनुसंधान	Research by Forest Research Institute, Dehra Dun regarding Shortening period of growth of plant	88-89
6586	परिवार नियोजन के अन्तर्गत आप्रेशन कराने के बाद भी बच्चों का पैदा होना	Birth of Children After Family Planning Operation . .	89
6587	वर्ष 1971–72 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य	Targets of Family Planning Programme for 1971-72.	89
6588	मलेरिया और चेचक बीमारियों पर नियंत्रण पाने में सफलता	Success Achieved in controlling Malaria and Small Pox Diseases	89-91
6589	दिल्ली दुग्ध योजना के दुध के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of milk of Delhi Milk Scheme . .	91
6590	भाषाई अल्प संख्यकों के लिए शिक्षा का माध्यम चुनने के बारे में समान राष्ट्रीय नीति	Uniform National Policy in regard to Choice of Medium of Instruction for Linquistic Minorities	91-92
6591	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आंदोलन	Agitation inside Aligarh Muslim University. . . .	92

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6592	राज्यों के मेडिकल कालेजों में दाखिला	Adimission to Medical Colleges in States. . . .	93-94
6593	कृषि उत्पादन में वृद्धि	Intensification of Agricultural Production . . .	94
6594	विदेशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान	Cultural Exchange Programme with Foreign Countries .	94-95
6595	युवा सेवा कार्यक्रमों को नया रूप देना	Reorientation of Youth Services	95-96
6596	सिलीगुडी से दारजिलिंग तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Siliguri to Darjeeling as National Highway . .	96
6597	देश में आवास की समस्या	Housing Problem in the Country.	97
6598	मनीपुर के मेडिकल कालेज को मान्यता देना	Recognition of Medical College of Manipur . . .	98
6599	मनीपुर, त्रिपुरा आदि में बदल-बदल कर फसल बोने की समस्याओं का अध्ययन	Study of problem of Shifting cultivation in Manipur, Tripura etc. . . .	98-99
6600	नृत्य नाटिका तैयार करने और नृत्य तथा संगीत का कार्यक्रम देने के लिए दल तैयार करने हेतु संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत केन्द्रीय संगठन की स्थापना	Setting up of Central Organisation under Sangeet Natak Akadami to prepare ballets and performing troupes.	99
6601	मनीपुर में छात्रावास तथा कालेज के भवनों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी कालेजों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to private Colleges in Manipur for Construction of hostel and College buildings . .	99-100
6602	काशी हिन्दु विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बन्द रहने के दिवसों की संख्या	Number of days Kashi Hindu Vishwavidyalaya and Aligarh Muslim Universitiy remained closed.	100
6603	राज्यों द्वारा खाद्यानों के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने के कार्य में हुई प्रगति	Progress of wholesale trade in foodgrain in States .	100
6604	दिल्ली में अनधिकृत बसों का चलना	Unauthorised Buses plying in Delhi.	100-101
6605	दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम को लागू न करना	Non-application of Delhi Co-operative Societies Act . .	101
6607	संसदीय सौध का निर्माण-कार्य	Construction work of Sansdiya Saudha	101
6608	संसदीय सौध को वातानुकूलित करने पर व्यय	Expenditure on Sansdiya Soudha Air Conditioning arrangements . . .	101-102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6609	दिल्ली में आज़ादपुर में बन रही नई सब्जी मंडी में शाप-फ्लेटों के आबंटन में घोटाला	Bungling in the allotment of Shop flats in Azadpur, New Subzi Mandi Site, Delhi.	102
6610	हैदराबाद स्थित अर्धशुष्क और ग्रीष्म ऋतुओं संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता	U. N. D. P. Aid to International Crop Research Institute for Semi-arid Tropics at Hyderabad.	102-103
6611	पुरातत्त्वीय ग्रंथालय, नई दिल्ली	Archaeological Library, New Delhi.	103
6612	नार्थर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टैक्नोलोजी	Northern Regional Institute of Printing Technology.	103-104
6613	अपने मकान बनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में रहने की अनुमति	Permission to Government Employees who have constructed their own houses to live in the accommodation allotted by Government.	104
6614	विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापन का नया तरीका	New Method for teaching of Sanskrit in Schools.	104
6615	पांचवीं योजना में सहकारी चिनी कारखाने	Cooperative Sugar factories during Fifth Plan. . .	104-105
6616	आई० आई० टी., दिल्ली के प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित शोध-कार्य	Research Work published by Professors of I.I.T., Delhi.	105
6617	महंगाई के विरोध में दिल्ली की महिलाओं द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Women of Delhi against price rise.	105-106
6618	दिल्ली में तम्बुओं में चल रहे विद्यालय	Schools functioning in tents in Delhi.	106
6619	जोधपुर में अकाल सहायता योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध	Request to World Bank Aid for Famine Relief scheme in Jodhpur. . .	106-107
6620	राजस्थान में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन	Implementation of Desert Development Programme in Rajasthan . . .	107-109
6621	राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र, कार्यक्रम	Drought Prone Area Programme in Rajasthan . .	109
6622	राजस्थान को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1973-74 के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Rajasthan for Minor Irrigation Schemes for 1973-74 . . .	109-110
6623	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Deep Sea Fishing.	110

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6624	लोकगीतों और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए समिति	Committee for preservation of Folkore and Folk literature.	110-111
6625	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लोक कलाओं के संरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालयों को निदेश	U.G.C. Directiors to Universities for preservation of folk Arts.	112
6626	सेवानिवृत्त होने पर सरकारी क्वार्टर न छोडने वाले/खाली न करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government employees who have not surrendered/ vacated their Government Quarters after retirement.	112-113
6627	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों में कदाचार	Malpractices in Fair Price Shops in Delhi	113
6628	दिल्ली में बोगस राशन यूनिटों की जांच	Enquiry into bogus ration units in Delhi	113
6629	भूतपूर्व संसद-सदस्यों द्वारा सरकारी आवास खाली न करना	Ex-M.P.'s not vacated Government residences	114
6631	राजस्थान में नसबंदी के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Vasectomy in Rajasthan	114-115
6632	भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों को आबंटित बंगलों को राज्य भवनों में परिवर्तित करना	Conversion of Bungalows allotted to Ex-Central Ministers into State Houses	116
6633	1971-72 तथा 1972-73 के दौरान राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि तथा उसका आवंटन	Acreage and Allotment of Land of Rajasthan Canal Area during 1971-72 and 1972-73.	116
6634	विभिन्न प्रदेशों में खेलकूद स्कूलों की स्थापना	Setting up of Sports Schools in various regions	116
6635	मंगलौर पत्तन के तटदूर प्रदेश के विकास की योजना	Plan for development of Hinterland of Mangalore Harbour.	117
6636	बड़े शहरों में नगरीयकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति	National Policy of urbanisation in large Cities.	117
6637	नीन्दाकारा, क्विलोन (केरल) के मत्स्य पत्तनों के विकास की योजना	Scheme for development of Fishing Harbours of Neenda-Kara, Quilon in Kerala	117-118
6638	श्री नारायण मेडिकल मिशन, शेंतालय, केरल द्वारा 'आक्सिलरी नर्सिस एण्ड मिडवाइव्स' अनुदान के लिए अनुरोध	Request for Auxiliary Nurses and Midwives from Sree Narayan Medical Mission, Shertalley, Kerala.	118
6639	सेन्ट्रल शूगर मिल्स, समस्तीपुर में गन्ने की पिराई में लगातार कमी आना	Progressive Decline of Cane Crushing at Central Sugar Mills, Samastipur.	118-119

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6640	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा तमिलनाडु को वित्तीय सहायता	H.U.D.C.O. financial Assistance to Tamil Nadu . . .	119-120
6641	ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए अलग अलग राशन कार्ड जारी करना	Issue of Ration Cards to individuals for Rural Landless People.	121
6642	हरिजनों की जबरी नसबन्दी	Forcible Vasectomy of Harijans	121
6643	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातिओं तथा अनुसूचित जनजातियों को परीज्ञा	Exemption of Examination Fees to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students Appearing in Examination conducted by Central Board of Secondary Education. .	121-122
6644	देश के चिकित्सा कालेजों में सीटों की बहुत कमी	Acute Shortage of Seats in Medical Colleges in the Country	122
6645	कृषि मंत्रालय के अधीन विभिन्न समितियों के अवैतनिक सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति	Persons Appointed in Honorary Capacity as Member of Various Committees under Ministry of Agriculture .	123
6646	शहरी-ग्रामीण आयोजना संगठनों की मुख्य बातें	Salient Features of the Urban Rural Planning Organisations	123
6647	विकलांग बच्चों पर खर्च किया गया धन	Amount Spent on Handicapped Children . . .	123-124
6648	अनाज के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने के बाद शहरों और गांवों में अनाज का वितरण	Distribution of foodgrains in Cities and Villages after Takeover of Food grains Trade	124
6649	पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बम्बई को चावल की तस्करी	Rice Smuggling to Bombay from Punjab, Haryana and Delhi.	124
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध में जल के शीघ्र अवरुद्ध होने का कथित समाचार—	Reported imminent Impounding of water in Pong Dam, Himachal Pradesh—	
	श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	125-127
	श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	125-126
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बंद होने के बारे में	Re. Closure of Aligarh Muslim University	129
	सिक्किम में स्थिति के बारे में	Re. Situation in Sikkim.	130
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	130-131

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बधी समिति 29 वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Twentyninth Report.	131
सिक्किम की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Situation in Sikkim—	131-132
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	
दिल्ली विक्रय कर विधेयक--पुर:स्थापित	Delhi Sales Tax Bill—Introduced.	132
अनदानों की मांगें 1973-74—	Demands for Grants 1973-74—	
वाणिज्य मंत्रालय—	Ministry of Commerce—	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	134-136
श्री एम० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarsanam	136-138
श्री सी० जनार्दनन	Shri C. Janardhanan	138-139
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	139-140
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	140-142
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	142-143
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	143-144
श्री माधोराम शर्मा	Shri Madhoram Sharma	144-145
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	145
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	145-146
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	146-147
श्री रेणुपद दास	Shri R. P. Das	147-148
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	148-149
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	149-150
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	150
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	150-151
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय—	Ministry of Irrigation and Power—	
श्री विजय मोदक	Shri Bijoy Modak	160-162
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki.	162
आध घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion	
रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्य करण की जांच की मांग	Demand for inquiry into the working of the Reserve Bank of India—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	162-164
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	164-166

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 9 अप्रैल, 1973/19 चैत्र, 1895 (शक)

Monday, April 9, 1973/Chaitra 19, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्दू भाषा और साहित्य के विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

*661. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में उर्दू भाषा और साहित्य के विकास कार्य में लगी किसी स्वयं सेवी संगठन को सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन संगठनों को कितनी सहायता दी गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिन्हें पिछले तीन वित्त वर्षों में उर्दू के प्रोत्साहन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है, उन्हें दी गई सहायता की राशि सहित नीचे दिए गए हैं :—

नाम	प्रयोजन	दी गई वित्तीय सहायता		
		1970–71	1971–72	1972–73
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
1. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द अलीगढ़	उर्दू भाषा तथा साहित्य का प्रसार	38,000	2,52,000*	2,28,000*
2. अबुल कलम आजाद प्राच्य अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	उर्दू भाषा तथा साहित्य का प्रसार	12,000	12,000	12,000
3. मजलिस-ए-इशात-ए-अदब, दिल्ली	मुशफी और बयान के कार्यों का प्रकाशन	4,996	..	..
4. आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी, हैदराबाद	दक्कनी उर्दू शब्द कोश का प्रकाशन	2,787	..	..
5. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा सामग्री का प्रकाशन	1,500	..	..
6. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, दिल्ली	उर्दू पांडुलिपियों की एक सूची का निर्माण		..	5,000
7. विल्ला अकादमी, हैदराबाद	"उर्दू वर्ड काउंट" नामक पुस्तक का निर्माण	..	..	3,000
8. एवान-ए-गालिब, दिल्ली	गालिब स्मारक तथा गालिब दर्शक कक्ष को पूरा करने के लिए ।	..	..	5,00,000

*इन आंकड़ों में 1971–72 में 2.00 लाख रुपये तथा 1972–73 में 1.60 लाख रुपये दिल्ली में उर्दू घर के एक भवन के निर्माण के लिए भी शामिल हैं।

Prof. Narain Chand Parashar: While I am happy to note that a sum of Rs. 7,48,000 was spent on the propagation of Urdu during the current year, I would like to have an assurance from the hon. Minister that no project regarding Urdu will be held up for want of funds.

Shri D. P. Yadav : I may assure Prof. Parashar that no scheme will be held up for want of funds.

Prof. Narain Chand Parashar : My second question is that in Uttar Pradesh and other states where Urdu is spoken, there is shortage of Urdu teachers. In view of this, whether some scheme would be formulated for the training of Urdu Schools?

Shri D. P. Yadav: Each State Government has been requested to employ sufficient number of Urdu teachers while giving grants for the employment of teachers during the last two years and in the coming year. The Uttar Pradesh Government has given an assurance that they are going to employ Urdu teacher in each primary school.

Mr. Speaker : Do it in Punjab also. I pointed out that day that you should only say Speaker and not 'Sadar' etc. The "Ajit" paper wrote over it. I say that you should not say Sardar (*Interruptions*). He has written three articles. He is using sardar for sadar (*Interruptions*).

Shrimati Savitri Shyam : Has the Uttar Pradesh Government placed a solid demand before the Union Education Ministry for the purchase of books and magazines for Urdu libraries? I want to know as to how much funds have been demanded and will provision be made for that during the current budget?

Shri D. P. Yadav : I may assure the hon. member that we will allocate the funds which are within our frame work.

Shri S. M. Banerjee : We came to know from the newspaper, that our Prime Minister Pandit Anand Narain Mulla a reputed Indian poet, praised him and said that Urdu language is a part of our civilisation and culture. I want to know from the Hon. Minister the steps taken by the State Governments for the development of Urdu? What measures are being adopted for the development of Urdu so that Urdu speaking people are sure that Urdu language will not die in India?

Shri D. P. Yadav : We allocated Rs. one crore during the Fourth Five Year Plan for the development of Urdu and we are allocating the equal amount in the Fifth Five Year Plan and a high powered committee under the Chairmanship of Shri Gujral through the medium of Urdu Board has been constituted and the Government will implement its recommendations.

श्री बो० एस० मूर्ति : दक्षिण के कितने राज्यों ने उर्दू अध्यापकों की भर्ती के लिये वित्तीय सहायता मांगी और हर राज्य को कितनी राशि दी गयी ?

श्री डी० पी० यादव : यह सचना मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को लिखित रूप में सूचित कर सकता हूं।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल; विशेषकर ग्रेटक कलकत्ता में भी उर्दू बोलने वाले बहुत लोग हैं। वहां "अन्जुमन-ए-तरक्की उर्दू, मगरबी बंगाल" नामक एक संस्था है। वक्तव्य में दर्शित संस्थाओं के बीच उस संस्था का नाम नहीं है जो ग्रेटर कलकत्ता के उर्दू भाषी लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या सरकार का विचार इस प्रकार की किसी संस्था को सहायता प्रदान करने का है ?

श्री डी० पी० यादव : हम उनके मामले पर विचार करेंगे और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जहां तक भी सम्भव होगा, हम उनकी सहायता करेंगे।

Shri B. P. Maurya : The cause of Urdu has been harmed during 25 years. Will the Education Ministry provide all such facilities for the development of Urdu which used to be provided before 1947?

Shri D. P. Yadav : The Education Ministry will do all whatever is possible within its resources.

श्री बी०पी० मौर्य : यह प्रश्न साधनों का नहीं, बल्कि नीति का प्रश्न है।

My question is different. I wanted to know whether the steps will be taken to discontinue the injustice to the cause of Urdu by providing all the facilities which used to be given to Urdu before 1947?

Minister of Education Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): The Government of India is doing more than what was done by the Central Government for the development of Urdu before 1947..... (*Interruptions*).

Shri B. P. Maurya : The answer should also be straight when you say that question should be straight.

प्रो० एस० नूरुल हसन : केन्द्रीय मंत्रालय के रिकार्डों की मैंने पूरी तरह जांच की है और मैं यह वक्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं। यदि आप मेरा पूरा उत्तर सुनेंगे तो शायद आपकी आपत्ति या कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कठिनाई यह है कि सरकारी मामलों में....

Shri S. M. Banerji : Kindly speak in Urdu.

Prof. S. Nurul Hasan : As people do not understand Urdu, I have to speak in English, though Urdu has much elasticity and felicity of expression.

Mr. Speaker : You may go on in the same manner.

Prof. S. Naurul Hasan : Sir, the facilities to be provided to Urdu in official matters could not be extended. Secondly, the arrangements for primary education in Urdu could not be made. It is also to be taken into account that a Committee has been constituted under the Chairmanship of Shri Gujral by the Ministries of Education and Home Affairs for safeguarding the interest of linguistic minorities. This Committee can consider educational aspect also as well as ensure whether Urdu is getting a proper place in official matter or not

I may also submit that in States like U. P. where there is sizeable Urdu speaking population, orders have been issued to appoint nearly 30,000 teachers for Primary Schools in next year.....

Shri Muhammed Ismail : This is being done in view of elections.

Prof. S. Nurul Hasan: No Sir. We had taken this decision in 1971 and action is being taken since then. Such things do not happen in days.

Secondly, the U. P. Government have decided to give grants to these Schools (Muktabs) where the medium of instruction was Urdu and which were not hitherto entiled for such grant and orders have been issued to compile full detail in respect thereof and to see that such Schools may be brought upto that Standard as early as possible as are not qualified for receipt of such grants at present. They have created an Urdu Academy which has taken steps for the development and spread of Urdu. These steps are ahead of the activities of Board of Urdu Development, set up by the Centre. Both these agencies have close liaison to ensure that money spent by both should be beneficial to Urdu-speaking and Urdu-knowing people to the maximum.

Shri B. P. Maurya : On a point of order, Sir, when you insist on member to be specific in their questions, why you do not insists on Minister also to give specific replies. My question was whehter Government would accord the same status to Urdu as was being enjoyed by it before 1947? I do not know what his reply was.

Mr. Speaker : Please leave it now.

Shri B. P. Maurya: I specifically asked whether it is proposed to compulsorily include 100 marks for Urdu paper in Judicial and P.C.S. examinations?

Prof. S. Nurul Hasan : My Ministry is not concerned with conducting such examinations.

Shri S. M. Banerji : Sir, in which language or script it shall be recorded? If it is recorded in Hindi, the pronunciation would not come out correctly. You may consider this.

Shri Jagannath Rao Joshi : If it is recorded in Hindi, we will also be able to enjoy it.

Shri S. M. Banerji : Sir, I would request you to kindly get it recorded in Urdu itself so that people might know it.

Mr. Speaker : Urdu and Hindi are alike, but your suggestion has weight. I shall consider it.

Shri Shashi Bhushan : Sir, in view of the fact that the number of Urdu-readership and newspapers and books etc. has gone up since independence despite opposition and lack of Official patronage, why people should take to learning Urdu when they shall not get Jobs thereby ?

Prof. S. Nurul Hasan : Sir, the concern of my Ministry is only regarding teacher's appointment. If there has been any slackness in this, the hon. member can point it out.

Dr. Kailas : I want to know the number of applications received and the number out of them rejected ?

Shri D. P. Yadav : The information would be supplied to him.

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यों का विस्तार

+

662. **श्री रानेन सेन :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यों के विस्तार की योजना को अंतिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) पांचवीं योजना में कितने अतिरिक्त टन भार की क्षमता और बढ़ायी जायेगी और इस संबंध में कुल व्यय कितना होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क), (ख) और (ग) पांचवीं योजना में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया की विस्तार योजनाएं पांचवीं योजना के अंतिम रुप पर निर्भर करेगी । पांचवीं योजना में नौवहन लक्ष्य को अभी अंतिम रुप दिया जाना है ।

श्री रानेन सेन : विदेशों से भारत के लिए जहाज़ बनाने के हाल के क्रयादेश चौथी योजना में शामिल किए गए हैं या पांचवीं योजना में? यदि वे चौथी योजना में शामिल हैं तो इस समय कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और योजना के अन्त तक कितना लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ?

श्री राज बहादुर : हमें चौथी योजना के अन्त में नहीं अपितु चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के फलस्वरूप 8 लाख के अतिरिक्त क्रयादेश देने की अनुमति मिली है और चौथी योजना के अंत में जहां तक भारतीय जहाज़रानी निगम का संबंध है, 110 जहाज़ 15.64 जी०आर०टी० के हो जाएंगे ।

श्री रानेन सेन : क्या हमारे जो कारखाने जहाज़ों के निर्माण में लगे हैं उन्हें पांचवीं योजना में बनाए जाने वाले जहाज़ों के आर्डर स्वीकार करने के सक्षम बना दिया गया है और इस संबंध मे क्या विशेष योजनाएं चल रही हैं और कौन-कौन से कारखानों का विस्तार किया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : गत वर्षों में इस संबंध में हर संभव प्रयत्न किया गया है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, जहाज़ निर्माण विशेष प्रकार का और बहुत जटिल उद्योग है जिसकी जानकारी सभी देश दूसरे देशों के साथ बाटने को तैयार नहीं हैं। जहां तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड का संबंध है, हमारी योजना इसका विस्तार करने और इसकी क्षमता बढ़ाने की है। कोचीन के कारखाने को जापान के सहयोग से लगाया गया है। और मज़गांव गोदी में दो यात्री जहाज़ हमारे अपने डिज़ाइन के बन रहे हैं। गार्डन रीच वर्कशाप का भी विस्तार किया जा रहा है। अब वहां काफी बड़ी गोदी बन गई है जहां 25,000 टन डी० डब्लू०टी० तक के जहाज़ आ सकते हैं।

Shri R. S. Pandey : Whether trawlers meant for deep-sea fishing are being built in Mazagaon Docks? If so, the capacity thereof and when it would attain self-sufficiency in this regard? Whether the Ministry of Food and Agriculture has requested you to make available trawlers to them as early as possible so as to expedite fishing operations?

Shri Raj Bahadur : The Mazagaon Dock comes under Ministry of Defence. I am therefore, unable to answer that. Moreover the information of the hon. Member is correct.

श्री जी० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने अब तक किए गए उपायों के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं विशाखापतनम कारखाने के बारे में जानना चाहता हूं कि आपने उसके लिए विस्तार का क्या कार्यक्रम बनाया है और उसे कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं और क्या दिए गए वचन पूरे हो पाएंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में हमारी क्षमता औसतन तीन जहाज़ बनाने की है और हम इसे बढ़ा कर 6 जहाज़ करना चाहते हैं। जैसा कि सदस्यों को विदित है और मैं बता ही चुका हूं कि यह बहुत ही जटिल उद्योग है और इसमें हज़ारों पुर्जे होते हैं जिनमें से आधे हम देश में बना सकते हैं और उनके निर्माण के आत्मनिर्भर हैं, डीजल इंजन कारखाना बन जाने पर 70 प्रतिशत पुर्जे यहीं बनने लगेंगे और तब भी 30 प्रतिशत उपकरण आयात करने होंगे। यह उद्योग सहायक उद्योगों पर निर्भर है जिनके लिये उद्यमियों को प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से ये कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। विशाखा-पत्तनम के बारे में मैं बता चुका हूं कि उसकी क्षमता बढ़ाकर हम 6 जहाज़ों की करना चाहते हैं।

श्री दिनेश जोरदार : हाल्दिया में क्या एक परिपूर्ण जहाज़ निर्माण कारखाना बनेगा? इसकी क्षमता क्या होगी और यह कब तैयार हो जाएगा और क्या उनके पास इस प्रकार का कोई प्रताव है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न की ज़ांच के लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया था कि क्या वहां ऐसा कारखाना लगाया जा सकता है कि नहीं। आगे जांच के लिए उन्होंने एक उप समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार कर लिया गया है। अब सरकार इसकी सिफारिशों पर विचार करेगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : ये सिफारिशें किस बारे में हैं?

श्री राज बहादुर: कि क्या यह कारखाना वहां लगाया जा सकता है तथा अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में हैं।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय सरकारी, संयुक्त या गैर-सरकारी क्षेत्र में 1,00,000 टन डैडवेट क्षमता के जहाज़ बनाने के कारखानों की स्थापना करने पर विचार करेंगे क्योंकि हमारे वर्तमान कारखानों में 25,000 टन से अधिक वज़नी जहाज़ खड़े करने की क्षमता नहीं है और हम बहुत भारी जहाज़ों (10 लाख टन तक के) के आयात पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सभी शिपयार्ड सरकारी क्षेत्र में होंगे न कि गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे। टन भार क्षमता के संबंध में यह 10,00,000 टन न हो कर अब 26.40 लाख टन जी०आर०टी० है जब कि 1947 में यह क्षमता केवल 2 लाख टन ही थी।

श्री डी० डी० देसाई : मैं भारी जहाज़ों की बात कह रहा था ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास 'लाल बहादुर शास्त्री' और 'जवाहरलाल नेहरु' नामक टैंकर 87,000 टन के हैं । एक और जहाज़ 1,00,000 से 1,04,000 टन का है । नवीनतम क्रयादेश एक युगोस्लाव कारखाने को दो जहाज़ों के लिए दिया गया है जो प्रत्येक 2,69,000 डैडवेट भार के होंगे ।

भारतीय खाद्य निगम के कार्य की जांच करने के लिये समिति अथवा आयोग की स्थापना

*663. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु इस के कार्य की जांच करने के लिए एक समिति अथवा आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति और वितरण संबंधी प्रासंगिक खर्चों की जांच करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है । सभा के पटल पर रखे गए विवरण में इस समिति के बारे में ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य विभाग में एक समिति गठित की गई है जिसके सचिव वित्त मंत्रालय और सचिव, योजना आयोग सदस्य हैं और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम सदस्य सचिव हैं । यह समिति भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का केन्द्रीय स्टाक सम्भालने के लिए अधिप्राप्ति और वितरण पर लिए जा रहे प्रासंगिक खर्चों के बारे में जांच करेगी ।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए अधिप्राप्ति और वितरण करने के लिए किए गए प्रासंगिक खर्चों की औचित्यता की जांच करना;

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालन संबंधी यूनिट लागत को कम करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, उनके बारे में विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(3) राज्य सरकारों की ओर से किए गए कार्यों के बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिए गये प्रासंगिक खर्चों की जांच करना और उसे कम करने के लिए अर्थोपाय का सुझाव देना; और

(4) राज-सहायता के मौजूद बोझ और उसे आगे जारी रखने के प्रश्न की जांच करना और ऐसे उचित उपायों की सिफारिश करना जिनको अपनाने से राज-सहायता का बोझ उत्तरोत्तर कम किया जा सके ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि खाद्य निगम द्वारा लिए जाने वाले वसूली तथा वितरण प्रभारों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है और उसके निर्देशपद केवल वित्तीय पहलुओं तक ही सीमित होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य निगम के भूतपूर्व चैयरमन तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सदाचार और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उक्त चैयरमन को हठात् निकलना पडा? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रथम-दृष्टया मामला उनके विरुद्ध बनता है ? यहि हां, तो सरकार प्रशासनिक कार्यकरण को सुधारने और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है जिनसे भ्रष्टाचार होता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अब नया चैयरमेन नियुक्त किया गया है और सदस्य महोदय यदि कोई नए सुझाव देना चाहें तो वह उनका स्वागत करेंगे । अन्य मामलों पर सदन में पहले ही पूरी चर्चा हो चुकी है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : भूतपूर्व चैयरमेन के विरुद्ध जब आरोप लगाए गए थे तभी खाद्य निगम के कार्यकरण के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए थे। तो क्या उन आरोपों पर सरकार विचार कर रही है और वह किस स्थिति में है? क्या प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भी आरोप नहीं थे और क्या उसी को सरकार द्वारा बनाई गई समिति का सचिव-सदस्य नहीं बनाया गया है ? सरकार ने वर्तमान चैयरमेन को समिति में क्यों नियुक्त नहीं किया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह समिति इससे पहले बनी थी। मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि किसी के विरुद्ध, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि कोई विशिष्ट आरोप हुए तो सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचाएगी। जांच का जहां तक संबंध है, वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है और उसकी रिपोर्ट आने पर सभा को तो बताया ही जाएगा (**अंतर्बाधा**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव: इस सभा में भी प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए थे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं कह ही चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट आरोपों की जांच की जाएगी।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know the number of officers of F.C.I. against whom there were allegations and who are still working there? Why they are not suspended till this matter is decided?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : यह सुझाव मात्र ही है। हम पता लगायेंगे कि क्या केन्द्रीय जांच ब्युरो की स्वतंत्र जांच के लिए ऐसा करना वांछनीय है और यदि ऐसा हुआ, तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri Shankar Dayal Singh : You have removed the Chairman, but why such Officers are still there?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। श्री सांधी।

श्री नरेंद्र कुमार सांधी : क्या खाद्य निगम के कार्य में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए इसे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन रखा जाएगा ताकि इसमें सुधार हो? क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सभा ऐसा कानून पास कर चुकी है और महालेखापरीक्षक को निगम के लेखे की जांच का अधिकार दे दिया गया है। इस समय स्थिति यह है कि वित्तीय विशेषज्ञों की एक समिति निगम के वित्तीय पहलुओं की गहरी जांच करने के लिए बनाई गई है।

श्री समर गुह : गत 4 सितम्बर की चर्चा के उत्तर में मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि खाद्य निगम के कार्यकरण के पूरे मामले की जांच करके सभा को सभी तथ्य बता दिए जाएंगे। इसको 8 मास हो चुके हैं और इस बीच अनाज के व्यापार के सरकारीकरण का इतना महत्वपूर्ण निर्णय भी हो चुका है। सरकार ने एक समिति बना दी जो अभी तक मामले की जांच कर रही है। क्या यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र पूरी कर लेगी और अपनी अन्तिम सिफारिशें दे देगी और क्या उन्होंने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को दिया है ? लेखापरीक्षक लेखे के अनुसार निगम का 25 प्रतिशत व्यर्थ का है और 25 करोड़ बोरियां मुफ्त ही व्यापारियों, मिलों आदि को दे दी जाती हैं। उक्त अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक मिल जाएगा?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बोरियों के बारे में उनकी धारणा सही नहीं है क्योंकि गेहूं राज्यों को बोरियों सहित बेचा जाता है। अब जब कि मिलों को अपना उत्पाद राज्य सरकारों के निर्देश पर सरकारी दुकानों को देना होगा जो जनता को बचेंगें, अब उनकी यह स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है, जो वित्तीय विशेषज्ञ इस मामले की जांच कर रहे है वे अपनी रिपोर्ट दो मास में दे देंगे।

श्री समर गुह : पहले ही 8 मास बीत चुके हैं और यदि वे दो मास और लगा देंगे तो यह देश के लिए बहुत दुखदायी होगा। इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करनी होगी और मैं अधिक समय लगने के कारण बताने को भी तैयार हूं। मेरे विचार में विशेषज्ञों को इसके लिए समुचित समय दिया जाना चाहिए। यदि अपव्यय हो भी रहा है तो वह 25 प्रतिशत नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा है। इस संबंध में यदि उन्हें अधिक जानकारी हो, तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र से राहत कार्य अपने हाथ में लेने का अनुरोध

+

***664. श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राजस्थान में राहत कार्य को वह अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० गंगादेव : क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र द्वारा दी गई सूखा सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है और राज्य सरकार ने धन और प्रयास के रुप में इसमें कितना योगदान दिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरी नवीनतम जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिसमें केन्द्र ने 11 करोड़ का योगदान किया है। इतने धन से राज्य सरकार राहत पहुंचाने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है और राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या 6.98 लाख तक पहुंच गई है।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार उस क्षेत्र में, जहां निरन्तर सूखा पड़ता रहता है, सघन, शुष्क खेती लागू करेगी ? यदि हां, तो इस बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए जाएंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : किए जाने वाले उपाय सर्वविहित है जैसे भूमि रक्षण, जल रक्षण, वन लगाना और जहां संभव हो लघु सिंचाई की जाए। इन में से कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार चला भी रही है।

Shri Shiv Nath Singh : May I know whether the Government of Rajasthan have urged the Centre to undertake the work of Pakka roads and to extend the percentage of labour and 30 percent fixed material components in order to provide the roads in Rajasthan according to the State's geographical utility?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार का विचार जहां तक भी संभव हो सकेगा, सड़क कार्य आरम्भ करने का नहीं है अपितु उत्पादन कार्य आरम्भ करने का है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मौसम के हालत के कारण लोग निरन्तर सूखे की स्थिति का सामना करते हैं और इसका एकमात्र उपाय यही है कि लोगों को स्थायी राहत प्रदान करायी जाय और यह उत्पादन कार्य आरम्भ करके ही संभव हो सकता है। जहां तक उत्पादन कार्यों का सम्बन्ध है हमें इस सीमा तक राजस्थान सरकार की सहायता करनी

चाहियें । जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है हम उनको यही परामर्श देंगे कि वे सड़कों के कार्य को कम करें क्योंकि राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि बहुत सी सड़कें टूट जाती हैं और कभी कभी तो थोड़े से समय में ही सड़के पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं ।

Shri Phoolchand Verma : Sir, People in Rajasthan are facing drought conditions for last several years. The work on Rajasthan Canal is also going on for several years. Regarding that it is said..... **(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । यह मूल विषय से सम्बद्ध नहीं है ।

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister has said that they do not want to encourage the road works. I would like to know.....(*interruptions*)

Mr. Speaker : This does not arise out of it? Hon. Member tries to bring politics everywhere. (*Interruptions*)

जहां तक राज्य प्रमुख के विरुद्ध टिप्पणियां का प्रश्न है, वे नियमानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं और ये मूल विषय से सम्बद्ध भी नहीं हैं ।

Shri Phool Chand Verma : I am asking a relevant Question what I have said, is true.

The conditions prevailing in Rajasthan are entirely different as compared to the rest of the country. The people are dying of famine conditions there. The Hon. Minister has said that they do not propose to have Special provisions for roads there. May I know whether the Government propose to provide any grant or loan from the centre to complete the work on Rajasthan Canal on warfooting or whether any such proposal is under consideration of the Government.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने राजस्थान सरकार को सुझाव दिया है कि राजस्थान नहर पर अधिकतम लोग लगाये जायें । मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार हमारे सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये सच्चा प्रयास कर रही है ।

Shri M. C. Daga : May I know as to why the Government do not want to give due importance to the works on road in Rajasthan, where there are no rivers in adequate numbers and irrigation works suffer. I would like to say that unless there is work on roads, people will remain unemployed and will die of starvation.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : क्या मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकता हूं? जहां तक सड़क बनाने का प्रश्न है, हमने सड़क बनाने का कार्य बिल्कुल बन्द नहीं किया है । वित्त विभाग तथा योजना आयोग से परामर्श करके ये नवीनतम निर्देश दिये गये हैं कि सूखाराहत पर जितना भी व्यय किया जाना है उसे उत्पादन कार्यों पर लगाया जाये । जहां ऐसा कार्य नहीं है वहां सड़के बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Ramkanwar : There is serious famine condition in Rajasthan. The hon. Minister in his reply has mentioned that Rajasthan Government have spent 15 crores and the Centre have advanced Rs. 11 crores. May I know the expenditure incurred out of the amount of Rs. 11 crores and whether the Rajasthan Government have sought more aid from the Centre to get rid of the famine conditions ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने बताया है कि राजस्थान सरकार 15 करोड़ रुपये की राशी व्यय कर चुकी है। केन्द्र ने 11 करोड़ रुपया दिया है। क्योंकि खर्चा राजस्थान सरकार द्वारा ही किया जाता है, अत: खर्च की जांच करने वाला केन्द्रीय दल, समय समय पर, और सहायत देने की सिफारिश करेगा।

खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

+

*665. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी और ग्रामीण क्षेत्र में उनके रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के कार्य का दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल ने उसे सौंपे गये विभिन्न विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में अभी आयोग की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

Shri Bibhuti Mishra : There was a lot of hue and cry regarding Pay Commission's report, though the report covers only 3 millions of people. As compared to it, there are 75 per cent people, who are either labourers or labourers-cum-agriculturists, engaged in agriculture in India. Why the report in this regard is being delayed ? If the report is received early and implemented, it will give relief to the agricultural labour.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको पता है कि यह कार्यकारी दल राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। यह दल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् आयोग प्रतिवेदन सरकार के पास प्रस्तुत करेगा।

Shri Bibhuti Mishra : It is the government who have appointed that Commission. The whole of the office is of the Government. The report is not to be obtained from far off places like Calcutta or Bombay. Some one may go by Cycle, by Car and bring that report.

May I know whether the Minister of Agriculture proposes to ask the Commission for early submission of the report to implement it at an early date, so that the agricultural labour may get employment and need based minimum wage, if so, by what time, or whether in this current session, the report will be presented on the table of the House.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम राष्ट्रीय कृषि आयोग से कहेंगे, माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं। परन्तु औपचारिक रूप से हम उनसे कहेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्यों कि जब औद्योगिक कर्मचारियों के लिये भी वेतन आयोग ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की बात रद्द कर दी है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य द्वारा दिया जानेवाला न्यूनतम वेतन बढ़ते हुये मूल्यों के संदर्भ में अत्याधिक कम है और क्या सरकार ने राज्यों को ऐसे निदेश दिये हैं अथवा देगी कि खेतिहर मजदूरों को दिये जाने वाले कम से कम वेतन से किसी सीमा तक वास्तविकता का प्रदर्शन तथा देश में बढ़ती हुई मंहगाई का मुआवजा दिया जाना चाहिये।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रम मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है। हमारे मंत्रालय का यह विचार है कि वर्तमान न्यूनतम वेतन बहुत कम है। हम इसमें वृद्धि करना चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी : क्या यह सच है और क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि गुजरात सरकार जिसने खेतिहर मजदूर के लिये 3 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम वेतन निर्धारित किया, अभाव कार्यों पर लगे कर्मचारियों को उतना वेतन देने से भी इन्कार करती है ?

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : यह सच है कि गुजरात सरकार 3 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम वेतन निर्धारित किया। वास्तव में कुछ राज्यों में यह अभी भी इससे भी कम है। परन्तु न्यूनतम वेतन की समस्या अभाव कार्यों से भिन्न है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय कहते हैं कि खेतिहर मजदूर के लिये न्यूनतम वेतन कुछ और है, अभाव कार्यों के लिये दिया जाने वाला वेतन कुछ और। क्या 'न्यूनतम' शब्द सभी प्रकार की गतिविधियों पर लागू होता है अथवा जहां सरकार का मामला हो वहां न्यूनतम से भी कम वेतन संभव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रस्तुत किये जानेवाले प्रतिवेदन के सम्बद्ध में है।

श्री माधुर्य्य हालदार : सरकार ने खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने तथा अन्य उद्देश्यों से द्रुत कार्यक्रमों के लिये कुछ राशि नियत की है। क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है कि द्रुत कार्यक्रम योजना से रोजगार के अवसरों तथा खेतीहर मजदूरों के वेतन में कहां तक वृद्धि हुई है।

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें।

Shrimati Sahodrabai Rai : May I know whether Rs. 3 per day minimum wage applies also to women workers engaged in agriculture ?

Mr. Speaker : The Question is regarding the submission of the report. If there is any woman involved, it will apply to her also.

Shri Shashi Bhushan : Women Workers are paid less.

श्री रणबहादुर सिंह : खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के प्रश्न पर जो दल विचार कर रहा है क्या वह ऐसा समस्त देश का भ्रमण करके खेती सम्बन्धी कठिनाई पर बात चीत कर के मौके पर जांच करके ऐसा करेगा ?

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : यह दल दश के विभिन्न भागों का दौरा कर रहा है।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether the prices of agricultural produce are fixed according to the wages of minimum wage Act or the low wages paid at present ?

Mr. Speaker : The Question has been asked whether the working group's report has been submitted or not.

Shri D. N. Tiwary : Sir, the prices of agricultural produce is decided taking overall expenditure in view. In that case may I know whether it is fixed according to the minimum wages or otherwise ?

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : उत्पादन लागत में मजदूरी महत्वपूर्ण तत्व है। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान न्यूनतम वेतन प्रचलित वेतन से भी कम है। कृषि मूल्य आयोग प्रचलित मजदूरी को ध्यान में रखता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : मंत्री महोदय भी प्रगतिवादी कृषक हैं और कृषि के क्षेत्र में उनको बहुत ज्ञान है। क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश में खेतिहर मज़दूर श्रमिक वर्ग में सर्वाधिक शोषित वर्ग है ? मंत्रीमहोदय का कहना है कि इस समस्या से और मंत्रालय भी सम्बद्ध हैं। परन्तु क्योंकि मुक्त दायित्व इन्हीं का है, इसलिये मैं यह बात जानना चाहता हुं कि खेति हर मज़दूरों का यह शोषण कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि वे समाज के सब से नीचे दलितवर्ग में हैं। इसलिये उनके साथ सभी की सहानुभूति है। जब राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, तब सरकार इस समस्या को सर्वाधिक महत्व देगी।

U. C. G.'s Decision to Abolish Examination System

*667. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Education Social welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has taken a decision to abolish the existing examination system ; and

(b) if so, the criteria to be followed for passing in accordance with the said Commission's decision ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

परीक्षाओं की विश्वस्तता, वैधता तथा विषयनिष्ठता में सुधार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं।

2. सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड आदि द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों की परीक्षा सुधार संबंधी रिपोर्टों की जांच करने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। इस दल ने "परीक्षा-सुधार-कार्रवाई योजना" नामक अपना अन्तिम रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य सिद्धान्त सुझाए हैं जिस पर नई या अपेक्षित शिक्षा प्रणाली आधारित होनी चाहिये। इस दल ने विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तथा प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों की परीक्षाओं में भी सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। आंतरिक मूल्यांकन, अंक तथा श्रेणी (ग्रेड), राष्ट्रीय परीक्षा, और प्रश्न बैंक जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा सुझावों का सामान्य रुप से समर्थन किया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाने के लिए एक कार्यान्वयन समिति नियुक्त की है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है ताकि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकुल जहां भी जरुरी हो वहां आवश्यक संशोधन करके इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु तुरन्त कदम उठाएं।

Shri Chiranjib Jha : As regards reply given by the Hon. Minister. I would like to say that in view of the deteriorating standards of educatio n in the country Educationists are worried regarding the basic changes in Education patter and for the suitable changes in examination system. May I know whether a copy of the report of the working group will be supplied to each member of the House ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : कार्यकारी दल के प्रतिवेदन तथा उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित किये गये संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखने में मुझे प्रसन्नता होगी।

Shri Chiranjib Jha : May I know whether the University Grants Commission have decided to abolish the present examination system and to adopt the regular and correct study as well as the display of progress in class work as the basis of passing the examination May I also know whether the Commission have conceded to accord autonomy to colleges and to provide facilities to raise the standard of education ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक इन प्रश्नों के विवरण का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन पर पांचवी योजना के भाग के रूप में विचार कर रहा है।

श्री पीलू मोदी : क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परीक्षा प्रणाली समाप्त करने के निर्णय के अनुसरण में बन्द किया गया है ? (**व्यवधान**).

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं भी इसी ढंग से उत्तर दे सकता हूं जिस ढंग से माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं में अधिकांश छात्र नकल करते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किये जायें और इस सम्बन्ध में एक व्यापक नीति बनाई जानी चाहिये। विवरण से ज्ञात होता है कि कार्यकारी दल ने कुछ तरीके सुझाये हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड, जो इन सिफारिशों पर कार्य कर रही हैं, वे कुछ चीजें तैयार करके प्रस्तुत की जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। क्या ऐसे कार्यकारी दलों तथा सिफारिश समितियों में प्रत्येक मामले में छात्रों का मत भी लिया जाता है, यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय परीक्षा प्रणाली समाप्त करने के मामले में अध्ययन करने वाले छात्रों का भी मत लेगा ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : यह एक सुझाव है।

तथ्य यह है कि केन्द्रीय परामर्श छात्री बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी इस मामले में कोठारी आयोग ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न गोष्ठियों तक अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्डों ने भी इस महत्वपुर्ण मामले पर विचार किया है। इन विभिन्न सिफारिशों के आधार पर तथा भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र तथा रसायनशास्त्र के अध्यापन के सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों के इन सभी सिफारिशों को ध्यान में रखत हुये, कार्यकारी दल ने एक संचित दस्तावेज तैयार किया जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस मामले पर व्यापक रूप में बहुत से विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों ने विचार किया है, छात्रदलों से परामर्श करने पर क्या लाभकारी उद्देश्य सिद्ध होगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन् : विवरण के अन्तिम भाग में बताया गया है कि इन सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने हेतु कार्यकारी दल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा गया है। क्या सिफारिशों को कार्यक्रम देने के लिये किसी राज्य ने कोई पग उठाया है? दूसरें क्या कार्यकारी दल ने परीक्षा हाल में पुस्तकों से उत्तर लिखने की नीति की सिफारिश की है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : कुछ राज्यों में स्कूल स्तर पर इस नीति को क्रियान्वित किया जा चुका है। उदाहरण के लिये आन्ध्र ने स्कूल स्तर पर ऐसा किया है, बहुत सी सिफारिशों को कार्यक्रम दिया जा चुका ह। बहुत से राज्यों ने कहा है कि वे जितना शीघ्र भी हो सकेगा इन

सिफारिशों को कार्यक्रम देने के लिये हर संभव प्रयास करेंगे। असम तथा हिमाचल प्रदेश ऐसे ही राज्य है। नागालैंड में भी बहुत सी बातें स्वीकार कर ली हैं। मेघालय ने कहा है कि वे इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करेंगे।

एक माननीय सदस्य : बिहार की क्या स्थिति है?

प्रो० एस० नुरूल हसन : बिहार में ये विचाराधीन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान में आमेर स्थित मानसिंह पैलस में सत्रहवीं शताब्दी के चित्रों का पाया जाना

*666. **श्री पी० के० देव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में आमेर स्थित मानसिंह पैलेस के अन्दर सत्रहवीं शताब्दी के मूल्यवान भित्ति चित्रों का पता चला है, और;

(ख) क्या इन भित्ति चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रयास कर रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां। अम्बर किले में महल के अन्दर 17 वीं शताब्दी के कीमती भित्ति चित्रों का पता लगा है।

(ख) जी, हां। राजस्थान के राज्य पुरातत्व विभाग के अनुरोध से राष्ट्रीय संग्रहालय के रासायनिक प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने प्रथमतः इन चित्रों की जांच की थी। साथ ही, इन दो संगठनों के रसायनज्ञों ने कुछ पैनेलों को अनावृत्त किया और उन्हें संरक्षित रखा। इसके बाद राज्य विभाग ने स्वतंत्र रुप से कुछ और पैनलों को अनावृत्त किया है तथा उन्हें संरक्षित रखा है। राज्य पुरातत्व विभाग तथा संग्रहालयों द्वारा और कार्य किया जा रहा है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिये नियत की गई राशि में वृद्धि करने के लिये मैसूर सरकार का आवेदन

*668. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास हेतु केन्द्रीय कार्यकारी दल द्वारा नियत की गई 1.8 करोड़ रुपये के तदर्थ आवंटन को बढ़ा कर 10 करोड़ रुपय कर दिया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी कार्य दल ने मसूर के लिए दूसरी बातों के साथ साथ कुल 1.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था वाली छः परियोजनाओं की सिफारिश की है। योजना आयोग ने कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार करना है। 16-2-1973 को हुई केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की बैठक में मैसूर सरकार के प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया था

कि 1.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था अपर्याप्त है। कुल 12.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था वाली 12 परियोजनाओं के संबंध में राज्य पत्तन अधिकारी की ओर से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सम्भवतः इसी की ओर माननीय सदस्य का संकेत है। मैसूर सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इन 12 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं, कार्य दल की सिफारिशों के अंतर्गत पहले ही से आ चुकी थीं। अन्य राज्य के सरकारी प्रस्तावों के साथ जब भी मैसूर सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर योजना आयोग के परामर्श से पूरी तरह विचार किया जाएगा।

Amount Sanctioned for Roads and National Highways for Madhya Pradesh for Current year

*669. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 10 crores has been sanctioned for Madhya Pradesh by the Central Government for roads and National Highways during current financial year ; and

(b) if so, the manner in which the said amount is proposed to be spent ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b)The Government of India are primarily responsible for roads classified as National Highways and provide funds for these highways. All roads other than National Highways in States are essentially the responsibility of the State Governments concerned. However, in order to assist the States, the Government of India also provide loan assistance to States for selected State roads of inter-State or economic importance.

Subject to Vote of Parliament a provision of Rs. 300 lakhs has been made in the budget estimates for 1973-74 for the execution of road works on National Highway (Original) works to be utilised on works already sanctioned or to be sanctioned in 1973-74.

Funds are also provided for the maintenance and repairs of National Highways. Under this head, Rs. 81.61 lakhs are likely to be available for ordinary repairs and renewals beside further funds which may be provided for special repairs and flood damage repairs etc. depending upon the actual requirements.

Further, a sum of Rs. 7.95 lakhs is proposed to be made available to the State Government for advance action pertaining to National Highway works for investigations and project preparation likely to form part of the 5th Plan.

In addition, a sum of Rs. 40 lakhs is likely to be available to the State Government by way of loan for schemes forming part of the approved Central Aid Programme of State Roads of inter-State or Economic Importance.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गेंहू की अधिक उपज वाली किस्म का विकास

*670. **श्री सी० टी० दंडापाणि :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेंहू की अधिक उपज वाली एक ऐसी नई किस्म का विकास किया है जिसके बारे में उसका दावा है कि उस पर किसी रोग का असर नहीं होता ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में गेंहू की एक ही नहीं बल्कि कई अधिक उत्पादनशील किस्मों का पता लगाया है और अखिल भारतीय समन्वित गेंहू सुधार परियोजना के अधीनस्थ अनेक केन्द्रों में परीक्षण

करने पर पता चला है कि इन पर तीनों रोगों में से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन किस्मों के सम्बन्ध में उनकी उपज सम्भाव्यता तथा अन्य अपेक्षित गुणों के बारे में परिक्षण किया जा रहा है। कानपुर, पंतनगर, दुर्गापुर, लुधियाना के गेहूं उत्पादकों और अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ सुधार परियोजना के अधीनस्थ अन्य केन्द्रों ने रोग-प्रतिरोधी किस्मों का भी पता लगाया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में इस संबंध में किए गए कार्य के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गेंहूं की अधिक उत्पादनशील रोग-प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा शिमला, भोवाली, पूसा, इन्दौर और बैंलिग्टन में स्थित उसके गेहूं उत्पादक केन्द्रों के मुख्य कार्यों में से एक है। गत समय में एन० पी० 809, एन० पी० 818, एन० पी० 835, एन० पी० 846, एन० पी० 852 आदि गेंहू की रोग प्रतिरोधी किस्में निर्मुक्त की जा चुकी हैं।

अभी हाल ही में एच० एस०–1097–17, एच० एस० 1138–6–4 (शिमला केन्द्र द्वारा विकसित),

एच० बी० 117–107 (भोवाली केन्द्र द्वारा विकसित),

एच० डी० 2009 (दिल्ली केन्द्र द्वारा विकसित),

एच० डब्ल्यू० 124 तथा एच० डब्ल्यू० 165 (बैंलिग्टन केन्द्र द्वारा विकसित);

किस्में अत्यधिक रोग–प्रतिरोधी सिद्ध हुई हैं। इन सभी किस्मों का परीक्षण अखिल भारतीय समन्वित गेंहूं सुधार परियोजना के यूनीफ़ोर्म रीजनल ट्राइल्ज में किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अतिरिक्त, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के गेंहूं उत्पादकों द्वारा विकसित कुछ अन्य किस्में भी रोग प्रतिरोधी तथा उत्पादनशील सिद्ध हो रही हैं।

2. विश्व के कई अन्य गेहूं उत्पादक देशों के विपरित ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और पीली रस्ट भारत में गेंहूं की फसल पर आक्रमणकारी सिद्ध हुए हैं। इन तीनों रस्टों में से प्रत्यक में कई प्रकार की दैहिक जातियां तथा जैनिक किस्में होती जिनमें देखने से फर्क मालूम नहीं होता बल्कि उनका तभी पता चलता है जबकि वे गेहूं जैसी कुछ किस्मों पर आक्रमण करते हैं। भारत में ऐसी लगभग 45 जातियां है जो महामारियां उत्पन्न कर सकती हैं। देश के मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र में सफलता पूर्वक उगाई जाने वाली गेंहूं की सभी किस्मों या कम से कम इन किस्मों के लिए प्रतिरोधी उपाय तलाश करने होंगे।

3. रस्ट प्रतिरोध का कार्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए व्याधिजनक पदार्थों और उत्पादकों में लगातार दौड़ लगी हुई है। जब एक गेंहूं की किस्म बड़े पैमाने पर उगाई जाती है तो रस्ट की नई जातियां निकल आती हैं या कुछ सम्बद्ध महत्वहीन किस्में अचानक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अधिक उगाई जाने वाली गेंहू की किस्म "कल्याण सोना" जब 6 वर्ष पहले निर्मुक्त की गइ थी तो वह तीनों रस्टों के प्रतिरोधक साबित हुई थी। अब वह उन नई जातियों या पुरानी जातियों के कारण, जो पहले महत्वहीन थीं, तीनों रस्टों की कुछ जातियों के प्रभावग्रहणशील हो गई हैं। रस्ट के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिए इन किस्मों को अधिक प्रतिरोधकता वाली नई किस्मों से बदलते रहना होगा।

4. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वेलिंग्टन केन्द्र ने दो किस्मों अर्थात् एफ० डब्ल्यू० 124 तथा एफ० डब्ल्यू० 165 का विकास किया है। अधिक उत्पादनशील और अच्छी किस्म का अनाज उगाने वाले गुणों के अतिरिक्त ये किस्में इन तीनों रस्टों के लिए अधिक प्रतिरोधी हैं। इन किस्मों के परीक्षण को अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शिमला केन्द्र ने एच० एस० 1097–17 और एच० एस० 1138–6–4 किस्मों का विकास किया है जो तीनों रस्टों के लिए प्रतिरोधी हैं। रबी 1972–73 के दौरान उत्तर भारत की ऊंची पहाड़ियों के लिए एच० एस० 1097–17 किस्म निर्मुक्त की गई है। एच० एस० 1138–6–4 किस्म के परीक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली केन्द्र ने एक किस्म एच० डी० 2009 का विकास किया है जो देश भर में रस्ट प्रतीरोधी सिद्ध हुई है। अब उसका अखिल भारतीय समन्वित केन्द्र में परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भोवाली केन्द्र ने एच० एस० 100–62 तथा एच० बी० 117–107 दो किस्मों का विकास किया है जो तीनों रस्ट के लिए प्रतिरोधी हैं। य किस्में भी अखिल समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के उपज मूल्यांकन परीक्षणों की अंतिम अवस्था में हैं।

इन किस्मों की प्रतिरोधकता की पुष्टि ग्लास हाऊस में कर ली गई है जहां रस्टों के साथ कृत्रिम रोग-संक्रमण का प्रयोग किया जाता है।

5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और देश के अन्य गेहूं उत्पादक भी रस्ट प्रतिरोधी गेंहू की अधिक उत्पादनशील किस्मों को विकसित करने में लगे हुए हैं। गेहूं की कुछ नई किस्मों के, जो अधिक प्रतिरोधी सिद्ध हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं–राज 821 (राजस्थान में विकसित) य० पी० 215 (पंतनगर में विकसित) और के० 816 (कानपुर में विकसित)।

आन्ध्र प्रदेश में जयन्ती गांव

*672. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य के गांवों को चुन कर उनकी एक सूची बनायी है जिन्हें "जयन्ती गांव" माना जाएगा ;

(ख) क्या ऐसे गांव में सभी छोट-मोटे गांव शामिल है ; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए व्यय और सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने अब तक यह सूचित नहीं किया है कि चुने गए "जयन्ती गांवो" में सभी छोटे-मोटे गांव शामिल नहीं है

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहायता और व्यय का कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि चुने गए "जयन्ती गांवों" में राज्य क्षत्र, केन्द्रीय क्षत्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षत्र में चल रहीं आयोजना तथा आयोजना से बाहर की स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाए।

गन्ने और चीनी के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये कृतिक संस्थाएं (टास्क फोर्स)

*673. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन तथा उसकी किस्म में सुधार करने सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समस्त देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कई कृतिक संस्थाएं (टास्क फोर्स) बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित स्टियरिंग ग्रप ने 5वीं योजना के लिए चीनी उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करते हेतु एक 'टास्क फोर्स' गठित किया है ।

(ख) चीनी संबंधी टास्क फोर्स ने मार्च, 1973 में स्टियरिंग ग्रुप को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट में चीनी उद्योग की मौजूदा स्थिति, पांचवी योजना के दौरान चीनी उद्योग के विकास की रूपरेखा, अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में सम्भावी कठिनाइयां और उनका हल, गन्ना और चुकन्दर जैसे कच्चे माल का विकास, उपोत्पाद का बेहतर उपयोग और लागत में कमी करने, आदि बातों का उल्लेख किया गया है ।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पृथक वरिष्ठता सूची

*674. **श्री चन्द्र शैलानी** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में दिल्ली में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिये कोई पृथक वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र कर्मचारियों के संबंध में उनकी परस्पर वरीयता क्रम के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा अलग से सूची रखी जाती है ।

दिल्ली में चेचक और खसरा आदि का बड़े पैमाने पर फैलना

*675. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चेचक और खसरे का रोग बड़े पैमाने पर फेला हुआ है ; और

(ख) इन रोगों की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं !

(ख) स्थिति का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) दिल्ली में चैचक रोग बड़े पैमाने पर नहीं फेला हुआ है, किन्तु छुट-पूट मामलों के समाचार मिल रहे हैं। जहां तक खसरे का सम्बन्ध है इसे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अधिसूच्य रोग नहीं माना गया है। वसे, यह रोग नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली छावनी क्षेत्रों में अधिसूच्य है। उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में खसरा व्यापक रूप से फैला हुआ है। फिर भी जनवरी, से मार्च, 1973 की अवधि में हुए खसरे के मामलों में 1972 की इसी अवधि में हुए मामलों की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) चैचक को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) टीका लगाने, निगरानी करने और प्रकोप का नियंत्रण करने सम्बन्धी कार्यों को तेज कर दिया गया है।

(2) सुखाकर जमाई गई प्रभावी तापस्थायी वैक्सीन, दो मूंहवाली सुईयां और इस टीके के पूरे किट पर्याप्त मात्रा में दे दिए गए हैं।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार उपाय प्रर्याप्त रूप में किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से टीका लगाएं। इस बारे में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से रोजाना हिन्दी में एक सूचना प्रसारित की जाती है जिससे लोगों को चैचक के संदिग्ध मामलों की भी नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(4) संक्रामक रोग अस्पताल, दिल्ली में इन रोगियों को अलग से रखा जाता है।

आर० एस० -09 ट्रैक्टरों के आयात की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*676. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या कृषि मंत्री पूर्व जर्मनी से ट्रेक्टरों के आयात की केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा जांच के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के आयात के बारे में जांच करने का काम इस बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि के सम्बन्ध में पूर्व सूचना देने और निगरानी प्रणाली की स्थापना

*677. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान के निर्देशक ने देश में कृषि के सम्बन्ध में पूर्व सूचना देने और निगरानी प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे महामारी और पादप-रोगों के फैलने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को होने वाली हानि को रोकने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्व सूचना देने और निगरानी प्रणाली की स्थापना से हानिकारक कीटों और रोगों पर नियंत्रण के लिए कारगर पूर्वोपाय करने में मदद मिलेगी ।

(ग) भारत सरकार का विचार है कि कीटों और रोगों की पूर्व सूचना देने और निगरानी का काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम पहले ही शुरू किये जा चुके हैं :—

1. अखिल भारतीय गेहूं रोग निगरानी कार्यक्रम ।
2. कुल चुने हुए राज्यों में चावल के लिए हानिकारक रोगों और कीटों का तेजीसे सर्वेक्षण करना ।

स्थानीय समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्टाफ रिपोर्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा देना

*678. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि स्थानीय समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों स्टाफ रिपोर्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा प्रदान की जाय;

(ख) क्या इस संदर्भ में दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्ज़ एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) साधनों की कमी के कारण सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि वह केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं अन्य गैर सरकारी संगठनों को भी उपलब्ध करा सकें ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संस्थाओं को इमारत बनाने के लिये अनुदान

*679. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये अपेक्षित आवास की कमी है , और

(ख) इन संस्थाओं को नई इमारत बनाने के लिये "इमारत अनुदान" शीर्षक के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दाखिले में तेजी से बढ़ोत्तरी के कारण बहुत से विश्वविद्यालय और कालेज अपने छात्रों के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

National capital region

*680. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any final scheme in regard to "National Capital Region" ; and

(b) if so, the areas which will be included in the national capital region and the main features of the said scheme ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No Sir. The details of the scheme and the ways and means of its implementation are being worked out in consultation with the concerned State Governments.

(b) Does not arise.

श्री सनातन धर्म सभा (रजिस्टर्ड) ग्रीन-पार्क, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

6450-ए. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सनातन धर्म सभा (रजिस्टर्ड) ग्रीन पार्क, नई दिल्ली ने अपने क्षेत्र में वर्तमान मंदिर के पास सामुदायिक केन्द्र एवं धार्मिक उपदेश-प्रवचन पंडाल का निर्माण करने हेतु भूमि के आंवटन के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या उक्त मन्दिर के पीछे पहले ही अत्यन्त विशाल भूमि खाली पड़ी है जो किसी शिक्षा संस्थान के लिये दी गई बताई जाती है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शिक्षा संस्थान नीलाकशिला सेवा समिति को हौज़ खास क्षेत्र (नई दिल्ली) में मन्दिर एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करने हेतु भूमि आंवटित की है ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सनातन धर्म सभा के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है जब कि इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकारण ने स्वयं पूर्वोदाहरण बनाया है ; और

(ङ) उक्त सभा को भूमि कब आंवटित की जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना के प्रारूप में कुछ भूमि शिक्षा प्रयोजन के लिए अलग से रख दी गई है ।

(ग) सफदर जंग आवासीय योजना में धार्मिक प्रयोजन के लिए लगभग 1000 वर्ग गज़ भूमि श्री नीलाचल सेवा संघ को आवंटित की गई है इस लिए सफदर जंग योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नक्शे में एक धार्मिक स्थल दिखाया गया है ।

(घ) ग्रीन पार्क कालोनी का विकास एक प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा किया गया था जिसने अपने नक्शे में मन्दिर आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में पानी के संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी योजनाएं

6451. **श्री वयलार रवि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पानी के संसाधनों के उपयोग के लिये कुल कितनी और कौन-कौन सी योजनाओं का जांच कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में की गई अनवर्ती कार्यवाहियों की मुख्य रूपरेखा क्या है और पांचवीं योजना के दौरान किन-किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० (शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जल संसाधनों की जांच और उनके उपयोग के लिए योजनायें तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । ऐसी कई योजनायें है और इनके नाम और अन्य ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

सुदर्शन पार्क (मोती नगर) नई दिल्ली के निवासियों को पानी और सीवर की सुविधाओं के न होने के कारण कठिनाईयां

6452. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदर्शन पार्क, मोती नगर, नई दिल्ली-15 के एफ ब्लाक में पानी की सुविधायें नहीं है जिसके फलस्वरूप सुदर्शन पार्क के उक्त ब्लाक में रहने वाले लगभग 5000 लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या समस्त सुदर्शन पार्क (मोती नगर) नई दिल्ली- 15 में सीवर (मलनिर्गम) की सुविधायें भी नहीं हैं जिसके कारण इस कालोनी के 25,000 लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ग) वहां के निवासियों की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का विचार उक्त कार्यों को कब तक करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल निपटान उपक्रम ने यह कहा है कि एफ ब्लाक सुदर्शन पार्क के अनधिकृत क्षेत्र में पड़ता है इसलिए वहां जल की सेवा उपलब्ध नहीं की गई है । सुदर्शन पार्क में मल-निर्यास की व्यवस्था नहीं है । मोती नगर में मल-निर्यास की आंशिक व्यवस्था है ।

(ग) सुदर्शन पार्क में मल-निर्यास की व्यवस्था करने के कार्य पर जिसके लिए एक योजना बनाई जा रही है, 18 से 24 महीने लगने की आशा है । निवासियों द्वारा विकास प्रभार देने हेतु करार नामों के निष्पटान के पश्चात अनधिकृत कालोनियों में पानी के मुख्य पाईप बिछाने का कार्य कई चरणों में किया जायेगा ।

मोती नगर के शेष भाग को पम्प हाउस से जोड़ा जाना है जहां से पम्प द्वारा इसको मुख्य मल-निर्यास लाईन में डाला जायेगा । पम्प हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है तथा लगभग 6 महिने की अवधि के अन्दर इसके पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-35 की कालोनियों में पानी तथा जल-निकासी की सविधाएं

6453. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली-35 की कालोनियों में पानी तथा जल-निकासी की सुविधाओं के बारे में 22 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त कालिनियों में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्लाटों का अर्जन करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और जल और जल निकासी की सुविधाएं कब तक प्रदान की जायेंगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) स्थिति मालूम की जा रही है तथा सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Opening of a milk depot by D.M.S. in Jaidev park, Delhi.

6454. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the proposal of opening a depot of Delhi Milk Scheme in 'Jaidev Park' in Delhi-35 has been finalised ;

(b) if so, the reasons for which the depot has not so far been opened in the said colony; and

(c) the time by which Government propose to open a depot in the said colony ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes. The Delhi Milk Scheme has recently asked the Central P.W.D. to construct a Milk Booth in the colony.

(b) & (c) : It will take some time before the Milk Booth is constructed. Thereafter a Milk Depot will be opened as soon as there is a potential demand for at least 300 bottles of milk either in the morning or evening shift.

Memorandum by Government Secondary Art teachers Association, Delhi

6455. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Education, Social Welfare & Culture** be pleased to state :

(a) whether the delegation of Rajkeeya Madhyamik Kala Shikshak Sangh, Delhi (Government Secondary Art Teachers Association, Delhi) had given a memorandum to the Chief Executive Councillor of Delhi on 3rd January, 1973, in regard to their demands; and

(b) if so, the demands mentioned in the memorandum and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The demands mentioned in the Memorandum are :

(1) grant of pay scale of Rs. 253—550 with effect from 27-5-1970;

(2) fixation of six periods in a week and two periods at a stretch ;

(3) preparation of correct seniority list ;

(4) recognition of I.G.D. Diploma of Bombay as equivalent to two-years' drawing diploma ;

(5) grant of permission to change the cadre in respect of those Art Teachers who have qualified for the post of trained graduate teachers and language teachers ;

(6) allotment of drawing corners in all the Schools;

(7) recognition of long term art seminar of State Institute of Education, Delhi for the purposes of promotion.

The demands are being examined by the Delhi Administration.

प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में माडल प्रायमरी स्कूल का खोला जाना

6457. **श्री राजबहादुर सिह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक 'माडल' प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई है और सरकार द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) पांचवीं योजना के दौरान, एक स्कूल प्रति ब्लाक के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में माडल प्राथमिक स्कूल तथा प्रत्येक जिलेमें एक के हिसाब से माडल प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 18-19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई अपनी 36वीं बैठक में "पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में शिक्षा" के प्रस्ताव स्वीकृत किए है । देश में शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने के तीव्र एवं गहन प्रयत्न करने का विचार है जिससे यह सामाजिक परिवर्तन, स्तरों में सुधार लाने, बच्चों को सामान्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने तथा सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं की अधिक समानता लाने का एक सशक्त साधन बन सके, इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

1. शिक्षा सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन ।
2. स्तरों में सुधार ।
3. विशेष रूप से सामाजिक-दलित वर्गों के लिए पूर्व स्कूल कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू करना ।
4. 6—11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 1975-76 तक तथा 6—14 आयु वर्ग के लिए 1980-81 तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।
5. सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, स्कूल तथा कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात 10+12+3 का अपनाया जाना ।
6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण ।
7. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नीति का विकास करना जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा खासतौर से समाज के अति दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।
8. 14—25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए युवक आन्दोलन शुरु करना ।
9. कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का पुनर्गठन ।
10. तकनीकी शिक्षा का विकास ।
11. राष्ट्रीय समाज सेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना ।
12. विस्तार तथा कोटि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

ये सिफारिशें सरकार तथा योजना आयोग के विचाराधीन है ।

पांचवीं योजना में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा शुरु की जाने वाली परियोजनाएं

6458. **श्री सो० के० जाफरशरीफ :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संरक्षण तथा मरम्मत के लिए 25 लघु परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सर्वेक्षण का प्रस्ताव उसके अधीन देश भर के बहुत से स्मारकों की मरम्मतें एक योजना परियोजना के रूप में शुरु करने का विचार है। कार्यक्रम में न केवल इमारती मरम्मतों की परिकल्पना है। अपितु इर्द गिर्द के वातावरण को सुधारने की दृष्टि से रासायनिक उपचार और भूसुदर्शनीकरण की भी परिकल्पना है। तथापि, कार्य की मात्रा, इस प्रयोजन के लिए नियत की गई राशि पर निर्भर करेगी ।

आई० आई० टी० खड़गपुर में कृषि इन्जीनियरिंग में एम० टेकनिकल पाठ्यक्रम

6460. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आई० टी०, खड़गपुर में कृषि इन्जीनियरिंग में एम० टेकनिकल पाठ्यक्रम के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं; और क्या 1972 में सभी सीटें भरी गई थीं;

(ख) पाठ्यक्रम कितने समय का होता है और आवेदन पत्र कब मांगे जाते हैं और दाखिलों को कब अन्तिम रूप दिया जाता है; और

(ग) क्या सितम्बर, 1973 में कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि इन्जीनियरिंग में बी० टैकनिकल पाठ्यक्रम पास करने वाले विद्यार्थियों को अक्तूबर/नवम्बर, 1973 से आई० आई० टी० खड़गपुर में शुरू होने वाले दूसरे सेमिस्टर में दाखिला मिल सकता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भा० प्रो० सं० खड़गपुर में कृषि इंजीनियरी में एम० टेक० के लिए 15 स्थान उपलब्ध हैं। 1972 के दौरान सभी स्थान भर गए थे।

(ख) सत्र की अवधि 1 अगस्त से 31 जुलाई तक होती है। आवेदन-पत्र अप्रैल/मई में आमंत्रित किए जाते हैं और दाखिलों को अन्तिम रूप जुलाई में दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं ।

Complaints regarding after effects of vasectomy operations

6461. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint that after vasectomy operation legs or other parts of the body suffer from swelling or wounds etc. which should be treated immediately but this facility is not available to the villagers ; and

(b) if so, whether Government have taken any measures in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kasku): (a) & (b) No complaints have been received about the swelling or wounds of legs or any other parts of body except the swelling of th part (scrotum) where vasectomy operation is done.

Arrangements for free treatment are available in all service centres, where vasectomy operation is performed.

Assistance to M.P. for production of Groundnut oil

6462. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have asked the Government of Madhya Pradesh to make reserved stores of groundnut in the coming groundnut season ;

(b) if so, whether Central Government have also asked for increasing the production of groundnut oil ;

(c) whether Central Government have agreed to give assistance to the State Government for achieving this object ; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Sir.

(b) to (d) : Do not arise. However, to supplement the efforts of the State Government for raising the production of groundnut, the Centrally Sponsored Scheme for Maximised Production of groundnut has been sanctioned for implementation in Madhya Pradesh. The object of the scheme is to achieve rapid increase in production by the adoption of intensive cultivation measures on the lines of package programme. During 1972-73 the scheme was sanctioned for implementation over an area of 1 lakh hectares with an expenditure of Rs. 4.35 lakh to be met in full by the Government of India.

Preservation of folk culture of Chhatisgarh region in M. P.

6463. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the action being taken to preserve to folk culture of Chhatisgarh region in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government are making any efforts to compile socio-cultural folk song prevalent from times immemorial, under the head folk culture ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The Sangeet Natak Akademi, as part of its regular programme, has been recording folk, tribal and traditional music of different regions and different types. Under this, Chhatisgarh region in Madhya Pradesh has also been covered and folk and tribal songs, ballads and folk plays have been recorded. The Akademi has built up a large collection of tapes of folk and tribal music of a duration of 1000 hours covering major forms of various regions. All this material is available to research departments, music institutions and research workers for their use. A two-week workshop-cum-camp was also organised by the Government in March, 1973 in Raipur in Chhatisgarh area with a view to mobilising the activities of youth centering round Nehru Yuvak Kendras for galvanising folk and rural art.

Amount for construction of bridge across Narmada river near Handiya in Madhya Pradesh

6464. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of of **Shipping and Transport** be pleased to state the total amount of expenditure likely to be incurred on the construction of the bridge across Narmada river near Handiya (Harda Tehsil) in Madhya Pradesh and the amount to be given by Central Government therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana) The proposed bridge, when constructed, will fall on the State road in Madhya Pradsh. The State Government are there fore primarily concerned with this project. No proposal from Madhya Pradesh Government has so far been received for financial assistance and, therefore, the question of giving any amount by the Central Government for the proposed bridge does not arise.

मन्त्रियों के बिजली और पानी के बिल

6465 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से सरकार ने मंत्रियों के सरकारी आवास के बिजली तथा पानी के लिये बिलों का भुगतान किया है, उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपनी बिजली की खपत में कुछ सांकेतिक कटौती करें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों में (उस तारीख तक जिस तक बिलों का भुगतान कर दिया गया है) सरकार द्वारा मंत्रियों के निवास-स्थानों के रिहायशी भागों के लिए दिए गए बिजली और जल प्रभारों की अलग-अलग रकम का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) मंत्रियों ने अपने निवास-स्थानों के निजी भागों में जल तथा बिजली की मुफ्त सप्लाई के लिए 2400 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम वित्तीय सीमा को स्वेच्छा से स्वीकार किया है । इस अधिकतम सीमा से अधिक व्यय की वे सरकार को अदायगी करते हैं । 2400 रुपये की वार्षिक सीमा 1 अप्रैल, से आरम्भ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च, तक के वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है तथा सम्बन्धित मंत्रियों से वसूल की जाने वाली रकम का बिल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किया जाता है । निवास-स्थान के जल तथा बिजली के उत्तरोत्तर व्यय का एक समेकित विवरण प्रत्येक मंत्री को हर महीने भेजा जाता है ताकि उन्हें इसका पता चलता र और व खपत को यथा सम्भव कम कर सकें ।

विवरण

1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों में (उस तारीख तक जिस तक बिलों का भुगतान कर दिया गया है) सरकार द्वारा मंत्रियों के निवास-स्थानों के रिहायशी भागों के लिए दिए गए बिजली और जल प्रभारों की अलग अलग रकम का एक विवरण

निवास-स्थानों के रिहायशी भागों के लिए जल तथा बिजली पर खर्च किया गया व्यय

वर्ष	बिजली	जल	कुल व्यय	2400 रुपये प्रतिवर्ष की स्वैच्छिक अधिकतम सीमा से ऊपर की रकम जो मंत्रियों द्वारा दी गई है ।	सरकार द्वार दी गई शुद्ध रकम
1	2	3	4	5	6
1970-71	1,29,130.95	21,494.56	1,50,625.51	40,448.27	1,10,177.24
1971-72 .	1,13,917.65	21,220.39	1,35,138.04	30,736.54	1,04,401.50
1972-73 .	1,01,672.36	16,446.68	*1,18,119.04	अग्रिम के रूप में दी गई रकम	*1,12,22 66
(बिजली प्रभार जनवरी, 1973 के अन्त तक तथा जल प्रभार दिसम्बर, 1972 तक)				5,889.38	

*ये रकमें 2,400 रुपये प्रतिवर्ष की स्वैच्छिक अधिकतम सीमा की शर्त पर है तथा जब 1972-73 के वर्ष के अन्तिम लेखे बन्द किए जायंगे तो अधिकतम सीमा से ऊपर की रकमें सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा वहन की जाएंगी ।

उर्वरक का विक्री मूल्य

6466. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अभिकरणों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले उर्वरक के विक्रि मूल्य में कुछ राज सहायता भी होती है :

(ख) यदि हां, उर्वरक की प्रत्येक किस्म के लिए यह कितनी कितनी है ;

(ग) क्या उर्वरक का विक्री मूल्य सारे देश में समान है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने समान मूल्य रखने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि हां, तो योजना की क्रियान्वित के लिए कुल कितनी राजसहायता दी जायेगी और देश में उर्वरक की विभिन्न किस्मों का राज्यवार विक्री मूल्य क्या होगा; और

(घ) प्रत्येक किस्म का प्रति टन वितरण व्यय तथा उत्पादन लागत क्या है और वास्तविक विक्री मूल्य कितना है और सरकार यदि कोई लाभ अर्जित करती है तो प्रति टन कितना ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है । अत: उर्वरकों का आयात तथा वितरण भारत सरकार करती है । विभिन्न देशों से आयात किये हुए उर्वरकों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है इनका वितरण और केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय उर्वरक पूल न लाभ न हानि के आधार पर काम करता है । यह सिद्धान्त किसी विशेष अवधि के लिए किसी विशेष प्रकार के उर्वरक पर लागू नहीं होता है, अपितु समस्त कार्यप्रणाली पर लागू होता है । राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि उर्वरकों तथा कृषि अदानों के लिए राज सहायता नहीं दी जानी चाहिए और कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पाद के प्रोत्साहक मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए ।

(ग) सब राज्यों तथा अन्य इच्छुक संस्थाओं को सारे देश में एक समान रेल हैड मूल्यों पर आयातित उर्वरक दिये जाते हैं । जम्मू तथा कश्मीर, असम तथा मेघालय में भी, जहां रेल की पर्याप्त सुविधाए मौजूद नहीं हैं, एक समान मूल्य बनाये रखने के लिये विभाग भी इन राज्यों के कुछ स्वीकृत केन्द्रों में सड़क परिवहन की लागत वहन करता है ।

(घ) उर्वरकों के उत्पादन की लागत भिन्न भिन्न कारखानों में समय समय पर भिन्न भिन्न होती है । तथापि, तीन मुख्य उर्वरकों के खुदरा मूल्यों को आत्यावश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अनुसार सवैधानिक नियंत्रण किया गया है । निम्न-लिखित सारणी में इन उर्वरकों के पूल निर्गम के वर्तमान मूल्यों, वितरण लाभांश तथा खुदरा मूल्य दिये गये हैं :

उर्वरक	राज्यों के लिए पूल निर्गम मूल्य	वितरण लाभांश	कृषकों के लिए खुदरा मूल्य
यूरिया 46 %	879	80	959
अमोनियम सल्फेट . . .	494	55	549
सी ए एन 26 % . . .	534	60	594

Co-operation of U.N. Experts With Indians in Green Revolution

6467. Shri N. S. Purty : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether U. N. experts have helped India in bringing 'green revolution' in the country by working with the Indian personnel engaged on research work ; and

(b) if so, its impact in the progress of agriculture in India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The cooperation and assistance extended by the United Nations Organisation through its various agencies like the Food and Agriculture Organisation, United Nations Development Programmes United Nations Special Fund, the International Bank for Reconstruction & Development, U.N.E.S.C.O., International Atomic Energy Agency etc. in the form of finance, equipment and training facilities to Indian scientists, provision of the services of experts to Indian Agricultural Projects etc. have helped in strengthening the research and development efforts in agriculture. The most recent example of such help is the establishment of an International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics at Hyderabad. The constitution of this Institute has been signed by F. A. O. and the International Bank for Reconstruction & Development. **[Placed in Library. See No. L.T. 4764/73].**

Transport scheme submitted by Bihar Government

6468. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a Rs. 233-crore transport scheme has been submitted to the Government of India by Bihar;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the co-operation extended by Central Government in this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों और मकानों का आवंटन

6469. श्री डी० पी० जदजा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्लाटों तथा मकानों के बारे में क्या नीति है जिनका गत 20–25 वर्षों से अधिकतर पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों ने कब्जा कर रखा है और वे दिल्ली विकास प्राधिकरण को टूट-फूट शुल्क दे रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार उन जगहों को कब्जाधारियों को देने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) नगर की चार दीवारी के भीतर नजूल भूमि पर बैठे पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को तथा जो गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक सम्भव होगा उन के बैठने के स्थान पर या उस के निकट स्थान पर बेदखली से पूर्व वैकल्फिक आवास-स्थान उपलब्ध किया जायेगा । जो व्यक्ति गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत नहीं आते, उन्हें उन की पात्रता के अनुसार झुग्गी झोपड़ी हटाओं योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास दिया जायेगा ।

दिल्ली में आंशिक रूप से मंजूर शुदा गैर मंजूर शुदा कालोनियां

6470. **श्री अरविन्द एम०पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या है जो आंशिक रूप से मंजूर शुदा है तथा आंशिक रूप से गैर मंजूर शुदा हैं ;

(ख) आंशिक रूप से गैर-मंजूरशुदा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उस गैर मंजूरशुदा भाग को मंजूर करने पर विचार करेगी; और यदि हां, तो कब?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) ऐसी कालोनियों की एक सूची संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4765/(73))

(ख) कालोनियों के कुछ भागों को अनुमोदित न करने का कारण या तो यह था कि अनुमोदित न किए गए भागों में बने हुए मकानों की संख्या अधिक नहीं थी अथवा यह था कि क्षेत्र का भूमि-उपयोग तदनुरूप नहीं था ।

(ग) उपयुक्त स्थिति को देखते हुए इन भागों को अनुमोदित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यमुना पार कालोनियों के मकान का गिराया जाना

6471. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-पार कालोनियों में बने मकानों को नहीं गिराया जायेगा जैसा कि फरवरी 1972 के आम चुनाव से पूर्व शाहदरा की एक चुनाव सभा में प्रधान मंत्री में आश्वासन दिया था;

(ख) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने भी शकरपुर में एक ऐसा ही आश्वासन दिया था;

(ग) 3 और 5 फरवरी 1973 को शकरपुर में दिल्ली विकास आधिकरण द्वारा 1860 में बने कुछ जद्दी मकानों को गिराय जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है जिससे भविष्य में उक्त क्षेत्र में मकानों को न गिराया जाये तथा लोगों को न उजाड़ा जाये ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) ऐसे आश्वासन के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यमुना पार शाहदरा क्षेत्र में 49 संरचनाएं गिराई गई थीं । वे सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि पर थे तथा उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों को आवंटित की गई भूमि को अंशत: कब्ज में ले रखा था । समितियों ने भूमि के लिए अदायगी कर रखी थी तथा सरकार द्वारा उनको खाली कब्जा देना अपेक्षित था ।

(घ) मकानों को गिराने का काम तब ही किया जाता है जब यह आवश्यक होता है । पात्र व्यक्तियों को यथा सम्भव वैकल्पिक वास दिया जाता है ।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को मोती नगर से पंजाबी बाग ले जाना

6473. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में मोती नगर, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को पंजाबी बाग ले जाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने मोती नगर स्थित औषधालय को किसी बेहतर स्थान पर ले जाने के लिय क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मोती नगर में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का औषधालय एक एसे केन्द्रीय स्थान पर स्थापित है जहां से इस के अन्तर्गत आने वाले अधिकतम हितग्राहियों को यह अपेक्षाकृत नज़दीक पड़ता है । इस के विपरीत पंजाबी बाग एक कोने में स्थित है । इस लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय को मोती नगर से पंजाबी बाग ले जाना उचित नहीं है ।

फिर भी, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय के निर्माण के लिए एक उपयुक्त प्लाट का आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है, ताकि इसके लिए बेहतर स्थान की व्यवस्था की जा सके ।

मन्दिर मार्ग नई दिल्ली में बहुमंजिले क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन

6474. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1973 तक मन्दिर मार्ग (डी० आई० जेड०) क्षेत्र, नई दिल्ली, में निर्मित और आवंटित बहुमंजिले क्वार्टरों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) मन्दिर मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्र में निकट भविष्य में ऐसे कितने क्वाटर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र के लिए एक अलग पूछताछ कार्यालय बनाने का विचार किया है; और यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क)

टाईप	मंज़िलों की संख्या	क्वार्टरों की संख्या	
		निर्मित	आवंटित
I	4	64	64
II	—वही	192	192
III	—वही	168	167 (एक क्वार्टर सेवा के लिए कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) के पास है)

(ख) इस क्षेत्र में टाईप IV के 124 क्वार्टर पहले ही निर्माणाधीन हैं। प्रथम चरण में टाईप I के 152, टाईप III के 344 तथा टाईप IV के 56 क्वार्टरों का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। क्षेत्र में सड़कों के पुन: संरेखण के पश्चात् कुछ और क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा।

(ग) निर्मित क्वार्टरों की देख-भाल के लिए 11/12 डियाज़ स्क्वेयर में एक कनिष्ठ इंजीनियर के अधीन पहले ही पूछताछ का एक उप-कार्यालय है।

डी० आई० जेड क्षेत्र, नई दिल्ली, के टाईप II क्वार्टरों में पावर प्वाइंट लगाना

6475. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड क्षेत्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के टाईप II क्वार्टरों में पावर प्वाईंट नहीं लगाये गये हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ क्वार्टरों के निवासियों ने अपने क्वार्टरों में पावर प्वाईंट लगाने के लिए आवेदन-पत्र दिये थे; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) ऐसे क्वार्टरों में पावर प्वाईंट देने के लिए नियम एवं विनियम क्या हैं और ये पावर प्वाईंट शीघ्र लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति के समय मौजूद मानदण्ड के अनुसार पावर-प्वाईंटों की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) निवासियों से कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु निधियों की कमी के कारण पावर-प्वाईंट नहीं दिये जा सके।

(ग) निम्नलिखित शर्तों पर पावर प्वाईंट की व्यवस्था की स्वीकृति दी जाती है :

(i) प्रत्येक अनुरोध पर विचार किया जाता है और उचित समझे जाने पर पावर-प्वाइंट स्वीकृत किया जाता है।

(ii) पावर प्वाईंट देना तकनीकी तौर पर संभव हो।

(iii) इस कार्य के लिये सरकार का उत्तरदायित्व 200 रुपये तक सीमित है इससे अधिक का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाना है

(iv) निधियां उपलब्ध हों।

(v) आवेदक अतिरिक्त किराया देने पर सहमत हो।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में पैट्रोल पंप के निर्माण के विरुद्ध अभ्यावेदन

6476. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों के निवासियों ने उक्त क्षेत्र में पेट्रोल पम्प के निर्माण के विरुद्ध वर्ष 1972 में अभ्यावेदन भेजा था;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र के निवासियों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि उक्त क्षेत्र में सड़क के सामने आवश्यक वस्तु बेचने वाली दुकानें और कम्यूनिटी हाल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं; और

(ग) निवासियों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) क्षेत्र में नियमित पणन-केन्द्र का विकास होने तक 'डी' सेक्टर में भूमि के एक टुकड़े पर सामुदायिक हाल के निर्माण तथा अस्थायी दुकानों की व्यवस्था करने के लिये रेजिडेंट्स एसोसिएशन से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डी० आई० जेड० क्षेत्र में एक सामुदायिक केन्द्र पहले ही मौजूद है, सेक्टर "डी" के निवासियों के एकमात्र प्रयोग के लिये एक पृथक सामुदायिक हाल के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

मौजूदा दुकानों की सुविधाओं को देखते हुए, जिन में सेक्टर 'डी' से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी शामिल हैं । क्षेत्र में प्रस्तावित पणन-केन्द्र का विकास होने तक, अस्थायी दुकानों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

शिक्षकों के लिए तिगुनी लाभ-योजना

6477. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिक्षकों के लिए तिगुनी लाभ-योजना का अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) गैर सरकारी स्कूल अध्यापकों के लिए त्रिलाभ योजना कई वर्षों से कुछ राज्यों में प्रचलित है । शिक्षा आयोग (1964-66) (कोठारी आयोग) ने अन्य राज्यों में भी इस योजना को अपनाने की सिफारिश की है । अभी तक आठ राज्यों ने इस योजना को अपनाया है ।

इस योजना में पेन्शन, भविष्य निधि, और बीमा के लाभों की व्यवस्था है ।

जहां तक संघ शासित प्रदेशों का संबंध है, भारत सरकार ने इस योजना को 1 अप्रैल, 1965 से मंजूर किया था ।

केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए (दिल्ली में उन कालेजों सहित जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण भत्ता प्राप्त करते हैं) 1-4-1964 से निम्नलिखित दो योजनाएं आरम्भ की :—

1. अंशदायी भविष्य निधि व उपदान ।
2. सामान्य भविष्य निधि व पेन्शन व उपदान ।

कर्मचारियों को इन दोनों योजनाओं में से एक को चुनने का विकल्प था ।

आयोग ने इन योजनाओं को सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से अपने कर्मचारियों के लाभ के हेतु अपनाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था । तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ।

लास पाल्मास (स्पेन) में भारतीय जहाज रत्न कीर्ति में आग लग जाने के बारे में जांच

6478. **श्री वरके जार्ज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लास पाल्मास (स्पेन) में 10 मार्च, 1973 को भारतीय जहाज रत्न कीर्ति में आग लग जाने की घटना के बारे में कोई जांच की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मख्य बातें क्या हैं और उसमें कितनी क्षति होने का अनमान है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) जल परिवहन विभाग के एक सर्वेक्षण ने भारतीय जहाज "रत्न कीर्ति" के कुछ अधिकारियों तथा कार्मिकों, जो विदेश से कलकत्ता वापस आये है, की जांच की है। उक्त सर्वेक्षण के एन्टवर्प जाने की भी आशा है, जहां जहाज की मरम्मत की जायेगी। वह जहाज में आग लगने के कारण तथा उसमें हुई अनुमानित क्षति को अभिनिश्चित करने के दृष्टि से और साक्षियों की जांच करेगा और जहाज का निरीक्षण करेगा ।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के लिये मकान

6479. **श्री वरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए मकान उपलब्ध कराने के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को विभिन्न राज्यों में मकान देने का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों का है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव निर्माण और आवास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

भूमि की उर्वरता समाप्त होने से रोकने के लिये रासायनिक उर्वरक का न्यूनतम प्रयोग

6480. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम होती है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य उर्वरकों का प्रयोग किये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, जिससे रासायनिक उवरकों का कम से कम प्रयोग हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क)और(ख)जी नहीं। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम नहीं होती, बशर्ते कि उर्वरकों का प्रयोग समझदारी से किया जाय। उर्वरकों का समझदारी से प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खाद के प्रयोग की भी सलाह दें रही है। पांचवी योजना के दौरान कार्बनिक खाद के प्रयोग में तेजी लाने के लिए कई उपाय विचाराधीन है, ताकि इनमें निहित पोषक तत्वों से लाभ उठाया जा सके ।

Institutions in Morena District (MP) getting Grants from Department of Social Welfare

6481. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Morena district of Madhya Pradesh which have been given grants by the Department of Social Welfare during the financial years 1971-72 and 1972-73 indicating the amount given to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 and 1972-73 in Morena District:—

	1971—72 Rs.	1972—73 Rs.
1. Family & Child Welfare Projects Sheopur Kalan, District Morena	66,300	76,358
2. V.M.S. Sangam, Radha Ballabh's Building, near Nehru Park, Morena		1,000

Institution in Gwalior District (M.P.) Getting Grants from Department of Social Welfare

6482. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Gwalior district of Madhya Pradesh which have been given grants by the Department of Social Welfare during the financial year 1971-72 and 1972-73 indicating the amount given to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : Grants to the following institutions were given during 1971-72 and 1972-73 in Gwalior district :

I. By Department of Social Welfare :

	1971—72 Rs.	1972—73 Rs.
The Madhya Pradesh Branch of the Association for Moral and Social Hygiene.	22,000	20,000

II. By Central Social Welfare Board :

	1971—72 Rs.	1972—73 Rs.
1. Madhav Andhashram, Jhansi Road, Lashkar	4,200	4,200
2. Madhav Balniketan, Laxmiganj, Lashkar	5,000	5,000
3. Gwalior Mahila Mandal Nari Udyog Mandir, Danaoli, Lashkar.	6,341	16,512
4. Shri Prasad Shiksha Samiti, Viveknanda Marg, Lashkar	1,500	2,557·50
5. Lokmanya Bal Mandir, Rajbara Bhavan, Lashkar	1,500	2,057·50
6. Bal Sadan, 12-A Jawahar Colony, Lashkar	1,500	2,057·50
7. Bal Mandir, Daulataganj, Lashkar	3,900	2,057·50
8. Vardhaman Vidyalaya, Jain New Temple, Lashkar	1,500	2,057·50
9. Bal Vikas Samiti, Lakhadhana, Lashkar.	750	1,000
10. Madhav Pustkalya, Chhatri Bazar, Lashkar.	500	..
11. Saraswati Sangh, Jainderaganj, Lashkar	1,500	2,057·50
12. Bal Hit Kendra, Jaivihar Janakmal Lashkar	1,000	1,557·50
13. Ram Narain Vidyalaya, Naya Bazar Lashkar	1,500	2,057·50
14. Shri Ramkrishna Ashram, Gwalior	500	1,057·50
15. Ramkrishna Shishu Mandir, Gwalior-6	..	1,000
16. Shri Shankar Vidyalaya, Remdor Ghati (Bhootes Road), Lashkar.		1,000
17. Balodaya Montessory School Kadam Sahali Ka Bada Janak Ganj, Lashkar.		1,000
18. Adhunik Bal Mandir Chatri Bhawan, Lashkar		1,000
19. Balak Mandir, Gwalior Kharapati Colony, Gwalior Kherapati		1,000
20. Bal Sudhar Shiksha Samiti, Gwalior	..	3,000
21. Shakthi Vardhini Mahila Sabha, Gwalior	..	15,160

Central aid for construction of houses in Laxmibai nagar, Ujjain (Madhya Pradesh)

6483. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the amount of loan, aid and grant given by the Central Government, State Governments and Central and State Finance Corporations for the residential houses constructed in Laxmibai Nagar in Ujjain district of Madhya Pradesh through 'Mazdoor Sangh Grih Nirman Sahakari Samiti' (Workers Union Cooperative House Building Society);

(b) whether residential houses for Central Government workers have so far been constructed; and

(c) the number of residential houses under construction?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The requisite information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and it will be placed on the Table of the Sabha when received.

गन्दी बस्तियों की सफाई कार्यक्रमों के अधीन बनाए गए मकान

6484. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान गन्दी बस्तियों के सफाई कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत किये गये तथा बनाए गए मकानों का राज्यवार ब्यौरा, विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता सहित, क्या है; और

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कितने अतिरिक्त मकान पूरा होने की संभावना है और उक्त अवधि में इस उद्देश्य के लिए कुल कितना धन खर्च करने का विचार है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य प्लान के लिए समेकित सहायता इकट्ठी उपलब्ध की जाती है जिसमें सहायता का कोई भी भाग क्षेत्र विशेष के निष्पादन-कार्य से सम्बद्ध नहीं होता। राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय को नियमित करने की पूरी स्वतन्त्रता है।

तदनुसार अपेक्षित सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास में हुई प्रगति

6485. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) वर्ष 1972-73 के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया एवं खर्च किया गया तथा वर्ष 1973-74 में इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कोट्टायम केरल के नेहरू स्टेडियम को वित्तीय सहायता

6486. **श्री वयालार रवि** : **क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्टेडियम, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, के बारे में वित्तीय सहायता के लिए कोट्टायम नगर परिषद, केरल से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मे उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) जी, हां 1 मार्च, 1973 में कोट्टायम में नेहरू स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए बिना अपेक्षित ब्यौरों का एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदकों को सलाह दी गई थी कि वे आवेदन-पत्रों को पूरे ब्यौरों सहित निर्धारित माध्यमों के जरिए भेजें। आवेदकों से अब तक और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रियों के निवास्थानों के रख-रखाव पर किया गया व्यय

6487. **श्री ए० सं० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के निवासस्थानों पर 1 जनवरी, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक उनके निर्माण मरम्मत, रंग-रोगन करने तथा रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) इसी अवधि में संसद् सदस्यों के निबास स्थानों पर किये गये उपरोक्त कार्यों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रियों के निवास स्थानों में प्लास्टिक रंग इस्तेमाल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्यक मंत्री के निवास स्थान पर अलग-अलग इस प्रकार के रंग करने पर कितना व्यय आया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) 15,24,848 रुपये
(28-2-1973 तक)

(ख) 30,82,602 रुपये
(28-2-1973 तक)

(ग) जी, हां। कुछ मंत्रियों के निवासस्थानों में प्लास्टिक इमुलशन पेंट का प्रयोग किया गया है।

(घ) 1-1-72 से 28-2-1973 तक मंत्रियों के निवास-स्थानों में प्लास्टिक इमुलशन पेंट पर किया गया व्यय इस प्रकार है : —

मंत्री का नाम	राशि रुपये
1. श्री आर० के० खाडिलकर	2,217
2. श्री के० एल० राव	743
3. श्री सी० सुब्रह्मण्यम	624
4. डा० सरोजिनी महिषी	83
5. प्रो० नूरुल हसन	70
जोड़	3,737 रुपये

Building Material at cheap rates

6488. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for providing building materia[1] to the poor at cheap and fair prices; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) No. There is no Central Scheme as such for making available building materials at a cheap or subsidised rate to facilitate house-building by small income groups. However, the under-mentioned Brick Plan have been already set up or are being set up with financial assistance from the Central Government :

(i) A Mechanised Brick Plant is functioning at Delhi under the control of N.B.C.C. Ltd.

(ii) The Housing and Urban Development Corporation Ltd. has recently sanctioned the following loans for setting up of Mechanised/semi-Mechanised Brick Plant:

	Rs. (in lakhs)
Gujarat . . .	9.60
Tamil Nadu	7.22

(iii) A Cellular Concrete Plant has been established at Ennore, Madras, by Tamil Nadu Government with Central loan of Rs. 2.60 crores.

Seminar on Civic Consciousness

6489. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether each seminar on civic consciousness was held in Delhi on 3rd January 1973; and

(b) if so, the suggestions made therein and whether Government propose to give practical shape to any of those suggestions?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes; on January 2-3-1973. It was organised by the Municipal Corporation of Delhi in collaboration with the National Centre for Training and Research in Municipal Administration, (Indian Institute of Public Administration), New Delhi.

(b) The suggestions made by the Seminar are given in the Annexure.[Placed in Library. *See* No. L.T. 4766/73]. The implementation of the suggestions is the direct concern of the State Governments and the Municipal authorities.

चीनी और अनाज के परिवहन के बारे में भारतीय खाद्य निगम के सहारनपुर के जिला प्रबंधक के विरुद्ध कथित आरोप

6490. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, के सहारनपुर जिले के प्रबन्धक ने चीनी और अनाज के उसके अपने जोन से अन्य स्थानों को और विशेषकर मसूरपुर से मुजफ्फरनगर को ले जाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे ;

(ख) क्या इन टेंडरों पर निर्णय को स्थगित करके कुछ व्यक्तियों को परिवहन का यह काम 63 पैसे प्रति क्विंटल की दर से करने को कहा गया था जब कि कुछ अन्य व्यक्ति इन टेंडरों पर निर्णय होने तक 55 पैसे प्रति क्विंटल की दर से इस काम को करने के लिए तैयार थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पं० शिन्दे): (क) जी हां । जिला प्रबन्धक सहारनपुर ने खुली टेंडर इन्क्वायरी द्वारा उत्तरप्रदेश के अन्दर वे बाहर से जो टेंडर मंगाये थे वह चीनी ढोने के लिए थे न कि खाद्यान्नों को ढोने के लिए थे । उसका टेंडर नोटिस 28-12-72 को मेरठ के "दैनिक प्रभात" और 27-12-72 को सहारनपुर के "जागरण" में प्रकाशित हुआ था । मंसूरपुर से मुजफ्फरनगर तक चीनी ले जाने के लिए विशेषकर किन्हीं दरों का उल्लेख नहीं किया गया था ।

(ख) जी, नहीं । वस्तुतः सबसे कम दर वाला टेंडर स्वीकार किया गया था लेकिन संबंधित पार्टी ड्यूटी पर नहीं आई । इसको देखते हुये वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ, ने जिला प्रबन्धक को इस बात के लिए अधिकार दिया कि वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्यान्नों के लिए निर्धारित दरों पर ढुलाई का कार्य करने के लिए तदर्थ प्रबन्ध करें । ऐसे कार्यों के लिए इस प्रकार निर्धारित दरों को भारतीय खाद्य निगम और प्रादेशिक सहकारी विपणन संघ ने स्वीकार कर लिया था । जिला प्रबन्धक, सहारनपुर के पास 55 पैसे की दर से ढुलाई कार्य करने के लिए कोई पेशकश नहीं की गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Demand of Ownership of Houses by Labourers in Pali

6491. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government of India had built about 600 residential houses for the labourers in Pali in front of Maharaja Shri Ummed Mills and whether the Labourers have been resi ding in these houses for the last 17 years and are paying rent to the State Government; and

(b) whether the labourers of the said Mill who are residing in these houses have sought ownership right from the Central Government; if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The Government of India do not themselves build houses for labourers under any of the social housing schemes formulated by the Ministry of Works and Housing. The Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community, which provides for the construction of houses for industrial workers etc., is implemented by the State Governments and their approved agencies. The State Governments are competent to formulate, and sanction the housing projects, and also to provide financial assistance for the purpose. The requisite information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the House, when received.

भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातिकर्ता

6492. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1973 के "दी इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय खाद्य पदार्थ के निर्यात में कमी हुई है हालांकि ब्रिटेन तथा आम तौर पर यूरोप में इसका अच्छा बाजार बन चुका है और कमी का मुख्य कारण यह है कि निर्यातक निर्धारित समय के अनुसार वस्तुएं इसलिये नहीं सप्लाई कर पाते क्योंकि कोचीन पत्तन पर आने वाले जहाज बन्दरगाह पर पड़े माल का कुछ ही हिस्सा उठाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 के दौरान इस बन्दरगा र पड़ी इन पदों की सही मात्रा क्या है और उक्त महीनों में कितना माल वास्तव में उठाया गया ैर माल की शीघ्र उठवाने के लिये क्या कार्यवाही क ई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) और (ख) चीन में डिब्बाबन्द श्रिम्पों के कारटनों का काफी जमाव हो गया था। परन्तु जनवरी-मार्च 1973 की अवधि के दौरान 84,019 कारटन पहले ही उठा लिए हैं। 26 मार्च, 1973 को 40,000 कारटन के ढर बचने की सूचना मिली थी। इस सारे ढेर को उठाने के लिए एक पोत भाटकित करने का प्रबन्ध किया गया है।

मैसूर में छोटे किसानों को विकास एजेंसी द्वारा किसानों को दिये गये ऋण

6493. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में वर्ष 1971-72 में जिलावार छोटे किसानों की विकास एजंन्सी द्वारा कितने किसानों को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) सिंचाई हेतु कुएं खोदने और पम्पसेट लगाने के लिए दिए गए ऋणों का तत्संबंधी शर्तों सहित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह):(क) केन्द्रीय क्षेत्र की 3 लघु कृषक विकास एजेन्सियों के सम्बंध में परियोजना एजेन्सियों से प्राप्त जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(रुपये लाखों में)

लघु कृषक विकास एजेन्सी का नाम	लघु कृषकों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि
1 मैसूर	14,046	49.32
2 उत्तरी कनारा	6,616	45.94
3 बिदार	9,776	56.03

(ख)

(रुपये लाखों में)

लघु कृषक विकास एजेन्सी का नाम	दिया गया ऋण			
	सिंचाई के कुएं		पम्पसेट	
	छोटे कृषकों की संख्या	राशि	छोटे कृषकों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. मैसूर . . .	641	38.12	101	2.85
2. उत्तरी कनारा .	108	1.43	190	3.33
3. बिदार . . .	548	19.62*	359	*

(*ये आंकड़े भूमि विकास बैंक द्वारा सिंचाई के कुओं तथा पम्पसेटों के लिये दी गई कुल ऋण-राशि को प्रदर्शित करते हैं)

कुओं के लिये छोटे कृषकों को दीर्घावधि ऋण सामान्यत: भूमि की जमानत के आधार पर 15 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता है। कुओं तथा पम्पसेटों के लिये मध्यमकालीन ऋण 5 वर्ष तक की अवधि के लिये दिया जाता है। सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा प्रत्येक जिले के लिये पृथक रूप से भूमि की निम्नतम सीमा भी निर्धारित की गई है। ब्याज की दर प्राय: लगभग 9% है।

1970 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई चीनी उद्योग जांच समिति का प्रतिवेदन

6494. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 फरवरी, 1970 को नियुक्त की गई चीनी उद्योग जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में, जो मई, 1970 में पेश किया गया था, चीनी उद्योग के तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई परामर्श दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) और (ख) भारत सरकार ने रिपोर्ट नहीं देखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि इसे गोपनीय दस्तावेज समझा जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार का इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई परामर्श देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों के मूल्यों का पुनरीक्षण

6495. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने यह संकेत दिया है कि सरकार खाद्यान्नों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें बढाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें बढा दिया गया है ; और

(ग) कितनी वृद्धि की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गेहूं का थोक व्यापार लेने का निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने 1973-74 रबी मौसम के लिए गेहूं की विशिष्ट बढिया किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 82 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस बढिया गेहूं के निर्गम मूल्य में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है। गेहूं की अन्य किस्मों और अन्य खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति तथा निर्गम मूल्यों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Meeting of The South Delhi Jhuggi Jhonpri Improvement Committee

6496. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether South Delhi Jhuggi Jhonpri Improvement Committee, South Delhi (Jhuggi Jhonpri Sudhar Samiti) had convened its meeting on 4th and 5th March last ;

(b) if so, the main points of the proposals made therein; and

(c) the Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Department of Parliamentary affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Government have no information.

(b) and (c) Do not arise.

Charter of demands from Bharat Sarkar Utpadan Kendra Mahila Karmachari Sangh

6497. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether "Nirdeshak Mahila Samaj Kalyan Kandra" (Director Woman Social Welfare Centre) has received a charter of demand from "Bharat Sarkar Utpadan Kendra Mahila Karmachari Sangh" during March, 1973;

(b) the main demands contained therein; and

(c) whether any action has since been taken by Government in regard to these demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Setting up a central sheep farm at Shivpuri, M.P.

6498. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Shivpuri, Madhya Pradesh, has been selected for setting up a Central Sheep Farm ;

(b) if so, the time by which the farm would be set up there; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) A site near Shivpuri is presently under consideration as to its suitability for establishment of a Centrally sponsored large sheep breeding farm. A detailed scheme indicating the phased programme and financial requirements would be drawn up in consultation with the State Government only after the site is finally selected. Establishment of a large sheep breeding farm is generally phased over a period of 4—5 years.

विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाएँ

6499. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में ऐसी गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं की एक सूची प्रस्तुत कर सकती है जिनको विदेशों से वित्तीय सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों और स्रोतों से सहायता प्राप्त की जाती है; और

(ग) इस प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) वर्तमान विनिमय नियन्त्रण विनियमों के अधीन बाहर से देश में धन भेजने पर कोई पाबंधी नहीं है, किन्तु , विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रखे गए विनिमय नियन्त्रण आंकड़ों से 10,000 रु० तथा उससे ऊपर अधिक रुपये से लाभान्वित होने वालों ब्यौरे का पता लगता है, 10,000 रु० से कम भेजी गई धनराशि के अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं ।

भारत की ऐसी प्राईवेट शैक्षिक संस्थाओं की सूची, जिन्हें विदेशों से 10,000 रु० तथा उससे अधिक की विदेशों से सहायता मिलती है, तथा उन्हें सहायता देने वाले देशों के नामों तथा 1972-73 के दौरान प्राप्त सहायता के विवरणों का संकलन किया जा रहा है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा किन्तु इसमें समय लगेगा ।

प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में, भारत सरकारक द्वारा, आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि शिक्षा संस्थाओं अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहीं अन्य संस्थाओं को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए, चाहे उसका परिणाम कितना ही हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सरकारों अथवा संगठनों से अनुरोध नहीं करना चाहिए । सहायता के सभी प्रस्तावों को उनके पूरे ब्यौरों के साथ, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त विश्व-विद्यालयों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं को छोड़कर, गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के मामलों में ऐसे प्रस्तावों को सम्बन्धित राज्य सरकार के जरिए भेजा जाना चाहिए । इसके अलावा, बिना किसी अनुरोध के यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो, तो उसे भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

सरकार का विचार इस बात की जांच कराने का है कि इस सलाह का प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा किस सीमा तक सही-सही पालन किया गया है ।

वर्ष 1973-74 में आदिवासी विकास सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजनाएँ

6500. श्री के० प्रधान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में देश में परियोजना वार आदिवासी बिकास के लिए प्रायोगिक परियोजना को अब तक कितनी धन राशि दी गई है ;

(ख) आबंटित धन राशि किन मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की जा रही है ; और

(ग) उन परियोजनाओं पर व्यय के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) देश में आदिवासी विकास की अग्रगामी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1972-73 के दौरान परियोजनावार आधार पर अब तक निम्नलिखित राशि निर्मुक्त की गई है :—

अभिकरण का नाम	निर्मुक्त की गई राशि
	(लाख रुपये)
1. गिरिजन विकास अभिकरण, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश) .	53.00
2. आदिवासी विकास अभिकरण, सिंहभूम (बिहार) . .	38.00
3. आदिवासी विकास अभिकरण दांतेवाडा (मध्य प्रदेश) . . .	10.00
4. अदिवासी विकास अभिकरण , क़ोंटा परियोजना, क़ोंटा (मध्य प्रदेश) .	20.00
5. परलाखमंडी आदिवासी विकास अभिकरण परलाखमंडी (गंजम) (उडीसा	54.00
6. गुनूपूर-रायगाडा, आदिवासी विकास अभिकरण गुनूपुर, कोरापुट (उड़ीसा) .	55.00
कुल .	230.00

(ख) आबंटित धन राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की जा रही है :-

1. कृषि
2. जुताई के काम आने वाले बैल
3. उपकरण और उपस्कर
4. मरम्मत सेवा
5. भूमि विकास
6. लघु सिंचाई
7. पशुपालन
8. ग्राम उद्योग
9. अन्य गौण धन्धे
10. विद्युतीकरण
11. सहकारिता
12. भण्डारण और विपणन
13. संचार
14. वानिकी
15. भूमि अभिलेख प्रचालन
16. ऋण से छुटकारा
17. बेंच मार्क सर्वेक्षण और अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन
18. प्रशिक्षण और प्रचार
19. प्रदर्शन
20. कर्मचारियों पर होने वाला व्यय और आनुषंगिक व्यय
21. विविध

(ग) आदिवासी विकास अभिकरणों ने निम्नलिखित व्यय के बारे में सूचित किया है :—

अभिकरण का नाम	व्यय (लाख रुपए)
1. गिरिजन विकास अभिकरण, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश) .	15.10 (नवम्बर 1972 तक)
2. आदिवासी विकास अभिकरण, सिंहभूम (बिहार) . .	9.83 (जनवरी, 1973 तक)
3 आदिवासी विकास अभिकरण, दांतेवाडा, दांतेवाडा परियोजना (मध्य प्रदेश)	2.49 (फरवरी, 1973 तक)
4. आदिवासी विकास अभिकरण, कोंटा, कोंटा परियोजना (मध्य प्रदेश)	2.95 (फरवरी, 1973 तक)
5. परलाखमंडी, आदिवासी विकास अभिकरण परलाखमंडी (गंजम) (उड़ीसा)	38.11 (जनवरी, 1973 तक)
कुल .	106.06

नोट :—सिंहभूम से सहकारिता और मुख्य सड़कों पर हुए व्यय की धन राशि के बारे में परियोजना से सूचना नहीं मिली है ।

अधिक मात्रा में अनाज के आयात की सम्भावना

6501. श्री समर गुह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1973 को दिल्ली में हुए एक प्रेस सम्मेलन में वित्तीय विभाग के एक प्रवक्ता ने अधिक मात्रा में अनाज का आयात करने की सम्भावना का संकेत दिया था ; और

(ख) क्या ये विचार कृषि मंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद व्यक्त किए गए थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वित्त मन्त्रालय ने किसी भी प्रतिनिधि ने प्रेस सम्मेलन में यह नहीं बताया था कि खाद्यान्नों का 20 लाख मीटरी टन से अधिक आयात करने की सम्भावना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये कच्चे कुएं खोदने और वर्तमान कुओं को अधिक गहरा बनाने के लिये गुजरातका अतिरिक्त धन-राशि दिये जाने का अनुरोध

6502. श्री वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि नये कच्चे कुएं खोदने और वर्तमान कुओं को अधिक गहरा बनाने के लिए तकावी योजना के लिये 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन-राशि दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र पूरी होने वाली लघु सिंचाई योजना प्रारम्भ करने के लिये गुजरात सरकार को 5 करोड़ रुपये की धनराशि देने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी । इसमें नये कच्चे कुओं के निर्माण तथा वर्तमान कुओं को गहरा करने के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकार ने इस योजना के लिये 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिये भी अनुरोध किया था । इस अनुरोध पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सलाह दी गई कि यथा सम्भव वे आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि को इस योजना के लिये उपयोग कर सकती हैं । तदनुसार, राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपये की रकम इस योजना के लिये दे दी गई । इस प्रकार इस योजना की कुल धनराशि 2.5 करोड़ रुपये हो गई ।

वर्ष 1972-73 में नलकूप खोदने के लिये गुजरात सरकार का अधिक धनराशि दिये जाने के लिये अनुरोध

6503. श्री वैकारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में गुजरात में नये नलकूप खोदने के लिये गुजरात सरकार ने कितनी धन-राशि की मांग की थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि मंजूर की है और कितनी दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख) वर्ष 1972-73 के दौरान गुजरात में नये नलकूप लगाने की राज्य सरकार की मांग पर कृषि मंत्रालय में राज्य के लिये नियुक्त क्षेत्र अधि-

कारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जायज़ा लिया था और इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने 1.25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। तथापि, इस कार्यक्रम के लिये कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई, क्योंकि यह सारी राशि राज्य में नये कच्चे कुओं के निर्माण और वर्तमान कुओं को गहरा करने के काम के लिये दे दी गई है।

महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम की कमियाँ

6504. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सुधार सेवा ब्यूरो द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम की कमियों और विशेषकर अधिनियम के अधीन चलाये जाने वाले मुकदमों से सम्बन्धित कमियों का उल्लेख किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कमियों को दूर करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी की सुनिश्चित सिफारिशें जब प्राप्त होंगी, उन पर विचार किया जायेगा।

तमिलनाडु में बिजली में कटौती के कारण खेतिहरों को हुई हानि

6505. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिल नाडु में खेतिहरों को दी जाने वाली बिजली में फरवरी 1973 से लगभग 70 प्रतिशत की कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार तमिल नाडु सरकार से इस मामले के बारे में रिपोर्ट मांगने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी, नहीं। तमिलनाडु में बिजली की पूर्ति में की गई 70 प्रतिशत कटौती किसानों पर लागू नहीं होती। कृषि कार्यों के लिए दिन में 4 घन्टे बिजली दी जाती है और रात में इसकी पूर्ति पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अधीन अपराध करने वालों को कड़ा दंड दिया जाना

6506. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपमिश्रण के साथ निपटने के लिये केन्द्रीय अपमिश्रण अधिनियम, 1954 में ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कोई कड़ा दंड दिये जाने की व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस अत्यन्त जघन्य अपराध में वृद्धि हो रही है,

(ख) क्या राज्य सरकारों को अपनें पुलिस अधिकारियों को ऐसे अपराध करने वालों के साथ सीधे निपटने की अनुमति देने के विचार से अपने कानून बनाने का निर्देश देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिये अपने अधिनियम में संशोधन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में समुचित रूप से कठोर एवं कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था है ।

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय राज्य सरकारों को ये हिदायत देने की आवश्यकता से है कि वे खाद्य अपमिश्रण संबंधी अपराधों को निपटाने के लिये पुलिस अधिकारियों को शक्तियां देने हेतु राज्य कानून बनायें ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन केवल खाद्य निरीक्षकों को ही ऐसे अपराधों पर विचार करने के अधिकार प्राप्त है । खाद्य निरीक्षक के लिये क्या-क्या अर्हतायें अपेक्षित हैं इनका भी नियमावली में विशेष उल्लेख किया गया है । अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों को आमतौर पर खाद्य निरीक्षकों के रूप में काम करने के अधिकार देना संभव नहीं है ।

इस समय राज्य सरकारों को इस आशय के कोई निदेश देने का विचार नहीं है कि वे अपने अपने कानुन बनायें जिससे ऐसे अपराध करने वालों के साथ पुलिस अधिकारी सीध ही निपट सकें ।

(ग) इस अधिनियम के प्रवर्तन पर निरन्तर पुनर्विचार किया जाता है और इसे और अधिक कारगर रूप से लागू करने के लिये जहां कहीं संशोधन करने की आवश्यकता समझी जाती हो वहां इस बारे में विचार किया जाता है और समुचित कार्यवाही की जाती है ।

दूसरे हुगली पूल के कार्य का बन्द होना

6507. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1973 के 'स्टेटसमैन' में 'वर्क आन सेंकेंड हुगली ब्रिज स्टेंडस्टिल (दूसरे हुगली पुल के कार्य का बंद होना)' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या काय के बंद होने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच आयोग गठित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आयोग का प्रतिवदन कब तक मिल जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) हुगली पर प्रस्तावित दूसरा पुल मुख्यत: राज्य परियोजना है और इसलिए राज्य सरकार इस परियोजना से मुख्यत संबंधित है । यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रस रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, राज्य सरकार, जिसे अपने विचार भजने के लिए कहा गया था, ने सूचित किया है कि जसा कहा गया है वैसा कोई पुल कार्य बंद नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Formulation of Emergency Irrigation Scheme

6508. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has formulated an emergency irrigation scheme;

(b) if o, the main features thereof and the expenditure to be incurred thereon; and

(c) the progress made in this regard, State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) to (c) To meet the situation created by drought during the last kharif season, the Government of India launched an Emergency Agricultural Production Programme, based primarily on minor irrigation with the object of increasing the production of rabi and summer crops during the current agriculture year. Under this Programme, an additional loan assistance of about Rs. 152 crores was administratively approved to State Governments for taking up quick maturing minor irrigation programmes. The programmes undertaken by the State Governments include energisation of the existing tubewells/pumpsets, lift irrigation projects over rivers, tanks, perennial stream etc., construction of deep as well as shallow tube wells, extension and improvement of canals and distributories in the command of major and medium irrigation projects, besides other types of minor irrigation programmes capable of yielding immediate benefits.

Against the allocation of Rs. 152 crores, funds were released to State Governments in instalments from time to time on the basis of the progress reported by them. On the basis of a recent review of the progress made in implementation of the emergency programme, the last instalments were released to all States. The total amount released comes to a little over Rs. 148 crores. State-wise details of the amounts administratively approved and released are given in the statement attached.

Statement

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of State	Loan approved	Amount released against 3
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	986,500	840,000
2	Assam	202,000*	202,000
3	Bihar	1,772,782	1,772,782
4	Gujarat	500,000	500,000
5	Haryana	1,200,000	1,200,000
6	Himachal Pradesh	50,000	32,500
7	Kerala	250,000	250,000
8	Madhya Pradesh	581,000	581,000
9	Maharashtra	2,496,380	2,496,380
10	Manipur	57,700	38,275
11	Mysore	638,900	529,988
12	Nagaland	20,000	20,000
13	Orissa	660,000	660,000
14	Punjab	1,472,000**	1,472,000
15	Rajasthan	390,700	389,200
16	Tamil Nadu	382,000***	299,000
17	Tripura	22,875	22,875
18	Uttar Pradesh	2,075,000	2,075,000
19	West Bengal	1,433,000	1,433,000
	TOTAL	15,190,837	14,814,000

For Arunachal Pradesh, an amount of Rs. 6.75 lakhs approved and the Ministry of Home Affairs asked to provide this amount in the Area Demand of Arunachal Pradesh.

For Mizoram, an amount of Rs. 2 lakhs approved and the Ministry of Home Affairs asked to provide this amount in the Area Demand of Mizoram.

*Includes Rs. 32.00 lakhs for purchase of tractors and threshers.
** Includes Rs. 197.00 lakhs as grant-in-aid for tubewells in border districts.
*** Includes Rs. 20.00 lakhs for purchase of power sprayers.

उत्तर प्रदेश और पंजाब में उर्वरक परियोजनाओं के लिये सहकारी बोर्ड

6509. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब में उर्वरक परियोजनाओं के लिए एक सहकारी बोर्ड बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कौन-कौन सदस्य होंगे और इसके लाभ क्या होंगें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश और पंजाब में सहकारी क्षेत्र में दो उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन ह । संचालक मण्डल के गठन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगी और इन परियोजनाओं को चलाने के लिए सहकारी सोसाइटियों पंजीकृत हो जाएंगी ।

राहत नियम पुस्तिका के अनुसार मजूरी की दर

6510. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राहत नियम पुस्तिका के अनुसार नकद या वस्तु के रूप में मंजूरी की वास्तविक दर क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त नियम पुस्तिका में उल्लिखित मजूरी दर बहुत पुरानी नहीं है और मूल्य सूचकांक में वृद्धि और देश में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने और अत्यधिक बेरोजगारी और भूखमरी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नियम पुस्तिका में संशोधन करने सबन्धी प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है या वह ऐसा करना आवश्यक समझती है ;

(ग) क्या ऐसे लोगों को राहत देने के लिए, जिन पर कमी और सूखे से प्रभावित व्यक्ति को राहत देने और राहत कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने कैं लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25-2-1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में 'लो वेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4767/73]

(ख) राज्य सरकारों से पहले ही कहा गया है कि वे संबंधित राज्यों में प्रचलित अकाल संहिताओं। मैनुअलों में संशोधन करने पर विचार करें । कुछ राज्य सरकारों ने संहिताओं में संशोधन करने के लिए कार्यवाही की है और मजदूरी की संशोधित दरें सूचित की हैं जोकि संलग्न विवरण में दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4767/73]

(ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 4767/73]

(घ) जी हां । कदाचार रोकने के लिए किए गये उपायों की स्थिति प्रश्न के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण में बताई गई है ।

चथम में आरा मिल को सख्त लकड़ी की सप्लाई

6512. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह के वन विभाग ने अन्दमान टिम्बर उद्योग के साथ हाल ही में करार किया है कि चथम में आरा मिल को हर महीने 200 क्यूबिक मीटर सख्त लकडी के लठ्ठे सप्लाई किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित मात्रा सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इमारती लकड़ी सप्लाई न किये जाने के कारण आरा मिल कितने घण्टे तक बन्द रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ठेकेदार ने फरवरी 1973 के अतिरिक्त प्रति मास 200 घन मीटर लकड़ी के लट्ठों की न्यूनतम अपेक्षित मात्रा की पूर्ति नहीं की ।

(ग) ठेकेदार द्वारा अपेक्षित मात्रा में लकडी के लट्ठों की पूर्ति न करने के कारण आरा मिल बन्द नहीं रही थीं । यह मिल 1 अप्रैल, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक 121 घंटे 55 मिनट के लिए और मार्च, 1973 के दौरान 24 घंटे 40 मिनट और 26 घंटे 35 मिनट तक बिजली की पूर्ति न होने और लकड़ी के लट्ठों की पूर्ति न किये जाने के कारण बन्द रही । लकड़ी के लठ्ठों की पूर्ति इसलिए नहीं की जा गयी क्योंकि इन्हें ले जाने वाले जलयान चालू हालत में नहीं थे ।

सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया जाना

6513. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि पर आधारित नये उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिए जाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) और (ख) जी नहीं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है । तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में औद्योगिक नीति के बारे में लिए गए निर्णयों के अनुसार सहकारी क्षेत्र को उन उद्योगों में प्रोत्साहन देने में विशेष बल दिया जाएगा, जो गन्ना, पटसन, कपास जैसी कच्ची कृषि सामग्री का विधायन करते हैं अथवा उर्वरक जसे कृषि निवेश तैयार करते हैं । आम उपयोग वाली वस्तुएं तैयार तथा वितरित करने के लिए भी सहकारी क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त है । इसके अलावा सहकारिता संबन्धी पांचवीं योजना कार्यकारी दल ने विशेषकर अल्प-विकसित क्षेत्रों में सहकारी विधायन कार्यक्रमों के लिए सहायता देने की सिफारिश की है ।

देवनागरी सिन्धी लिपी को मान्यता

6514. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सिन्धी लेखक गिल्ड ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन देकर मांग की है कि देवनागरी सिन्धी लिपि को मान्यता दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां, सरकार के पास भी बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मांग की गई है कि सिंधी को केवल फारसी-अरबी लिपि में लिखा जाए अन्यथा भाषा का व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा ।

(ख) मामले पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि यह निर्णय करना लेखकों पर ही निर्भर करता है कि वे किस लिपि में लिखें । यदि मांग हो तो अन्य लिपि में लिप्यंतरण सदव संभव होता है ।

ट्रैक्टरों का आयात और उनका राज्यों को नियतन

6515. **श्री डी० पी० जवेजा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने और किस-किस किस्म के ट्रैक्टर आयात किये गये ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को राज्यवार और वर्षवार कितने-कितने ट्रैक्टर दिये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Non-Utilisation of Assistance Given to Madhya Pradesh

6516. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether the Central Government had sanctioned an amount of Rs. 35 crores to Madhya Pradesh Government for the schemes for the uplift of small farmers but the State Government have not so far been able to spend even one third of the amount on the scheme; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Under the Central Sector Schemes of SFDA/MFAL a sum of Rs. 1.5 crores each, for SFDAS and Rs. 1.00 crore each for MFALS has been earmarked for three SFDAS and two MFALS in Madhya Pradesh for aproject period of five years. The amount released to these Agencies and the amount utilised by them upto 31st March, 1973 are as given below :

(Rs. in lakhs)

	Amount	
S.F.D.A.	Realeased	Utilised
1. Bilaspur	29.95	@30.10
2. Chhindwara	34.59	24.35
3. Ratlam-Ujjain	19.55	10.62.**
M.F.A.L.		
1. Durg-Rajanand Gaon .	19.71	14.78**
2. Raisen-Sehore . .	32.28	22.44
	136.08	102.29

@Includes interest earned and other receipts.

**This is upto 31-1-1973.

The progress of utilisation of funds has been generally satisfactory in Madhya Pradesh

पश्चिम बंगाल और कूच बिहार में तम्बाकू की खेती वाली भूमि का क्षेत्र

6517. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री वी० के० दास चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में और कूच बिहार जिले में अलग-अलग, तम्बाकू की खेती वाली भूमि का कुल क्षेत्र कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): चालू वर्ष के दौरान तम्बाकू की बुवाई के क्षेत्र के सबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। वर्ष 1971-72 के दौरान पश्चिम बंगाल तथा कूच बिहार जिले में तम्बाकू की बुवाई का क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

(क्षेत्र, हेक्टारों में)

पश्चिम बंगाल	12,100
कूच बिहार	8,900

मैसूर में छोटे चिड़ियाघर स्थापित करने सम्बन्धी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता

6518. श्री सी० जाफर शरीफ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने राज्य में 16 केन्द्रों पर छोटे चिड़ियाघरों की स्थापना करने की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से 84.5 लाख रुपय की अधिकतम वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय में चालू योजना या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे चिड़ियाघरों के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है। मैसूर सरकार को इससे अवगत करा दिया गया है।

बंगला देश से सूखी मछली का आयात

6519. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश से आयात की सूची में सूखी मछली सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो उक्त सूची में कब तक संशोधन किया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस मद का विशेषकर भारत और बंगला देश की सीमा पर चोरी छिपे काफी व्यापार होता है ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार को पूर्वी क्षेत्र में सूखी मछली की काफी खपत होने का पता है ; यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा 20 मार्च, 1973 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 38/73 के अधीन बंगला देश से नमक लगी या प्रक्रियागत सूखी मछली के आयात की पहले से अनुमति है।

(ख) इस आशय के कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं। तस्करी रोकने के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) सरकार को इस मांग की जानकारी है और आशा है कि सूखी मछली को बंगला देश के साथ की गई व्यापार व्यवस्था की परिधि में शामिल किये जाने से इसकी मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।

Number of Tigers in Corbett National Park

6520. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the number of tigers has been reduced from 74 in 1970 to 46 in Corbett National Park (Garhwal and Nainital);

(b) Whether Government have ascertained the reasons for this reduction; and

(c) if so, what are these ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh : (a) It is true that in 1970 count it was reported that 74 tigers existed in Corbett National Park. In the census Winter 1970 it was reported that 44 Tigers existed in the Corbett National Park and not 46.

(b) & (c) The large difference in the figures according to the U. P. Govt. is due to the difference in methodology of the count.

[Crash Programme for Rural Employment

6521. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of money spent during the last two years under the Centrally financed crash programme and through the rural employment organisation on the length of Kuchha roads converted into Pacca roads as also the number of roads repaired and the number of ponds cleaned in East Champaran district of Bihar;

(b) whether Government have reviewed the progress made in this regard in each Champaran; if so, the outline thereof; and

(c) if not, whether Government have any proposal to hold discussion between public representatives and the authorities to review the progress in order to complete such works with the help of public co-operation; and if so the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Operation of Scheme of Small Farmers Development Agency in Champaran (Bihar)

6522. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the progress of the scheme under the Small Farmers Development Scheme sponsored by the Central Government is not staisfactory at all in sub-divisions of East Champaran (Bihar);

(b) if so, whether Government have reviewed it from time to time; and

(c) if so, the main feature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Small Farmers Development Agency Scheme covers 25 blocks in the district of Champaran (now-bifurcated into two districts namely, East Champaran and West Champaran). After bifurcation, 13 blocks fall in East Champaran District having two Sub-Divisions—Motihari and Motihari—I and 12 blocks in the West Champaran District. The scheme has the same intensity of coverage in both the districts and the progress as per information available upto the end of February, 1973 can be said to be satisfactory.

(b) The progress of the Scheme is reviewed at close intervals by the Governing Body of the Agency, the State Level Co-ordination Committee and by the Sanctioning Committee of the Government of India. Such review is made for the project as a whole and not Sub-Division-wise.

(c) A statement giving the latest position of nprogress as at the end of February, 1973 is attached.

Statement showing progress of implementation of S.F.D.A. Champaran (Bihar) upto the end of February, 1973

1. No. of participants identified Small Farmers . . .		32,540
(in lakhs)	Marginal Farmers	54,269
2. No. enrolled as members of Cooperatives (in lakhs)		18,930
3. No. of dugwells/tubewells		998
4. No. of pumpsets . .		223
5. No. of other minor irrigation works .		1,247
6. Total minor irrigation works . .		2,468
7. No. of improved agricultural implements .		160
8. Units of milch cattle		224
9. Units of poultry birds		13
10. No. assisted under Rural Artisans schemes		
11. No. assisted under rural works .		..
12. No. of Demonstration Plots . . .		141
13. Loans disbursed (Rs. in lakhs) (since inception)		
(a) *Through Cooperatives*		
(i) Short term .		29.29
(ii) Medium term		..
(iii) Long term		0.19
(b) *Through commercial banks*		
(i) Short term		6.34
(ii) Term loans		11.87
14. Amounts released since inception (Rs. in lakhs) .		33.60
15. Amounts utilised since inception (Rs. in lakhs) .		16.30

मिन्टो रोड प्रेस, नई दिल्ली में फोटो सेंटर मशीन के सांचों का खो जाना

6523. **श्री हुकुमचन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिन्टो रोड प्रेस, नई दिल्ली से हजारों रुपये के मल्य के फोटोसैटर मशीन के सांचे चोरी गये थे ;

(ख) क्या फोटोसैटर अनुभाग में, जहां से सांचे चोरी हुए थे, अलग से ताला लगाने की व्यवस्था है और उक्त अनुभाग एक ही शिफ्ट में काम कर रहा है; और

(ग) इसके चोरी हो जाने के बारे में विभागीय जांच किसके द्वारा की गई है और तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । 1969 में, 700 रुपये की कीमत के पुराने सांचे जितनी कि नए सांचों की कीमत है, ो गए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) न तो पुलिस द्वारा जिनके पास मामला दर्ज करवाया गया था, और न ही विभागीय जांच में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सका । तथापि, सुरक्षित रखी जाने वाली खुली-पड़ी चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जब वे प्रयोग में नहीं होतीं, कदम उठाए गए हैं ।

वर्ष 1971-72 के दौरान कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिये राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋण और अनुदान

6525. श्री नारायण चन्द पाराशर
श्री हुकुम चन्द कछवाय

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष 1971 और 1972 के दौरान कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ख) प्रति वर्ष 1973 के लिए तुलनात्मक राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० अण्णा साहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने की पद्धति 1969-70 से संशोधित कर दी गई है । अन्य राज्य सरकारों को सकल वार्षिक योजना के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में इकट्ठी सहायता दी जाती है और इसका किसी विशिष्ट योजना या कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । 1971-72 तथा 1972-73 की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत योजना परिव्यय तथा परिव्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण (अनुबन्ध i) संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 4768/73**] योजना विनिधान के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र की केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई अनुदान और ऋण की राशि संलग्न विवरण (अनुबंध **II**) में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4768/73**] योजना सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संलग्न विवरण (अनुबंध **III**) के ब्यौरे के अनुसार वर्ष 1972-73 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी ऋण दिए गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4768/73**]

मुख्य पत्तनों पर काम कर रहे पत्तन तथा गोदी कर्मचारीयों की हड़ताल

6526. श्री रानेन सेन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों में नियुक्त दो लाख पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने अपनी लम्बे समय से चली आ रही मांगों के समर्थन में 10 अप्रैल से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का निणय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के बारे में कर्मचारियों के साथ बातचीत करके समाधान निकालने और प्रस्तावित हड़ताल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री(श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ तथा उससे संबंधित संस्थाओं से हड़ताल के नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनमें बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा 10 अप्रैल, 1973 को आधी रात से हड़ताल करने के आशय की सूचना दी गयी है ।

(ख) संघ के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर विचार करने के लिए बैठकें हुई हैं । समझौता करने और हड़ताल की धमकी टालने के लिए प्रयत्न जारी हैं ।

संकट-ग्रस्त कारखानों के प्रबंध को अपने हाथ में लेने के बारे में इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन का प्रस्ताव

6527. **श्री रानेन सेन :**
श्री ओंकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन शूगर मिल्स एसोसियेशन ने लगभग 15 संकटग्रस्त कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने और उन्हें वित्त एवं प्रबन्धकीय और तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन ने मार्च, 1973 के तीसरे सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने रुग्ण चीनी मिलों का प्रबन्ध लेने के लिए एसोसिएशन में रुग्ण एकक प्रभाग स्थापित करने के लिए अपनी योजना की रूप-रेखा दी थी । एसोसियेशन का अपने सदस्यों से प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्त चन्दा इकट्ठा करने का विचार है । इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, यथा संशोधित, के अधीन रुग्ण चीनी मिलों को अपने अधिकार में लिया जाएगा और अधिनियम के अधीन एसोसिएशन को अधिकृत नियन्त्रक के रूप में नियुक्त कर उनके द्वारा उसका प्रबन्ध सम्भाला जाएगा । इस योजना में न तो रुग्ण चीनी मिलों की संख्या और न ही रुग्ण मिल निर्धारण करने की कसौटी बतायी गई है ।

चीनी उद्योग जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में बहुत अधिक मिलों के रुग्णता के कारणों की जांच करने और इस स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताने भी शामिल है । चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विषय पर आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट जिसमें रुग्ण चीनी मिलों पर विचार दिए जाने की आशा है, अप्रैल के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है । चीनी उद्योग जांच आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर रुग्ण चीनी मिलों के प्रबन्ध को लेने संबन्धी एसोसिएशन के प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से शारीरिक श्रम किया जाना

6528. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री भगीरथ भंवर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने और कृषि तथा कृषि उद्योगों में छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष का शारीरिक कार्य अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि प्रथम डिग्री देने के लिए कुछ विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्रीय सेवा को पूर्व-शर्त बनाया जाना चाहिए । इस सुझाव पर सरकार प्रारम्भिक रुप से जांच कर रही है । ब्यौरे

छात्रावासों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये आवास परियोजनाओं के लिये आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा सहायता

6529. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री आवास और नगरीय विकास निगम की अपनी गतिविधिया **बढ़ाने** के निर्णय के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह **बतलाने** की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों के होस्टलों संबंधी आवास परियोजनाओं और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के मकानों सम्बन्धी आवास परियोजनाओं के लिए कितना धन दिया जायेगा ; और

(ख) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने विश्वविद्यालयों और सरकारी उपक्रमों से **अपनी** योजनायें भेजने के लिए कहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए आवास **तथा** नगर विकास निगम द्वारा ऋणों के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कोई निर्धारित सीमा **नहीं** है। ऋण परियोजना के अनुमानों पर निर्भर होंगे ।

(ख) जी, हां ।

कृषि सम्बन्धी कार्यों में उपयोग के लिये जनरेटरों का आयात

6530. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों के लिए पुराने कुओं को प्रयोग योग्य बनाने और नये कुयें खोदने के लिए **राष्ट्र-व्यापी** कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या कृषि कार्यों में प्रयोग के लिए बिजली की कमी को दूर करने के लिए जनरेटरों और बिजली की मशीनों के उपकरणों के लिए आयात करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दे दी गई है **अथवा** सरकार ने इन्हें आयात करने की व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । सिंचाई के विकास का **उत्तर-**दायित्व राज्य सरकारों का है और वे क्षेत्रीय तकनीक-आर्थिक सम्भाव्यताओं, वित्तीय तथा अन्य कठि-नाइयों को ध्यान में रखते हुए पुराने कुओं को प्रयोग के योग्य बनाने और नए कुएं खोदने के लिए **राज्य-व्यापी** कार्यक्रम शुरू कर रही है ।

(ख) तथा (ग) जी हां । हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल को अपनी बिजली की कमी को पूरा **करने** के लिए 3.5 मेगा वाट के दो दो डीजल जनरेटर आयात करने की अनुमति दी गई है ।

बिहार में जयन्ती ग्राम

6531. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "जयन्ती ग्रामों" की सूची प्रस्तुत कर दी **है ;** और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चुने गए ग्रामों के नाम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। बिहार सरकार द्वारा अब तक चुने गए "जयन्ती गांवों" की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4769/173**]

बिहार में भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का कार्यकरण

6532. श्री चिरंजीव झा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कितनी भूमि परीक्षण प्रयोगशालायें कार्य कर रही है ;

(ख) क्या ये प्रयोगशालायें अपनी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम क्षमता पर कार्य कर रही हैं ; यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बिहार के सहरसा जिले में ऐसी कोई प्रयोगशाला कार्य कर रही है ; यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) पिछले साल कितने भूमि विश्लेषण लिये गये और क्या क्या सिफारिशें की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) इस राज्य में सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही 10 मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें काम कर रही हैं।

(ख) जी हां। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अपनी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम क्षमता पर काम करने के कारण ये हैं —प्रयोगशाला इमारत के लिए स्थान, कर्मचारियों और उपस्कर का अपर्याप्त होना।

(ग) जी हां।

(घ) गत वर्ष 3724 मृदा नमूनों का विश्लेषण और सिफारिशें की गई।

कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन

6533. श्री सी० टी० दण्डपाणी :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन 12 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय "स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि अनुसन्धान तथा विकास" के सम्बन्ध में 4 से 12 मार्च, 1973 तक दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन से है। कृषि वैज्ञानिकों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में कृषक संगठनों, राज्य और केन्द्रीय कृषि विभागों और अन्य कृषि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन 12 मार्च, 1973 को हुआ था।

संलग्न सूची के अनुसार विचार-विमर्श में 16 मुख्य विषय शामिल थे और इसमें की गई सिफारिशों पर आगे और कार्यवाही करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

तकनीकी अधिवेशन

1. राष्ट्र की खाद्य और आहार सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये सम्बद्ध वनस्पति विज्ञानों की प्रगति ।

2. नई सस्य-प्रणालियों की सहायता के लिये सस्य अनुसन्धान और विकास ।

3. मृदा और जल प्रवन्ध अनुसन्धान और विकास ।

4. सूखे और प्रतिकूल मौसम का मुकाबला करने के लिये तैयारी ।

5. दाने-चारे का अनुसन्धान और विकास ।

6. बागवानी फसलों के सुधार में प्रगति ।

7. हानिकारक कीटों और रोगों के नियंत्रण और उत्सर्जित पदार्थों के निवारण के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास ।

8. खाद्य और पोषाहार के सुधार की नीति ।

9. पशु-विज्ञान और आहार विषयक दीर्घकालीन नीति के सम्बन्ध में हुई प्रगति ।

10. कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षार्थियों का योगदान ।

11. कृषि मूल्य, विपणन ऋण और फसल बीमा ।

12. सस्य पश्च प्रौद्योगिकी ।

13. विस्तार और कृषक संगठन ।

14. वैज्ञानिक आधार पर छोटी जोतों का प्रबन्ध ।

15. फार्म मशीनरी और उपकरण अनुसन्धान तथा विकास ।

16. कृषि अनुसन्धान संचार पूर्ण अधिवेशन ।

खण्ड विकास अनुदानों का बन्द किया जाना

6534. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लाक स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए राज्यों के माध्यम से दिए जाने वाले खण्ड विकास अनुदानों को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) अधूरे कार्यों के लिए धन देने के लिए क्या प्रबन्ध दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि तीसरी योजना-वधि के अन्त तक खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता योजनाबद्ध आधार पर दी जाती थी, तथापि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप चौथी पंच-वर्षीय योजना के आरंभ से यह सहायता बन्द कर दी गई। तथापि, राज्यों को हर वर्ष 'ब्लाक' अनुदानों तथा ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है और राज्य इनका उपयोग सामुदायिक विकास जैसे और अन्य कार्यक्रमों, जो राज्य क्षेत्र की योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, के लिए करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसलिए, इस बात की जिम्मेदारी एक मात्र राज्य सरकारों की है कि वे खण्ड स्तर पर आरंभ किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करें और साथ ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई काम अधूरा पड़ा है, तो उसके लिए धन दें।

मे० चौगूले एंड कम्पनी द्वारा उसे हुई हानियों के बारे में शिकायत

6535. **श्री शंकर राव सावंत:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मे० चौगूले एंड कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से इस आशय की शिकायत की है कि वह अपने तटीय परिवहन में घाटा उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितना घाटा होने की शिकायत की है ;

(ग) किराये में वृद्धि संबंध दावे के बारे में महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) चौगूले बंधुओं की इस शिकायत पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां ।

(ख) उन्होंने निम्नलिखित हानियों की शिकायत की है :—

1969–70	13.45 लाख रुपये
1970–71 . .	13.32 लाख रुपये
1971–72	15.32 लाख रुपये

(ग) राज्य सरकार यात्री किराये में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं है ।

(घ) कोनकन कोस्टल पेसेंजर शिपिंग सर्विस के पूरे प्रश्न की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा चीनी की मांग और उसे चीनी की सप्लाई

6536. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 के बाद महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से कितनी चीनी की मांग की है ;

(ख) उनको कितनी चीनी दी गई ; और

(ग) क्या मांग की अपेक्षा कम मात्रा में चीनी दी गई थी और यदि हां, तो कम मात्रा में चीनी देने के क्या कारण हैं और कमी का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को क्या सलाह दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) जनवरी-फरवरी, 1973 में महाराष्ट्र सरकार ने लेवी चीनी के आवंटन को बढ़ाकर 30,000 मीटरी टन प्रति मास कर देने के लिए कहा था । स्पष्टतया, राज्य सरकार, उनको प्रति मास, पहले से आवंटित की जा रही मात्रा से संतुष्ट थी । अक्तूबर, 1972 से अप्रैल, 1973 की अवधि के लिए राज्य को कुल 174.7 हजार मीटरी टन लेवी चीनी (राज्य में स्थित औषध निर्माण सम्बन्धी उद्योग के लिए 4.5 हजार मीटरी टन को छोड़कर) आवंटित की गई है ।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार की लगभग 1,515 हजार मीटरी टन की मांग के प्रति लगभग 967 हजार मीटरी टन खाद्यान्न उस अवधि में सप्लाई किया गया था । मास अप्रैल, 1973 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 283 हजार मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित करने के लिए कहा था और उसके प्रति 138 हजार मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने से सम्बन्धित मांग को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उन्हें यह बताया था कि 1971 की जनगणना में दिखाई गई प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और 1967-68 और 1968-69 के दौरान चीनी की खपत के रुख, जब लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में उल्लेखनिय अन्तर था और जिसके परिणामस्वरूप लेवी चीनी की निकासी सामान्य थी ; को देखते हुए युक्तियुक्त आधार पर आवंटन किया जा रहा है ।

केन्द्रीय पूल के पास कुल उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न आवंटित/सप्लाई किए जाते हैं । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता के अन्दर-अन्दर महाराष्ट्र सरकार की उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तरिम प्रतिवेदन

6537. **श्री पी० नरसिम्हा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के बारे में 28 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किन-किन विषयों पर और कितने अन्य अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को पेश किय हैं ;

(ख) इनमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 28 अगस्त, 1972 के बाद 13-3-73 को निम्नलिखित विषयों पर चार और अन्तरिम रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत की हैं :—

(1) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के संगठनात्मक पहलू ।

(2) सिंचाई-पद्धति तथा समेकित विकास के कमांड क्षेत्रों का आधुनिकीकरण ।

(3) सम्पूर्ण-ग्राम विकास कार्यक्रम ।

(4) जिन्स विकास परिषदों तथा निदेशालयों का संगठन और कार्य ।

(ख) उपर्युक्त रिपोर्टों में से प्रत्येक की प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई थी । इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का सार सभा-पटल पर रख दिया गया था ।

(ग) इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों से कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा अमरीकी पुस्तकों का खरीदा जाना

6538. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों से देश के कालेज और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय कीमती अमरीकी पुस्तकें और अन्य प्रकाशन खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक साल के दौरान इस प्रकार की कीमती पुस्तकों को खरीदने के लिए इन कालेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों ने कितनी राशि खर्च की, और

(ग) क्या अनुदानों के सही उपयोग और इस प्रकार खरीदी गई पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग) भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भी इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। विश्वविद्यालय तथा कालेज आयोग द्वारा उन्हें दिए गए अनुदानों में से उन पुस्तकों को खरीदते है जिनकी उन्हे जरूरत होती है। सामान्यत: व इन पुस्तकों को अपने अध्यापकों की सलाह पर खरीदते है। विश्वविद्यालय तथा कालेजों को अनुदान, खर्चे की प्रगति के आधार पर उचित किस्तों में दिए जाते हैं। उन्हें इन अनुदानों के संबंध में कानूनी लेखा परीक्षक/सनदी लेखापाल से उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है।

मंत्रियों के आवासों/बंगलों की मरम्मत करने और उनके सुधार करने में खर्च

6539. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रियों के आवासों की मरम्मत करने और उनमें सुधार करने पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन आवासों में कुल कितनी कीमत का फर्नीचर, बिजली और अन्य उपकरण तथा सामान सप्लाई किया गया ; और

(ग) क्या फर्नीचर, आवासों में की गई मरम्मत और सुधार अत्यन्त आवश्यक थे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) :—

1970–71 . . .	2,79,478.00 रुपये
1971–72	6,01,930.00 रुपये
1972–73	2,01,080.00 रुपये
(28-2-73 तक)	

(ख) प्रत्येक मंत्री को फर्नीचर तथा विद्युत-उपकरणों की सप्लाई मन्त्रियों के निवास से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार की जाती हैं। जो मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के लिए 38,500/- रुपये है और उप-मंत्रियों के लिए 22,500/- रुपये है। अधिकतम सीमा से अधिक दिए गये फर्नीचर के लिये मंत्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता है।

(ग) जी, हां।

देश में शहरी और ग्रामीण भूमि का समाजीकरण

6540. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी और ग्रामीण जमीन का समाजीकरण करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के सुझाव को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नही किया है और इसके लिए राज्यों ने क्या कारण बतायें हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जुलाई, 1972 में हुये राज्यों के आवास मन्त्रियों आदि के सम्मेलन की यह सिफारिश राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई है कि सभी नगरीकरण योग्य भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिये। इस पर भारत सरकार द्वारा अभी विचार किया जा रहा है। यह एक पेचीदा मामला है तथा ऐसी नीति का ठीक कार्यक्षेत्र तथा उसके कार्यान्वियन के साधनों का हिसाब विस्तृत विचार के प्रश्चात् ही लगाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निश्चित सुझाव अभी तक नहीं दिया है। ग्रामीण भूमि के समाजीकरण किये जाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि सुधार कानूनों में बटाईदार की व्यवस्था

6541. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के वर्तमान भूमि सुधार अधिनियमों में बटाईदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिये क्या उपबन्ध किये गये हैं ;

(ख) क्या राज्यों ने इन उपबन्धों को क्रियान्वित कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्तमान भूमि सुधार अधिनियमों से बटाईदार को क्या लाभ हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, असम (अस्थाई रूप से स्थापित क्षेत्रों), गुजरात (सौराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बटाईदारों को बेदखली से सुरक्षण प्राप्त है।

भू-स्वामियों के पुनर्ग्रहण के अधिकार सीमित हैं और कानून में व्यवस्था है कि असम, हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भूमि के पुनर्ग्रहण के पश्चात बटाईदार के पास कुछ न्यूनतम क्षेत्र छोड़ना होगा। अधिकांश राज्यों में भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए निर्धारित किया गया समय बीत चुका है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बटाईदारी की अनुमति नहीं है। कुल उत्पादन में से बटाईदारों को मिलने वाला हिस्सा जिसकी व्यवस्था विभिन्न कानूनों में है, इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश-तेलंगाना क्षेत्र : 1/5 से 1/4; आन्ध्र क्षेत्र : 28-1/2 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ; असम : 1/5; बिहार : 1/4 ; गुजरात (सौराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर): 1/6 ; हरियाणा : 1/3 ; हिमाचल प्रदेश : 1/4 ; केरल : 1/4 से 1/6 ; महाराष्ट्र : 1/6 ; मैसूर : 1/4 से 1/5 ; मनीपुर : 1/4 से 1/5 ; उड़ीसा : 1/4 ; पंजाब : 1/3 ; राजस्थान : 1/6 ; तमिल नाडू : 33-1/3 प्रतिशत से 40 प्रतिशत ; त्रिपुरा : 1/4 ; पश्चिम बंगाल : 1/4 से 1/2

आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र), असम, गुजरात (सौराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर), केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान राज्यों में काश्तकारों को जिसमें बटाईदार भी सम्मिलित हैं, स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बटाईदारों के सुरक्षण और उनकी बेदखली को रोकने के लिये उचित कदम उठायें।

(ख) से (घ) अनुमान है कि 35 लाख काश्तकारों, जिनमें बटाईदार भी सम्मिलित हैं, ने देश में 33 लाख हैक्टर भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर लिय हैं।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना

6542. श्री रामशेखर सिंह :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 9 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम शीघ्र ही बनाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(क) विवरण संलग्न है जिसमें विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का हिन्दी में निर्माण करने के लिऐ हिन्दी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों के चौथे सम्मेलन द्वारा आयोजित 9 मार्च, 1973 को उसकी बैठक में की गई सिफारिशें दी गई हैं ।

(ग) सिफारिशें सभी राज्य सरकारों और हिन्दी भाषी राज्यों की ग्रन्थ अकादमियों को उनके मार्गदर्शन व अनुपालन के लिए भेज दी गई है । भारत सरकार ने भी विभिन्न सिफारिशों को विचारार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया है ।

विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री की टिप्पणियों और अनुसरण की गयी परिचर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

1. हिन्दी भाषी राज्यों में कुलपतियों को चाहिए कि वे पत्रिकायें, डाइजेस्ट्स और सार का प्रणयन तथा प्रकाशन करने की सर्वोत्तम पद्धति के संबंध में अपने सुझाव अध्यक्ष, वे० त० श० आयोग को भिजवा दे, ताकि उन्हें संचालन समिति के विचारार्थ रख सकें और तदनुसार कार्यवाही की जा सके ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवदन किया जाय कि वह विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्याओं में एक प्रकार की एकरूपता लाने का कुछ प्रयास करें । 10-2-8 वर्ष की पद्धति भी सभी विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

3. विषय नामिकाओं की बैठकें विभिन्न राज्य केन्द्रों में होनी चाहिए और भाग लेने वालों को देय यात्रा और दैनिक भत्ते आदि संबंधित क्षेत्र की अकादेमी द्वारा दिया जाना चाहि ।

4. मौलिक पुस्तकें लिखने पर बल दिया जाना चाहिए । ऐसी पुस्तकों के लिए अकादेमियां द्वारा संपादक मंडलों का गठन किया जाना चाहिए और राज्य के भीतर और बाहर उपलब्ध सर्वोत्तम विद्वानों को लेखन में सहयोजित किया जाना चाहिए । ऐसी पुस्तकों की विषय-वस्तु की इस कार्य के लिए संयोजित संगोष्ठियों में भी विचार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए । लेखकों को प्राय: रायल्टी के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए । पाठ्यचर्यानिकायों (रीडिंग्स) का भी संकलन किया जाना चाहिए ।

5. संचालन समिति की बैठके विभिन्न राज्य-केन्द्रों में जल्दी-जल्दी होनी चाहिए ।

6. पुस्तकों के निर्माण पर आने वाली लागत के लिए भारत सरकार सहायता देकर पुस्तकों की कीमत कम रखवाए और केवल पाण्डुलिपि तैयार होने के बाद के व्यय को ही जोड़कर कीमत निर्धारित की जाए ।

7. विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे प्रत्येक अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियां खरीदे । राज्य सरकारों को चाहिए कि वे कालेजों को दिये जाने वाले पुस्तकालय अनुदान का एक भाग अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के रूप में देने के प्रश्न पर विचार करे ।

8. सरकार को चाहिए कि वह हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय बिक्री संगठन की स्थापना के प्रश्न पर विचार करें ।

9. हिन्दी ग्रंथ अकादमियां को चाहिए कि वे सरकारी और गैर सरकारी साधनों से उपलब्ध विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का सर्वेक्षण अध्ययन मंडलों के प्रमुखों और राज्य-विषय नामिकाओं की सहायता से करें। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अभावों की पूर्ति और बाद के संस्करणों में सुधार करना होना चाहिए ।

10. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को चाहिए कि वह हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की विषयवार सूचियां विभिन्न विश्वविद्यालयों के संबंधित विभागाध्यक्षों में समय समय पर परिचालित करें ताकि वे उन्ह संस्तुत/निर्धारित करवा सकें ।

11. विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे हिन्दी में पुस्तकें उपलबध न होने के आधार पर माध्यम परिवर्तन को स्थगित नहीं करें। उन्हें चाहिए कि वे शैक्षिक वर्ष 1973-74 से सभी स्तरों पर हिन्दी को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम स्वीकार कर लें ।

12. भारत सरकार को चाहिए कि वह पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ से अनुरोध करें कि वह हिन्दी को शिक्षा और परीक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाना स्वीकार कर ले ।

दिल्ली के हस्पतालों में देर तक प्रतीक्षा और कम ध्यान देना

6543. श्री देवेन्द्र सिंह गरवा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 मार्च, 1973 के 'संडे स्टन्डर्ड' में "लांग वेट, लिटल एटेंशन इन हास्पिटल्ज इन दिल्ली" "दिल्ली में अस्पतालों में देर तक प्रतीक्षा और कम ध्यान देना" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दवारा एक अमरीकी विशेषज्ञ बुलाया गया था जिसने सिफारिश की थी कि यदि डाक्टर अपने व्यवसाय और रोगियों के साथ न्याय करना चाहता है तो उसे एक घंटे में 6 से अधिक रोगी नहीं देखने चाहिए, और

(ग) क्या उक्त सिफारिश के संदर्भ में डाक्टरों की संख्या बढ़ायी जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) डा० जे० आर० मैकगिबोनी अस्पताल प्रशासन के क्षेत्र में परामर्शदाता के रूप में दो वर्ष के लिए भारत आए थे । उन्होंने अक्तबर, 1961 में एक रिपोर्ट पेश की थी । परंतू इस रिपोर्ट में ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है ।

(ग) बाहरी रोगी विभागों में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर कार्यभार और उपलब्ध साधनों को दे ते हुए विचार किया जाता है ।

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का अनाज जोन स्थापित करने के लिये दिल्ली प्रशासन का अनुरोध

6544. **श्री देवेन्द्र सिंह गरवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्यान्नों को निर्बाध रूप से आने की अनुमति देने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को मिला कर एक अनाज जोन स्थापित करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से कहा है क्योंकि दिल्ली उत्पादन क्षेत्र न होकर मात्र उपभोक्ता केन्द्र है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) जहां तक चावल का सम्बन्ध है, दिल्ली उत्तरी चावल क्षेत्र में है जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ और दिल्ली शामिल है। मोटे अनाजो के बारे में स्थिति यह है कि पंजाब से मक्का और हरियाणा से बाजार और मक्का के निर्यात पर प्रतिबध है।

दिल्ली प्रशासन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि गेहू का अलग क्षेत्र बनाने के लिए दिल्ली को हरियाणा के साथ जोड़ा जाए। तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अन्तर-क्षेत्रीय गहूं तथा गेहूं उत्पाद (संचलन और नियन्त्रण) आदेश, 1973 के अधीन दिल्ली अपने आप में गहूं का एक अलग क्षेत्र है।

Special pools formed for allotment to Government quarters in the Central Government Departments

6545. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the names of the Government departments, for which special pools have been formed for allotment of Government quarters to the Central Government employees in Delhi/New Delhi and the number of Government quarters made available to these Departments for special pools annually;

(b) whether his Ministry have under consideration any proposal to form special pools of Government quarters for some more Government Departments situated in Delhi/New Delhi; and

(c) if so, the names of those Government Departments and the number of Government Quarters proposed to be made available to those Departments annually and during the current years ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) It is not the policy to form special pools for different Government Departments and to place residential units at their disposal for allotment to their employees. However, general pool quarters have been placed at the disposal of such of the Ministries/Departments as have got their departmental pools to augment those pools. The number of quarters placed at the disposal of such Departments as have got their own separate pools is as under :—

S. No.	Name of the pool	Quarters placed
1	Defence Pool	1099
2	CGHS/Hospitals Pool	530
3	Delhi Administration (I. G. Police) Pool	493

Besides 1100 quarters from the general pool have been set apart to constitute the Government of India Press (Minto Road) Pool.

(b) and (c) It has been decided to create a separate pool for the employees of the Lok Sabha Secretariat which will be administered by that Secretariat. 342 residential units which are at present in occupation of the employees of the Lok Sabha Secretariat in various types have been included in the said pool. There is no proposal to have separate pools for other Departments at present under consideration. At present there is no intention to place the quarters annually at the disposal of the Lok Sabha Secretariat as that Secretariat will now be responsible for getting the houses constructed for their employees.

Third registration for houses to be constructed by D.D.A.

6546. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether Delhi Development Authority is going to implement its land development and building construction scheme at many new places in the Union Territory of Delhi in the coming years;

(b) If so, the names of those places and the number and size of residential plots proposed to be developed there and sold and the number of Houses proposed to be constructed there and sold;

(c) Whether these new residential plots would be sold by auction in the size of more than 200 sq. yards each as were sold earlier or would be sold in smaller sizes by lottery system; and

(d) The date from which third registration for the houses to be constructed at these new places would be started ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Development Authority would implement its development schemes at following places :—

(i) Pritampura,

(ii) Bodella,

(iii) Shalimar Bagh Blocks A & B,

(iv) Paschimpuri,

(v) Dilshad Garden, and

(vi) Gonda.

The number and sizes of various plots and houses to be constructed have not yet been determined as the schemes are at the planning stages.

(c) Plots measuring more than 200 sq. yards would be sold by public auction.

(d) The third registration scheme may be opened after the demand of persons registered under the earlier registration schemes has been substantially met.

Sugar mills set up during fourth five year plan

6547. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of Sugar Mills which were scheduled to be set up during Fourth Five Year Plan period;

(b) The extent to which the said target has been achieved and the number of these sugar mills, Statewise; and

(c) The number of sugar mills located in private sector and public sector out of the sugar mills set up so far separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) 63 letters of Intent/Licences have been issued so far against the Fourth Five Year Plan target for the establishment of new sugar factories.

(b) & (c) A statement giving the number of Letters of Intent/Licences issued against Fourth Plan target and the extent to which to the said target has been achieved, Sectorwise and Statewise, is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 4770/73.]**

Investigation into the death of ex-scientist of Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi

6548. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether orders were issued by the Central Government to investigate into the causes leading to mysterious death of Shri Shah, a scientist of Indian Agricultural Research Institute last year; and

(b) whether a report in regard to the said investigation has been received by Government and if so the causes of the death of late Shri Shah and whether any person has been held responsible for his death and if so, the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Scheme for Financial Assistance for animal husbandry and milk scheme

6549. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme of the Government to provide financial assistance to the individuals under the animal husbandry and milk scheme;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) whether such financial assistance would provide encouragement and boost the interest of individuals especially farmers ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes. Under the Intensive Cattle Development Projects, S. F. D. A. & M. F. A. L. Programmes and Dairy Schemes, loans are advanced for purchase of milch animals and also subsidy for rearing of calves is provided.

(b) Under the Intensive Cattle Development Projects, provision has been made for giving financial assistance to Cooperatives including individual cattle breeders in the form of advancement of loans for purchase of milch animals and subsidy for rearing of calves to ensure their proper feeding. The Intensive Cattle Development Programme is a comprehensive Cattle Development Scheme; simultaneously attending to all aspects of cattle Development such as breeding, feeding, animal health cover and Dairy extension activities besides organisation of Milk Producers' Cooperatives in a planned and coordinated manner. Each Project covers a breedable population of one lakh cows/she buffaloes and is linked up with a milk supply scheme to ensure marketing of milk produced in the project area.

Under the Small Farmers Development Projects and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Projects, a subsidy of 25 % towards the capital cost of two milch cattle, transportation charges and cattle sheds is provided to small farmers having holdings generally from 1 hectatre to 3 hectares. A subsidy of 25%

has been allowed for feed to heifers up to the age of maturity. To the Marginal Farmers having holdings below 1 hectare and landless Agricultural Labourers, a subsidy of 33⅓% is being given for these items. Under the Fourth Plan, 46 Small Farmers Development Projects and 41 Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Projects haave been set in various parts of the country for the benefit of Small Farmers, Marginal Farmers and Agricultural Labourers. Up to the end of January, 1973, 22,570 Dairy Units and 2,655 Poultry Units have been set up with assistance from these Agencies.

(c) Yes.

गर्भपात की सुधरी हुई प्रणाली के लिये अनुसंधान

6550. **श्री बरके जार्ज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भपात की सुधरी हुई प्रणाली के लिये, जैसा कि अब ब्रिटेन में प्रयुक्त की जा रही है, कोई अनुसंधान कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के० किस्कु) : (क) और (ख) ब्रिटेन में प्रयुक्त की जा रही गर्भपात की सुधरी हुई विधियां इस प्रकार हैं :—

(1) सक्शन क्यूरेटेज, और

(2) प्रोस्टेग्लण्डिन्स

सक्शन क्यूरेटज एक सुप्रमाणित विधि है और यह सर्वत्र अपना ली गई है। इस विधि के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा द्वारा गर्भ समाप्त करने वाले भारत के अनेक अस्पतालों में इसको प्रयुक्त किया जा रहा है।

प्रोस्टेग्लैण्डिन्स का क्लीनिकों में परीक्षण हाल ही में भारत के छः विभिन्न केन्द्रों में प्रारम्भ किया गया है और यह काम अभी प्रारम्भिक चरण में है। अतः अभी इसके निर्णयात्मक अथवा विस्तृत परिणाम नहीं बतलाये जा सकते।

भारत और विश्व के खेलों पर गोष्ठी

6551. **श्री बर्के जार्ज :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में मार्च, 1973 के दौरान भारत और विश्व के खेलों पर कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इस गोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) "भारत और विश्वखेल" पर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) आयोजकों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार चर्चा के बाद निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई थी :—

(1) विश्वविदयालय अनुदान आयोग की पदधति पर एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल बोर्ड की स्थापना की जाए;

(2) यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय क्रीडा-क्षेत्र संगठन की पदधति पर क्रीडा-क्षेत्रों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाए ;

(3) प्रत्यक शक्षिक संस्था में योग्य शारीरिक शिक्षा कार्मिक नियुक्त किए जाएं ;

(4) स्कूलों और कालेजों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य बना दी जाए ;

(5) स्कूलों और कालेजों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं ;

(6) राष्ट्रीय खेल कोष स्थापित किया जाए ; और

(7) 1976 के ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने वालों के चयन के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए होनहार खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में कृषि उत्पादन पशुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को सहायता देने के लिये पृथक् विभाग

6552. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना, रायलसीमा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन, पशु पालन को प्रोत्साहन देने का पुनर्विलोकन करने और इस हेतु राज्यों की सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के अधीन पृथक विभाग बनाये जा सकते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पांचवीं योजना के दौरान ऐसे विभाग बनाये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1973-74 के दौरान अग्रिम कार्यवाही की जायगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस उद्देश्य से राज्य-वार सैल बनाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान को सप्लाई किया गया आयातित गेहूं

6553. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को आयातित गेहूं सप्लाई किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान राज्य को अप्रैल, 1973 के अन्त तक कितना आयातित गेहूं दिया गया है ; और

(ग) क्या राजस्थान राज्य को सप्लाय किया गया आयातित गेहूं खराब पाया गया है ; और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख) जनवरी, 1973 स राजस्थान की जरूरतें अब तक देशी स्टाक से पूरी की गई हैं लेकिन मार्च, 1973 के दौरान रोलर फ्लोर मिलों को 568 मी० टन आयातित गेहूं सप्लाई किया गया था ।

(ग) सप्लाई किया गया आयातित गेहूं बढ़िया हालत में था ।

House Building Advance to States for Advancing Loans to people of Middle Income Group and Lower Income Group

6554. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government of India provide funds to the State Governments for advancing loans to the people of Middle-income and Low-income Groups for building houses;

(b) if so, the funds provided, State-wise, during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73, separately;

(c) whether Government of Bihar and some other State Government have demanded an increase in this fund in view of day-to-day increase in the prices of building material; and

(d) if so, Government's reaction in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The following three social housing schemes introduced by the Ministry of Works and Housing provide for grant of long-term loans for construction of houses for the people in the low and middle income groups :—

(i) Low Income Group Housing Scheme.

(ii) Village Housing Projects Scheme.

(iii) Middle Income Group Housing Scheme.

All these schemes are in the State Sector of the Plan. During the Fourth Plan period, Central assistance for the State Plans is given in the form of "block loans" and "block grants" which are not tied to individual schemes of development. The State Governments are free to allocate any amount of funds according to priorities and requirements to be determined by them, depending on their resources including the Central assistance. No funds are given to the State Governments specifically for any particulars housing scheme and programme, which are in the State Sector.

In view of the position stated above, the question of provision of Central funds, State-wise, during the three years, 1970-73, under these housing schemes, does not arise.

(c) and (d) Neither the Planning Commission nor this Ministry appear to have received any reference on the subject either from the Bihar Government or from any other State.

Benefit to Rich Farmers from Block Development Schemes

6555. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the rich farmers, and not the poor and middle class farmers, are reaping the benefits of the Block Development schemes in the States ;

(b) if so the reasons therefor; and

(c) the scheme implemented or proposed to be implemented with a view to enable the poor and middle class farmers to take the maximum benefit from the Block Development works ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) & (b) No, Sir. The Community Development Programmme launched in 1952 seeks to secure the fullest development of the material and human resources

of the area and thereby raise the rural community to higher levels of living with the active participation and the initiative of the people themselves. The programme aims at an integrated development of rural areas through productive activities like agriculture, animal husbandry, minor irrigation, land development and amenities programmes like education, health and sanitation, water supply and makes no distinction between the rich and the poor. In fact it is urged that agriculture demonstrations should be held in small farmers fields and special care should be taken to look to the small farmers needs.

(c) Recently schemes like 'Small Farmers Development Agencies' and 'Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies' have been introduced during the Fourth Plan for generating employment and additional income in the rural areas. They have been designed to reach the weaker sections, in fulfilment of the policy of social justice.

रबी और खरीफ की फसलों पर छिड़काव के लिये विमानों की संख्या

6556. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में आगामी खरीफ और रबी की फसलों पर विमान द्वारा छिड़काव शुरू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों पर इस तरह की छिड़काव का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों पर छिड़काव के लिये विमानों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे विमानों की अपेक्षित संख्या तत्काल प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1973-74 के दौरान 20.24 लाख हेक्टार क्षेत्र पर विमान द्वारा छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है। विमान द्वारा छिड़काव कार्यक्रमों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है और य छिड़काव कृषि विमानन निदेशालय और निजी प्रचालकों के विमानों से किये जाते हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए विमानों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करनी होगी ।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, बंगलौर द्वारा बनाये गये विमान प्राप्त करने के अलावा स्थिर पंखे वाले विमान (फिक्स्ड विंग) का आयात करके विमानों की वर्तमान कमी को पूरा करने का प्रस्ताव है ।

ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन

6557. **श्री एम० एम० संजीवी राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

कृषिमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) शीघ्र ही ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये कच्छ की खाड़ी का सर्वेक्षण

6558. **श्री वेंकारिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय गहन समुद्र मीन ग्रहण संगठन के जलयान समय समय पर कच्छ की खाड़ी में मछलियों की उपलब्धि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करते रहे हैं। ये सर्वेक्षण खाड़ी के क्षेत्रों में और समीपवर्ती खुले समुद्र में किए गए हैं। प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि उस क्षेत्र में अच्छी किस्म की मछलियां और पान मछलियां सामान्य मात्रा में प्राप्त है। इस क्षेत्र में नियमित और क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से कांदला में एक सर्वेक्षण एकक स्थापित करने के विषय में प्रबंध किए जा चुके हैं।

भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का विरोध

6559. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :**
श्री वाई एस० महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का जोरदार विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा संघ इस योजना का किन आधारों पर विरोध कर रहा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा संघ तथा अन्यों द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण नहीं किया जाना चाहिये।

(ii) इस योजना से अशिक्षित और अप्रशिक्षित डाक्टरों को लुके-छिपे मान्यता मिलती है।

(iii) अप्रशिक्षित लोगों को पारिश्रमिक देने की बजाय सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों आदि के साथ सम्बद्ध किये जाने वाले चिकित्सकों को मानदेय देना चाहिए।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अपर्याप्त और खर्चीला ही नही है अपितु वह अवांछनीय और पतनोन्मुखी भी है तथा इस से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(v) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों के पास इतना समय तथा इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वे इस विषम वर्ग के डाक्टरों के काम की देख-रेख कर सकें।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक सुविधाएं प्रदान करना अधिक अच्छा होगा जिससे कि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कोई आपत्ति न हो। यदि ऐसा नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद आदि की एक समानान्तर योजना चलाई जाए।

(vii) इस योजना को चलाने की बजाए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए चिकित्सा स्नातकों पर दबाव डालना चाहिये तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन से बांड भरा लेने चाहिये।

(ग) भारतीय चिकित्सा संघ तथा अन्यों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों और सुझावों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है तथा योजना में समुचित संशोधन कर दिये गये हैं।

मैसूर राज्य से चारे के लिये अनुरोध

6560. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मैसूर राज्य ने राज्य में चारे की सप्लाई के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि सुखे के कारण उत्पन्न हुई चारे की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मैसूर राज्य ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिये अनुरोध किया था, जिससे कि पशु-आहार तथा चारे के संग्रहण तथा संचलन पर प्रतिबंध लगाये जा सकें। तदनुसार इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिये मैसूर राज्य को अधिकार दे दिये हैं। प्रारम्भ में 31-1-1973 तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाये गये थे परन्तु बाद में यह अवधि 31-3-1973 तक बढ़ा दी गई थी। राज्य सरकार ने इस महीने में इन प्रतिबंधों की अवधि को और आगे तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसपर विचार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने राज्य में पशु-आहार तथा चारे के संचलन के लिये भाड़ों में रियायत देने की स्वीकृति दे दी है।

मत्स्य बन्दरगाहों का विकास

6562. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में कितनी और कौन कौन सी मत्स्य बन्दरगाहों का विकास किया जायेगा ;

(ख) या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करने की गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू योजना के दौरान लगभग 70 स्थानों पर मत्स्य जलयानों के ठहरने के लिए छोटे पैमाने पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। किन्तु चालू योजना के दौरान स्वीकृत किये गये अथवा विकसित किये जा रहे बड़े मत्स्य पत्तन मद्रास, बम्बई, कोचीन, तूतीकोरिन, रायचौक, विझिन्झम्, करवाड़, पोर्ट ब्लेयर, वेरावल, वलियापतनम तथा कन्नानोर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य केन्द्रों पर बड़े पैमाने के मत्स्य पत्तनों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है और विशाखापतनम, पारादीप, माल्पे, होन्नावर, रत्नागिरी, दिघी, सतपती, धामड़ा, नीन्दाकारा, काकीनाडा, निजामापतनम तथा नरसापुर के लिए योजनाएं तथा अनुमान तैयार किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) विशाखापतनम, मद्रास, बम्बई, कोचीन, तूतीकोरिन, रायचौक, विझिन्झम, करवाड़, पोर्ट ब्लेयर, पारादीप, माल्पे तथा नीन्दाकारा के पत्तन, गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिये सुविधाएं प्रदान करने के लिये बनाये गये हैं, जबकि होन्नावर, रत्नागिरी, दिघी, सतपती, धामड़ा, काकीनाडा, वेरावल, वलियापतनम तथा कन्नानोर के पत्तन तट से दूरी पर मछली पकड़ने वाले मध्यम आकार के जलयानों के लिए उपयुक्त हैं। ये पत्तन यन्त्रीकृत छोटी नौकाओं तथा तटदूर या गहन समुद्र में मछली पकडने के बडे जलयानों के लिए होंगे। इन पत्तनों के डिजाइन इस प्रकार के बनाये गय है के इनमें केवल मत्स्य जलयानों के ठहरने की ही व्यवस्था नही है, बल्की पकडी हुई मछलियों के रखने के लिए भी सुविधाओं की व्यवस्था है। अधिकांश पत्तनों पर ड्राई डाकिंग तथा मरम्मत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

निरक्षरता दूर करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन

6563. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बढ़ती हुई निरक्षरता को ध्यान में रखते हुये स्वयंसेवी संस्थाओं को मान्यता देने तथा उन्हें पर्याप्त धन का नियतन करने का सरकार का विचार है ताकि वे जिम्मेदारी ले सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार का विचार किस रूप में प्रोत्साहन देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) इस बात को स्वीकार करते हुये कि प्रौढ़ शिक्षा।प्रौढ़ साक्षरता के प्रभार में स्वैच्छिक संगठन योग दे सकते हैं, उन्हें, ौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता नामक योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसी सम्भावना है कि यह योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखी जायेगी।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विस्फोट

6564. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 के दूसरे सप्ताह में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कोई विस्फोट की घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "14 मार्च 1973 को रात को लगभग 11.30 बजे जब रजिस्ट्रार अपने घर आये तब वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ था। वह कार से बाहर आए और घर की ओर तेजी से दौड़े। दो मिनट बाद कुछ और लोग भी बाहर आए और उन्होंने देखा कि सड़क पर कार के बाई तरफ कोई चीज विस्फोटित हुई थी। कागज तथा सुतली के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे। दरवाजे के निकट सड़क पर दाई और कोई वस्तु पड़ी हुई थी जो देसी बम की तरह लग रही थी। इस पर अच्छी तरह से सुतली लपेटी हुई थी। इसकी सूचना संरक्षक के कार्यालय तथा पुलिस को दी गई थी वे वहां आए और उन्होंने वह वस्तु अपने कब्जे में ले ली जिसे बम समझा जाता था। उन्होंने विस्फोटित वस्तु के टुकड़े भी अपने कब्जे में ले लिये। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।"

बिहार में कोसी नहर क्षेत्र के छोटे तथा सीमांत किसानों को पम्पिंग सेट तथा ट्रैक्टरों का सप्लाई किया जाना

6565. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नहर क्षेत्र में कुल कितने पंजीकृत छोटे तथा सीमान्त किसान हैं और बिहार राज्य में 1971-72 और 1972-73 के दौरान उन्हें कुल कितने पम्पिंग सेट तथा ट्रैक्टर सप्लाई किये गय हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार स सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

1971-72 और 1972-73 के दौरान कोसी नहर क्षेत्र के छोटे किसानों को सप्लाई किया गया उर्वरक

6566. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 और 1972-73 के दौरान कोसी नहर क्षेत्र के छोटे किसानों को उर्वरक (एमुनियम सल्फट और यूरिया) की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गयी है ; और

(ख) उसका वर्षवार विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) कोसी नहर कमांड क्षेत्र में 1971-72 और 1972-73 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक की कितनी मात्रा की पूर्ति की गई, इसकी सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दीजाय ी।

सूखा ग्रस्त रहने वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिये एक सूखा नियंत्रण बोर्ड/आयोग की स्थापना

6567. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर सूखा नियंत्रण बोर्ड अथवा आयोग स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान बिहार में कोसी नहर के क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अधीन रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

6568. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान बिहार राज्य के कोसी नहर क्षेत्र में कुल कितनी योजनायें चलायी गयी और कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा ऐसी योजनाओं के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कांडला में यातायात में सुधार

6569. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के कांडला मुख्य पत्तन में 1972 के दौरान यातायात में पर्याप्त सुधार हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1971 में 18.05 लाख टन की तुलना में 1972 के दौरान कांडला पत्तन ने 23.83 लाख टन की कुल धरा उठाई की इस तरह 32 प्रति शत की वृद्धि हुई ।

कोहरे के कारण गुजरात में फसल को हुई हानि की जांच

6570. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात राज्य के कुछ भागों में कोहरे के कारण 6.92 करोड़ रुपये की फसल की हानि पहुंची है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वैज्ञानिकों को कारणों की जांच तथा ऐसी स्थिति का निवारण करने सम्बन्धी सुझाव देने के लिये कहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । जनवरी, 1973 के दौरान पाले के कारण विभिन्न फसलों की हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है जो राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित है ।

(ख) जी नहीं, राज्य सरकार ने मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। तथापि, योजना आयोग, वित्त, निर्माण तथा आवास एवं कृषि मंत्रालयों के प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल ने जिसने 22 से 26 फरवरी, 1973 तक राज्य का दौरा किया था, राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वे चना, जो, सरसों आदि ऐसी फसलें उगायें, जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है ।

विवरण

जनवरी, 1973 के दौरान गुजरात में पाले के कारण विभिन्न फसलों को हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला विवरण ।

क्रम सं०	फसल का नाम	क्षेत्र लाख हेक्टारों में (अनुमानित)	क्षति लाख रुपयों में (अनुमानित)
1	कपास	1.46	332
2	एरेंड	0.12	58
3	तम्बाकू	0.06	50
4	गेहूं	0.17	83
5	सब्जी	0.30	63
6	अन्य फसलें	0.21	81
7	चा रे की फसलें	0.05	25
		2.37	692

(अन्य फसलों में तोरिया, सफेद जीरा, बड़ी सोंफ, तुर आदि सम्मिलित हैं)

मध्य आय वर्ग के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये फ्लेटों का मूल्य

6571. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के बने बनाये फ्लैटों के इच्छुक ग्राहकों के लिये रजिस्ट्रेशन (द्वितीय रजिस्ट्रेशन) नियम की धारा 11 का अवलोकन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मध्य आय वर्ग के लिये बने बनाये फ्लैटों का मूल्य 35,000 रुपये (पैंतीस हजार रुपयें) होगा ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रजौरी गार्डन क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्रत्येक फ्लैट 40,000 रुपय में बेंचा गया और मालवीय नगर तथा मनोरका क्षेत्र में इसकी लागत और भी अधिक होने की संम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन फ्लैटों की कीमत कम करने के लिय क्या कदम उठा जा रहे है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) :

(क) जी, हां । तथापि, उल्लिखित लागत लगभग है ।

(ख) राजोरी गार्डन के फ्लैट 40,000 /- रुपयं प्रति फ्लैट की कीमत से अधिक पर नहीं बेचे गऐ । फ्लैटों का बिक्रय मूल्य इस प्रकार था :—

(i)	निचली मंजिल	40,000/- रुपये
(ii)	पहली मंजिल	37,500/- रुपये
(iii)	दूसरी मंजिल	38,000/- रुपये

मालवीय नगर तथा मुनीरका के फ्लै ों के बिक्रय मूल्य का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है ।

(ग) फ्लैटों के बिक्रय मूल्य में मकानों को अधिक आरामदेह और आकर्षक बनाने के लिए निर्माण की लागत, प्लान में परिवर्तनों और कुर्सी क्षेत्र तथा सीवर लाईन बिजली आदि जैसी बाह्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लगाई गई पूंजी का हिसाब लगाया जाता है । यद्यपि बिक्रय मूल्य उपर्युक्त बातों पर निर्भर है, फिर भी फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि को कम से कम करने के प्रयत्न किए जाते है ।

परिवहन विकास परिषद् का राष्ट्रीय राजपथों से शराब की दुकानों को हटाने संबंधी सुझाव

6572. **श्री आर० के० सिंहा :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद् से प्राप्त राष्ट्रीय राजपथों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति न देने संबंधी सुझाव के अनुसार वर्तमान दुकानों को हटाकर अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सरकार ने शुरू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी दुकानें हटायी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा): (क) से (ग) लायसेंस शुदा शराब की दुकानों की मुख्य राजमार्गों से दूर हटाने के संबंध में परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासनों को विचारार्थ बता दी गयी है । सिफारिश पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में उनसे उत्तर की प्रतीक्षा है ।

Return of Indian Archaeological Material kept in London Museum

6573. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether famous Indian archaeological material has been kept in London Museum by the British Government;

(b) whether after independence the Government of India has requested the British Government to return them to India; and

(c) if so, the description of these articles and whether Government would lay a copy thereof on the Table of the Sabha?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Many important pieces of Indian antiquarian interest are avaible in different Museums in London.

(b) No, Sir.

(c) It will be difficult to compile such a description list.

National Highway from Bhopal to Ahmedabad via Indore

6574. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a National Highway from Bhopal to Ahmedabad via Indore, and

(b) if so, the time by which this scheme i likely to be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) (a) & (b) : The ;road falls in the States of Madhya Pradesh and Gujarat. In response to a general circular letter inviting proposals for new additions to the National High way System during the Fifth Five Year Plan, both these States have included the respective portions of the road falling in their States in the proposals submitted by them. A good road already exists between Ahmedabad and Bhopal along this route. The question of declaring this route as a National Highway will be considered along with similar other proposals from various others States. Since the formulation of the Fifth Five Year Plan is in a formulative stage it is not possible to give any precise details in respect of any individual scheme at the moment.

गाय के गोबर से प्रोटीन तैयार करना

6575. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाय के गोबर से प्रोटीन तैयार किया जा सकता है ;

(ख) क्या इस प्रोटीन का उपयोग पशु, सुअर और मुर्गों के पोषण के लिए किया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार इससे लाभ उठाने की योजना बना रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में गोबर और गोबरसे पानी निकाल कर उसके अवशिष्ट अंश का कुक्कुटों के आहार के लिए प्रयोग किया गया । उनके आहार में इसकी मात्रा 10 प्रतिशत रखी गई । इसके परिणामस्वरूप उनकी वृद्धि

तथा अंडों का उत्पादन संतोषजनक रहा । फिर भी, सेक्स हारमोन मौजूद होने के कारण गोबर पर पले चूजों में उत्तेजना का आभास पाया गया है । इसे प्रक्रियागत करने की लागत अधिक होने और सैक्स हारमोन की प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुर्गियों के आहार विनिर्माताओं ने आहार में एक अंश रूप में उसका इस्तेमाल शुरु नहीं किया है ; सूअरों और पशुओं के आहार के लिए गोटर के उपयोग के संबंध में कोई अनुसंधानकार्य नहीं किया गया है ।

(ग) इस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

Withdrawal of Private Buses Working under DTC Operation

6576. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether some of the private buses working under D.T.C. operation have been taken off the roads of Delhi during the last three months ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the reasons for taking them off the roads.

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir,

(b) 85.

(c) The buses were hired specifically to cater to the traffic requirements of Asia '72. After this Fair was over, the hiring agreements in respect of the buses were terminated.

भूमि की अधिकतम सीमा लागू किये जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा कब्जे में ली गई भूमि और उसका भूमिहीनों को वितरण

6577. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा कानून के लागू किये जाने के बाद राज्य सरकारों के कब्जे में वास्तव में कितनी हैक्टर जमीन आयी है ;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी हैक्टेर जमीन वितरित की है ;

(ग) अब तक प्रत्येक राज्य में कितने भूमिहीन परिवारों को जमीन मिली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत कई वर्षों के दौरान जोत की अधिकतम सीमा कानूनों के लागू होने के फलस्वरुप 1042.5 हजार हैक्टार अधिशेष भूमि उपलब्ध हुई थी, जिसमें से 531.6 हजार हैक्टार भूमि का वितरण किया जा चुका है । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विवरण

(000 एकड़ में)

राज्य	अधिशेष क्षेत्र	वितरित किया गया अधिशेष क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	74	कुछ नहीं
असम	68	1
बिहार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
गुजरात	50	25
हरियाणा (पेप्सू क्षेत्र)*	170	65
जम्मू तथा कश्मीर	450	450
केरल	10	1.8
मध्य प्रदेश	84	13
महाराष्ट्र	271	123
मैसूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उड़ीसा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पंजाब (पेप्सू क्षेत्र)*	178	64
राजस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
तमिल नाडु	25	17
उत्तर प्रदेश	241	121
पश्चिम बंगाल	794	375
योग	2415 (अथवा 977.3 हजार हैक्टार)	1255.8 (अथवा 508.2 हजार हैक्टार)
हाल ही में प्राप्त हुई अतिरिक्त जानकारी		
बिहार	7.7	0.8
दिल्ली	8.5	कुछ नहीं
दादरा तथा नगर हवेली	2.9	कुछ नहीं
पश्चिम बंगाल	142.0	57.0
योग	161.1 (अथवा 65.2 हजार हैक्टार)	57.8 (अथवा 23.4 हजार हैक्टार)
कुल योग	2576.1 (अथवा 1042.5 हजार हैक्टार)	1313.6 (अथवा 531.6 हजार हैक्टार)

*इन आंकड़ों के संकलन के समय हरियाणा तथा पंजाब (नान पेप्सू क्षेत्रों) में जोतों पर अधिकतम सीमा लागू नहीं थी ।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

6578. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कमल किशोर मधुकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक तथा सेकेण्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग, 1965 की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : आयोग की सिफारिशों सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थी । भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 1968 में एक राष्ट्रीय नीति संकल्प भी स्वीकार किया था ।

शिक्षा एक राज्य विषय होने के नाते, भारत सरकार का प्रमुख कार्य राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा से संबंधित विषयों पर सलाह और सहायता देना है । शैक्षिक अवसरों की समानता, स्कूल शिक्षा की पद्धति, अध्यापकों के स्तर आदि से सम्बन्धित कोठारी आयोग की सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके पास उपलब्ध धन तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कार्यान्वित की गई हैं । अधिकतर राज्यों ने, अध्यापकों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कोटि में सुधार स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव लागू करना, पाठ्यचर्याओं का पुनर्गठन, स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य-पुस्तकों, अध्यापक मार्ग दर्शिकाओं आदि को अपनाकर, और स्कूल प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का विशेष रुप से कार्य किया है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने समाज के निर्धन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के वास्ते अतिरिक्त धन स्वीकृत किया है ।

ग्राम्य क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार

6579. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक प्रति दस हजार जनसंख्या पर डाक्टरों की औसत संख्या क्या है ;

(ख) राज्य-वार नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक प्रति दस हजार जनसंख्या अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या क्या है ; और

(ग) ग्राम्य क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :(क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाक्टर जनसंख्या के अनुपात तथा पलंग जनसंख्या के अनुपात से संबंधित अलग अलग राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये सम्मिलित आंकड़ों का एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ग) चतुर्थ पंचवार्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान 200 चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों को 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पतालों में बदलने की एक योजना विचाराधीन है । यदि यह कार्यान्वित हो गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5000/6000 पलंग बढ़ जायंगे ।

विवरण

प्रति 10 हजार जनसंख्या पर भारत में पलंगों और डाक्टरों की औसत संख्या का राज्यवार विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पलंग—जनसंख्या अनुपात (1969) (प्रति 10,000)	डाक्टर—जनसंख्या अनुपात (1970) (प्रति 10,000)
1. आन्ध्र प्रदेश	4.5	2.0
2. असम	4.4	3.2
3. बिहार	2.6	1.6
4. गुजरात	4.3	2.0
5. हरियाणा	5.6	**
6. हिमाचल प्रदेश	10.8	**
7. जम्मू व कश्मीर	10.0	**
8. केरल	9.2	2.1
9. मध्य प्रदेश	3.8	0.5
10. महाराष्ट्र	6.8	3.9
11. मनीपुर	8.8	1.0
12. मेघालय	*	*
13. मैसूर	8.5	1.9
14. नागालैंड	22.3	1.6
15. उड़ीसा	3.8	1.4
16. पंजाब	7.7	1.6
17. राजस्थान	5.1	0.8
18. तमिलनाडु	7.0	5.0
19. त्रिपुरा	5.0	**
20. उत्तर प्रदेश	3.9	1.3
21. पश्चिम बंगाल	9.0	5.9
22. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	57.3	3.1
23. अरुणाचल प्रदेश	28.1	3.8
24. चण्डीगढ़	10.0	9.7
25. दादरा और नगर हवेली	6.2	**
26. दिल्ली	25.0	**
27. गोआ, दमन और दीव	28.0	7.3
28. लकादीव, मिनिकाय, एवं अमिनदीव द्वीप समूह	44.4	**
29. मिजोरम	*	*
30. पाण्डिचेरी	30.0	2.0
कुल (भारत)	4.9	2.3

टिप्पणी *=अलग से उपलब्ध नहीं। असम में सम्मिलित।
**=उपलब्ध नहीं।

कृषि विकास पर परामर्श देने के लिये आमंत्रित किये गये विदेशी विशेषज्ञ

6580. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग ने कृषि विकास संबंधी समस्याओं पर परामर्श लेने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया ;

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका के कितने विशषज्ञ अब भी भारत में हैं ;

(ग) ऐसे विशेषज्ञों के विवरण तथा नाम क्या है; और

(घ) वे भारत में किन उद्देश्यों के लिये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार को कृषि विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान 188 विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी गई थीं ।

(ख) इस समय भारत में विभिन्न कृषि परियोजनाओं में 14 अमरीकी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) वे विभिन्न कृषि परियोजनाओं की कारगर रूप से क्रियान्वित करने के लिये भारतीय अधिकारियो को सलाह देने के लिये भारत में मौजूद हैं ।

विवरण

अमरीका तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले अमरीकी विशेषज्ञों की सूची (31-3-71 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	विशेषज्ञ का नाम	विशेषज्ञ का क्षेत्र	परियोजना जिसके अंतर्गत कार्य कर रहा है
1	मि० एम० बी० रस्सल	जल प्रौद्योगिकी	कृषि विद्यालय विकास
2	मि० टी० आर० एवर्ट	कीट विज्ञान	,,
3	मि० फोरेस्टर डेविडसन	सोयाबीन का वाणिज्यिक उत्पादन	,,
4	मि० ए० आई० नेलसन	खाद्य इंजीनियरिंग तथा परिसंस्करण	,,
5	मि० जे० आर० गिंगरिच	मृदा विज्ञान	,,
6	मि० जे० विलियम्स	पशु प्रजनन	,,
7	मि० जोर्ज आर० हाल	मृदा सर्वेक्षण वर्गीकरण	,,
8	मि० आर० सी० बैंकर	कीट विज्ञान	चावल अनुसंधान सुधार
9	मि० हिरोशी सकाई	पौध प्रजनन	,,
10	मि० इ० डब्ल्य० नन्न	कृषि इंजीनियरिंग	,,
11	मि० जे० आर० जोंस	वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक	मृदा तथा जल व्यवस्था
12	मि० एन० ई० मेकक्लामोन्डस	भूजल वैज्ञानिक	,,
13	मि० डब्ल्यू० एफ० मिल्डनर	अवसादन	,,
14	मि० ई० ए० सेमेल	भूजल वैज्ञानिक	,,

बीजों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6581. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापारियों ने बीजों में मिलावट कर के हरित क्रान्ति को हानि पहुंचायी है ;

(ख) क्या सरकार बीज अधिनियम, 1968 के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार है ; और

(ग) क्या सरकार बीजों के लिये किसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण मुख्य रूप से अभी भी राज्यों के कृषि विभागों, भारतीय राज्य फार्म निगम, राष्ट्रीय बीज निगम और तराई विकास नियम जसी सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है । केवल कुछ ही संगठित गैर-सरकारी बीज उत्पादन और व्यापारी है, जोकि बीजों के उत्पादन और वितरण का कार्य करते हैं । 1 अक्तूबर, 1969 से देश में 1966 का बीज अधिनियम पहले से लागू है । इस अधिनियम ने अच्छी किस्म के बीजों के नियमन और घटिया किस्म के बीजों की बिक्री के मामलों में कार्यवाही करने की पर्याप्त व्यवस्था है । इन उपबन्धों को लागू कराना मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है । भारत सरकार बीज अधिनियम को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करती रही है ।

आहार की आदतों में परिवर्तन

6582. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत के स्तर तक, लोगों की दैनिक खुराक का व्यापक प्रचार करने के लिए खाद्य तथा आहार बोर्ड से कोई प्रचार ब्यूरो अथवा एजेन्सी सम्बद्ध हैं ;

(ख) क्या देश में हाल में किए गए खाद्य सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि खुराक में अन्न की प्रधानता है ;

(ग) क्या आलू, मीठे आलू तथा अन्य पत्तों वाली हरी सब्जी जैसे सहायक तथा अनुपूरक खाद्य मदों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमारे देश में 39 ग्राम है, जो सब से कम है ; और

(घ) यदि (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर हां में हो तो आहार की आदतों में परिवर्तन लाने तथा विटामिन ए युक्त पत्ते वाली हरी सब्जी को उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । इस प्रयोजन के लिए देश के विभिन्न भागों में 21 चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिट है ।

(ख) और (ग) औसत भारतीय भोजन में प्रमुख रूप से अनाज होते हैं और उसमें पत्ते वाली हरी सब्जियां, आलू, शकरकंदी, कंदमूल और अन्य सब्जियां कम होती हैं ।

(घ) पोषाहार प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए आवश्यक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । देश में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं ।

राज्यवार मार्गदर्शी परियोजनाओं का विवरण तथा उपलब्धियां

6583. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारानी खेती के लिए किन किन राज्यों को मार्गदर्शी परियोजनाओं का नियतन अब तक किया गया है और राज्यवार इन मार्गदर्शी परियोजनाओं से. क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं की संख्या उस समय तक बढ़ती ही जायेगी जब तक सारी बारानी खेती इन परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं आ जाती ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4771/73 ।]**

बिना रेशे वाली और नरम लकड़ी के पेड़ों की सघन खेती के लिये विश्व बैंक से सहायता

6584. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार बिना रेशे वाली और नर्म लकड़ी के पेड़ों की सघन खेती के लिए भारत को सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के हल्दानी क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पौदों की रोपाई के लिये एक परियोजना का प्रारूप तैयार किया था । इस परियोजना पर लगभग 6 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी । इस परियोजना का उद्देश्य उत्तरी उतर प्रदेश के आरक्षित वनों में 8 वर्षों की अवधि के दौरान 35,000 हैक्टार क्षेत्र में यूकेलिप्टस टेरेटिकोरनिस के सघन रूप से पेड़ लगाना है । वर्ष 1972 के ग्रीष्म मौसम के दौरान विश्व बैंक से एक मिशन परियोजना के प्रारूप के कुछ पहलुओं के अध्ययन के लिये भारत में आया । अभी तक विश्व बैंक के विचारों का पता नहीं लग सका है ।

पौधों के विकास का समय कम करने के बारे में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा अनुसंधान

6585. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ग्रीष्म और अर्ध-ग्रीष्म ऋतुओं में पैदा होने वाले ताड़-वृक्षों के विकास के समय को कम करने के बारे में प्रयोग करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) वन लगाने में इनका प्रयोग कहां तक किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । ग्रीष्म तथा अर्ध-ग्रीष्म ऋतुओं में पैदा होने वाले ताड़ के वृक्षों की उपयुक्त किस्मों और उनके उद्भव स्थलों के संबंध में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोग किए जा रहे है ताकि ताड़ वृक्षों के उगाने के सम को कम किया जा सके ।

(ख) ताड़ के वृक्षों की पाइनस पटुला, पाइनस कैरीबई तथा पाइनस केसिया आदि शीघ्र उगने वाली किस्मों का पता लगाया गया है । ये किस्में देश के विभिन्न भागों में उगाने के लिए उपयुक्त हैं ।

(ग) आदर्शभूत स्थानों पर बनों में क्षेत्र-परीक्षण शुरु किए गए हैं ।

Birth of children after Family Planning Operation

6586, Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether complaints regarding birth of children have been received even after the family planning operation; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) Yes.

(b) The reasons for the failure of Sterilisation operation may be

(1) negligence in using a contraceptive method for upto twelve ejaculates after sterilisation (in case of male operation only).

(2) reunion of the cut-portions of the vas/tubes.

(3) in rare cases presence of an extra vas (in case of male operation only).

Targets of Family Planning Programme for 1971-72

6587. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the targets of Family Planning Programme for the year 1971-72 have been achieved by Government ;

(b) if so, the number of operations proposed to be conducted and the actual number of operations done ;

(c) the amount proposed to be spent and the actual expenditure incurred thereon; and

(d) the amount out of it given to States under this programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) During the year 1971-72, the target for sterilisation operation was exceeded, while 58.5% of the target for IUCD insertions and 61.3% of the target for Conventional Contraceptives were achieved.

(b) As against 20.79 lakh sterilisation operations proposed for the year 1971-72, the actual number of operations performed was 21.85 lakhs.

(c) The amount proposed to be spent on Family Planning Programme in the country during the year 1971-72 was Rs. 6060.46 lakhs and the expenditure (provisional) incurred was Rs. 6193.05 lakhs.

(d) An amount of Rs. 5222.78 lakhs was given to the States for Family Planning Programme during 1971-72.

Success Achieved in Controlling Malaria and Smallpox Diseases

6588. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri B. K. Daschowdhury :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have been able to control Malaria and Small pox diseases;

(b) if not, the reasons therefor, and the percentage of success achieved in this regard; and

(c) the measures being adopted to eradicate these diseases completely?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes, to a great extent.

(b) *Malaria.*—As against an estimated 75 million cases of Malaria with approximately 0.8 million deaths in 1953, the estimated number of Malaria cases in 1972 upto December is reported to be 12,03,185 with no death. According to the present phasing, 58% area under National Malaria Eradication Programme in the country has entered the final phase of the programme i.e., Maintenance phase, while another 17% is in advanced stage of Malaria eradication, i.e., Consolidation phase. Only about 25% of the area is still in the Attack phase, where intensive measures are in progress.

Small pox.—As against 83,943 cases with 26,225 deaths in 1967, approximately 27,393 cases with 5,450 deaths have been reported due to small pox in 1972. This indicates reduction of 67.4% and 79% in morbidity and mortality respectively due to small pox.

(c) *Malaria.*—The following measures have been taken by the Government for eradication of malaria in the country :—

1. The National Malaria Eradication Programme has been made a Centrally Sponsored Scheme with 100% Central assistance during the Fourth Plan period. Under this scheme, the operational cost over and above the committed level of expenditure is borne by the Government of India. Cost of material and equipment supplied to States is also borne by the Government of India in respect of units in the Attack and Consolidation phases. Partial assistance is also given to meet the expenditure on staff at Headquarters/Zonal level in the States.

2. In areas which have entered into Maintenance phase 100% Central assistance is given for strengthening the Basic Health Services.

3. Steps have been taken to procure, in advance, insecticides for supply in time to various States for spray operations.

4. The old and unserviceable vehicles in attack and consolidation phase units are being replaced by new vehicles in a phased manner during the Fourth Plan period.

5. Intensified spray with D.D.T. is being carried out in the units wherever it is necessary.

6. In areas where mosqut to vector has developed resistance to D.D.T. alternative insecticides like B.H.C. and Malathion are being substituted.

7. With health education, people are being persuaded to accept spraying and not to mudplaster walls after spraying of insecticides. Village leaders in tribal communities are also being contacted.

8. Special investigations are being undertaken in persistent transmission areas.

9. The Urban Malaria Scheme under the ambit of National Malaria Eradication Programme has been launched with effect from 1971-72 as a Centrally Sponsored Scheme with 100% Central assistance, as per approved pattern.

Small pox .—The measures being adopted by the Government to eradicate small pox are as follows :—

1. Intensification of vaccination campaign, according top priority to primary vaccination (which includes neo-natal vaccination also) and periodic revaccinations. Special attention is being given to the vulnerable groups of population viz. labour-migratory population.

2. Top priority is being accorded for early detection and prompt reporting of even suspected small pox cases for immediate containment and follow up.

3. Intensification of Health Education and Publicity measures to enhance the voluntary acceptability of vaccination and to encourage the people to report promptly any case of fever with rash to the nearest Health Centre.

4. For the implementation of National Small-pox Eradication Programme, which has been classified as a Centrally Sponsored Scheme, 100% Central assistance is provided.

5. Adequate quantities of potent thermostable Freeze Dried Smallpox Vaccine, Bifurcated Needles, Vaccination Kits, Refrigeration and transport facilities are made available to the States and Union Territories.

6. In order to keep the knowledge of the District Health Officers and State Programme Officers up to date in respect of Smallpox, periodic training courses are organised from time to time.

Increase in Price of Milk of Delhi Milk Scheme

6589. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to raise the price of milk of Delhi Milk Scheme by 15 paise per litre ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Government had decided not to increase the price of milk pending study of the working of the Delhi Milk Scheme by National Dairy Development Board, in order to effect possible economics. This report has been received recently and is under the scrutiny.

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा का माध्यम चुनने के बारे में समान राष्ट्रीय नीति

6590. **श्री समर गुहः**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के माध्यम के प्रश्न ने झगड़े तथा आंदोलनों की समस्याएं पैदा कर दी हैं ;

(ख) क्या यह समस्या आसाम में राज्य की निति के कारण शिक्षा के माध्यम के समाधान को और भी अधिक उलझा रही है ;

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्प संख्यकों द्वारा शिक्षा का मध्यम चुनने के बारे में विभिन्न राज्यों के मार्गदर्शन के लिए संविधान के उपबंधों के आधार पर समान राष्ट्रीय नीति अपनाने के बारे में पहल करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के मामले पर विवाद रखा है और भारत सरकार भाषा समस्या का कोई सोहार्दपूर्ण समाधान ढूंढने में सहायता करने की दृष्टि से असम सरकार से तथा अन्य संबंधित पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं।

(ग) और (घ) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में सरकार की नीति नीचे दी गई है :—

भाषाई अल्पसंख्यकों का प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार सरकार की स्वीकृत नीति है।

माध्यमिक शिक्षा के बारे में सरकार का विचार है कि यदि अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त हो तो भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के जरिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय स्तर पर भारत सरकार एक योजना के लिए धन की व्यवस्था कर रही है जिसके अन्तर्गत इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारें अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों के परामर्श से क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य को निर्माण कर रही हैं ताकि शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को अपनाया जा सके। सरकार विश्वविद्यालयों से अनुरोध कर रही है कि वे पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करें और बिना किसी रुकावट के प्राइवेट उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठने दें।

सरकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठने की दिल्ली के स्कूलों के छात्रों को उपलब्ध सुविधा की तरह, परीक्षाओं के माध्यम के रुप में विभिन्न भाषाओं के साथ, समस्त भारत के लिए एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी विचार कर रही है। यदि इन उपायों को कार्यात्मक रुप दिया जाए तो भाषाई अल्पसंख्यकों को होने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आन्दोलन

6591. **श्री समर गुह :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के बारे में संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक को बदलने के लिए आंदोलन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तथा कारण क्या है ;

(ग) क्या इस आंदोलन में विद्यालयों के अलावा सांप्रदायिक तत्व भी सक्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (घ) अलीगढ़ मुस्लीम विश्वविद्यालय का छात्र–संघ–पहले तो वह अपनी पसन्द का एक अधिनियम बनवाने और बाद में इसे संशोधित करवाने के लिये–कुछ समय से आन्दोलन कर रहा है। तब से वहां पर कई घटनाएं घटी हैं। छात्र संघ के निमन्त्रण पर कुछ राजनीतिक दलों के नताओं ने भी विश्वविद्यालय का दौरा किया है। विश्व-विद्यालय को 5 अप्रैल 1973 को बंद किया गया है कुलपति ने विश्वविद्यालय के बंद होने से संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य की एक प्रति 6 अप्रैल, 1973 को सभा पटल पर रख दी गयी थी।

राज्यों के मेडिकल कालेजों में दाखिला

6592. **श्री समर गुह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों की कमी होने के बावजूद भी अधिकांश राज्यों के मेडिकल कालेजों म अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है ;

(ख) मेडिकल कालेजों में दाखिले के बारे में सरकार के ध्यान में लाये गये कदाचारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में समान वितरण की नीति के आधार पर देश के विभिन्न भागों में सरकार द्वारा प्रायोजित मेडिकल कालेजों की संख्या बठाने के बारे में कोई योजना बनाई है ;

(घ) क्या गैर सरकारी कालेजों के कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार , भाई–भतीजा-वाद तथा अन्य कदाचारों को सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गैर–सरकारी मेडिकल कालजों के कार्यों पर नियंत्रण रखवे अथवा उनके विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का कविचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में शक्षा सुविधाओं में वृद्धि होने और सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार होने से उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या और उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या में व्यापक अन्तर है। मेडिकल कालेजों के बारे में भी यह सत्य है। शिक्षा की सभी शाखाओं में उच्चतर शिक्षा के लिये प्रतियोगिता तीव्र होती जा रही है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति आज शायद अपेक्षाकृत अधिक बिकट है।

(ख) सरकार के पास इसके बारे में कोई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां, स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक देश में नये मेडिकल कालेज खोलने के बारे में सरकार लगातार ध्यान दे रही है। 1946 में अविभाजित भारत में 19 मेडिकल कालेजों और 19 मेडिकल स्कूलों के विरुद्ध इस समय देश में 99 मेडिकल कालेज हैं जिनक दाखिले की क्षमता 12,500 है।

(घ) और (ङ) सरकार को यह मालूम है कि प्रति व्यक्ति शुल्क के आधार पर गैर–सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं। ऐसे गैर–सरकारी कालेज खोलना सरकार को नापसन्द है और वह उन्हें उत्साहित नहीं करती। शिक्षा का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में होने के कारण स्नातकपूर्व चिकित्सा–शिक्षा के लिये कालेज खोलना राज्य सरकारों की वैधानिक सीमा में आता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि संबधित राज्य की पूर्व अनुमति के बगैर मडिकल कालेजों के खोलने पर रोक लगाने के लिए उन्हें आवश्यक कानून पारित करना चाहिये ताकि निम्न–स्तर के मेडिकल कालेजों की स्थापना पर रोक लगाई जा सके। इस अनुरोध के अनुसरण में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने पहले ही आवश्यक कानून पारित कर दिये हैं। अन्य राज्य सरकारों से ऐसा करने के लिये अनुरोध किया गया है। 31 जनवरी, 1973 को भुवनेश्वर में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में भी यह मामला रखा गया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कि दो या अधिक राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार इस विषय पर आवश्यक कानून

पारित करें जिससे एकरूपता सुनिश्चित हो सके । तद्नुसार राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया गया है जिससे इस विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार प्राप्त हो जायें । इस मामले में आगे कार्यवाही राज्य सरकारों की अनुक्रिया पर निर्भर करती है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

6593. **श्री समर गुह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष तथा आगामी वर्ष भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता को अत्यधिक महत्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक खण्ड में विभिन्न प्रतिनिधियां वाली जनता की समिति की स्थापना की जायगी जो भूमि के मामले में मुकदमेबाजी में किसानों की सहायता करने, भू–स्वामियों और किसानों के बीच फसल का बटवारा करने, बैंक से ऋण दिलाने, उर्वरक, कीटनाशक औषधि, अच्छे बीज तथा फ़ालतू भूमि का समुचित वितरण करने का कार्य करेगी ;

(ग) यदि हां, तो जनता की ऐसी समिति की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।1972–73 के दौरान कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और वार्षिक योजना के अन्तर्गत सामान्य विकास कार्यक्रम के अलावा एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया गया है । यह कार्यक्रम मुख्य रुप से लघु सिंचाई पर आधारित होगा इसके लिये राज्यों को विशष केन्द्रीय सहायता दी गई है । 1973–74 के दौरान कृषि विकास के लिये प्रयत्न तेज करने पर जोर दिया जाता रहेगा ।

(ख) से (घ) पचायती राज के अन्तर्गत ग्राम/खण्ड स्तरों पर कृषि विकास संबंधी गतिविधियों में जनता को भागीदार बनाने का विचार है । इसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाओं, आदि जैसे कृषि आदानों का वितरण करना भी शामिल हैं । पंचायती राज के अन्तर्गत न्याय पंचायतों की स्थापना का भी विचार है । यह न्यायपालिका के रूप में काम करती है और स्थानीय छोटे अपराधों और विवादों को निपटाती हैं ।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

6594. **श्री बी० के० दासचौधरी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान किन देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करने का समझौता हुआ हैं तथा इन समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ख) सरकार वर्ष 1973 में कितने संस्कृतिक दलों को विदेश भेजेगी; और

(ग) क्या सांस्कृति कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बच्चों का कोई दल विदेश भेजा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग म उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) 1972 के वर्ष के दौरान, भारत ने पोलैण्ड, फ्रांस, रुस जर्मन संघीय गणतंत्र, चेकोस्लोवाकिया बुल्गारिया, मंगोलिया तथा बंगाला देश के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

इन कार्यक्रमों में शिक्षा, विज्ञान और उद्योग विद्या, कला और संस्कृति, रेडियो, फिल्में, प्रेस और टेलीविजन, खेलों, स्वास्थ्य, आदि के क्षेत्रों में संविदाकारी पक्ष के साथ सहयोग पर विचार किया गया है।

(ख) अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, दो सांस्कृतिक दल एक दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों तथा आस्ट्रेलिया को और दूसरा केरिबीयाई सागर के देशों को क्रमश: जनवरी और फरवरी, 1973 में भेजे जा चुके हैं। दूसरे सांस्कृतिक दल का भ्रमण ट्यूनिशिया तथा अल्जीरिया तक बढाने का विचार है।

इस वर्ष के दौरान 3-4 और दल भेजे जाने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं।

युवा सेवा-कार्यक्रमो को नया रूप देना

6595. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युवा सेवा कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए कतिपय विशिष्ट निर्णय लिये है ताकि उनका उपयोग राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं कौन सी हैं तथा इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार ऐसा करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) युवकों को अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार ने, विभिन्न कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है, ताकि वे परिवर्तन का स्वागत कर सकें और अपने आपको राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा सके। अन्य बातों के साथ साथ इन सब बातों से निश्चय ही राष्ट्रीय एकता को बढावा मिलेगा और सामाजिक परिवर्तन आएगा। इस संबंध में कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

अकाल के विरुद्ध नए युवक कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय सेवा योजना

विश्वविद्यालय और कालेज , निर्धारित अवधि तक राष्ट्रीय सेवा करने के लिए, डिग्री कक्षाओं के प्रथम दो वर्षों के छात्रों हेतु स्वैच्छिक आधार पर एक राष्ट्रीय सेवा योजना चला रहे हैं। इस ग्रीष्म में, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रमों में एक लाख युवकों को लगाया जायेगा और सायंकाल को वे अपना फालतू समय, अपने क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण जीवन की स्थानीय समस्याओं के अध्ययन तथा जहां कहां संभव हो, उन्हें हल करने में प्रयोग करेंगे। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों का भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग-अलग पड़ने से रोकने के लिए यह एक अनुप्रयोग है।

अन्तर राज्य छात्र शिविर

इन शिविरों में, विभिन्न राज्यों के 11-16 वर्ष आयु–वर्ग के बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने और इस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों के रीति रिवाज, आदतों और सांस्कृतिक परम्परा को समझने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की विचारधाराओं से अवगत कराने के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तथा पुस्तिकाएं तैयार की जाती है।

भाषाई तथा वातावरणात्मक शिविर

इन शिविरों का आयोजन केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा किया जाता है ताकि एक राज्य के विद्यार्थी जिस दूसरे राज्य की प्रादेशिक भाषा का अध्ययन कर रहेहों उस क्षेत्र में शिविर लगा सकें, जहां कि उनके द्वारा अध्ययन की जाने वाली भाषा मातृ भाषा हो। इन शिविरों से शिविरार्थियों को उस वातावरण का, जहां ये भाषाएं बोली जाती हैं तथा वहां की स्थानीय आदतों , परम्पराओं और संस्कृति का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में काफी योगदान मिला है ।

स्वैच्छिक युवक संगठनो को सहायता:

सरकार उन स्वैच्छिक युवक संगठानों को वित्तीय सहायता देती है जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित युवक कार्यक्रम प्रारम्भ करें और जिनसे राष्ट्रीय सामंजस्य सुदृढ हो।

नेहरू युवक केन्द्र

सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में एक–एक नेहरु युवक केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इन केन्द्रों का प्रमुख कार्य अनौपचारिक शिक्षा का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा संस्थाओं में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों को सुदृढ करना, मानव स्रोत क्षमता का विकास, स्वयं-शिक्षण के लिए सुविधाए प्रदान करना, सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि तथा युवकों की उस विशाल संख्या के लिए मानव व्यक्तित्व का विकास करना होगा जो औपचारिक शिक्षा पद्धति के क्षेत्र से बाहर है।

छात्रवृत्ति नीति

इसमें शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक सुविधाओं का समानीकरण हो जायगा। व्यापक छात्रवृत्ति योजना के अधीन, यह आशा की जाती कि इस वर्ष के अन्त तक, सरकार, ग्रामीण प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष, प्रतिखण्ड दो छात्रवृत्ति के हिसाब से लगभग 30,000 छात्रवृत्तियां देगी।

सिलीगुरी से दार्जिलिंग तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

6596. श्री वी० के० दासचौधरी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सिलीगुरी से दार्जिलिंग तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31–बी घोषित करने की योजना को अंतिम रूप से मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रस्ताव क्या है तथा इस पर कितना व्यय आयेगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) सिलिगुडी-दार्जिलिंग सड़क इस समय एक मौजुदा राज्य सड़ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पांचवीं पंच वार्षिक योजना (1974–79) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के अपने प्रस्तावों में प्रश्नगत सड़क शामिल कर ली है। इस सड़क को इकहरी गली राष्ट्रीय राज मार्गस्तर तक विकास करने की मोटे रूप से 213.00 लाख रुपये लागत आने की संभावना है। इस प्रस्ताव पर अन्य राज्यों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा। परन्तु चूंकि, पांचवीं योजना के लिए प्रस्ताव अभी तक प्रारम्भिक चरण में है अतः इस संबंध में कोई ठीक ब्यौरा देना संभव नही है।

देश में आवास की समस्या

6597. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि देश में कितने व्यक्ति बेघरबार हैं और उनके लिए कितने मकानों की आवश्यकता है तथा इसमें कितना धन व्यय होगा ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय इस समस्या को किस प्रकार सुलझायगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि हाल के एक अनुमान के अनुसार 1971 में आवास संबंध पिछली कुल अनुमानित कमी लगभग 2 करोड़ 40 लाख एकक की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 86 लाख एकक तथा नगरीय क्षेत्रों में 55 लाख एकक थी। यह अनुमान परिवारों की कुल संख्या की तुलना में देश में उपलब्ध सम्भावित प्रयोज्य मकानों की संख्या (नगरीय क्षेत्रों में पक्के तथा अर्ध पक्क एकक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के, अर्ध–पक्क तथा प्रयोज्य कच्चे एकक) के आधार पर बनाया गया है। 1971 में हुई जनगणना में एकत्रित किये गये आंकड़ों के उपलब्ध होने पर इस अनुमान में परिवर्तन होने की आशा है। फिर भी नगरीय क्षत्रों में 21,000 ।– रुपये प्रति मकान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4,000 ।– रूपये प्रति मकान की साधारण अनुमानित औसत लागत के हिसाब से भी लगभग 19,000 करोड़ रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी ।

(ख) इस अत्यन्त कमी तथा अपेक्षित निधियों की मात्रा को देखते हुए सरकार के प्रयत्न मुख्यतया निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास संबंधी परिस्थितियों को सुधारने में किए गए हैं। इस उद्यश्य को दृष्टि में रखते हुए निर्माण और आवास मंत्रालय में कई सामाजिक आवास योजनाएं आरम्भ की हैं जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

तथापि, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय सहायता 'खण्ड ऋणों' तथा 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है। राज्यों तथा संघ क्षेत्र के प्रशासनों को उन द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार इन योजनाओं के लिये निधियों का नियतन करने में स्वतंत्रता प्राप्त है।

राज्य सरकारों तथा उनके सांविधिक अभिकरणों की आवास तथा नगर विकास परियोजनाओं में पूंजी लगाने हेतु आवास तथा नगर विकास निगम के रूप में केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम स्थापित किया गया है। निगम द्वारा अगले कुछ वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये के अर्थोपाय किए जाने की आशा है तथा उन्हें आवर्ती निधि के रूप में प्रयोग में लाया जाना है।

इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में नई योजना हाल में आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क आवास स्थल देने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र के प्रशासनों को शतप्रतिशत अनुदान सहायता दी जाएगी।

मनीपुर के मेडिकल कालेज को मान्यता देना

6598. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सक्षम शैक्षणिक अधिकारियों ने हाल ही में मनीपुर में खुले मेडिकल कालेज को यथोचित मान्यता प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह मान्यता कब प्रदान की गई थी तथा किन सक्षम अधिकारियों ने की और यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाईयां है;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कालेज की स्थापना, इसके भवन निर्माण उपकरणों तथा कर्मचारियों के लिये वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो मनीपुर सरकार को अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी नहीं। पहले कालेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध कराना तथा उसके बाद उसकी मान्यता के लिये विश्वविद्यालय के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुरोध करना राज्य सरकार का काम है। जब कोई मेडिकल कालेज का विश्वविद्यालय से संबंध कर लिया जाता है तथा उस संस्था में विद्यमान सुविधाओं और सभी विषयों की परीक्षा के स्तर के उचित निरक्षण के बाद जब छात्रों का पहला बच एम० बी० बी० एस० की अंतिम परीक्षा म बठ जाता है तभी उसे मान्यता प्रदान की जाती है। अभी तक इस कालेज को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) : इस कालज को केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार अर्थात् मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालण्ड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजिरम के संयुक्त तथा सहयोगी प्रयास के रूप में चलाने का प्रस्ताव है। यह चार राज्यों तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के दो संघ शासित क्षेत्रों का एक साझी कालेज होगा। अन्ततः यह योजना उत्तरपूर्वी परिषद् द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिये तैयार की जान वाली क्षत्रीय योजना का एक अंग बन जायगी तथा परिषद् की सिफारिशों पर इस क्षेत्रीय योजना के माध्यम से इसका खर्च चलाया जायगा।

क्षेत्रीय योजना बनने तक इस मेडिकल कालेज के अनावर्ती तथा आवर्ती संपूण व्यय की भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव है। कुछ समय पूर्व यह अनुमान लगाया गया था कि कालेज पर होने वाला अनावर्ती व्यय 2 करोड़ रुपये तक का होगा। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान अनुमानित आवर्ती व्यय लगभग 20 लाख आंका गया था।

मनीपुर, त्रिपुरा आदि मे बदल-बदल कर फसल बोने की समस्याओं का अध्ययन

6599. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मिजोरम के पर्वतीय क्षेत्रों मे बदल–बदल कर फसल बोने की व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन इस कार्य में पर्याप्त रुचि लने वाले तथा अर्हता प्राप्त किसी केन्द्रीय संस्थान अथवा संस्था के तत्वावधी में किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है और इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किन उपायों की सिफ़ारिश की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का अध्ययन करन के लिये कोई व्यवस्था कर रही है ; और

(घ) इसको कब कार्यरूप दिया जायेगा तथा ऐसी योजना की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने पूर्वी राज्यों में झूम खेती की समस्या के संबंध में समय समय पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

(ख) सिफारिश किए गए उपायों में पहाड़ी स्थानों और घाटियों में सीढ़ीदार खेती का स्थायीकरण यथा सम्भव सिंचाईकी व्यवस्था करना, बागवानी का विकास करना, फसलों और वनों की रोपाई करना भी शामिल है ताकि ये उपयुक्त क्षेत्रों में झूम खेती के लिये विकल्प सिद्ध हो सकें और लगातार उत्पादन होता रहे।

(ग) तथा (घ) नियंत्रणों उपायों को विकसित करने हेतु झूम खेती करने के संबंध में बहूद्देशीय अनुसंधान करने के लिये देश पूर्ति प्रदेश के समस्यामूलक क्षेत्रों में मृदा संरक्षण अनुसंधान उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए पांचवीं योजना के प्रस्तावों के माध्यम से अतिरिक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं।

नृत्य नाटिका तैयार करने और नृत्य तथा संगीत का कार्यक्रम देने के लिये दल तैयार करने हेतु संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत केन्द्रीय संगठन की स्थापना

6600. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में भेजे जाने के लिये नृत्य नाटिक तयार करने और नृत्य तथा संगीत का कार्यक्रम देने के लिये संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत राजधानी में एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह जानती है कि विदेशों में भारतीय कला और संस्कृति का परिचय कराने की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए ऐसी योजना की महत् आवश्यकता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का एक ऐसे कार्यकलापों का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय कला और संस्कृति का समुचित रूप से परिचय कराना है।

मनीपुर में छात्रावास तथा कालेज के भवनों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी कालेजों को वित्तीय सहायता

6601. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में गैर–सरकारी कालेजों में छात्रावास तथा कालेज के भवनों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन कालेजों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और इन अनुदानों को किन प्रयोजनों के लिए दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन कालेजों को छात्रावास संबधी सुविधाओं के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कालेजों में छात्रावास संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अलग से धन का आबंटन करने पर विचार कर रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : 7 संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता के लिए 8 प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुये थे और 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास के पड़े हैं। चार स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या अेल० टी० 4772/73**]

(ग) और (घ) गोहाटी विश्वविद्यालय और मणिपुर सरकार के अभ्यावेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक निरीक्षण समिति नियुक्त की है जो भारत के उत्तरी–पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के कालेजों की विकासात्मक आवश्यकताओं को निर्माण हेतु कालेजों का निरीक्षण करेगी। समिति ने मणिपुर राज्य में 16 कालेजों का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने छात्रावास के निर्माण के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। आयोग राज्य सरकार के परामर्श से समिति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

Number of Days Kashi Hindu Vishvavidyalaya and Aligarh Muslim University remained closed.

6602. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state that the number of days for which classes were held in Kashi Hindu Vishvavidyalaya and Aligarh Muslim University during the period from February, 1972 to February, 1973 and the number of days these Universities were closed and the number of days there was strike there during the said period?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurual Hasan): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Progress of Wholesale Trade in Foodgrains in States

6603. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the steps taken by each State in regard to take-over of wholesale trade in foodgrains upto 17th March, 1973?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Although precise information as on 17-3-73 is not available, most of the State Governments of the important wheat growing areas have since promulgated orders under the Essential Commodities Act, banning the wholesale trade in wheat and providing for limits on the purchase, sale or storage for sale etc., by the retail dealers. Quantitative restrictions have also been imposed on the holdings by the producers and consumers. Some States have introduced graded levy on producers. The procurement centres have been finalized in the States. The State Governments have also agreed to constitute State level Coordination Committees with representatitives from public agencies/Departments actively involved in procurement.

दिल्ली में अनधिकृत बसों का चलना

6604. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत बसें चल रही है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि बसों के 258 मालिक / ड्राइवर परमिटों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गाड़ियों को चलाते पाये गये और मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 42 तथा 123 के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकरणों द्वारा 1972 के दौरान 130 मामलों में मुकदमा चलाया गया।

दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम को लागू न करना

6605. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम को जो 17 जून, 1972 को पास हो गया था लागू न करन के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : दिल्ली सहकारी सोसायटीस अधिनियम, 1972 दिल्ली के केन्द्र शासित क्षत्र में 2–4–1973 से लागू हो गया है ।

संसदीय सौध का निर्माण कार्य

6607. श्री सतपाल कपूर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय सौध का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा गत तीन महीनों से बन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) ठेकेदार ने यह तर्क दिया था कि कार्य की समाप्ति की निर्धारित तिथि बहुत पहले समाप्त हो गई है तथा निर्माण सामग्री और मजदूरी के दाम बढ़ गये हैं तथा जब तक उँची दरें नहीं दी जाती वह कार्य को समाप्त नहीं कर सकता।

(ग) कार्य के शेष भाग को पूर्ण करने के लिय इसे किसी अन्य अभिकरण को दने के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं।

संसदीय सौध को वातानुकूलित करने पर व्यय

6608. श्री सतपाल कपूर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माणाधीन संसदीय सौध का पूरा भवन वातानुकूलित नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो क्यों ;

(ख) भवन के अन्य भागों को गर्म और ठंडा रखने के लिये क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ;

(ग) भवन के इन भागों को गर्म और ठंडा रखने पर कितना आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होगा: और

(घ) भवन के शेष भागों के लिये भी वातानुकूलन प्रबन्ध करने में कितने व्यय होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। केवल उन क्षेत्रों को वातानुकूलित करने का प्रस्ताव है जिन में ससद् सदस्यों को प्रायः आना जाना होगा।

(ख) जहां आवश्यक होगा वहां रूम-कूलर / वातानुकूलक / हीटर लगाए जायेंगे।

(ग) वास्तविक व्यय नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

(घ) लगभग 24 लाख रुपये।

दिल्ली में आजादपुर में बन रही नई सब्जी मंडी शाप-फ्लैटों के आवंटन में घोटाला

6609. श्री सतपाल कपूर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आजादपुर में बन रही नई सब्जी मंडी में शाप फ्लैटों के आवंटन में काफी घोटाले होने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक प्लाट अलाट किये गये हैं ;

(ग) क्या इस बारे में जांच की जा चूकी है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलना है; और

(घ) इसमें किस व्यक्ति का हाथ है ; और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हैदराबाद स्थित अर्ध-शुष्क और ग्रीष्म ऋतुओं सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

6610. श्री विभूति मिश्र :
[श्री एम० कतामुत्तु :]

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने चालू वर्ष में हैदराबाद के अर्ध शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतुओं संबधी अन्तर्राष्ट्रीय फ़सल अनुसंधान संस्थान को 37,25,000 डालर की सहायता मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान कार्य कैसे और किन फसलों पर किया जायगा ; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध रुक्ष तथा उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान के साथ एक करार किया है जिसके अधीन एक अनुसंधान परियोजना के लिए 35,85,000 अमरीकी डालरों की वित्तीय सहायता दी जायेगी। यह परियोजना 31 जनवरी 1973 से 5 वर्ष की अवधि के लिए है। इस परियोजना का उद्देश्य अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा चरी और कदन्न की ऐसी विभिन्न किस्मों का विकास करना है, जो अधिक उपज देने वाली हों और जिनमें प्रोटिन की मात्रा अधिक हो और किस्म अच्छी हो। इसके साथ साथ यह स्वाद और आकार प्रकार की दृष्टि से प्रचलित किस्मों जैसी ही हो और अर्ध रुक्ष तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की परिवेश और कृषि संबंधी विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।

(ग) क्योंकि भारत में लगभग 174 लाख हेक्टार भूमि में ज्वार और 129 लाख हैक्टार भूमि में बाजरा की खेती की जाती है इसलिए इन अनाजों की उपज को बढ़ाने और इनकी क्वालिटी और प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करने के संबंध में अनुसंधान कार्य से देश को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

पुरातत्वीय ग्रन्थालय, नई दिल्ली

6611. श्री विभूति मिश्र :

श्री पीलू मोदी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1973 के दिल्ली से प्रकाशित 'इण्डियन एक्सप्रैस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुरातत्वीय ग्रन्थालय नई दिल्ली में बहुत अव्यवस्था है ; और

(ख) इस ग्रन्थालय की दशा खराब न होने देने के लिये इसकी ओर उचित ध्यान देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) ग्रन्थालय में किसी प्रकार की अव्यवस्था नही है। फिर भी इस के लिए अतिरिक्त स्थान और स्टाफ की आवश्यकता है। इन भागों की जांच की जा रही है।

नार्थर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टैक्नोलोजी

6612. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबद्ध सरकार नार्थर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टैक्नोलोजी की वांछित ढंग से नहीं चला सकी है और इस इंस्टीट्यूट में काफी खराबियां हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार मुद्रण प्रोद्योगिकी संस्थानों को अपने सीधे नियंत्रण में क्यों नहीं रखती है; और

(ग) इन संस्थानों को सुचारु रूप से चलाने और उनमें सुधार करके आधुनिक स्तर का बनाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं। इस संस्थान में शैक्षिक सुविधाएं, केवल भवन की कुछ कमी को छोड़कर, आमतौर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार और पर्याप्त है। इस कमी को भी दूर करने का प्रश्न, राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस प्रकार की डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती जाती है ।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी परिषद्, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन स्कूलों को आधुनिक स्तर पर और आगे विकसित करने के लिए एक योजना बना रही है।

अपने मकान बनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में रहने की अनुमति

6613. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा अलाट किए गए आवास स्थानों में रहते रहने की अनुमति दे रखी है जिनमें नियुक्ति स्थानों पर अपने मकान है या जिन्होंने अपने मकान बना लिये है और वे मकान या तो उनके अपने नाम में है या परिवार के सदस्यों के नाम में है ; और

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कौन से और कितने केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों तथा कमचारियों के अथवा उनके निकट संबंधियों के अपने मकान तथा भवन हैं और उनका मूल्य क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) सांख्यकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि जिन सरकारी कर्मचारियों के तैनाती के स्थान पर अपने मकान है वे सामान्य पूल से वास के आबंटन के पात्र है। तथापि, इस संबंध में नीति पर पनर्विचार किया जा रहा है।

विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापन का नया तरीका

6614. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में संस्कृत के अध्ययन के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड अथवा केन्द्रीय संस्कृत परिषद् ने किसी नए तरीके की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत शिक्षा की नई पद्धतियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिसका समर्थन केन्द्रीय संस्कृत परिषद् ने भी किया है ।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के सहयोग से नई पद्धतियों पर आधारित संस्कृत शिक्षा के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने हेतू पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है।

पांचवीं योजना में सहकारी चीनी कारखाने

6615. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने सहकारी चीनी कारखाने चल रहे है ;

(ख) उनके कार्यकरण से किस प्रकार के अनुभव हुए है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में और अधिक सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में इस समय 85 स्थापित सहकारी चीनी कारखाने है। इनमें से 1972–73 मौसम के दौरान दो सहकारी चीनी कारखानों ने अब तक कार्य नहीं किया है।

(ख) कुल मिलाकर सहकारी क्षेत्र का कार्य संतोषजनक है।

(ग) सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखानों की स्थापना को तरजीह देने की सरकार की मौजूदा नीति पांचवीं योजनावधि में भी जारी रहेंगी।

आई० आई० टी०, दिल्ली के प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित शोध-कार्य

6616. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आई० टी०, दिल्ली के सभी प्राध्यापकों द्वारा गत तीन वर्ष में प्रकाशित शोध–कार्य के शीर्षक क्या क्या ह और प्रत्येक शोध-कार्य को प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इसी अवधि में अनुसंधानकर्ताओं को डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध-पत्रों की जिनकी सफलतापूर्वक तैयारी में मार्ग दर्शन किया गया, सूची क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Demonstration by Women of Delhi against Price Rise

6617. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether on 12th January, 1973, a demonstration was held by women of Delhi in front of his residence against price-rise ;

(b) whether a memorandum was also submitted to him; and

(c) if so, the action taken by Government so far and also the steps to be taken in future in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) A memorandum was submitted to the Minister of Agrilculture regarding non-availability of essential items like, wheat, atta, rice etc. A reply was sent in response to the memorandum explaining that reasonable quantities of rice, wheat and sugar are being supplied to the consumers in Delhi through the public distribution system. It was also explained that due to severe drought in many parts of the country production of foodgrains has been affected, as a result of which there has been an increase in the open market prices; and the situation was under constant review and necessary steps taken to bring down the prices.

Some of the steps taken to check the rise in prices are indicated below:—

(i) strengthening of public distribution system ;

(ii) channelisation of all Government stocks through fair price shops ;

(iii) introduction of control on wholesale and retail prices of wheat products and regulation of distribution of the same through fair price shops ;

(iv) effective implementation of regulatory laws currently in force ;

(v) strict vigilance over the open market to check hoarding ;

(vi) curb on consumption of foodgrains by enforcement of the Guest Control Order;

(vii) intensification of procurement of foodgrains ;

(viii) import of a limited quantity of foodgrains from abroad ;

(ix) tightening of control over bank advances against foodgrains ;

(x) massive emergency agricultural production programme by increasing the output of the rabi and summer crops ;

(xi) taking over of wholesale trade in wheat from the current rabi season to ensure regular supplies to consumers at reasonable prices ;

(xii) increase in the wheat quota of Delhi.

Schools Functioning in Tents in Delhi

6618. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether about 50 Government schools are still functioning in tents in Delhi as a result of which the students have to face great difficulties in all weathers and many obstructions are experienced in their studies ;

(b) the action taken so far by Government for provision of buildings for these schools; and

(c) the total amount sanctioned for provision of buildings for these schools during the financial year 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) 22 Government Higher Secondary Schools are functioning in tents in Delhi.

(b) New buildings are under construction for 7 schools ; land has been procurred and plans for building are under preparation for 3 schools; for the remaining 12 schools sites are being procured.

(c) Rs. 164.62 Lakhs.

जोधपुर में अकाल सहायता योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध

6619. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर के लिए लगभग 244 करोड़ रुपये की लागत की 'अकाल सहायता योजनाएं' कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उन पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जोधपुर जिले के लिए 24.04 करोड़ रु० के परिव्यय से एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की जाएगी ।

(ख) इस परियोजना में भेड़, पशु एवं डेरी विकास, भूमिगत जल समुपयोजना ग्रामीण विद्युतीकरण, पेय जल पूर्ति की व्यवस्था, नमी संरक्षण, वनरोपण तथा मार्किट यार्ड संबंधी योजनाएं आती है ।

(ग) विश्व बैंक सर्वेक्षण मिशन ने फरवरी, 1973 में देश का दौरा किया था। मिशन ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई परियोजना का प्रारम्भिक अध्ययन किया है।

राजस्थान में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

6620. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की कार्यान्विति में 1970 से अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है और इस कार्यक्रम के लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान दिए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1973-74 के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के संबंध में क्या लक्ष्य निश्चित है और इसके लिए राज्य और केन्द्र ने कितनी धनराशि नियत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अग्रगामी परियोजनायें शुरू की गई हैं। योजना में इस कार्यक्रम के लिए 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 117.25 लाख रुपए की लागत की निम्नलिखित योजनाएँ राजस्थान राज्य में क्रियान्विति के लिए स्वीकृत की गई थीं :—

	लाख रुपए
बाड़मेर जिला	
1. पहाड़ों पर फिर से वन लगाना 2. चारा बैंक के लिए चरागाह भूमि का विकास 3. चरागाह विकास 4. लवणीय भूमि का सुधार 5. वायुरोधी वनरोपाई	101.14
जेसलमेर जिला	
जैसलमेर जिले में हरे चारे की खेती, चरागाह विकास, नलकूपों और नर्सरियों के आस-पास वृक्ष लगाना।	16.11
कुल	117.25

इन योजनाओं की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक बिवरण संलग्न है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1972-73 तक का व्यय 87.14 लाख रुपए है और इसमें से वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्त तक 85 लाख रुपए तक की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। वर्ष 1973-74 के अन्त तक समस्त कार्यक्रम पूरा हो जाने की सम्भावना है।

2. इसके अतिरिक्त रेगिस्तानी और रुक्ष क्षेत्रों को भी सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत (जोकि केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम है) पर्याप्त राशि प्राप्त हो रही है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 10 ज़िले शामिल हैं और इनके लिए 20 करोड रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमे से 18.00 करोड रुपए की लागत की निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं :—

	करोड़ रुपए
1. लघु सिंचाई	6.02
2. मृदा संरक्षण	0.31
3. वनरोपण . .	1.82
4. सड़कें . . .	5.10
5. अन्य कार्य	4.75
कुल .	18.00

इसमें से दिसम्बर, 1972 तक कुल 824.89 लाख रुपए व्यय हुए हैं। व्यय हुई राशि और 31-3-1973 तक की प्रत्याशित व्यय की राशि को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 926.93 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। बकाया योजनाओं को यथासम्भव वर्ष 1973-74 के दौरान पुरा किया जाना है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

3. राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास की दिशा में राजस्थान नहर का निर्माण भी एक प्रमुख कदम है। अक्तूबर, 1968 से एक विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना भी चल रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर के निर्माण में लगे हुए श्रमिकों को सहाय्य मूल्यों पर खाद्य-पदार्थों की पूर्ति की जा रही है और विक्रय से प्राप्त धनराशि राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में भूमि विकास, मृदा संरक्षण, पशु-पालन, वन नर्सरियों और वनरोपण आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। 260.00 लाख रुपए की लागत की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसमें से दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 146.89 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है।

विवरण

राजस्थान के रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुई प्रगति

क्रम संख्या	योजना का नाम	वास्तविक उपलब्धि	
	बाडमेर जिला		
1.	नर्सरियाँ लगाना	18	
2.	उजड़े वनों को फिर से लगाना	6,767	हैक्टार
3.	चरागाह भूमि का विकास . .	4,322	,,
4.	चरागाह विकास . . .	4,070	,,
5.	लवणीय भूमि में वनरोपण करना . . .	1,412	,,
6.	वायुरोधी वनरोपण .	1,932	किलो-मीटर
7.	भवन निर्माण	33	

जैसलमैर ज़िला

1. चरागाह विकास	सामिग्री वर्ष 1971-72 में ही खरीदी गई थी । कोनिया लोहे और कटीली तार की बाड़ लगाई गई, क्षेत्र में हेरफेर से चराई कराने के उद्देश्य से इसे दो अन्तरायनिकों द्वारा तीन भागों में बांटकर कंटीली तार लगाई गई और क्षेत्र में हल चलाया गया ।
2. हरे चारे की खेती	'स्टोन पट्टी' खरीदी गई ।

राजस्थान में "सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम"

6621. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में "सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया था, यदि हां, तो कब और उनके कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) कार्यक्रम की कुल लागत क्या है, उस से अब तक कितना व्यय हो चुका है और केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस बारे में कितना अंशदान किया हैं और कितनी केन्द्रीय सहायता की अग्रेतर मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 में शुरु किया गया था। इसके अन्तर्गत राजस्थान में 10 जिले आते हैं। इसके प्रारम्भ से लेकर जनवरी, 1973 तक इस मद में 8.89 करोड रुपये का खर्च हुआ है। दिसम्बर, 1972 के अंत तक लघु सिंचाई योजनाओं के जरिये 1276 हेक्टर भूमि को लाभ पहुंचा है। 3908 हेक्टार क्षेत्र में मृदा रक्षण उपाय किये गये हैं और 17,766 हेक्टार क्षेत्र में वनरोपण किया गया है। 477 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कों का निर्माण किया गया है और 731 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा बनाया गया है ।

(ख) 1970-71 से 1973-74 तक की कार्यक्रम की चार वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए की राशि का नियतन किया जायेगा । जनवरी, 1973 के अन्त तक 8.89 करोड रुपये का खर्च हुआ, जब कि इसकी तुलना में 1972-73 के अन्त तक 9.31 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई थी । राज्य सरकार को आगे और केन्द्रीय सहायता वास्तविक खर्च और चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में की गई राशि की व्यवस्था के आधार पर निर्मुक्त की जायेगी । यह 20 करोड रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर होगी ।

राजस्थान को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 1973-74 के लिये केन्द्रीय सहायता

6622. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई और इन वर्षों में आपातकाली योजनाओं सहित ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त राज्य सरकार ने राज्य में लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 1973-74 के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है और केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा उसकी लागत क्या है और उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में अपने सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। तथापि, आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1972-73 में विशेष लघु सिंचाई योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार की मांग का कृषि मंत्रालय में राज्यके लिए नियुक्त किये गए क्षेत्र अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने मिलकर मूल्यांकन किया था और केन्द्रीय सरकार ने ऋण के रूप में 389 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की थी। इसके अतिरिक्त, सूखा राहत कार्यों के लिए राजस्थान सरकार को ऋण/अनुदान के रूप में 11 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत दी गई। इसमें लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी कुछ व्यवस्था शामिल है।

(ख) वर्ष 1973-74 में लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार को राजस्थान सरकार से कोई विशेष कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में सर्वेक्षण

6623. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकडने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कौन सा क्षेत्र चुना गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गहन समुद्र सर्वेक्षण संगठन समन्वित मात्स्यकी परियोजना, कोचीन और समुद्री मात्स्यकी परियोजना, कोचीन द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) गहन समुद्र मत्स्यहरण संगठन ने बम्बई, कोचीन, टयूटीकोरिन, विसाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर में इस उद्देश्य के लिए स्थापित आधार स्थलों पर भारतीय समुद्रों के तट से दूर और गहन समुद्र में मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण किया था। कांडला, गोआ, मंगलोर, मद्रास, पारादीप और कलकत्ता में सर्वेक्षणम के लिए अतिरिक्त आधार-स्थान स्थापित करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। समन्वित मात्स्यकी परियोजना प्रायः दक्षिण-पश्चिमी तट के गहन जल मत्स्यहरण स्थलों का सर्वेक्षण करती रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चलने वाली समुद्री मात्स्यकी परियोजना समुद्री किस्मों और विशेषकर गोआ-क्विलन क्षेत्र की सारडीन और मैकरल किस्मों के संसाधनों के सम्बन्ध में खोज कर रही

लोक गीतों और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए समिति

6624. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक गीतों और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए एक स्थायी समिति का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, और

(ग) उसके निर्देश पद क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु दिसम्बर, 1972 में नेहरु युवक केन्द्रों के एक मुख्य कार्य के रूपमें लोक तथा ग्रामीण कला तथा सामुदायिक गायन को प्रोत्साहित करने के लिए युवक कार्यकलापों को जुटाने के वास्ते विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है। विवरण संलग्न है, जिसमें उक्त समिति की संरचना दी गई है।

विवरण

नेहरु युवक केन्द्रों में सामुदायिक गीतों के लोक प्रदर्शन में प्रशिक्षण तथा भाग लेनेके लिए सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की संरचना दिखाने वाला विवरण।

1. प्रो० निहार रंजन रे, भूतपूर्व सदस्य, वेतन आयोग, विज्ञान भवन, उपभवन, नई दिल्ली।
2. श्री क्रांति चौधुरी, संयुक्त सचिव, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री हबीब तनवीर, संसद सदस्य, निदेशक, नया थियेटर, 5 ए/17, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली-5।
4. श्रीमती दीना पाठक, लक्ष्मी सदन, 604-बी, डा० अम्बेडकर रोड, बम्बई-14।
5. श्री कोमल कोठारी, रुपायन, एन० बसन्डी, वाया जोधपुर।
6. कुमारी शान्ता गांधी, बाल भवन तथा राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, कोटला रोड, नई दिल्ली-1।
7. श्री बी० पी० करंथ, सी/डा० भानु शंकर मेहता, नागरी नाटक मंडली, बनारस।
8. श्रीमती शीला भाटिया, सी/540, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।
9. श्रीमती हबीब तंबीर, द्वारा श्री हबीब तंबीर, संसद सदस्य, निदेशक, नया थियेटर, 5 ए/17, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली।
10. श्री जशवंत टक्कर, 56, टैगोर पार्क, अम्बावाडी, अहमदाबाद, गुजरात।
11. श्री अबुरी राम कृष्ण राव, 272, ए, न्यू० मलकपेट, हैदराबाद-36।
12. श्रीमती रुपा गुहा ठाकुरता, कलकत्ता यूथ क्वायर, 38, बेलीगंज प्लेस, कलकत्ता-19।
13. श्री अनिता विस्वास, मुख्य संगीत मास्टर, (सुगम संगीत) आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली।
14. श्रीमती सरोजिनी अब्राहम, द्वारा श्री आबु अब्राहम, 113, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।
15. प्रो० मुनिश रज़ा, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, न्यू० महरोली रोड, नई दिल्ली।
16. श्री पी० सी० चटर्जी, उपमहानिदेशक, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली।
17. श्रीमती एस० सान्याल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली।
18. श्रीमती विजय मेहता, 14, अशोक अपार्टमेंट, पाटिल हाल के पीछे, नापिन सी रोड, बम्बई।
19. श्री इन्द्र राजदान, 1–4 जंगपुरा-बी, नई दिल्ली।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लोक कलाओं के संरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय को निदेश

6625. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के निदेश दिये हैं कि शैक्षणिक और शैक्षिक महत्व की लोक कलाओं को संरक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष विभाग खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता हेतु यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ।

इस समय विश्वविद्यालयों में कई विभाग इस क्षेत्र में अध्ययन/अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं तथा उन्हें आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है । ललित कला तथा सांस्कृतिक अध्ययन के विकास के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के प्रश्न पर आयोग विचार कर रहा है । इस योजना के कार्यक्षेत्र में लोक कलाओं को भी शामिल किया जाएगा ।

सवानिवृत्त होने पर सरकारी क्वार्टर न छोड़ने वाले/खाली न करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

6626. श्री हरि सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने (1) 1 जनवरी, 1970, (2) 1 जनवरी, 1971, (3) 1 जनवरी, 1972 और (4) 1 जनवरी 1973 से सेवा निवृत्त होने के उपरान्त भी अभी तक अपने सरकारी आवास छोड़े अथवा खाली नहीं किये हैं;

(ख) क्या सेवा निवृत्त होने के इतने लम्बे समय के पश्चात तक भी उन्हें अपने आवास रखने की अनुमति के कारण गैर आवंटियों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं; और यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) उन्हें क्वार्टरों से निकालने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है और किस तिथि तक यह कार्य पूरा किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों ने सेवा निवृत्त होने के उपरान्त भी नई दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के आवास को नहीं छोडा है; उन की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	वर्ष	सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संख्या, जिनके दखल में आवास हैं ।
1.	1-1-70 को	40
2.	1-1-71 को	75
3.	1-1-72 को	136
4.	1-1-73 को	102
		353

(ख) जिस सीमा तक आवासीय एकक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के दखल में रहते है, गैर-आबंटी उस सीमा तक आवास से वंचित रहते हैं। कुछ मामलों में नियमों के अन्तर्गत देय रियायती छूट के उपरान्त सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा अथवा उसके कुटुम्ब में बीमारी के आधार पर छः मास की अवधि तक मकान को और दखल में रखने की अनुमति आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी जाती है।

(ग) जो सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल के वास को दखल में रखे रहते हैं, उनके बारे में कार्यवाही लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम के अधीन तथा नैसर्गिक न्याय के हित में अनधिकृत दखलकार को सरकारी वास से अन्तिम रूप से बदखल किय जाने से पहले पर्याप्त अवसर दिया जाना अपेक्षित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में वास्तविक बेदखली किस समय तक होगी।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों में कदाचार

6627. **श्री शशी भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कौन-कौन सी तथा कितनी उचित मूल्य की दुकानों को मिलावट, झूटे राशन कार्ड रखने तथा अन्य कदाचारों जैसे विभिन्न अपराधों का दोषी पाया गया;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) ऐसी दुकानों का समुचित प्रचार करने, जिससे कि जनता उनके बारे में जागरूक हो सके, उनका नाम काली सूची में रखने और उनका लाइसेंस रद्द करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4773/73**]

(ग) खाद्य तथा सम्भरण विभाग, दिल्ली में एक शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है जहां निरीक्षक दिन-रात ड्यूटी पर रहते हैं। शिकायत कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और उन्हें कानुनानसार सजा दी जाती है।

दिल्ली में बोगस राशन यूनिटों की जांच

6628. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी राशन कार्डों की जांच इस बीच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो राशन के कितने बोगस यूनिटों का पता लगाया गया है;

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) क्या यह सिद्ध हो गया है कि इन बोगस राशन यूनिटों के पीछे राशन इन्सपेक्टरों का हाथ था; यदि हां, तो ऐसे इन्सपेक्टरों के नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) 15 सर्किलों में से 5 सर्किलों की जांच हो गई है। अनाज और चीनी के मामले में संदिग्ध जाली यूनिट क्रशमः 6.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है। आगामी जांच-पड़ताल और जांच का कार्य प्रगति पर है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास खाली न करना

6629. **श्री लालजी भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) क्या बहुत से भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी भी सरकारी आवास खाली नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) छः भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अपने मकान खाली नहीं किये हैं। उनमें से 2 भूतपूर्व संसद सदस्यों ने और अवधि के लिये मकानों को अपने पास रखने का अनुरोध किया है जो विचाराधीन है। इन छः के अतिरिक्त, पांच और भूतपूर्व संसद सदस्य हैं जिन्होंने अपने मुख्य मकान तो खाली कर दिये हैं परन्तु सर्वेंट क्वार्टरों/गराजों को अभी तक खाली नहीं किया है ।

राजस्थान में नसबन्दी के लिए केन्द्रीय सहायता

6631. **श्री लालजी भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1971-72 में नसबन्दी के कितने आपरेशन हुए;

(ख) क्या राजस्थान में वर्ष 1973 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और केन्द्र ने राजस्थान सरकार को इस उद्देश्य से कितनी सहायता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) पुरुष नसबन्दी आपरेशनों के लिए 1972-73 के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि उक्त वर्ष के लिए राजस्थान के लिए 265,560 नसबन्दियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1973-74 वर्ष के लिए नसबन्दियों का लक्ष्य और वित्तीय आबंटन अभी निर्धारित किये जाने हैं ।

(ग) 1972-73 के दौरान, फरवरी तक, 61,409 नसबन्दियां (आंकडे अस्थायी है) की गई। पुरुष नसबन्दी कार्यक्रम के लिए अलग से वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता है। 1972-73 के दौरान राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल 281,58 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है ।

विवरण

1971-72 वर्ष के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में किये गए पुरुष नसबन्दी के मामलों की संख्या

जिला	1971-72 में किय गए नस-बन्दी के मामलों की संख्या
1. अजमेर	680
2. अलवर	1,266
3. बांसवाडा	756
4. बाड़मेंर	323
5. भरतपुर	914
6. भीलवाड़ा	839
7. बीकानेर	590
8. बूंदी	572
9. चित्तौड़गढ़	964
10. चुरु	1,093
11. डून्गरपुर	206
12. गंगानगर	905
13. जयपुर	3,007
14. जैसलमेर	19
15. जालौर	81
16. झौलवाड	1,020
17. झुंझनू	1,101
18. जोधपुर	550
19. कोटा	1,660
20. नागौर	1,281
21. पाली	827
22. सवाई-माधोपुर	1,631
23. सीकर	1,287
24. सिरोही	155
25. टोक	398
26. उदयपुर	2,328
कुल	24,453

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों को आबंटित बंगलों का राज्य भवनों में परिवर्तित करना

6632. **श्री लालजी भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों को आबंटित कुछ बंगले "बंगाल हाउस", "मध्य प्रदेश हाउस" अथवा "उड़ीसा हाउस" के रूप में परिवर्तित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख) सर्कुलर रोड का बंगला नं० 2, जो श्री एस० एस० राय के दखल में था जब वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री थे, तथा सफ्दरजंग रोड पर बंगला नं० 7, जो पहले श्री पी० सी० सेठी द्वारा उन के केन्द्रीय सरकार में मंत्री होने के नाते दखल में था, राज्य सरकारों के प्रयोगहेतु क्रमश: पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश की सरकारों को दे दिये गये थे। विलिंगडन क्रीसेंट का बंगला नं० 13 भी 4-1-1973 को राज्य सरकार के प्रयोग के लिये उडीसा सरकार को दे दिया गया था।

Acreage and Allotment of Land of Rajasthan Canal Area during 1971-72 and 1972-73

6633. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land surrounding the Rajasthan canal allotted during 1971-72 and 1972-73 and the names of the persons to whom this land was allotted separately;

(b) whether there is any scheme to allot the land surrounding Rajasthan canal to the families of the persons belonging to backward and scheduled tribes ; and

(c) if so, the salient features in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the House when received.

विभिन्न प्रदेशों में खेलकूद स्कूलों की स्थापना

6634. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ समय पूर्व भारत के विभिन्न प्रदेशों में पांच खेलकूद स्कूल खोलने का निश्चय किया था,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निर्णय कर लिया गया है कि वे स्कूल कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे,

(ग) क्या यह निश्चय अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिशों के आधार पर है, और

(घ) उक्त स्कूलों की मुख्य बातें क्या हैं और इन पर क्या व्यय होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) प्रस्ताव की अभी भी जांच की जा रही है।

मंगलौर पत्तन के तटवूर प्रदेश के विकास की योजना

6635. **श्री पीलू मोदी :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पत्तन और उर्वरक कारखाने के चालू होने के कारण सहायक खाद्यान्नों की उत्पन्न होने वाली नई मांगों की पूर्ति के लिए मंगलौ परत्तन के तटदूर प्रदेश के विकास की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मंगलौर बंदरगाह के पश्चदेश के विकास से संबंधित विषय, मैसूर सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है । अत: नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास पत्तन और उर्वरक कारखाने के परिचालन के फलस्वरूप गौण खाद्यपदार्थों की नई मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है ।

ज्ञात हुआ है कि पश्चदेश के समेकित विकास को सूनिश्चित करने की दृष्टि से विशिष्ट कार्यक्रम बनाने और कार्यान्वित करने के लिए मैसूर सरकार ने एक पश्चदेश विकास समिति का गठन किया है जिसका अध्यक्ष उसका क्षेत्रीय प्रभागीय आयुक्त होगा । बताया जाता है कि उक्त समिति, पश्चदेश में अन्य बातों के साथ साथ गौण खाद्यपदार्थों संबंधी विस्तृत मांगों की विस्तृत योजनायें भी तैयार कर रही है ।

बड़े शहरों में नगरीयकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

6636. **श्री झारखंडे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामनवैल्थ एसोसिएशन आफ प्लैनर्स के नई दिल्ली में हाल ही में हुए सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि विकासशील देश, बड़े शहरों में बहुत अधिक संख्या में लोगों के आगमन के संदर्भ में नगरीय-करण के विषय में राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नगरीयकरण के विषय में राष्ट्रीय नीति बनाने का है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

नीन्दाकारा, क्विलोन (केरल) के मत्स्य पत्तनों के विकास की योजना

6637. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में क्विलीन के निकट नीन्दाकारा में पत्तन के विकास की एक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) केन्द्र ने उस बारे में क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार का नीन्दाकारा में 7.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मत्स्य पत्तन की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव भेजा था । परियोजना के भाग (क) के अनुमान में पतन तथा जलर्ति, बिजली, भूमि अधिग्रहण, तल कर्षण, घाट एवं जेटी, सड़क तथा पड़ाव क्षेत्र, जल निकास, कणन जल

का सुधार, आदि सम्मिलित हैं। भाग (ख) में भवनों, बर्फ बनाने के संयंत्रों, डिब्बाबंदी, परिवहन की सुविधाओं, मरम्मत सुविधाओं, आदि की व्यवस्था है। पत्तन की योजनाएं 300 यंत्रीकृत नौकाओं तथा 60 ट्रालरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये बनाई गई थीं।

(ग) मीन-ग्रहण पत्तनों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम परियोजना देश में पत्तनों के लिए सम्भाव्य स्थानों की जांच करके चुने गये स्थानों के लिये योजनाएं तथा अनुमान तैयार कर रही है। इस परियोजना को निदेश दिये गये थे कि वह नीन्दाकारा को केरल में जांच किये जाने वाले पत्तन के स्थानों की सूची में सम्मिलित करें और केरल सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना ने विस्तृत जांच करने के पश्चात् नीन्दाकारा के मत्स्य पत्तन के लिये दो भागों, अर्थात् (1) इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण तथा मृदा अन्वेषण और डिजायन, तथा (2) आर्थिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। खाद्य एवं कृषि संगठन से यह रिपोर्ट मार्च, 1973 में प्राप्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सर्वेक्षण परियोजना द्वारा तैयार की गई परियोजना में 160 लाख रुपये की कुल लागत से बांधों, घाट, पाया, नौका-स्थलों का निर्माण, तट की सुविधाओं की व्यवस्था तथा तल कर्षण करने की व्यवस्था है। यह परियोजना 10 मीटर से 12 मीटर तक की 400 कोटी छोटी नौकाओं, 16 मीटर से 18 मीटर तक की 30 नौकाओं तथा 28 मीटर की 10 नौकाओं की व्यवस्था करने के लिये तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की एक-एक प्रति जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और योजना आयोग की सहमति के लिये भेजी जा रही हैं। राज्य सरकार को भी एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वह वर्तमान दरों के आधार पर लागत के प्राक्कलनों की जांच करे तथा मत्स्य नौकाओं आदि के लिए वर्ष वार आधार पर कार्यक्रम तैयार करे। जांच पूरी होने के पश्चात् ही वित्त मंत्रालय के परामर्श से पत्तन की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री नारायण मेडिकल मिशन, शेन्तालय, केरल द्वारा "आक्सिलरी नर्सिस एण्ड मिडवाइफ्स" अनुदान के लिए अनुरोध

6638. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री नारायण मेडिकल मिशन, शेन्तालय, केरल से "आक्सीलरी नर्सिस एण्ड मिड-वाइब्स" अनुदान के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां।

(ख) मिशन ने श्री नारायण मेडिकल मिशन शेन्तालय, केरल में सहायक नर्स धात्रियों का एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिए आवर्त्तक और अनावर्त्तक अनुदान के लिये अनुरोध किया था।

(ग) सरकार द्वारा यह प्रभाव स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि केरल में पहले ही फालतू प्रशिक्षित सहायक नर्स धात्रियां हैं।

सेन्ट्रल शुगर मिल्स, समस्तीपुर में गन्ने की पिराई में तेजी से कमी आना

6639. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल शुगर मिल्स, समस्तीपुर में गत कई वर्षों से गन्ने की पिराई लगातार तेजी से घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या यह मिल घाटे में चल रही है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान समस्तीपुर शुगर फैक्ट्री द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इन मात्राओं में प्रत्येक वर्ष उतार-चढ़ाव होता रहा है और हाल के वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आयी है। यह गिरावट अन्य नकदी फसलों से होड़ होने के कारण गन्ने के क्षेत्र में कमी होने से आती है। फलतः यह फैक्ट्री हानि में चलती रही है। बिहार सरकार ने बताया है कि स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कारखाने के क्षेत्र में गन्ने की सघन खेती करने के लिए पैकेज कार्यक्रम शुरू किया है और अगले वर्ष के लिए गन्ने की खेती लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है।

विवरण

समस्तीपुर शुगर फैक्ट्री द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान पेरे गये गन्ने की मात्रा बताने वाला विवरण

वर्ष	पेरे गये गन्ने की मात्रा (मी०टन)
1963–64	32555
1964–65	74682
1965–66	101333
1966–67	41789
1967–68	21203
1968–69	58671
1969–70	86673
1970–71	63585
1971–72	24618
1972–73	26730

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

6640. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने तमिलनाडु सरकार को शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस रूप में तथा कितनी दी गई है ; और

(ग) यह सहायता किन योजनाओं के लिए दी गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडू आवास बोर्ड को आवास तथा नगर विकास निगम समिति की वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत ऋण	दिया गया ऋण	ब्याज की दर	वर्ग	मकान/फ्लैट	बिक्री के लिय प्लाट
			(लाख रुपयों में)					
1	कोरातूर आवास योजना	16-10-71	238.00	137.00	7.1/2%	गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग .	136	329
						निम्न आय वर्ग .	365	157
						मध्यम आय वर्ग .	300	156
						वाणिज्यिक .	..	90
						सामुदायिक भवन .	..	9
						जोड़ .	801	741
2	मद्रास नगर तथा वातावरण संबंधी	14-3-72	625.00	52.00	6.1/2%	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग . .	2068	..
						निम्न आय वर्ग .	848	..
						मध्यम आय वर्ग .	797	..
						उच्च आय वर्ग .	20	..
						दुकाने . .	58	..
						जोड़ .	3791	..
3	लकड़ी कार्य एकक, मद्रास .	11-11-72	14.00	..	7.1/2%			
4	मद्रास में अर्ध मशीनी भट्टा .	21-2-73	7.22	..	7.1/2%			

ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिये अलग-अलग राशन कार्ड जारी करना

6641. श्री माधुर्य हालदार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निश्चय किया है कि ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को समूचे परिवार के लिए राशन कार्ड जारी करने की वर्तमान प्रणाली के बजाए अलग-अलग राशन कार्ड दिए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राज्य सरकारों को राज्य में राशन कार्डों के वितरण की प्रणाली के बारे में निर्णय करना है। परिवार-वार राशन कार्डों की मौजूदा प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

Forcible Vasectomy of Harijans

6642. Shri Chhatarapati Ambesh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news-item published under the caption 'Harijans ki Zabran Nasbandi ki janch' (enquiry regarding forcible vasectomy of Harijans) in Nav Bharat Times of the 7th February, 1973 to the effect that the policemen of Jagatpur, district of Rae Bareily in Uttar Pradesh forcibly got the four Harijans sterilized;

(b) whether the Superintendent of Police has ordered to make an enquiry of this incident ;

(c) if so, the facts of the incident ; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (d) Information has been called for from the State Government and it will be laid on the table of the House on receipt.

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट देना

6643. श्री अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दे दी है,

(ख) क्या यह छूट उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों, जो दिल्ली के वास्तविक निवासी हैं, को ही दी गई है,

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों जो दिल्ली के निवासी नहीं हैं, को इस छूट से वंचित रखा गया है, और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) : भारत सरकार ने, 1970 में यह निर्णय किया था कि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा सभी संघीय क्षेत्रों में संचालित परीक्षाओं के शुल्कों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे छात्रों को जो संघीय क्षेत्रों के वास्तविक निवासी हों, छूट दे दी जाए। संबंधित प्रशासन, किसी विशेष वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के आधार पर विश्वविद्यालय अथवा बोर्डों को आवश्यक भुगतान करेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे छात्रों के संबंध में, जो राज्य सरकारों के हों, किन्तु जो केवल संघीय क्षेत्रों में रह रहे हों, इसी प्रकार की रियायतें स्वीकृत करने का कार्य राज्य सरकारों का है। इसलिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे छात्र, जो दिल्ली संघीय क्षेत्र के वास्तविक निवासी नहीं हों, परीक्षा शुल्क से छूट पाने के हकदार नहीं हैं।

देश के चिकित्सा कालेजों में सीटों की कमी

6644. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में चिकित्सा कालेजों में सीटों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और विशेषकर राजस्थान के चिकित्सा कालेजों, में, कितनी सीटें बढ़ाई जा रही है; और

(ग) क्या अपेक्षित योग्यताएं पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए इन कालेजों में सीटों का आरक्षण करने के बारे में भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) जी हां। देश में शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि होने और सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार होने से उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या और उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या में व्यापक अन्तर है। मेडिकल कालेजों के बारे में भी यह सत्य है। शिक्षा की सभी शाखाओं में उच्चतर शिक्षा के लिये प्रतियोगिता तीव्र होती जा रही है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति आज शायद अपेक्षाकृत अधिक विषम है।

(ख) नये मेडिकल कालेज खोलना अथवा वर्तमान मेडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाना राज्य क्षेत्र में आता है। सरकार की इस बात का पता नहीं है कि राज्य सरकारों का और विशेषरूप से राजस्थान सरकार का वर्तमान मेडिकल कालेजों में दाखिलें की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं। राजस्थान के मामले में राज्य सरकार के सामने डाक्टरों में बेरोजगार की समस्या बतलाई जाती है। राज्य में ऐसी स्थिति होने के कारण ऐसी कोई सम्भावना नहीं कि राजस्थान सरकार वर्तमान 5 मेडिकल कालेजों में दाखिल की क्षमता बढ़ाये।

(ग) देश में मेडिकल कालेजों में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण पहले ही से विद्यमान है।

कृषि मंत्रालय के अधीन विभिन्न समितियों के अवैतनिक सदस्यों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति

6645. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न समितियों / आयोगों में अवैतनिक सदस्यों के रूप में कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उनकी योग्यताएं क्या हैं और गत तीन वर्षों में वर्षवार उन्हें अनेक प्रकार के भत्तों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Salient [features of the Urban Rural Planning Organisations

6646. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the salient features of the Urban Rural Planning Organisation and the names of the places where these have been set up ; and

(b) their achievements as also the expenditure incurred thereon during the last year?

The Minister of state in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Most of the States and Union Territories except Mizoram, Andaman and Nicobar Islands and Arunachal Pradesh are having Town and Country Planning Departments. The task entrusted to them is to prepare Urban and Regional Development Programmes in a rationalised manner. These Departments are located at the State headquarters and they regulate, control and guide, development within the regional framework.

(b) During the 3rd Plan Period development plan for 67 Urban Centre were completed. 206 more Centres have been included for preparation of development plan during the 4th Plan.

Since the scheme is now in the State Sector and Central Assistance is given in the form of block loans and block grants, the expenditure figures, incurred over this scheme during the last year is not readily available.

Amount spend on Handicapped Children

6647. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the amount spent by the Social Welfare Department on handicapped children in the country during the last three years, annually, item-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : A Statement is attached.

STATEMENT

Sl. No.	Name of Programme	Expenditure (Rs. in Lakhs)		
		1970-71	1971-72	1972-73
** 1	National Centre for the Blind, Dehra Dun	12.16	12.75	13.26
2	School for partially Deaf Children, Hydrabad	0.63	1.23	1.38
3	Model School for Mentally Retarded Children, New Delhi	1.90	2.10	2.34
** 4	Assistance to voluntary organisations for the handicapped	7.79	7.75	14.10
5	Scholarships for the physically handicapped .	12.99	14.79	15.24

**The National Centre for the Blind and many voluntary organisations have composite programmes intended for children and adults. Since it is not possible to separate expenditure incurred on children, total figures have been shown.

Distribution of Foodgrains in cities and villages after the take over of wholesale trade

6648. Shri M. C. Daga :
Shri Jagdish Narain Mandal:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether the foodgrains would be distributed through Ration Cards in cities and villages after the takeover of the same and if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): Even after the take over of the wholesale trade in wheat and rice, the existing system of distribution of foodgrains in through fair price shops in urban, rural and inaccessible area will continue. The procured stocks will be taken into the Central Pool and releases will be made to the States to meet their reasonable requirements. State Governments will decide the mode of distribution having regard to the actual situation in each State. The consumer cooperatives in the urban areas and the marketing and service cooperatives in the rural areas will be utilised for retail distribution to the maximum extent.

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बम्बई को चावल की तस्करी

6649. चौधरी राम प्रकाश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बम्बई को हो रही चावल की तस्करी की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो अभियुक्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 4 मामले पकड़े हैं ।

(ख) तीन मामलों में, प्रत्येक मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । तीसरे मामले में एक अभियुक्त का दोष सिद्ध हो गया है और दूसरा अभियुक्त छोड़ दिया गया था । चौथे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी ।

अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिमाचल प्रदेशों में पोंग बांध में जल के शीघ्र अवरुद्ध होने का समाचार

Shri Moolchand Daga (Pali) : Sir, I have a point of order. It is not a matter of urgent Public Importance.

Shri Vikram Mahajan (Kangra): Sir, the hon. member does not know the problem.

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा, कृपया बैठ जाएं । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मण्डी) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बीनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि व इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध में जल के शीघ्र अवरुद्ध होने और उसके परिणामस्वरुप एक लाख लोगों के विस्थापित होने की आशंका का समाचार ।"

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भारत में व्यास नदी के जल-समूपयोजन को बनाए रखने के लिए इस नदी पर एक बांध पिछले 13 वर्षों से निर्माणाधीन है । अब ऐसी हिथति आ पहुंची है जबकि आगामी मानसून के दौरान इस नदी के जल का संचय करना तथा उसका सिंचाई के विकास के लिए समुपयोजन करना वांछनीय है । इसके परिणामस्वरूप लगभग एक मिलियन टन तक अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्ति का महत्वपूर्ण लाभ होगा । इसके अतिरिक्त इस बांध के पूर्ण होने के साथ अब तक पाकिस्तान की ओर वह जाने व्यास नदी के मानसून जल की एक बहुत बडी मात्रा को काम में लाकर, भारत में उसका लाभकारी उपयोग किया जाएगा ।

इस वर्ष जल का आंशिक संचयन ही किया जाएगा जो कि परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित ई०एल० 1400 के जलाशय स्तर के प्रति ई0 एल0 1365 तक ही होगा । रबी सिंचाई-काल के अंत तक जलाशय में जल स्तर लगभग ई0 एल0 1200 तक नीचे चला जाएगा । (नदी तल का स्तर ई० एल० 1100 है ।)

अब तक कुल 71,000 एकड़ में से 58.000 एका भूमि तथा उस पर सभी सम्पत्तियों के लिए अधिकतर अदायगियां कर दी गई है तथा उसका अर्जन कर लिया गया है : शेष भूमि कुछ महीनों के भीतर अर्जन कर ली जाएगी । हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, अधिकतम जलाशय स्तर पर प्रभावित होने वाले लगभग 20,000 परिवारों के प्रति इस वर्ष अधिक जल-संचयन से लगभग 14,000 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है । इन परिवारों के एक बड़े भाग का पुर्नवास राजस्थान में किया जाना है । इस उद्देश्य के लिए, राजस्थान सरकार ने 6.35 हेक्टेयर (15.625 एकड) भूमि प्रति विस्थापित परिवार की दर से आबंटन करने के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में लगभग 0.91 लाख हैक्टेयर (2.25 लाख एकड़) भूम अलग रख ली हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन शेष परिवारों की, जिनको उपयुक्त भूमि में जगह नहीं दी जा सकती, देखरेख का कार्य शुरू कर दिया है ।

विस्थापितों के लिए पृथक् रखी गई भूमि में से अब तक लगभग 0.445 लाख हैक्टेयर (1.10 लाख एकड़) भूमि में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । भूमि के उपलब्ध

(श्री बाल गोविंद वर्मा)

तथा उसके आबंटन होने पर शेष भूमि के लिए, बारहमासी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पौंग बांध में जल–संचय के पश्चात् ही किया जा सकता है। इसे करने के लिए योजनानुसार जल का आंशिक संचय करना आवश्यक है। अस्थायी अंतर्वर्ती प्रबन्धों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार परियोजना द्वारा की जाएगी।

श्री वीरभद्र सिंह : यह ध्यानाकर्ष प्रस्ताव राजस्थान राज्य अथवा किसी अन्य राज्य के विरूद्ध नहीं है। यह तो मुख्य रूप से कठिनाइयों को सामने लाने के विचार से प्रस्तुत किया गया है

मंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत ही असन्तोषजनक है। इसके द्वारा अपना उत्तर दायित्व दूसरों पर लादने का प्रयास किया गया है। यह विषय पहले भी कई बार इस सदन में उठाया गया था। संक्षेप में मामला यह है कि पोंग बंध के निर्माण के परिणामस्वरूप लगभग 20,000 परिवारों के विस्थापित हो जाने की संभावना है। इन विस्थापितों को बसाने के लिए बहुत कठिनाई से राजस्थान सरकार को राजस्थान में 2.25 लाख एकर भूमि का नियतन करने के लिए मनाया जा सका है। यह बांध अब लगभग पूरा हो चुका है और सरकार अगल मास अर्थात मई से जल को अवरूद्ध करने का सोच रहा है। इस से पानी का स्तर 1365 फुट हो जायेगा और लगभग 14,000 परिवारों पर इसका प्रभाव पडेगा। स्वयं बक्तव्य में भी यह बात स्वीकार की गई है।

राजस्थान में नियत की गई 2.25 लाख एकर भूमि में से केवल 1.1 लाख एकड़ भूमि इस समय सिंचित भूमि है और शेष शुष्क भूमि है। इसमें लगभग 7,000 परिवारों को बसाया जा सकता है जबकि 14,000 परिवार इस समय प्रभावित होने वाले हैं।

सरकार का इन शेष 7,000 परिवारों को बसाने के संबंध में क्या करने का विचार है? माननीय मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईन परिवारों की देखरेख करना स्वीकार कर लिया है। परतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने इससे इन्कार किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने डा० के० एल० राव को पत्र लिख कर कहा है कि हिमाचल सरकार शेष परिवारों की देख रेख राजस्थान सरकार द्वारा 2.25 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध कर देने के पश्चात ही करेगी। वक्तव्य से प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार ने अभी केवल 1.1 लाख एकड़ भूमि ही उपलब्ध की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन का नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं हैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री वीरभद्र सिंह : शेष भूमि बंजर है। आप लोगों को हिमाचल से जाकर राजस्थान में बंजर भूमि पर बसने को नहीं कह सकते। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देने कि बांध में जल तब तक अवरूद्ध नहीं किया जायेगा जब तक विस्थापितों को ठीक तरह से बसाया न जाय। यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि यह बात राष्ट्रीय हित में नहीं है तो मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार से कहा जाये कि उस सरकार के पास उपलब्ध सिंचित भूमि में से इन परिवारों को भूमि दी जाये। लोगों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है अतः उनका पुनर्वास जरूरी है। क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न को राजस्थान सरकार के साथ उठायेंगे?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने 1.10 लाख एकड़ भूमि के नियतन की बात उठाते हुए शेष भूमि के नियतन की बात पूछी है, मेरा अनुरोध यह है कि राजस्थान नहर पूरी तरह ब्यास नदी के जल पर निर्भर है। ब्यास नदी में राजस्थान में रबी की फसल के लिए भूमि की सिंचाई के पर्याप्त पानी नहीं है, अतः पानी को अवरूद्ध करने की आवश्यकता है।

पोंग बांध का सारा काम पानी को जमा करना है। इसे चाहे इस वर्ष से किया जाये चाहे अगले वर्ष से था उसके भी बाद से। परन्तु छः महीने ऐसे आएंगे की जब पानी नहीं होगा। अतः जमा करना ही होगा, पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 2.25 लाख एकड़ भूमि नियत की गई है। अनुपगढ़ शोखा में जो 1.10 लाख एकड़ भूमि है उसमें से आगे जा कर बहुत अच्छी भूमि है। इसी प्रकार अगली शाखा में भी बहुत अच्छी भूमि है। परंतु पोंग बांध में पानी न होने के कारण ही वहां पर पानी नहीं पहुच सकता। इस कारण पानी को जमा करने की आवश्यकता है।

यह ठीक है कि हिमाचल के लोगों को कठिनाइयां है। परन्तु वे केवल हिमाचल के ही लोग नहीं हैं। वे सारे देश के हैं। अतः उनकी कठिनाइयों को हल करना हमारा कर्तव्य है। मैंने वक्तव्य में बताया भी है कि हर उपाय किया जायेगा। धन की व्यवस्था की जायेगी। उन लोगों की उपेक्षा नहीं की जा रही है। उनकी कठिनाइयों के लिए यदि, माननीय सदस्य का कोई सुझाव है तो हम उस पर विचार करने को तत्पर हैं।

हमने पोंग बांध का निर्माण जिस समय प्रारंभ किया था पाकिस्तान ने उसी समय इसी क्षमता के और इसी लागत पर मंगला बांध का कार्य प्रारंभ किया। वह बांध 1967 में पूरा हो गया परंतु यह अभी पूरा नहीं हुआ और इसके कारण पाकिस्तान को व्यास नदी के पानी का लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः पानी के उपयोग को शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। दूसरा राष्ट्रीय कर्तव्य हमारा यह भी है कि विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाया जायें।

जहां तक भूमि उपलब्ध कराने का संबंध है, जहां पर भी भूमि दी जायेगी वहां रबी फसल के लिए पानी न होने की समस्या होगी। जो जगह दी गई है वह बहुत अच्छी है परन्तु फिर भी मैं इस संबध में राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा।

Shri Pratap Singh (Simla) : We do not want to say anything against Rajasthan Government. Construction of this Dam has been going on for 13 years and we have not been able to rehabilitate the oustees. May I know who is responsible for this delay? It was decided in the meetings held in 1966 and 1970 that Rajasthan Government would make available 2.25 lakh acres of land for the rehabilitation of the oustees. But Rajasthan Government nas been putting obstacles in the actual rehabilitation. We have waited for 13 years for the water and there should not be any objection if we have to wait a year more so that oustees could be rehabilitated properly. If there are any obstacles in their rehabilitation, I would request the Central Government to take over the responsibility.

All the oustees are Agriculturists, they are poor Harijans and belong to weaker sections. We should, therefore, wait for some more time and rehabilitate these persons before impounding the water in the Dam. Till that time, the tunnels should not be closed. Some people have not so far been paid compensation. If we resort to impounding of water without paying compensation that would be illegal. I would, therefore, request the hon. Minister to assure the House that unless these oustees are rehabilitated on 2.25 Lakh acres of land to be made available by the Rajasthan Government, water would not be impounded in the Dam.

डा० के० एल० राव : स्थिति यह है कि 28 करोड रुपये में से लगभग 25 करोड रुपये अदा किये जा चुके हैं शेष 3 करोड रुपये भी अदा कर दिये जायेंगे।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार पुनर्वास कार्य को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती? मैं मानता हूं कि पुनर्वास कार्य एक कठिन समस्या है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सुन्दर घाटियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में जाना बहुत कठिन है।

[डा० के० एल० राव]

पुनर्वास का काम अकेले केन्द्र अथवा राज्य का नहीं है। केन्द्र हिमाचल सरकार को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने को तैयार है। उस राज्य के मुख्य मंत्री ने हमें पत्र लिखे हैं और इस विषय पर आगे चर्चा की जानी है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़) : सिचाई मंत्रालय ने जो व्यवहार किसानों के साथ किया है वैसा कहीं नहीं किया गया है। मैं यह कहने पर विवश हूं कि देश के कमजोर वर्गों, विशेषकर किसानों के लिये प्रधान मंत्री के समूचे कार्यक्रम को यह मंत्रालय जानबूझ कर विफल करने की कोशिश कर रहा है। पिछले तीन वर्षों से मंत्री महोदय आश्वासन देते रहे कि जब तक विस्थापितों का पुनर्वास नहीं किया जायेगा तब तक इस बांध में पानी नहीं रोका जायेगा।

यह आश्वासन क्यों क्रियान्वित नहीं किया गया? क्या इसकी जांच करने के लिये कोई संसदीय समिति नियुक्त की जायेगी?

क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 2.25 लाख एकड भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था और जब तक विस्थापितों को भूमि नहीं दी जायेगी तब तक पानी बांध कर नहीं रखा जायेगा? क्या वह राजस्थान सरकार से कहेंगे कि राजस्थान पहले 7,000 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें? हम इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

मैंने एक विशिष्ठ प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय यदि संभव हो तो विशिष्ट उत्तर दें।

डा० के० एल० राव : मैं अभी भी आश्वासन को मानता हूं आपने लगभग 1,000 आदमियों को पिछले महीने भेजा है।

श्री विक्रम महाजन : मंत्री महोदय सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। केवल 300 व्यक्तियों को भेजा गया है।

डा० के० एल० राव : आज भी हम इस बात पर दृढ़ है कि विस्थापितों को बसाया जाना चाहिये इसके लिये चारों ओर से सहयोग मिलना चाहिये। इस बात की आशा की गयी थी कि बांध पहले ही पूरा हो जायेगा परन्तु वह संभव नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अब भी बातचीत हो रही है। राजस्थान सरकार को उन्हे भूमि देनी है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपूर) : देश के किसी भी भाग में इतना विनाश नहीं हुआ है जितना हिमाचल प्रदेश में। जब भाखड़ा बाध बन रहा था तो हमीरपूर और बिलासपूर जलमग्न हो गए थे, अब जब पौंग बांध बन रहा है तो कांगड़ा जिले की टेहरा तहसील की बारी आ गई है।

11 मार्च, 1970 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में डा० के० एल० राव ने आश्वासन दिया था कि जब तक विस्थापितों को बसाया नहीं जायेगा तब तक पानी अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

आज हजारों परिवार रो रह हैं और मंत्री महोदय उनके संकट को सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय अपने आश्वासन से पीछे हट रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस की विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के प्रश्न के रूप में जांच की जायेगी। मंत्री महोदय आश्वासन से पीछे हट रहे है और अब यह कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार 7000 परिवारों को बसायेगी। हमारे नेता, डा० परमार ने यह कभी नहीं कहा कि वह 7000 परिवारों को बसायेंगे मैं डा० राव को चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करने के लिये एक पंक्ति भी दिखाये कि डा०

परमार अथवा इस सभा या राज्य सभा के किसी सदस्य में यह कहा हो कि हिमाचल प्रदेश में 7000 परिवारों को बसाया जायेगा। डा० परमार ने जो कुछ कहा वह यह है कि राजस्थान में 2.25 एकड़ भूमि पर पुनर्वास कार्य पूरा होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश उनकी ओर ध्यान देगा जिन्हे बसाया नहीं गया है। हम मांग करते हैं कि या तो मंत्री महोदय अपने शब्दों पर दृढ़ रहें या वह यह सुनिश्चित करें कि लोगों को और अधिक कठिनाई न हो।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : माननीय सदस्य...

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : हम चाहते हैं कि डा० राव उत्तर दें क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : उप-मंत्री सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैंने डा० राव के शब्दों का उल्लेख किया है। मैं चाहता हूं कि डा० राव ही उत्तर दें।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन : हम उनकी बात नहीं सुनेंगे।

डा० के० एल० राव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम चारों ओर से सहयोग चाहते हैं। हम विस्थापितों को बसाना चाहते हैं। प्रति मास 2500 विस्थापितों को बसाने का हमारा कार्यक्रम है और हमें आशा है कि अगले दो-तीन महीनों में पुनर्वास कार्य पूरा कर सकेंगे। हम अपने आश्वासनों पर दृढ़ हैं।

अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के बारे में

RE : CLOSURE OF ALIGARH MUSLIM UNIVERISITY

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बंद हो जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

Mr. Speaker : I shall look into it.

श्री एस० ए० शमीम : आपने कोयले की कमी के कारण गाड़ियां रोके जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधान-सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने पर चर्चा कर रही है तो संसद को इस पर चर्चा करने से आप वंचित कैसे रख सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले ही दो बार इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री एस० ए० शमीम : यह कहा गया है कि निहित स्वार्थ सक्रिय हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी भावनाओं को 'नोट' कर लिया है।

श्री एस० ए० शमीम : क्या आप इस पर अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में देखूंगा। मैं वचन नहीं देता। दो दिन पूर्व शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान इस विषय पर चर्चा का अवसर आपको मिला था।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसके बंद होने के प्रश्न पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी।

सिक्किम में स्थिति के बारे में

RE : SITUATION IN SIKKIM

श्री समर गुह (कन्टाई) : सिक्किम के बारे में ....

अध्यक्ष महोदय : इस बारे म मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैंने सिक्किम के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है..

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने मुझे सूचित किया है कि वह आज वक्तव्य देने जा रहे हैं...

श्री समर गुह : हर घण्टे स्थिति बदल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अेस० अेम० बनर्जी : लोग स्वाधीनता के लिये संघर्ष कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ संस्थान, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हू . **(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या अेल० टी० 4752/73)**

आन्ध्र प्रदेश के आवास बोर्ड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम 1956 की धारा 65 के अन्तर्गत आवास बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या अेल० टी० 4753/73 ।]**

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 26 की अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश आवास बोर्ड के वर्ष 1972-73 सम्बन्धी आवास कार्यक्रम, बजट और कर्मचारियों की अनुसूची (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या अेल० टी० 4754/73।**]

हरियाना कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडिगढ़ का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या अेल० टी० 4755/73।**]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

29 वां प्रतिवेदन

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण): मैं भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 20 वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 29 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सिक्किम में स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION IN SIKKIM

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : हाल में सिक्किम में हुए आम चुनावों के बाद तनाव बढ़ गया था क्योंकि सिक्किम दरबार पर अनाचार भ्रष्टाचार तथा चुनाओं में गड़बड़ी करने के आरोप थे।

परिणाम स्वरूप ध्रुवीकरण होने लगा जिसमें एक ओर सिक्किम के महाराजा थे और दूसरी ओर जनता के निर्वाचित राजनीतिक नेता तथा स्वयं जनता थी। दरबार ने कड़ी कार्रवाई की और 27 मार्च को सिक्किम जनता कांग्रेस के अध्यक्ष श्री के० सी० प्रधान को गिरफ़तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की ज्यादतियां शुरू हुई जिसके कारण बहुत से लोग हताहत हुए और सिक्किम दरबार के प्रति जनता में रोष बढ गया।

तत्पश्चात पूरे सिक्किम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। बीस हजार प्रदर्शनकारियों ने गंगकतो में इकट्टा होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग रखते हुए छोग्याल शासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। रंगपो, रेनोक, मेल्ली, नामची गेजिंग जैसे कई महत्वपूर्ण नगरों के पुलिस थानों पर राजनीतिक नेताओं ने तथा उन के नेतृत्व में जनता ने अधिकार कर लिया।

सिक्किम दरबार द्वारा सख्त कदम उठाये जाने के बावजूद चूंकि स्थिति छोग्याल के नियंत्रण से बाहर हो गई अत: छोग्याल ने भारत सरकार से पहले तो रांगपो, रीनोक और मेल्ली स्थित इसके पुलिस थानों को भारतीय सेना द्वारा अपने हाथ में ले लेने का औपचारिक अनुरोध किया और बाद में भारतीय सेना द्वारा स्वयं गंगतोक में भी कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने के लिये अनुरोध किया। इन अनुरोधों के लिए हमारी स्वीकृति का सिक्किम की आम जनता ने भारी स्वागत किया है। अन्तत: जब सम्पूर्ण सिक्किम में कानून और व्यवस्था पूरी तरह भंग हो गई तो दिनांक 8 अप्रैल को छोग्याल

[श्री सूरेंद्र पाल सिंह]

ने हमसे पूरे सिक्किम का प्रशासन सम्भाल लेने के लिए लिखकर अनुरोध किया। उन्होंने भारत सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं देने के लिए भी अनुरोध किया जिसे सिक्किम प्रशासन का प्रमुख नियुक्त किया जा सके। इसके साथ ही सिक्किम के लोकप्रिय नेता और जनता भी बार बार यह मांग कर रही थी कि राज्य का प्रशासन भारत सरकार सम्भाल ले। इसलिए छोग्याल तथा सिक्किम की जनता के अनुरोध पर भारत सरकार ने सिक्किम का प्रशासन सम्भाल लिया और एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रशासन के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त कर दिया है।

सिक्किम के सभी दलों के लोकप्रिय निर्वाचित नेताओं ने भी हमसे सिक्किम में स्थायित्व सुरक्षा तथा एकता को सुनिश्चित करने के लिए कहा। हमने सिक्किम में कानून और व्यवस्था कायम करने तथा सिक्किम के प्रशासन चलाने की जो जिम्मेवारी ली है उसका इन लोगों ने भी स्वागत किया है।

हम अब सिक्किम की जनता के हितों के लिए तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे और यह भी देखेंगे कि सिक्किम राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक संपन्नता के पथ पर अग्रेसर हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : समाचारों के अनुसार भारतीय राजनैतिक अधिकारी श्री वाजपेई ने कहा है कि अन्न समस्याओं के लिये दीर्घावधिक दल निकालने हेतु हमारी इच्छा दरबार को सहायता देने की है . . .

लोगों ने दरबार के विरुद्ध विद्रोह किया है। प्रजातंत्र तथा समाजवाद के नाम पर मैं अनुरोध करूंगा कि दरबार की सहायता न की जाये बल्कि प्रति व्यक्ति के एक मत वाले संविधान के लिये लोगों की सहायता की जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। हम इस बारे में फिर विचार करेंगे।

श्री समर गुह (कटाई) : यह बड़ा नाजुक मामला है। ऐसी स्थिति बनी है कि चौगियाल तथा सिक्किम के लोगों ने भारत को प्रशासन संभालने को कहा है। सिक्किम एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है और इस लिये इस महत्वपूर्ण मामलें पर हमें बोलने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम कुछ समय रख सकते हैं।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsore) : Let us have a discussion over the propriety of the Indian Government's action in Sikkim.

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल सहमत हूं।

दिल्ली विक्री-कर विधेयक
DELHI SALES TAX BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल विक्रय पर कट के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल बिक्रय पर कट के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motiou was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मांग संख्या 10 से 13 पर विचार करेगी। जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे अपनी स्लिपें 15 मिनट के अन्दर सभापटल पर रख दें। उन्हें प्रस्तुत किया समझा जायगा।

वाणिज्य मंत्रालय को वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
10	विदेश व्यापार विभाग . .	4,13,66,000
11	विदेश व्यापार . .	16,54,98,000
12	निर्यात प्रधान उद्योग	7,26,20,000
13	आंतरिक व्यापार विभाग	13,58,09,000

वाणिज्य मंत्रालय के मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किय गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	राशि
10	8	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से ऐसे अनेक भारतीय उत्पादों के निर्यात की सम्भावनायें होने के बावजूद भी उनका निर्यात करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	9	,,	अनेकों वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी उनका आयात जारी रखना।	,,
,,	10	,,	निर्यात व्यापार के सम्बन्ध के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफलता।	,,
,,	11	,,	राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयातित वस्तुओं पर भारी मुनाफे के परिणामस्वरूप छोटे व्यापारियों की व्यावसायिक कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	,,
,,	12	,,	भारतीय निर्यात और आयात व्यापार को संतुलित करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	राशि
10	13	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	14	श्री सी०जनार्दनन्	समूचे आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जायें
,,	15	,,	काजू के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	,,
,,	16	,,	भारत में विदेशी स्वामित्व वाले रबड़ तथा चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	,,
12	17		रबड़ उत्पादकों के पास पड़े समूचे रबड़ स्टाक की खरीद हेतु राज्य व्यापार निगम तथा रबड़ बोर्ड को अधिक सहायता देने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये
,,	18		समुद्री उत्पाद निर्यातकों की अधिक नौवहन सुविधायें देने में विफलता ।	,,
,,	19		गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली अधिक नौकाएं उपलब्ध कराने में विफलता ।	,,
,,	20		केरल काजू निगम को पर्याप्त सहायता देने, जिससे कि वह और अधिक काजू कारखानों का अधिग्रहण कर सके, में विफलता ।	,,
,,	21		प्रादेशिक भाषाओं के और अधिक चलचित्रों का निर्यात करने में विफलता ।	,,
,,	22		रबड़ का आयात बन्द करने में विफलता ।	,,
,,	23		सुपारी का आयात बन्द करने में विफलता ।	,,
,,	24		खादी ग्रामोद्योग को नया रूप देने में विफलता ।	,,

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि मंत्रालय के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन में देश के व्यापार और वाणिज्य के सम्बध में वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । चिथड़ा कांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है परन्तु उसने क्या कार्यवाही की है, इसका हमें आज तक पता नहीं चला । हम मंत्री महोदय से आश्वासन चाहते है कि जो व्यक्ति उत्तपदायी पाये जाये उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी ।

स्पष्ट नीति के अभाव मे देश में व्यापार की हानि हो रही है । हमारी निर्यात नीति का तदर्थ निर्णयों द्वारा निर्णय किया जाता है ।

इस बात का व्यापक प्रचार किया गया है कि अप्रैल से दिसम्बर, 1972 तक निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है । यह दावा किया गया है कि इस अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यातमें 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु यह गुमराह करने वाली बात है । इस अवधि में यह मूल्य वृद्धि के कारण हुई है न कि निर्यात की मात्रा में वृद्धि के कारण ।

यद्यपि यह दावा किया गया है कि 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथापि जहां तक आयोजित लक्ष्य का सम्बन्ध है, इसमें 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था की, चौथी योजना के तीन प्रथम वर्षों में विकास की ौसत दर लगभग 5.8 प्रतिशत थी। कुछ क्षेत्रों में निर्यात थोडा अधिक हुआ था परन्तु अधिक महत्वपूर्ण मदों में हम अपना बाजार खो रहे हैं। पटसन, चीनी, काफी, मसाले, लौह भस्म, मैंगनीज अयस्क आदि वस्तुओं का बाजार भी खो रहे हैं। हम महसूस करते है कि प्रभावी निर्यात नीति के लिये इसे वास्तविक दृष्टिकोण के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये और हमारे देश में निर्यात योग्य फालतू वस्तुओं के समुचित मूल्यांकन के साथ इसे जोडा जाना चाहिये। दुर्भाग्यवश प्रकाशित प्रतिवेदन या अब तक किये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों से किसी जागरूकता का आभास नहीं मिलता है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के निर्यात के विकास में अत्यावश्यक कच्चे माल की कमी के कारण बाह्य और आंतरिक प्रतिकूल बातों के कारण बाधा पडी है परन्तु उसमें यह नहीं बताया गया है कि उसे दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विदेशी बाजार की खोज़, निर्यात-उत्पादन की वृद्धि, प्रतियोगी ीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई आदि की निरन्तर प्रक्रिया हो।

बाजार में कृत्रिम रेशो के आ जाने से तीव्र प्रतियोगिता है। गालीचों के अस्तर निर्यात की महत्वपूर्ण मद है, उसमें 36 प्रतिशत गिरावट हुई है।

निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार कौन सी रीति अपना रही है? यह आवश्यक है कि पटसन की कीमतों को प्रति योगी बताया जाय और उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाय। निर्यात शुल्क को उचित सीमा में रखा जाय।

चाय का अधिकाधिक उत्पादन होना चाहिये। जे० के० पटसन मिल, [कानपुर में श्रमिक हड़ताल पर है। मंत्री महोदय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

चाय से देश को काफी विदेशी मु ा मिलती है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण चाय बागा ों को वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष बिगडती जा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन शुल्क लगाने के लिये अपनाई गई नई क्षेत्रीय प्रणाली से भी छोटे बागानों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यदि मंत्री महोदय उचित समझें तो इस उत्पादन शुल्क को समाप्त कर दें।

इसका क्या कारण है कि चाय विपणन—जिससे हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है—को विदेशी कम्पनियों के हाथों में छोड़ा जाय? यदि आवश्यक हो तो हम चाहते हैं कि चाय के विपणन को सरकारी क्षेत्र में लिया जाना चाहिए।

बहुत से संकटग्रस्त चाय बागानों के बंद हो जाने से बेरोजगारी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिये और देश को बताना चाहिये कि सरकार संकटग्रस्त चाय बागानों को खोलने के बारे में विचार कर रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। 1971-72 में 165 करोड़ रुपये का लक्ष्य होते हुए 126 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इस उत्पादन क्षत्र की क्षमता में वृद्धि करना और घरेलू खपत को समाप्त करना आवश्यक है।

हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई न करने के कारण अब हथकरघा उद्योग गंभीर स्थिति में है। हथकरघा बुनकरों को सप्लाई का आश्वासन नहीं दिया गया और वे कि ी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिससे हथकरघा उद्योग बंद होने वाला है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप केवल बड़ी बड़ी मिलें ऊंची दर पर धागा खरीद सकती हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आयात विनिमयों का उल्लघंन करने के आरोप में 11 'केबल' कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके विरुद्ध य आरोप है कि उन्होंने कच्चे माल का, जितना वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया गया, दुरुपयोग किया। परन्तु आश्चय की बात है कि लाइसेंस लेने के सम्बन्ध में उन पर रोक लगाने के लिये कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

फोटोग्राफी के माल का जितना आयात इस समय देश में हो रहा है उसका सबसे अधिक भाग एक ब्रिटिश कम्पनी को मिल रहा है जबकि भारतीय कम्पनियों को दो से चार प्रतिशत कोटा मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है और उनकी गतिविधियां भी सीमित हुई हैं।

एग्फा लिमिटेड वाले अपना सामान केवल कुछ फर्मों को ही सप्लाई करते हैं। अन्य फर्मों को, जोकि बहुत पुरानी हैं; सामान सप्लाई नहीं किया जाता। सरकार को इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

हमारी मांग है कि पटसन तथा चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये क्योंकि ये दोनों उद्योग देश की आर्थिक प्रगति के अनुसार उन्नति नहीं कर सके। उनके प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में लें ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इन उद्योगों के शोषण को रोका जा सके। इन शब्दों के लिए मैं मांगों का विरोध करता हूँ।

श्री एम० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : मैं मांगों का समर्थन करता हूँ तथा प्रो० चटोपाध्याय तथा उनके साथियों ने वर्ष 1972–73 में जो शानदार कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता लगता है कि 1760 करोड़ रुपये के निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया था वह न केवल पूरा हो जायगा बल्कि निर्यात इसमें बढ़ जायेगा। दूसरे, इस वर्ष व्यापार सन्तुलन हमारे पक्ष में हैं। इस का एक कारण मुद्रा के भाव में उतार-चढ़ाव तथा बंगला देश को माल का निर्यात है। इस स्थिति पर हमें प्रसन्न होना चाहिए हालांकि इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है, हमें प्रतिवर्ष निर्यात बढ़ाकर व्यापार सन्तुलन अपने पक्ष में रखना चाहिए तभी हम आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं; इसी से हम विकास तथा रक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात भी कर सकेंगे।

2 अप्रैल को घोषित की गई आयात नीति का आमतौर पर स्वागत किया गया है। यह एक व्यावहारिक नीति है। इसमें निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए निर्यात कर्ताओं को अधिकार पत्र दिये जायेंगे। इस नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र को अधिक भाग अदा करना होगा। इसमें एक नया परन्तु अच्छा सिद्धांत यह कहा गया है कि निर्यातकर्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर जो स्वदेशी माल दिया जायेगा उसको सभी प्रयोजनों हेतु निर्यात ही समझा जायेगा। हमारा लक्ष्य इकठ्ठे माल की खरीद से होने वाले लाभों को प्राप्त करना तथा उद्योग तथा व्यापार के हितों की रक्षा मात्र होना चाहिए। परन्तु सदा ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र के कुछ निगमों के कार्यकाज के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गत वर्ष कुछ मूल्यांकन दल नियुक्त किये गये थे। मेरा सुझाव है कि इन दलों की सिफारिशों को अवश्य क्रियान्वित किया जाय। अब समय आ गया है जबकि वितरण तथा मूल्य संबंधी नीतियों के पुनर्विलोकन के लिए विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किये जाने चाहिये। सरकारी वितरण अभिकरणों को अपने ग्राहकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिएं तथा एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह देखना राष्ट्रीय हित

में है कि सरकारी अधिकारी अच्छे ढंग से कार्य करें। मैंने पहले ही सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा था कि सरकार तथा वाणिज्य मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाये रखने वाले वाणिज्यिक संगठनों के कार्य को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए। हमारे देश में ऐसे अनेक संगठन हैं। इससे देश का दौरा करने वाले वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डलों की कठिनाइयों में कमी होगी। सरकार को इस कार्य के लिए कोई समिति अथवा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। हमारे यहाँ 17 निर्यात संवर्धन परिषदें हैं, संगठनों से अधिक संख्या होने के कारण मंत्रालय तथा इनके बीच अच्छा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता। इंग्लैंड में वहाँ के वाणिज्यि संघ के कार्य की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

प्रथम बार मंत्रालय के प्रतिवेदन निर्यात नीति संकल्प का पूरा अध्याय लिखा गया है। यह स्वाभाविक ही है कि इस संकल्प में बताये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों पर पूरी तरह अमल किया जायेगा। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों की सहायता से वाणिज्य मंत्रालय निर्यात उत्पादन की ठोंस योजना बना रहा है। अनेक कार्यकारी ग्रुप स्थापित किये गये हैं। उनके कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। हमारा निर्यात इस बात पर निर्भर करता है कि हम कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निर्यात के लिए कितना माल बचाते है। ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक मूल्योंपर किया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि सम्बन्धित मंत्रालयों से संलग्न सलाहकार समिति से अथवा किसी भी आधार पर संसद सदस्यों को अन्तस्थ मंत्रालय समस्याओ को हल करने के लिए चुना जाना चाहिए ताकि वे ठोस कार्यक्रमों का सुझाव दे सकें।

निर्यात शुल्कों के कारण हमारे कुछ मदों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वाणिज्य मंत्रालय को चाहिए कि वह इन शुल्कों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर दे। इन्हीं मदो पर आपात शुल्क हटाने के लिए हम अन्य देशों को कह रहे हैं। यदि हम स्वयं निर्यात शुल्क कम कर दे तो इस से हमारा पक्ष मजबूत हो जाता है। निर्यात की विभिन्न मदों की शुल्क दर तुरन्त निर्धारित की जानी चाहिए।

हाल में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड द्वारा संगठित एक गोष्ठी में यह बताया गया कि हम "जेनेरेलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेन्सिस" से लाभ नहीं उठा सके।

हमारी असफलता का कारण यह है कि हम निर्यात क्षमता का निर्माण नहीं कर सके तथा न ही उत्पादन बढ़ा सके हैं, हमें अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर तथा उत्पादन बढ़ाकर निर्यात बढ़ाना चाहिए। विकासशील देशों में भारत ने अपना नेतृत्व स्थापित किया है और यह तभी स्थापित रहेगा जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर विकास करेंगे।

दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हैं, नवम्बर 1971 में ऐशियाई व्यापार विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया गया था। लौह अयस्क के निर्यात के लिए हमें आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील से मिलकर कोई सांझी नीति अपनानी चाहिए।

प्रो० चट्टोपाध्याय शीघ्र ही जापान जाने वाले हैं। अतः इस अवसर से लाभ उठाकर उन्हें जापानी सरकार से बातचीत करनी चाहिए और जापानी व्यापारीयों को भारत में निर्यात-प्रधान उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

चीन, जापान और अमरीका के एक दूसरे के निकट आने से व्यापार पर जो प्रभाव पड़ेगा हमें उस बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। 'इकेफे' क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का बहुत महत्व है। वियतनाम में युद्ध की समाप्ति तथा उस क्षेत्र के पुर्ननिर्माण से लाभ उठा कर भी हम अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पहले ही इस बारे में अपनी नीति बना लें।

[श्री एम० सुदर्शनम्]

समुद्री माल भाड़े की दरों की भी एक गंभीर समस्या है। अधिभार और मालभाड़े में प्रायः वृद्धि होतीं रहती है। भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही नीति बनानी चाहिए।

तम्बाकू विपणन बोर्ड की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए। इस कार्य को उच्चतम वरीष्टता दी जानी चाहिए।

मंत्रालय ने 1972–73 में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। 1973–74 में 2,000 करोड़ रूपये के निर्यात की योजना बनाना हमारे लिए संभव है।

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचुर) : मैं प्रस्तावित अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूँ। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि नीति संकल्प में अनेक अच्छी बाते है। इस नीति संकल्प के अन्तर्गत तीन-चौथाई आयात तथा निर्यात का पांचवा भाग सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। मैं नहीं समझ सका कि समूचे आयात और निर्यात को अपने हाथ में लेने में सरकार को क्या कठिनाई है। अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट का अच्छी प्रकार सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि समूचे आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हाल में घोषित की गई नई आयात नीति में कुछ नई बातें हैं परन्तु इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है।

यह ठीक है कि इस समय व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है। परन्तु इस वर्ष के अन्त तक यह हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। इसमें से 38 करोड़ रुपये का व्यापार बंगलादेश के साथ किया गया है। दूसरे, लगभग 72 करोड़ रुपये का चमड़े का सामान निर्यात किया गया है। परन्तु चमड़े के अनेक लघु उद्योग बन्द हो गये हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये है। अतः हमें इस प्रकार की अल्पावधि नीति का अनुसरन नहीं करना चाहिए।

जहांतक विकास का भी सम्बन्ध है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे है। इसके लिए अनेक कारण बताये गये हैं। अतः जो तस्वीर हमारे सामने आई है वह बहुत अच्छी नहीं हैं। हम नई मदों का निर्यात नहीं बढ़ा सके हैं।

राज्य व्यापार निगम की कटु आलोचना की गई है। व्यापारी लोगों का कहना है कि यह निगम बहुत अधिक कमीशन लेता है। इसके अतिरिक्त उद्यमकर्ताओं को बिक्रीकर भी देना पड़ता है। प्रत्येक मद के बारे में ऐसी ही शिकायत हैं। इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

एशिया 72 मेला बहुत अच्छा रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि यू० के० तथा अमरीका द्वारा इस में भाग न लिए जाने के क्या कारण हैं। क्या इन दोनों देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था? क्या सरकार उन देशों के साथ, जिन्होंने हमें निमंत्रण का अस्वीकार कर दिया था, व्यापारीक सम्बन्ध समाप्त करने पर विचार करेगी?

समुद्री उत्पाद उद्योग में कुछ सुधार हुआ है परन्तु यह उद्योग अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है। केरल में इसका कुछ विकास हुआ है। परन्तु इस उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे मछली पकड़ने वाले अधिक जहाजों की मांग भी कर रहे हैं। यह ठीक है कि सरकार रूस तथा कुछ अन्य देशों से बातचीत कर रही है परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। समाचार पत्रों में छपा है कि पोलैंड के साथ एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत उस देश से मछली पकड़ने वाले जहाज खरीदें जायेंगे। माननीय मंत्री इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दें। अब भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारपति इस उद्योग में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिसमें एकाधिकारपतियों को इस व्यापार में घुसने से रोका जा सके।

हमारे निर्यात व्यापार में जहाजरानी एक बाधा बन रही है। जहाजरानी कम्पनियों का क सम्मेलन हुआ था जिसमें विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इन कम्पनियों द्वारा हमारी मदों के लिए सुविधायें देने से इन्कार कर दिया था। अतः स्थिति बहुत गम्भीर है इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

रबड़ के मामले में देश आत्म-निर्भर हो गया है। परन्तु फिर भी सिंथेटिक रबड़ आयात किया जा रहा है। सरकार को इसका उत्पादन तथा आयात बन्द करना चाहिए। 15,000 रु० प्राकृतिक रबड़ जमा हो गया है। सरकार को चाहिए कि वह राज्य व्यापार निगम को कहे कि वह इसे खरीद ले। इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेशी लोग हमारे चाय तथा रबड़ बागान को नष्ट करना चाहते हैं सरकार इन का राष्ट्रीयकरण करे।

खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूर उपदान की मांग कर रहे है। वे बोनस तथा मजूरी बढ़ाय जाने की मांग भी कर रहे हैं। परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। हथकरघा बुनकरों को सूत नहीं मिल रहा है। इस समस्या की ओर भी तुरन्त ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद !

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। कपड़ा, कपास, कृत्रिम रेशम आदि उद्योग इस मंत्रालय के अधीन आते है। रबड़, चाय तथा काफी उद्योग भी इस मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी इसी मंत्रालय के अधीन हैं। अतः इस मंत्रालय का बहुत आर्थिक महत्व है। इस वर्ष के दौरान इस मंत्रालय का कार्यकाज संतोषजनक रहा। हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। 39 करोड़ रुपये के अधिक कपड़े का निर्यात किया गया है। अन्य अनेक मदों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

इसके साथ साथ हमारे आयात में कमी हुई है। यह प्रथम वर्ष है जबकि व्यापार सन्तुलन हमारे पक्ष में है।

बिजली की कटौती के कारण हमारे औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात को देखते हुए मंत्रालय को पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए जिससे हमारे निर्यात पर प्रभाव न पड़े तथा हमें अधिक माल का आयात न करना पड़े।

गत कुछ वर्षों से रुई की कमी के कारण कपड़ा उत्पादन को धक्का लगा है। गत दो वर्षों में कपास के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यही कारण है कि कुछ मिले जो बन्द हो गई थी वे पुनः चालू हो गई है। हथकरघों तथा विद्युतचालित करघों में भी उत्पादन बढ़ा है। इस वर्ष हम जापान को भी कपड़ा निर्यात कर रहे हैं हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वह हमसे प्रतियोगिता करता रहा है। इस वर्ष रुई पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। मेरा अनुरोध है कि इस मद पर पहले ही काफी शुल्क लगा हुआ है जिससे लगभग 25 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, इस वर्ष 150 करोड़ रुपये के कपडे का निर्यात किया गया है। आशा है कि अगले वर्ष 176 करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात किया जायेगा। परन्तु यदि शुल्क में वृद्धि की गई तो इस का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयात शुल्क में भी छूट दी जानी चाहिए ताकि हथकरघों तथा विद्युतचालित करघों में उत्पादन पर कुप्रभाव न पड़े।

अब समय आ गया है जबकि कपड़ा उद्योग के विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए आन्तरिक मांग को पूरा करने तथा निर्यात के लिये ऐसा करना आवश्यक है। इसके लिए कुछ मशीनों के आयात की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

[श्री. एस. आर. दामाणी]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने गत कुछ वर्षों से अपने निर्यात कार्य में कुछ सुधार नहीं किया है। प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया जाता है परन्तु उसे कभी पूरा नहीं किया जाता। गत वर्ष 130 लाख टन लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु वास्तव में 70 अथवा 80 लाख टन लौह अयस्क ही निर्यात किया गया। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

टेंडर प्रणाली से हमारे देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस में विदेशी सप्लायर शामिल हो जाते है और वे मूल्यों को बढ़ा देते है।

मैं जानना चाहता हूं कि नई मण्डियां ढूंढने में राज्य व्यापार निगम का योगदान भी है। वास्तव में छोटे उद्यमकर्ता विभिन्न देशों में जाते हैं और आर्डर प्राप्त करते हैं। वे अपना माल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भेजते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम किन नई मदों का निर्यात कर रहा है।

जहां तक हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, इसमें से 50 करोड़ रुपये के हीरों का निर्यात किया गया है, केवल 405 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया है।

बार बार राष्ट्रीयकरण की मांग करने से देश को कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही होती है। जहां तक आप उद्योग का सम्बन्ध है सरकार जब उचित समझे इसका राष्ट्रीयकरण करें।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : तमिलनाडू में लाखों लोग हथकरघा उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस उद्योग में लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों से इन लोगो को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इस का मुख्य कारण धागे की कमी तथा इसके बढ़े मूल्य हैं। विरोधी दल इस स्थिति से लाभ उठाकर डी० एम० के० सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में सलेम में सत्तारुढ़ दल के सदस्यों के हिंसात्मक दृष्टिकोण के कारण स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। इसका लाभ उठाकर कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने हाल में एक बात चला दी है।

तमिल नाडु विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की 200 कताई मिलों में बनने वाले धागे को केवल बुनकरों में ही विलीन किया जाये। मुख्य मंत्री ने 24-2-73 को इस बारे में प्रधान मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा था। परन्तु केन्द्रीय मंत्रालय ने इस रचनात्मक सुझावों पर अभीतक कोई ध्यान नहीं दिया है।

एक अन्य सूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने गलत कहा था कि तमिलनाड सरकार ने उसको अलाट किये गये धागे को भी नहीं लिया है। यह सब कुछ तमिलनाडु सरकार की साक को खराब करने के लिए ही कहा गया है। अब धागे के वितरण पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है। अतः अब भी तमिल नाडु को उसकी आवश्यकता के अनुसार धागा सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

मार्च में तमिलनाडु को आवश्यकता का 85 प्रतिशत भाग सप्लाई किया गया था। परन्तु 21 से 40 काउंट के धागे की जितनी मांग की उसका केवल 32 प्रतिशत भाग ही सप्लाई किया गया था। अतः इससे अधिक काउंट के धागे का केवल 18 प्रतिशत भाग ही सप्लाई किया गया था।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

जहांतक विद्युतचालित करघों का प्रश्न है उनको मार्च में 40 काउंट की कुल 16,000 गांठों की आवश्यकता थी जबकि केवल 1578 गांठें ही सप्लाई की गई थी। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि इससे बुनकरों की समस्या आंशिक रुप से भी हल नहीं होती।

तमिलनाडु में 12 सहकारी कताई मिलें हैं। इनमें बनने वाला धागा जनरल पूल के अन्तर्गत आता है। इस पद्धति के अन्तर्गत सहकारी समितियों को भी अब इन मिलों से धागा नहीं मिलता है। मेरा अनुरोध है कि सहकारी कताई मिलों में बनने वाले धागे को बुनकरों की सहकारी समितियों में वितरित किया जाये। इनकी संख्या लगभग 900 है।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि धागे का निर्यात जारी रहेगा। यह एक अद्भूत स्थिति है। देश में धागे की कमी है परन्तु सरकार इस का निर्यात कर रही है। मेरा अनुरोध है कि देश के लाखों बुनकरों के हितों को देखते हुए सरकार धागे का निर्यात बन्द करे। अन्यथा बुनकरों की स्थिति और खराब हो जायेगी।

एक लम्बी अवधि से यह माग की जा रही है कि कपड़े की कुछ किस्मों का निर्माण केवल हथकरघों में ही होना चाहिए। इस बारे में हमारे मुख्य मंत्री ने एक पत्र प्रधान मंत्री को लिखा था। अतः मेरा अनुरोध है कि कुछ किस्में केवल हथकरघा उद्योग के लिए ही आरक्षित कर दी जायें। सरकार को हथकरघा कपड़े के निर्यात को बढ़ाना चाहिए।

यदि सरकार हथकरघा उद्योग को जीवित रखना चाहती है तो देश की सभी कताई मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तथा बुनकरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार समयपर धागा मिल सकेगा।

तीसरे ऐशियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेले पर 583 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान था परन्तु अन्त में इस पर लगभग 853 लाख रुपये व्यय हुए जो मूल अनुमान से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वृद्धि के कारण क्या हैं?

गत वर्ष काफी का मूल्य 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम था जो अब बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। 1970–71 में काफी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। 1970–71 में 38167 टन काफी निर्यात की गई और अन्तरिक खपत के लिए 69833 टन काफी दी गई। परन्तु इसके बाद के वर्षों में काफी के उत्पादन में कमी हुई। मैं जानना चाहता हं कि कम उत्पादन होने के कारण क्या हैं?

दार्जिलिंग में 6 चाय बागान बन्द कर दिए गये हैं, पूर्वोक्त भारत में अनेक चाय बागान बन्द होने वाले हैं। दक्षिण भारतीय चाय के निर्यात में भी कमी हुई है। क्या चाय की किस्म खराब हो गई है? यदि ऐसा है तो चाय की किस्म सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मैं जानना चाहता हूं कि चाय बागान के बन्द होने के कारण क्या है? इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

23–2–73 को एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि चमड़े की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि के कारण चमड़ा उद्योग संकट में है। मंत्री महोदय ने कहा था कि जूता उद्योग की सहायता के लिए एक योजना बनाई गई है। मैं इस योजना का ब्यौरा जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी?

खादी ग्रामोद्योग ने सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है जिसमें 450 लाख मीटर स्टैण्डर्ड सूती कपड़े का उत्पादन हो सकेगा। इसमें 30000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी।

[श्री ई० आर० कृष्णन]

माननीय मंत्री ने 23-2-73 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनके पास इस बात कि जानकारी नहीं है कि साहुजेन के उद्योगों की विदेशों में कितनी शाखाएं हैं तथा वे कहां कहां पर हैं। इस की जानकारी के बिना सरकार ऐसे कम्पनी द्वारा किये जाने वाले ओवर इन्वायरिंग तथा अन्डर-इन्वायरिंग पर रोक किस प्रकार लगाती होगी।

गत अनेक वर्षों से वाणिज्यिक आसूचना तथा व्यापार सांख्यिकी निदेशालय द्वारा व्यापार के बारे में गलत आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इस बारे में 14-2-73 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में एक लेख छपा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 1972-73 में बंगला देश को 78 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया परन्तु निदेशालय के अनुसार केवल 24 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया है। मैं महसूस करता हूँ कि इस निदेशालय को बन्द कर देना चाहिए।

यदि सरकार अधिक राशि के बीजक बनाने या कम राशि के बीजक बनाने के कदाचारों को समाप्त करना चाहती है तो उसे सारे आयात-निर्यात व्यापार का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी (गोहाटी) : भारतीय अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग पर लगभग दस लाख मजदूर सीधे निर्भर करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी जहां बेरोजगारी बहुत अधिक है इस उद्योग में 2,50,000 लोग काम करते है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में चाय का दूसरा स्थान है। इस उद्योग में मजदूर संगठित है, उनकी मजूरी चिकित्सा सुविधायें भी सुरक्षित है। इस उद्योग ने आसाम तथा दार्जिलिंग के पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक ढंग पर विकास किया है। चाय का प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी भारत में विश्व में सबसे अधिक है। इसके उत्पादन में भी सराहनीय वृद्धि हुई है।

हाल के रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण से पता लगता है कि इस उद्योग में 1965-66 में लगी पूंजी पर 7.7 प्रतिशत लाभ था जबकि 1968-69 में यह प्रतिशतता 5.1 प्रतिशत थी। अतः इसे कम लाभ वाला उद्योग समझा जाता है।

परन्तु इन बातों के बावजूद, इस उद्योग को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोक्त क्षेत्र में अनेक चाय बागान बन्द हो गये हैं और अनेक बन्द होने जा रहे हैं। आसाम में दस चाय बागान बन्द हो गये हैं। बंगाल में 6 बागान बन्द हो गये। अतः सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

देश में विभिन्न ज़ोनों में चाय पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है वह अलग-अलग है। इसमें गत 12 वर्षों में 15 गुना वृद्धि हुई है। देश को पांच ज़ोनों में बांटा गया है और पांचों ज़ोनों में उत्पादन शुल्क की दर अलग-अलग है। सरकार ने इन दरों को समान करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसमें दो जोन जो निर्यात-प्रधान है, अलाभप्रद स्थिति में आ गये है।

मुझे आपत्ति इस बात पर है कि शुद्ध दर में जो भिन्नता है वह लागत, मूल्य तथा उत्पादन पर आधारित नहीं है। ज़ोन पांच में बहुत अधिक उत्पादन शुल्क है और वहां पर मजूरी दर में 209.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अन्य ज़ोनों में यह वृद्धि केवल 126.8 प्रतिशत ही हुई है। अतः इस स्थिति को देखते हुए आप यह आशा नहीं कर सकते कि यह क्षत्र निर्यात-प्रधान क्षेत्र बना रहेगा।

लन्दन में हमारी चाय का मूल्य गिर रहा है। 1954 में हमारी चाय 63.3 पैंस प्रति पौंड के हिसाब से बिकती थी जबकि 1972 में यह 41.6 पैंस प्रति पौंड के हिसाब से बिकी

है। अत: एक ओर तो मूल्य गिर रहा है और दूसरी ओर शुल्क में वृद्धि हो रही है। अत: इसमें यह क्षेत्र जो निर्यात-प्रधान थे बहुत ही अलाभप्रद स्थिति में आ गये हैं। इस में समूचा चाय उद्योग बहुत संकट में आ गया है। परन्तु सरकार यह दिखाना चाहती है कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है।

1956 में 237.4 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात की गई थी। 1969 में केवल 168.7 मिलियन किलोग्राम चाय ही निर्यात की गई। 1972 में चाय के निर्यात में वृद्धि हुई फिर भी यहां हम 1956 के आंकड़ों को प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु हम लोग यह भूल रहे है कि लन्दन में चाय के मूल्य कुछ बढ़े हैं। दूसरे, छूट का फार्मूला जो सरकार ने अपनाया था इससे उत्पादकों को कुछ प्रोत्साहन मिला था और चाय के निर्यात में वृद्धि हुई थी। दूसरी बात यह है कि 1971 में पूर्वी अफ्रीका में सूखा पड़ा था अत: वह चाय सप्लाई नहीं कर सके। 1970 में श्रीलंका में उथल पुथल के कारण वहां चाय के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था और श्रीलंका लन्दन मार्केट में चाय सप्लाई नहीं कर सका। इसके बावजूद बंगलादेश में गड़बड़ी के कारण भी पश्चिमी पाकिस्तान को चाय नहीं जा सकी। इन सभी कारणों से हमारी चाय का निर्यात 1972 में बढ़ा था। इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें सही तस्वीर बनानी चाहिए।

1957 में हमने लन्दन को 136.3 मिलियन किलोग्राम चाय भेजी परन्तु 1971 में केवल 71.3 मिलियन किलोग्राम चाय ही भेजी जा सकी। अत: निर्यात में 68 मिलियन किलोग्राम की कमी हुई। आज एक अच्छी बात यह है कि हम रूस को भी चाय निर्यात कर रहे है।

हमें इस बातपर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी नीति निर्यात-प्रधान है। मेरा निवेदन है कि हम विश्व बाजार में विद्यमान वास्तविकताओं की उपेक्षा कर रहे है। असमान उत्पादन शुल्क के कारण हम बढ़िया चाय के उत्पादन की आशा नहीं कर सकते।

मेरा सुझाव है कि उत्पादन शुल्क की दर को पुन: निर्धारित किया जाये। चाय के निर्यात के लिए नई मण्डिया ढूंढी जानी चाहिए। बड़े पैमाने पर चाय के नये पौदे लगाये जाने चाहिये। 56 प्रतिशत चाय के पौदे 26–60 वर्ष पुराने है। मुझे खुशी है कि इस मामले की जांच के लिए टास्कफोर्स नियुक्त की गई है। चाय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसके कृत्यों का पुनर्विलोकन भी किया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय अन्य देशों को रा सिल्क यार्न अथवा स्पन सिल्क यार्न के निर्यात के लिए लाइसेंस देने पर विचार करे। आसाम में बनने वाले "मुगा" धागे की निर्यात सम्भावनाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी बातों का उचित उत्तर देंगे।

Dr. Laxmai Narain Pandey (Mandsuar) : Every year it is said that with the new policy the import would decrease and exports would increase and that the gap between the two would diminish. But every year we find that these things never come true. It has been accepted in the report that our exports have increased only by 4.1 percent where as the target was to increase the exports by 7 per cent. On the other hand, the export of iron-ore ferro-manganese, oilcakes etc. have declined considerably. It is clear that the gap in exports and imports have not diminished. It has also been stated in the economic survey that the export of non-traditional items has been unsatisfactory. There has also been constant decline in the export of Jute goods, tea and cashew nuts. In comparison with the export of other countries, our exports in 1971 was 1.3 per cent which has fallen to 0.7 per cent in 1972. It is clear from these figures that our export is declining. I would, therefore, request that government should re-consider its export policy. The fears of the exporters should be removed.

[Dr. Laxmai Narain Panday]

The Government have constituted Cotton Corporation. The prices of cotton are falling and the mill owners are not getting Cotton in accordance with their requirements and also they are not getting raw cotton in time since this trade has been taken over by the Corporation. Almost in every state the yarn crisis has arisen. The production of yarn has not increased as it should have. Sufficient attention has not been paid to increase the production of yarn. A dangerous situation has arisen. The weaver does not know from where to get the yarn, and how to run looms. Even the Government has not yet decided as to how to distribute yarn in different States. As a result of this policy of the Government, the prices of yarn has gone up. The production has gone down.

Small Scale woollen cloth manufacturers of Punjab are facing a serious crisis for want of raw material. They have sent a memorandum to the hon. Minister. I hope he will look into it and will try to remove their hardships.

Rags worth crores of rupees were imported and sold in the market. Some conclusions will be drawn from the enquiry held by C. B. I. But no body can deny that some big officials had a hand in this bungling.

It is evident from the figures that State Trading Corporation is getting highest profit on sulphur. I will request the hon. Minister to see that profit of the State Trading Corporation is reduced on items which are used as raw material for consumers goods.

The Government have imposed restrictions on the import of those chemicals which are produced in large quantity in the country. In spite of this control 40 metric tonnes of Alumunium Phosphate was imported although it is produced in the country in large quantity. It has been done to show favour to one company. I can tell the name of that company.

Aluminium Phosphate is produced in our country in large quantity, but it is being imported by Delisia (I). Ltd. The hon. Minister should tell as to who is responsible for such an irregularity.

In Bengal, the fibre rope industry is suffering a lot for want of raw material and as a result of it there is unemployment of thousands of workers. There has been a sharp decline in production of Cotton and leather industries due to shortage of raw material.

The Government has not been able to lay down a well defined policy in regard to tea-estate as a result of which this industry has suffered a great set-back.

The pay scales of the employees of the Khadi and Village Industries should be rationalised.

The main reason for the failure of our export trade is that there is no quality control in our export trade. Thorough check should be exercised over the quality of goods exported.

The difficulties of the traders at Kandla should be removed. Efforts should be made to increase our export and to establish a balance between our import and export.

Commerce Ministry should take effective steps to make our economy powerful.

Shri Madho Ram Sharma (Karnal) : With the issue of the control order in respect of yarn, 16 to 18 thousand looms in Haryana have ceased to get yarn. The yarn is being sold in black market. The Government should take some steps to get them yarn.

The condition of steel and woolen industries is not satisfactory. The quota of steel is being sold in black market. The industries are not receiving steel, at fair price as a result of which on the one hand industries suffer and on the other hand the cost of production goes up and the consumers have to suffer a lot. The Government should be careful in this matter.

There should be a change in the policy of the Government in this matter so that the common man may get the things at cheap prices.

The Government has taken a correct step by taking over the distribution of yarn, but no proper machinery has been devised for making the yarn available to weavers, as a result of which the handloom industry is on the verge of closure. The yarn is being sold at very high prices in the black market. The Government should take steps to rectify the situation.

The Government should take steps to ensure that the handloom and powerloom industry easily get the yarn. There are 16,000 looms in Haryana which are not getting any supply of yarn. If they do not get the yarn within one month they will be forced to close down their looms. The Government should look into this matter and see that proper supply of yarn is made to them.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The handloom and the powerloom industry is the oldest industry of our country. It comes next to our agriculture industry. About 2 crores of people are engaged in this industry and out of which 40 lakhs people are from U.P. alone. This industry earns a lot of foreign exchange for our country.

As a result of unwise policies of the Government, out of 40,000 handlooms in the District of Azamgarh, 30,000 handlooms have been closed and more than 1.5 lakhs people have become unemployed.

The Government took the decision of distributing the yarn without devising proper machinery for it, as a result of which the whole machinery has become stand still. Yarn not available in the market at any price. If the same condition prevails in the country for sometime more, all the powerlooms and handlooms will have to be closed down.

Proper distribution machinery should be set up by Government.

The Government should also see that the yarn is made available according to the demand. More licences should be issued to distribute yarn to small traders to put an end to the hold of big businessmen on the trade.

If the handloom and the powerloom industries are to be saved, some varieties of cloth should be reserved for handloom and some other for powerloom.

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : यह सच है कि चौथी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान हमने 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन हम केवल 5.8 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सके है। वर्ष 1971-72 में हमने 1557 करोड़ रुपये का निर्यात किया जो 1971-72 में किये गये निर्यात की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के मामले में हमारी प्रगति उचित स्तर की नहीं है। सरकार का विचार है कि गैर-परम्परागत वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात किया जाये। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम परम्परागत वस्तुओं की अपेक्षा करें। हमारा एक परम्परागत मद पटसन है जिसकी स्थिति 1970-71 की तुलना में अच्छी है।

चाय के निर्यात के बारे में आलोचना की गई है। अन्तरराष्ट्रीय मंडियों में चाय का निर्यात स्तर संतृप्ति बिन्दू पर पहुंच गया है। लोगों का झुकाव अन्य पेयों की ओर बढ़ रहा है। चाय की खपत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 1972 में हमारा चाय का निर्यात गत पांच वर्षों की तुलना में सबसे अधिक रहा है। हम अन्तरराष्ट्रीय मंडी में अपना स्थान बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं।

[श्री ए० सी० जार्ज]

माननीय सदस्यों के बागानों का आधुनिकीकरण करने के विचारों से मैं सहमत हूं। यह सच है कि कुछ बागान मालिक बागानों का आधुनिकीकरण करने की ओर ध्यान नहीं देते। हम इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे और हमें आशा है इस मामले में, विशेषकर संकटग्रस्त चाय कम्पनियों के बारे में, शीघ्र ही कुछ अच्छ परिणाम निकलेंगे।

1971-72 में हमारा काफी का निर्यात 22 करोड़ रुपये का हुआ। 1972-73 में हमने 33 करोड़ रुपये का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारतीय काफी विश्व की मंडी में अपनी मांग बनाये रखने का पूरा प्रयत्न कर रही है। इस बारे में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है।

1970-71 में हमने 55 करोड़ रुपये के काजू का निर्यात किया और 1971-72 में 61.3 करोड़ रुपये के काजू का निर्यात किया गया। 1972-73 में 65 करोड़ रुपये के काजू का निर्यात किया गया जो कि काजू के निर्यात का एक रिकार्ड है।

1961 में केवल 4 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया। 1971-72 में यह बढ़ कर 44.5 करोड़ रुपये का हो गया और 1972-73 में 58 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया। आशा है अगामी दो अथवा तीन वर्षों में हम 100 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात करने लगेंगे। इस क्षेत्र में मछुओं को रोजगार दिया गया है।

इस वर्ष रबड़ का उत्पादन 1,13,000 टन का हुआ है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ने और उसकी आशानुकूल खपत न होने के कारण मंडियों में माल जमा हो गया है। हमारे कुछ टायर निर्माता टायरों का निर्यात कर रहे हैं और उन्हें प्राकृतिक रबड़ मिल रही है। हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक रबड़ का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा। रायबरेली के एक संयंत्र में प्रतिवर्ष 30,000 टन रबड़ का उत्पादन हो रहा है। रायबरेली में उत्पादित संश्लिष्ट रबड़ जैसे उत्पाद का हम आयात नहीं कर रहे हैं। ऐसे संश्लिष्ट रबड़ का आयात किया जा रहा है जिसके बिना टायर यूनिट काम नहीं कर सकते और जिसके स्थान पर प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

केरल सरकार को प्राकृतिक रबड़ खरीदने के लिये 2.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

चमड़े के क्षेत्र में हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्राजील और अर्जेनटिना हैं। इन देशों द्वारा अर्ध निर्मित चमडे के निर्यात पर रोक लगाने के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। 14 दिसम्बर, 1972 से पहले अर्ध निर्मित चमड़े का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता था। व्यापार को नियमित और अनुशासित रखने के लिये ऐसा किया जाता था। अब सरकार का यह विचार है कि अर्ध-निर्मित चमड़े का निर्यात घटाया जाये और निर्मित चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाये। इस बारे में सब आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अर्धनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को निरुत्साहित किया जा रहा है।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। एक सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि आयात और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। अन्य शब्दों में इसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं का अधिकांश निर्यात निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा और आयात राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से होता है।

कुछ रासायनों के आयात के प्रश्न पर पुर्नविचार करना चाहिये। डोड़ैसिल बेंजिन डिटरजट के निर्माण के लिये आवश्यक है। हम प्रति वर्ष इसका एक लाख टन का आयात करते हैं। इसके निर्माण के लिये एक परियोजना 3 वर्ष से पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के विचाराधीन है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उस योजना को क्रियान्वित करना चाहिये जिससे कच्चे माल के आयात में यथासम्भव कमी की जायें।

देश में अनेक ऐसे एकक है जो ओ० टी० एस० और थोटो नोलोन . सलफैनामाइड तैयार कर सकते हैं लेकिन फिरभी ओ० टी० एस० का आयात होता है ।

साइनोपाइरोडिन एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग विटामिनों के निर्माण के लिये किया जाता है । उसे छोटे एककों में वितरित किया जाना चाहिये । छोटे एककों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । यदि इन एककों को साइनोपाइरोडिन नहीं दिया गया तो इन एककों का विकास नहीं हो सकेगा ।

वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय को लघु उद्योगों के बारे में विचार करना चाहिये ।

हथकरघा उद्योग की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इससे गांवों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा । शक्तिचालित करघों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । अनेक राज्यों ने हथकरघा बुनकरों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया है कि वे शक्तिशाली करघे लगायें जिससे उत्पादन में वृद्धि हो । देश में 2 लाख हथकरघे है उनमें से अनेक करघे सूत की कमी के कारण काम नहीं कर रहे है । सरकार द्वारा सूत का वितरण अपने हाथ में लने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

सहकारी कताई मिलें उपभोक्ताओं के लिये धागा तैयार करती है । इस प्रकार तैयार किया गया धागा केवल सदस्यों को दिया जाना चाहिये और इसको सामूहिक (पूल) व्यवस्था में सम्मिलित नहीं करना चाहिये ।

तमिल नाडु में अच्छी किस्म का धागा बनाया जाता है । परन्तु इसके साथ अहमदाबाद और बम्बई स्थित कपड़ा मिलें भी कुछ प्रतिशत अच्छी किस्म का धागा तैयार करती है । यह धागा बाज़ार से गायब कर दिया गया है । व्यापारियों ने विभिन्न हथकरघा और विद्युतचालित करघा कारखानों के नाम जालीबिल दिखा दिये है और गांठें गोदामों में पड़ी है । यह धागा सामूहिक व्यवस्था में नहीं आयेगा बल्कि चोरबाजार में बेचा जायगा ।

धागे की कमी शीघ्र दूर नहीं हो सकती । विद्युतचालित करघों पर कुछ पाबन्दी है कि जहां उन्हें सूतीधागा प्रयोग करने के लिये लाइसेंस दिया गया है वे नायलोन, विस्कोस या रेयन धागे का प्रयोग नहीं कर सकते । मै सरकार से अनुरोध करुंगा कि यदि उन्हें सूती धागा उपलब्ध नहीं किया जा सकता तो उन्हें अन्य किस्म के धागे का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये ।

टैरिफ आयोग ने वर्ष 1970 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसके अनुसार नायलोन और विस्कोस धागे के मूल्य निर्धारित किये जाने थे । इस प्रतिवेदन को अब तक क्रियान्वित न किये जाने कि क्या कारण है ? इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

***श्री रेणुपद दास** (कृषनगर) : हथकरघा बुनकरों को सप्लाई किये जाने वाले धागे की बहुत कमी है और देश के विभिन्न कोनों में धागे के मूल्यों में भारी अन्तर है । मेरा निवेदन यह है कि सूतीधागे का अखिल भारतीय आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि देश के एक भाग के बुनकरों को देश के अन्य भाग में धागे का अधिक मूल्य होने हे किसी रुकावट का सामना न करना पड़ । कई बार पश्चिम बंगाल के बुनकरों को बम्बई के बुनकरों की तुलना में सूती धागे के लिये 100 रुपया अधिक देना पड़ता है । यह बात बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है । अत: कोयल, इस्पात आदि की तरह सूती धागे का भी अखिल भारतीय स्तर पर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये ।

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री रेणुपद दास]

पीतल और कांसा उद्योग को वित्त, उत्पादन तकनीक, विपणन संगठन की गम्भीर समस्याओं का और इस उद्योग के बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्रका मुकाबला करना पड़ रहा है। इन प्राचीन सुस्थापित ग्राम उद्योगों पर गम्भीर वित्तीय संकट आया हुआ है। बंगाल में पीतल और कांसा उद्योगों की संख्या कम होती जा रही है, फिर उनके निर्माण का तरीका भी पुराना है और इसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। सरकार को उनकी साहयता करनी चाहिये। उनके काम में आने वाले कच्चे माल का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया है। पीतल का मूल्य 15-16 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है और ये उद्योग इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह उद्योग स्थानीय ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध है। ग्राम्य त्योहारो और मेलों के समय इन का व्यापार बढ़ता है। अन्य अवसरों पर इनका व्यापार कम हो जाता है। ऐसे समय पर बड़े व्यापारी इनका अनूचित लाभ उठाते हैं। वे उनके बर्तन सस्ते दामों पर खरीद लेते है और अन्य स्थानों पर अधिक मूल्य पर बेच देते है।

राष्ट्रीयकृत बैंक और राज्य व्यापार निगम इन छोटे निर्माताओं की पर्याप्त सहायता कर सकते है। बैंकों को उन्हें ऋण देना चाहिये और सरकारी एजेंन्सियो को मन्दी के समय उनका माल उचित मूल्य पर खरीदना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये सरकार सहकारी समितियां भी बना सकती है और उत्पादन तथा विपणन बढ़ाने के लिये इन समितियों को ऋण दे सकती है। यदि राज्य व्यापार निगम उनका माल खरीद लिया करे तो इस उद्योग के कारीगरों के मन में माल की बिक्री के बारे में विश्वास की भावना पैदा हो सकती है। राज्य व्यापार निगम इन कलात्मक वस्तुओं को खरीद कर हमारे पड़ोसी देशों को बेच सकता है। अन्त मे मैं यह अन ोध करता हूं कि इस उद्योग की वस्तुओं पर बिक्री कर और रेलवे के मालभाड़े में कमी कर दी जाय। बिक्री कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिये। पीतल, ताम्बे और जस्त आदि जसा कच्चा माल जितनी बार बेचा जाता है उसपर बिक्री-कर लगाया जाता है और इस प्रकार यह माल छो निर्माताओं को काफी अधिक मूल्य पर मिल पाता है। अत: बिक्री-कर केवल एक बार लगाया जाना चाहिये तैयार माल पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : हमारे देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा का 20 प्रतिशत भाग पटसन के निर्यात से अर्जित किया जाता है। इसे हमे आशा थी कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डालेंगे। पटसन के बाद दूसरा स्थान चाय का है और दोनो की स्थिति बहुत खराब है। 300 करोड रुपये से अधिक मूल्य का पटसन निर्यात किया जाता है परन्तु पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। उनको उचित मूल्य और प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे अधिक पटसन पैदा करें और देश को विदेशी मुद्रा की आय अधिक हो।

मैने वर्ष 1971 में इस सभा में एक चर्चा आरम्भ की थी। सरकार को कम से कम पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिय और वह 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह 250 रुपय प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु अन्तत्तोगत्वा लगभग 123, 124 या 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। विभिन्न आयोगों और समितियों के विचार में एक मन पटसन का मूल्य तीन मन धान या दो मन चावल के बराबर होना चाहिये। चावल का भाव कम से कम 150 रुपये या 160 रुपय प्रति क्विंटल है फिर पटसन का भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये। सरकार ने कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये उपाय किये है। मैं उनकी सराहना करता हूं। अब हम 70-75 करोड़ रुपये की लम्बे रेशे वाली इजिपशियन रुई आयात कर रहे है। परन्तु हम कितने मुल्य का तैयार माल निर्यात कर रहे है? वाणिज्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस आयातित रुई से बनी 50 प्रतिशत तैयार वस्तुएं अवश्य निर्यात की जायें जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

पटसन उद्योग काफी लाभ अर्जित कर रहा है, फिर भी इस उद्योग के लिये कोई प्रोत्साहन नही दिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इन्डियन ज्युट मिल्स एसोसिएशन के एक समारोह की अध्यक्षता

करते हुए कुछ प्रोत्साहन देने का संकेत दिया था परन्तु मैं चाहता हूं कि इस प्रोत्साहन का लाभ गरीब उत्पादकों को पहुंच । क्या मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करेंगे की पटसन के मूल्यों पर पुन: विचार किया जायगा और उसका समर्थन मूल्य कम से कम 200 रुपय प्रति क्विंटल होगा ?

चाय उद्योग से सरकार को पर्याप्त विदेशी मुद्रा और निर्यात शुल्कप्राप्त होता है । इसमें लगभग 15 लाख लोग काम कर रहे हैं । सेन्ट्रल बोर्ड ने शिफारिश की है कि दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रति हैक्टयर बहुत कम होता है । इसलिये श्रमिकों को 38 पैसे प्रति दिन कम मिलने चाहिये । इस असंगति की जांच की जानी चाहिये क्योंकि एक ओर तो यह बात कही जाती है और दूसरी ओर उत्पादन शुल्क को बढ़ा कर 150 पैसे अर्थात 200 प्रतिशत या उससे भी अधिक कर दिया गया है । यह बात अनुचित है । यह कोई तर्क नहीं है कि उपज कम होने के कारण मजदूर को भी कम मजूरी दी जाये । इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

चाय के सम्बन्ध में जो प्रोत्सहन दिया गया है उसका लाभ कुछ निर्यातकर्ताओं को मिलेगा । वस्तुत: यह प्रोत्साहन चाय उत्पादकों को मिलना चाहिये । लन्दन में चाय की नीलामी का उल्लेख किया गया है । वहां पर चाय की मात्रा को देखकर मूल्य घटते हैं या बढ़ते हैं । जब किसी देश की सप्लाई कम होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है । यदि हम चाय उद्योग की प्रगति के लिये प्रोत्साहन देना चाहते है तो नीलामी की प्रक्रिया बदलनी होगी । क्या लन्दन में चाय इक्ट्ठी करके नीलामी करने के बजाय सीधी नीलामी, मोहरबन्द टेंडर आमंत्रित करके नीलामी करना सम्भव नहीं है ? डच प्रणाली नामक एक और भी प्रक्रिया है । इसमें मात्रा पर ध्यान दिये बिना चाय की किस्म के आधार पर मोहरबन्द टेंडर के माध्यम से नीलामी की जाती है । इस प्रणाली से हमे अधिक मूल्य मिल सकता है । अत: हमें बन्द टेंडर प्रणाली अपनानी चाहिये जो चाय उद्योग के लिये अधिक सहायक होगी ।

मंत्री महोदय का कहना है कि चाय उद्योग की प्रगति हो रही है परन्तु क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटन को हमारी चाय की बिक्री 49 प्रतिशत से घट कर 12 प्रतिशत रह गई है ? यदि यह बात ठीक है तो मंत्री महोदय कैसे कहते है कि चाय उद्योग प्रगति कर रहा है ? विश्व में चायकी मांग हर वर्ष बढ़ रही है परन्तु हमारा निर्यात कम हुआ है । अत: चाय बोर्ड को पुनर्गठित करना चाहिये ।

चाय बोर्ड के कृत्य क्या है ? संकटग्रस्त चाय बागान की देखभाल नहीं की जा रही है । चाय बोर्ड को हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है । संकटग्रस्त चाय बागान अथवा छोटे बागान आदि को किसी सिद्धान्त के अनुसार चाय बोर्ड से कोई लाभ नहीं मिल सकता परन्तु स्टलिन्ग चाय बागान के मालिकों अथवा विदेशी मालिकों को जिनकी लाखों और करोडों रुपयों की सम्पत्ति है और जिन्होंने विभिन्न रूपों में सरकार को करोडों रुपय देने हैं बिना किसी प्रभार के वित्तीय सहायता दी जा रही है । यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ? मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध मे विचार करना चाहिये । उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि क्या इस उद्योग के पूरे निर्यात पर नियंत्रण किया जा सकता है और क्या संकटग्रस्त चाय बागान और छोटे चाय बागान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 47 संकटग्रस्त चाय बागान की स्थिति बहुत खराब है । इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई नई नीति बनायेगी ?

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कपास के मूल्य को युक्तियुक्त बनाना चाहिये अथवा समानता का सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिये ताकि देश के सभी भागों में लोगों को कपास का समान मूल्य मिल सके ।

दिनेश जोरदर (माल्दा) : पश्चिम बंगाल में और विशेषकर माल्दा में रेशम उद्योग है । वहां पर कच्चे रेशम का बड़ पैमाने पर उत्पादन होता है । विश्व में अब रेशम की मांग बढ़ गई है , परन्तु हमारे देश में रेशम उद्योग के विकास की उपेक्षा की जा रही है । रेशम उत्पादक बडे व्यापारियों के शिकंजे में, जो उन्हें ऋण देते है, आकडे रहते हैं । ये लोग भारत में किसी अन्य स्थान पर अपनी मनमर्जी के अनुसार

[श्री दिनेश जोरदर]

अपना माल नहीं बेच सकते । उन्हें विवश होकर इन्हीं व्यापारियों को सस्ते दामों दर रेशम बेचना पडता है। रेशम को रंगने और छपाई आदि के काम पर भी बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है। रंगने के संयत्र औ रंग विदेशों से आयात किये जाते हैं और यह सब काम बड़े व्यापारियों के हाथ में है और देश के रेशम बुनकरों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें रेशम की छपाई और रंगाई तथा हमारे देश में और विदेशों में अपना माल बेचने की सूविधाएं नहीं मिल रही है। अत: मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि रेशम उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसलिये वे इस ओर अधिक ध्यान दें।

हमारे देश के बाहर नकली बालों (विग) की काफी मांग है । अब इस उद्योग में जापान सब से आग है। राज्य व्यापार निगम ने मद्रास में विग उद्योग स्थापित किया है। अब यह उद्योग संकट में है और यह बन्द होने वाला है। पश्चिम बंगाल में लगभग 4000 परिवार इस उद्योग पर निर्भर करते थे जो अब बिलकुल बेरोजगार हो गये हैं। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

हाल ही में भारतीय पटसन निगम ने कलकत्ता में थियेटर रोड पर एक फ्लैट 11 लाख रुपये पट्टे पर लिया है। इसकी जमीन की कीमत 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। यह भवन रामपुरिया परिवार के व्यापारियों का है। फिर उपरोक्त फ्लैट को सजाने का ठेका भी रामपुरिया परिवर के सदस्यों को दिया गया है। पटसन निगम में रोजगार उपलब्ध करने की काफ़ी गुंजाइश थी परन्तु अब रोजगार के सभी अवसर समाप्त कर दिये गये हैं। मंत्री महोदय को इस स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिये।

माल्दा में आम बहुत पैदा होता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां पर आम-रस-उत्पादक संयंत्र स्थापित किया जाये जिससे उत्तर बंगाल में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या हल हो सके।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I would like to draw the attention of the hon'ble Minister towards Mica industry. It is a traditional item and we have always been exporting it but there is gross mismanagement in this industry at present. We had discussed this matter earlier and it was decided that it would be canalised through public sector. Of late Russia and Poland have stated that they will not accept mica through public sector. The Government should consider this matter seriously. Big businesssmen were allowed to secure orders from abroad and after that a clearance certificate was to be obtained from M.M. T.C. and one percent commission was to be given to them. I want to know whether the purpose of canalisation was to get commission only, instead of giving any relief to small businessmen? Nearly 20,000 people have become unemployed in Giridih and Kodarma because their goods could not find market. Big businessmen have influenced the Commerce Ministry and have also been successful in getting the goods canalised through public sector refused. The hon'ble Minister should tell about the steps being taken to give relief to the people working in small scale industries. In case the Government is not prepared to adopt remedical measures, our monopoly in the would would come to an end.

Iron ore is being sold through M.M.T.C. throughout the country but may I know as to why Goa has been allowed to export iron ore direct to foreign Countries? The condition of iron orework ersin Goa is deplorable. Secondly, ironore having lessthan 50 percent content of iron is thrown out which damages cultivable land and destroys national wealth. Inview-of this, I would suggest that iron ore being exported by the capitalists of Goa should be canalised through M.M.T.C. and steps should be taken to utilise iron ore having less than 50 percent content of iron.

I would like to suggest that steps should be taken to export Malda mangoes and bananas from North Bihar to earn precious foreign exchange.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): इस मंत्रालय के सम्बन्ध में बहुत सी बातें उठायी गयी ह, बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय की नीति के बारे में पूछा है। विदेश व्यापार मंत्रालय का नाम बदलकर वाणिज्य मंत्रालय रखा गया है। यह परिवर्तन

सारगर्भित है, केवल नाममात्र का नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्य मंत्रालय को विदेश व्यापार मंत्रालय की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त दायित्व सौंपे गय हैं। तदानुसार, कुछ नीति सम्बन्धी मामलों की समीक्षा की गई है, कुछ नई नीतियां बनाई जा रही हैं और आवश्यक अभ्यास किये जा रहे हैं।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया है, विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में विकासशील देशों को राजनैतिक स्तर पर ही नहीं अपितु व्यापार और वाणिज्य के स्तर पर भी एक दूसरे के निकट आना चाहिये। हमारी नई वाणिज्यिक नीति का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस संदर्भ में भी, यह बात इतनी ही महत्वपूर्ण है, कि विकसित देश पारस्परिक लाभ आदि के उद्देश्य से किसी प्रकार का समझौता करके एक दूसरे के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में भारत को अपनी जनसंख्या तथा गत दो दशाब्दियों के अपने विकास को देखते हुय एक विशिष्ट भूमिका निभानी है।

अत: हमारी वाणिज्य और व्यापार नीति के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं—लैटिन अमरीकी देश, अफ्रीकी देश और अन्य एशियाई देशों जैसे विकासशील देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाना तथा विकसित देशों के साथ यथा संभव अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना।

हमारी नीतिका एक अन्य पहलू है, जिसकी पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में परिकल्पना की गई है, कि वर्ष 1979 के आसपास राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये विदेशी सहायता यदि शून्य न हो तो बहुत अल्प हो। किन्तु उत्पादन आधार को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का कार्य अभी करना है और तब तक अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमानी है। अत: हमारा एक प्रयत्न और दृष्टिकोण यह है कि हम अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाले जो हमें अन्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं होगी। अत: आगामी वर्षों में अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये सभी प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं।

मंत्रालय की नीति सम्बन्धी चौथी बात यह है कि निर्यात आयात व्यापार में सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाये। अत: हमारा मंत्रालय ऐसे प्रयास करेगा कि लघु निर्यातकों को लाभ हो और सार्वजनिक उपक्रम लघु उद्योगों और निर्यातकों, जो इस समय बड़े उद्योग गृहों की तुलना में हानि में चल रहे हैं, की स्थिति राज्यवार निगम, खनिजतम धातु व्यापार निगम और प्रस्तावित अभ्रक व्यापार निगम जैसे सरकारी उपक्रमों को सहायता से सुदृढ़ बनाने के मामले में रुचि ले रहे हैं और इस कार्य के लिये ठोस कदम उठा रहे हैं।

हम विकासशील देशों के साथ सामान्य रूप से तथा पडौसी देशों के साथ विशेष रूप से निकट के सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड एशिया के व्यापार तथा वाणिज्य में रुचि ले रहे हैं। हम भी यही प्रयास करेंगे कि वे ऐशियाई व्यापार में रुचि लें ताकि हमें पारस्परिक रूप से लाभ हो सके। यह मामला टोक्यो में होने वाली इकाफे की बैठक में रखा जायगा। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम बंगला देश के साथ निकट के सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। बंगला देश के साथ हमारा व्यापार समझौता 29 मार्च को समाप्त हो गया। दोनों देशों की सहमति से इसे तीन माह के लिये और बढ़ा दिया गया है। इस समय में हम अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये क्षेत्रों तथा पदों का अध्ययन तथा सर्वेक्षण करेंगे जिससे कि दोनों देशों के बीच अधिक लाभात्मक तथा अधिक ठोस करार किया जा सके।

कहा गया है कि द्विपक्षीय व्यापार आशानुकूल संतोषप्रद नहीं रहा है। बात ऐसी नहीं है। उदाहरण के तौर पर लैटिन अमरीकी देशों के साथ गत दो वर्षों से हमारा व्यापार संतुलन 595 लाख रुपय से बढ़ कर 684 लाख हुआ है। 1972-73 के दौरान हमने 682 लाख रुपये का आयात किया है जबकि आयात 461 लाख रुपये का हुआ है। इसी प्रकार अफ्रीकी देशों के साथ किये गये द्विपक्षीय व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई है। लुसाका सम्मेलन के पश्चात अफ्रीकी देशों से हमारे सम्बन्ध बढ़े हैं। वर्ष 1969-70 में हमने 2916 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया था तथा 8937 लाख रुपये की वस्तुओं का आयात। वर्ष 1970-71 में हमारा निर्यात 3981 लाख रुपये का रहा और आयात 10,092 लाख रुपये का।

(प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)

वर्ष 1971-72 में निर्यात 5261 लाख रुपये की राशि का हुआ तथा आयात 8233 लाख रुपये की राशि का। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में कोई कमी नहीं आयी है अपितु वृद्धि हुई है। पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे ऐसे ही व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं। सारांश यह है कि सभी देशों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है।

कहा गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय इस मामले में कुछ करेगा, क्योंकि, जैसा कि मैंने बताया है, विकसित देशों के अपने हित भी हैं जो हर समय समान नहीं होते। अपने हितों की सुरक्षा के लिये वे एक साथ मिल सकते हैं। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिये जी० एस० पी० की संभावना है। इस संभावना के लिये हम भी यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

हमारे सौदों तथा उच्चस्तरीय वार्ताओं के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय यह बात समझने लगा है कि उन्हें हमारे देश के साथ किसी न किसी प्रकार का सम्पर्क बनाना है। अत: 3 अप्रैल, 1973 की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मंत्रीपरिषद की कार्यक्रम प्रतिनिधों की समिति ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रस्तुत किये थे। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग को सर्वसम्मति से यह अधिकार दिया कि व्यापारिक सहयोग समझौते करने के लिये समुदाय के साथ बात-चीत करें। द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम-स्वरूप, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक पक्ष है और हमारा देश दूसरा पक्ष, हम विकासशील देशों के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं।

एक सुझाव दिया गया है कि हमें आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकरण के लिये राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण किसी एक उद्देश्य तक पहुँचने का साधनमात्र है। यदि हमारे आयात-निर्यात में कमी आ जाती है तो वह अच्छा नही होगा। समाजवाद का अर्थ राष्ट्रीयकरण करते चले जाना नहीं है अपितु राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात उसे सुदृढ़ और स्थायी बनाना है। वर्ष 1968-69 में केवल 11 मदों को निर्यात सूची में रखा गया था। अब वर्ष 1973-74 में 202 मदे हैं। अत: वास्तविकता यह है कि हम विदेश व्यापार में सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक ठोस भूमिका निभाने का अवसर दे रहे हैं। यह सच है कि इस समय सरकारी क्षेत्र में आयात लगभग 70 प्रतिशत है।

संकटग्रस्त उद्योगों तथा उनमें काम करने वाले गरीब कर्मचारियों की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिये कहा गया है। पश्चिम बंगाल और आसाम सरकारों ने केन्द्र से कहा है कि बन्द चाय बागानों के विषय में कुछ किया जाये। हमें मामले का पता है। जो कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं हम उनके लाभ के लिये कदम उठा रहे हैं।

परन्तु कुछ कानूनी तथा प्रशासनात्मक समस्यायें सामने आ रही हैं जिन्हें स्वयं मंत्रालय ही नहीं निपटा सकता। इस विषय में हम अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से परामर्श कर रहे हैं जिससे चाय बागानों के कर्मचारियों तथा मजदूरों की राहत के लिये उचित तथा अन्तिम कदम उठाये जा सकें।

लगभग 15 दिन पूर्व कलकत्ते में एक बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों, सभी दलों के नजदूर संगों ने भाग लिया था। वहां इस विषय पर बात-चीत की गयी थी। इसके लिये कार्यकारी दल बनाया गया है जो मामले की देखभाल कर रहा है। स समस्या पर एक बार रिज़र्व बैंक द्वारा, तत्पश्चात बरुआ समिति द्वारा विचार किया गया है परन्तु समस्या ने एक भिन्न रूप ले लिया है। इसके समाधान के लिये कुछ साहसपूर्ण कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हम समस्या के बारे में शान्त नहीं हैं कार्यवाही कर रहे हैं जिससे बेरोजगार हुये मज़दूरों को लाभ हो सकेगा।

बन्दउद्योगों को परिभाषा देना कठिन है क्योंकि इस मार्ग में कानूनी तथा अन्य कठिनाइयां आती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया जाना है और बाद में प्रशासनात्मक तथा कानूनी उपाय करने होंगे। संकेटग्रस्त उद्योगों के विषय में कुछ ठोस कदम उठाये जायेंगे, परन्तु सम्पूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है।

कार्यकारी दल अपने कार्य में लगा हुआ है। हमने उनसे तीन महीने के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है। अध्ययन करने के पश्चात ही कोई निर्णय किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता देने की बात की है। वास्तव में एक, दो क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की मांग न्यायोचित है। मैं प्रयत्न करूंगा कि सहायता प्रदान की जाय। परन्तु इसके लिये उन्हे सरकार का वित्तीय अनुशासन मानना पड़ेगा। सरकार के वित्तीय अनुशासन में जरूरतमन्द क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जायगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : क्या इसके लिये कोई समय सीमा बताई जा सकती है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : तीन महीने की समय सीमा है। तीन महीने में निर्णय कर लिया जायेगा। इससे पहले भी किया जा सकता है, यह तो अन्तिम समय सीमा है।

सूत के बारे में भी कहा गया है। जैसा कि आपको पता है यह व्यापार परम्परा से गैर सरकारी क्षेत्र में चला आ रहा है, इसमें प्रवेश करना तथा सभी सम्बद्ध हितों की सन्तुष्टि के लिये कार्य करना एक बहुत बड़ी समस्या है। सूत व्यापार की बहुत बुरी स्थिति है। बिजली की कटौती के कारण बुनकरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और देश के उत्पादन में 30 प्रतिशत कमी हो गई है। अतः इस सम्बध में हमने कुछ कदम उठाने के विषय में सोचा है, हमने कुछ कदम उठाये भी हैं। कुछ निर्णय भी किये ह परन्तु इन्हे केवल 3 मार्च से ही लागू किया गया है।

एक यह बात उठायी गई है कि क्षेत्रों को राज्यवार सप्लाई नहीं की जा रही है, उदाहरण के तौर पर होजरी संघ को। उन्हे राज्य का कोटा नहीं मिल रहा है परन्तु वे अपना कोटा कपड़ा आयुक्त से ले रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि बुनकरों को कठिनाई नहीं है। उन्हे कठिनाई है और इन्हें दूर करने के लिये हमने कुछ कदम उठाये हैं।

9 मार्च को हमने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य सरकार कोएक निरीक्षणसमिति बनानी चाहिये, जिसमें संसद सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, बुनकर तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति हों। बहुत से लोग जमाखोरी करते रहे हैं और करते हैं। उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों की सहायता के बिना विशेष रूप से राजनैतिक नेताओं की सहायता के बिना प्रशासन अथवा राज्य सरकार के लिये इस जमाखोरी का पता लगाना संभव नहीं है। परन्तु मैं कह नहीं सकता कि किसी भी राज्य सरकार ने इस तरह की निरीक्षण समिति बनाई है।

हमने विभिन्न राज्यों में अपने अधिकारी भेजे हैं ताकि वे वहाँ जाकर सभी समस्याओं पर विचार करें। सभी राज्यों की समस्यायें एक जेसी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कल या परसों एक बैठक बुलाई जायेगी। हम अपनी मूल नीति में कुछ परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि हमें इस दिशा में कई एक नई बातों का पता चला है।

हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे जमाखोरों के यहाँ छापे मारें। छापे मारने से जो माल उपलब्ध होगा वह उन्हे उनके निर्धारित कोटे से अतिरिक्त मिलेगा। हमने दूसरा सुझाव यह दिया है कि 31 मार्च को जितना कोटा विभिन्न राज्यों में था वे इतना कोटा रखने के अधिकारी हैं।

तीसरे, हमने यह सुझाव दिया है कि यदि बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने से सूत उत्पादन में वृद्धि हो सकती है तो वह वृद्धि राज्य के कोटे में दे दी जायेगी जो राज्य के निर्धारित कोटे के अतिरिक्त होगी। यदि दो तीन राज्य मिलकर बिजली सप्लाई की समस्या तय कर लेते हैं और सूत के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो वे राज्य अतिरिक्त उत्पादन को अपने राज्य समूह में रख सकते हैं।

श्री धामनकर : श्रीमन, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप विभिन्न राज्यों के नियतन की समीक्षा करेंगे ? क्या विभिन्न राज्यों की घटिया तथा बढ़िया सूत की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : यह कार्यक्रम देने के लिये एक सुझाव है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कुछ राज्यों में अप्राधिकृत विद्युत करघे हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि पहले प्राधिकृत विद्युतकरघों की आवश्यकतायें पूरी करायी जायें। अतः जहाँ तक समीक्षा का प्रश्न है, ऐसा किया जायेगा और किया जा रहा है। 11 अप्रैल को जो बैठक हो रही है उसमें इन सब बातों पर विचार किया जायेगा। राज्यों को जो अधिकारी भेजे हैं वे भी वापस आ रहे हैं। हमने राज्यों से कहा कि वे भी अपने अधिकारी भेजे। उनसे मिलकर हम निर्णय करेंगे। जितनी भी शीघ्र संभव होगा, कार्यवाही की जायेगी।

पटसन के मूल्य के विषय में भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में यही आशा की जा सकती है कि पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य मिलेगा। इस सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग के निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लघु निर्यातकों अथवा लघु उद्योग निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के विषय में कहा गया है। हमने अपनी नई आयात-निर्यात नीति में कहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगों की क्षमता का मूल्यांकन करने का कार्य जारी रहेगा। दूसरे, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लघुक्षेत्र के लिये निर्धारित उद्योगों को आयातित कच्चे माल की मात्रा में वृद्धि कर दी गई है। तीसरे, नये उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस पद्धति को उदार बनाया गया है। पांचवें, पिछड़े क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये आयात लाइसेंसो के मामले में उदार नीति बनाई गई है। छठे, पूंजीगत उपकरणों के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। सातवें, विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिये लघु उद्योगों की स्थापना के मामले में दी जाने वाली सुविधाये चलती रहेंगी। पिछड़े क्षेत्रों की सूची में अन्य जिले भी सम्मिलित किये गये हैं। ये कदम लघु उद्योगों को अधिकाधिक सरकारी सहायता प्रदान करने के लिये उठाये गये हैं ताकि निर्यात में बड़े उद्योगों के साथ साथ उनके भाग तथा क्षमता में वृद्धि हो सके।

उद्योग के कमजोर वर्गों या मझले क्षेत्र आदि की सहायता करने की हमारी नीति है। जहां तक अभ्रक का सम्बन्ध है, हमारा विचार है कि एक अभ्रक-व्यापार निगम स्थापित किया जाये। अतः जिस समस्या के बारे में हम चिंतित हैं उस पर उस निगम द्वारा विचार किया जायेगा।

जिन बातों का मैं उत्तर नहीं दे सका उन का भी ध्यान रखा जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Commerce were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
10	विदेश व्यापार विभाग	4,13,66,000
11	विदेश व्यापार	116,54,98,000
12	निर्यात प्रधान उद्योग	7,26,20,000
13	आंतरिक व्यापार विभाग	13,58,09,000

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

सभापति महोदय: अब सभा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 63 से 65 पर विचार करेगी ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य 15 मिनट के अन्दर अपनी-अपनी परचियां भेज दे ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
63	सिंचाई और विद्युत-मंत्रालय	8,29,34,000
64	सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण योजनायें .	12,94,81,000
65	विद्युत-योजनायें	4,91,12,000

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	18	श्री विजय मोदक	कंसावटी परियोजना, पश्चिम बंगाल को निश्चित अवधि के अन्दर क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	19	श्री विजय मोदक	हुगली जिले में सिंचाई के प्रयोजनों से रबी फसल के लिए दामोदर घाटी निगम की सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	20	श्री विजय मोदक	फरक्का बांध के निचली ओर गंगा के कटाव को रोकने में असफलता, जिसके कारण वी० ए० के० लूप लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े नगरों को खतरा पैदा हो गया है ।	,, ,,
,,	21	श्री विजय मोदक	फरक्का बांध के माध्यम से गंगा से भागीरथी को 40,000 क्यूबेक जल सप्लाई करने सम्बन्धी निश्चित नीति अपनाने में असफलता ।	,,
,,	29	श्री विजय मोदक	मैथोन और पंचेत के जलाशयों का, बिहार में भूमि अर्जन करके, लोअर दामोदर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण प्रयोजनों के लिये, विस्तार करने में विफलता ।	,, ,,

1	2	3	4	5
65	32	श्री विजय मोदक	बृहत कलकत्ता क्षेत्र में 'लोड शैडिंग' को रोकने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	33	श्री विजय मोदक	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विदयुतीकरण का विस्तार करने में विफलता ।	,,
,,	34	श्री विजय मोदक	पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन संयंत्रों का रख-रखाव ठीक न होना ।	,,
63	25	श्री गदाधर साहा	पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी सिंचाई परियोजना को, जो बहुत पहले बनायी गयी थी, पूरा करने में विफलता ।	,,
,,	26	श्री गदाधर साहा	बीरभूम और मुर्शीदाबाद के अधिकांश भागों में और कुछ सीमा तक बर्दवान में धान और गेहूं की खेती के लिये मयूराक्षी सिंचाई परियोजना से पानी की सप्लाई करने में विफलता ।	,,
,,	27	श्री गदाधर साहा	मयूराक्षी सिंचाई परियोजना को सफल बनाने के लिय सर्वेक्षण तथा जांच कराने और उस परियोजना को इस प्रकार से लागू करने की तत्काल आवश्यकता, जिससे कि कृषि विकास के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधायें प्रदान की जा सकें ।	,,
,,	28	श्री गदाधर साहा	बर्दवान जिले में वर्तमान सिंचाई परियोजना का पश्चिम बंगाल में कटवा अनुमंडल क्षेत्रों के लिये विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
64	30	श्री गदाधर साहा	पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शीदाबाद जिलों के लिये बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	31	श्री गदाधर साहा	पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में कटवा अनुमण्डल में बालेश्वर और उद्धरनपुर के निकट "अजय" नदी पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता ।	,,
63	35	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में शीघ्र पूंजी निवेश की व्यवस्था करके बड़े पैमाने पर बाढ़की समस्या को हल करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	36	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा के गंजम जिला की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वहां पर छेलीगादा नदी को गोडाहदा के साथ मिलाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
63	37	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में अपूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	38	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में 80 मध्यम परियोजनाओं की, जो जांच के लिये स्वीकृत हो गई हैं, जांच पूरी करने में असफलता ।	,,
,,	39	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में सिंचाई क्षमता और सिंचाई साधनों के उपयोग के बीच के अन्तर को, जो लगभग 15 प्रतिशत है, दूर करने में असफलता ।	,,
,,	40	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में 9 मध्यम सिंचाई योजनाओं, अर्थात् दाराजंगा परियोजना, बहुदा परियोजना और उत्ताई परियोजना को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	41	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा के गंजम जिला में 15 वर्षों की अवधि के दौरान एकीकृत जराऊ-हरामंगी परियोजना को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	42	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, अर्थात् बघुआ, छोडाहुदा, दाहा, मणीभद्रा सिंचाई परियोजना और बहुदा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	43	श्री डी० के० पंडा	सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप उस परियोजना के व्यय में वृद्धि हुई है ।	,,
,,	44	श्री डी० के० पंडा	समयबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सिंचाई और विद्युत के सम्बन्ध में समन्वित आयोजन करने में असफलता ।	,,
,,	45	श्री डी० के० पंडा	सामान्य रुप से समस्त देश में और विशेष रुप से उड़ीसा में बिजली की कमी को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	46	श्री डी० के० पंडा	सामान्य रुप से समस्त देश में और विशेष रुप से उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं से शीघ्र ऋण प्राप्त करने में असफलता ।	,,
,,	47	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में बाढ़ और तूफान से बचाव सुनिश्चित करने के लिये महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा की सिफारिशों को लागू करने में असफलता ।	,,
,,	48	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये बांध बनाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
63	49	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में सामान्य रुप से उद्वाह सिंचाई परियोजनाओं के लिये और विशेष रुप से नदी बेसिन क्षेत्रों के लिये भूमिगत जल का सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	50	श्री डी० के० पंडा	बाढ़ नियंत्रण के लि सालन्दी परियोजना, रेगंली और भीमकुन्ड परियोजनाओं को आरंभ करने में विलम्ब ।	,,
,,	51	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में बरहामपुर क्षेत्र की लगभग 15 मेगावाट बिजली की आवश्यकता और रायगाडु की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मोहाना में तलचेर को मिलाने में असफलता ।	,,
,,	52	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में उद्वाह सिंचाई के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण की समुचित योजना बनाने में असफलता ताकि कृषि और खाद्य उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता ।	,,
,,	53	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा के 2800 गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्य को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	54	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में 10,09,128 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिये हीराकुड बिजलीघर से महानदी डेल्टा के मुहाने पर उपलब्ध शेष 10,000 क्यूसेक जल का उपयोग के लिये परिकल्पित डेल्टा सिंचाई योजना कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने में असाधारण विलम्ब ।	,,
,,	55	श्री डी० के० पंडा	डेल्टा सिंचाई योजना के अधीन परिकल्पित कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	56	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में भेजनगर क्षेत्र में दाहा परियोजना के तत्काल निर्माण के लिए धन आबंटित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	57	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में गंजम जिला में बाढ़ से टूटी हुई नहरों की मरम्मत का कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	58	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में गंजम जिला में सूखे की भयानक स्थिति पर काबू पाने के लिये 1964 की जरुहरभंगों एकीकृत परियोजना के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा अनुमति दिये जाने तथा उस का कार्य युद्ध स्तर पर इसी वर्ष पूरा करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
63	59	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में आस्का स्थित चीनी उद्योग को गन्ने की नियमित और अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बेहुआ मध्यम सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण के दूसरे चरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	60	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में भंजनगर जलाशय में और अधिक जल संग्रह करने तथा जल की बर्बादी रोकने के उद्देश्य से उसे 10 फुट और ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	61	श्री डी० के० पंडा	सोरदा जलाशय की मरम्मत का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता, ताकि उसको नदी के जल के संग्रह के लिए और अधिक गहरा बनाया जा सके ।	,,
,,	62	श्री डी० के० पंडा	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा रेंगली बांध परियोजना के लिए तुरन्त अनुमति दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	63	श्री डी० के० पंडा	भीमकुण्ड-आनन्दपुर-सालंदी एकीकृत सिंचाई परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	64	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहने वाली भूमि में 50 प्रतिशत भूमि को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सिंचाई की सुविधा देने की आवश्यकता ।	,,
,,	65	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में धेनकनाल जिला में दादरा घाटी सिंचाई परियोजना, सुन्दर सिंचाई परियोजना, सैपाल सिंचाई परियोजना और अपर इन्द्रावती परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में शीघ्र तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	66	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में काली और ओंग सिंचाई परियोजनाओं को दो वर्ष के भीतर पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	67	श्री डी० के० पंडा	उद्वह सिंचाई की अत्यधिक सम्भावनाओं को देखते हुए उद्वह सिंचाई कार्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में की गयी 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता ।	,,
,,	68	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा राज्य में दस हजार उद्वह सिंचाई केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
63	69	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कम से कम 65,029 एकड़ खरीफ और 28,000 एकड़ रबी की फसलों की सिंचाई के लिए चुनी गयी 66 उद्वह सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता ।	राशि मे से 100 रुपयें घटा दिये जाये
,,	70	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा को अपेक्षित धनराशि आबंटित करके घोदाहद मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	71	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में सालंदी परियोजना का कार्य आरम्भ करने और शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	72	श्री डी० के० पंडा	सालंदी परियोजना कार्य समाप्त होने से पूर्व आनन्दपुर बांध के निर्माण क कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ताकि सालदी परियोजना के कर्मचारी, आनन्दपुर बांध में लगाए जा सकें ताकि वे समेकन का लाभ उठा सकें ।	,,

श्री विजय मोदक (हुगली) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं । यह मंत्रालय सिंचाई और विद्युत के सम्बन्ध में अधिक आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने में असफल रहा है ।

बाढ़ के पानी का युक्तिसंगत तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है । क्या बाढ़ के पानी को सिंचाई कार्यों के लिये जलाशयों में बांध करके नहीं रखा जा सकता ? ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं । पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर घाटी का मामला है । टेनेसी घाटी योजना के विशेषज्ञ यहां आये । उन्होंने एक योजना बनाई और ऊपरी दामोदर जलग्रहण क्षेत्र के जल को संरक्षित रखने के लिये 8 बांधों के निर्माण के लिये सरकार को परामर्श दिया परन्तु कांग्रेस सरकार ने केवल 4 बांध बनाये । इस आरंभिक त्रुटि के कारण लोअर दामोदर क्षेत्र, हुगली जिले और हावड़ा के कुछ भागों को 15 वर्षों से बाढ़ों के कारण विनाश का सामना करना पड़ रहा है ।

विशेषज्ञों की राय के अनुसार, बिहार में कुछ बांध बना कर बाढ़ के इस जल को संरक्षित रखा जा सकता है । पहले इस कार्य के लिये बिहार सरकार भूमि देने को तैयार नहीं थी । अब वह पंचेट और माइथोन के निकट भूमि देने को सहमत हो गई है । पंचेट और माइथोन के दो जलाशयों का विस्तार किया जा सकता है । नेनघाट और बालपहाड़ी पर दो बांध बनाने के लिये भूमि अधिग्रहीत की जा सकती है आरामबाग और लोअर दामोदर क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दे कि पंचेट और माइथोन के जलाशयों का विस्तार किया जायेगा या नहीं ।

रूपनारायण की गाद हटाई जानी है । ब्रह्मपुत्र और तीस्ता में पानी एकत्र करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये । बंगलादेश के साथ संयुक्त नदी परियोजनाओं पर बातचीत होने के बाद गंगा-ब्रह्मपुत्र-तीस्ता ग्रीड परियोजना के बारे में क्या किया जायेगा ?

सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के सम्बन्ध में मैं छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर बल देना चाहता हूं । चार योजनाओं के दौरान करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु तीसरी योजना के अन्त में केवल 18 प्रतिशत खेती योग्य भूमि में सिंचाई की जा सकी जो अच्छा कार्य नहीं है ।

छोटी सिंचाई योजनाओं से शीघ्र परिणाम मिल जाते हैं। कांसबाटी जैसी बड़ी योजना निर्धारित समय से बहुत पीछ है। 15 वर्ष के लम्बे अरसे के बाद 10 लाख एकड़ भूमि को पानी देने की बजाय यह केवल 2½ लाख एकड़ भूमि को पानी दे रही है।

3,000 करोड़ रुपये की लागत से 30 वर्षों में पूरी होने वाली गंगा-कावेरी ग्रिड को आरंभ किया जाना चाहिये।

यह एक अच्छा लक्षण है कि भूमिगत जल का उपयोग करने के लिये पांचवीं योजना में 25 लाख नलकूप खोदे जायेंगे। छोटी सिंचाई योजनाओं की भूमि को विकसित किया जाना चाहिये।

सूखे के सम्बन्ध में इस विपत्ति के सम्मुख हम स्वयं को निस्सहाय पाते हैं। इस मामले में हमें चीन से सबक लेना चाहिये।

इतनी अधिक आयोजना के बावजूद, भारतीय क्षेत्र में सर्वत्र बिजली की कमी है। संसद में दिये गए मंत्री महोदय के वक्तव्यों से स्पष्ट है कि उत्पादन की इस मूल वस्तु के प्रजनन की कोई गारंटी नहीं है और न ही कोई योजना है। इस कार्य के लिये एक केन्द्रीकृत समेकित प्राधिकरण की आवश्यकता है।

अन्य देशों की तुलना में बिजली के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान सबसे नीचे है। 1971-72 में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी जिसके अनुसार 1980 में बिजली का उत्पादन 180 लाख किलोवाट से बढ़ा कर 520 लाख किलोवाट किया जायेगा। परन्तु यदि इस उत्पादन के सभी पहलुओं को समन्वित करने के काम को करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त केन्द्रीय निकाय स्थापित नहीं किया गया तो इस काम को नहीं किया जा सकता।

कलकत्ता पत्तन को बचाना होगा। भगीरथी के तल में गाद जमा हो जाने से दूसरे बेकार हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। श्री राव ने कहा था कि भगीरथी के नदी तल को साफ रखने के लिये 40,000 क्यूसेक जल भगीरथी की ओर छोड़ा जायगा परन्तु बाद में यह कहा गया कि 20,000 क्यूसेक जल पर्याप्त होगा। इस मूल निर्णय को किसने बदला ?

मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बांध से गंगा में भारी कटाव हो रहा है। इस कटाव से बी० ए० के० लूप लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 और प्रस्तावित जंगीपाड़ा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसे रोकने के लिये तुरंत कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तदर्थ रूप में मांगे गए 1 करोड़ रुपये भी नहीं दिये गए हैं।

केन्द्र को 63 करोड़ रुपये की एक योजना पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई थी परन्तु डा० राव ने यह नहीं बताया कि केन्द्र इसमें कितनी जिम्मेदारी उठाएगा ?

भूमि कटाव रोकने के लिए नदी अनुसंधान संस्थान और पूना जल तथा विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है और अब वह यह समझ रहे हैं कि फरक्का बांध का भूमि कटाव से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार इसके लिए उत्तरदायी है तब लोगों को हुई हानि को उसे पूरा करना चाहिये।

डा० राव ने स्वीकार किया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही मुख्य रूप से भूमि कटाव का कारण हैं और राज्य सरकार पूरा खर्च वहन नहीं कर सकती, अतः केन्द्र को भूमि कटाव रोकने के काम का पूरा व्यय स्वयं उठाना चाहिये।

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अन्तरिम राहत चिकित्सा सुविधा आदि पर संघ और बिजली बोर्ड में हुए समझौते को लागू न करने के कारण हुई है। मंत्री महोदय को स्वयं हस्तक्षेप करके इस का हल निकालना चाहिये ताकि पूर्वी क्षेत्र में कठिनाइयां दूर हों और अर्थव्यवस्था भंग न होने पाए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री लोलाधर कटकी (नौगांव) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे विचार में यदि हम चाहते हैं कि पांचवीं योजना सफल हो तो इस मंत्रालय की मांगों में वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि देश के विकास में बिजली ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत से देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है और यद्यपि उत्पादन नौ गुना हो गया है परन्तु प्रति व्यक्ति खपत अब भी विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है ।

इस समय हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां बिजली की कमी के कारण रुकी हुई हैं और हम भारी संकट में हैं । पनबिजली के स्रोत लगभग सूख चुके हैं और देश भर में यही स्थिति है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी संभव उपाय करके औद्योगिक और कृषि उत्पादन को गिरने न दिया जाए, नहीं तो श्रमिक बेकार हो जाएंगे जिससे शान्ति और व्यवस्था भी भंग होने का भय है । इस समस्या का हल केन्द्र और राज्य–दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिये क्योंकि यह देश-भर की समस्या है । यदि आवश्यक हो तो संसद बिजली अधिनियम में संशोधन करके केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को सभी आवश्यक अधिकार प्रदान करे ताकि केन्द्र यह न कह सके कि यह मामला राज्यों से संबंधित है ।

मैं एक दो बातें अभी कहना चाहूंगा ताकि उनपर कल मैं विस्तार से चर्चा कर सकूं, क्योंकि मुझे पता कि अभी आधे घंटे की चर्चा की जाने वाली है ।

सभापति महोदय : बेहतर है आप कल ही उन पर प्रकाश डालें । अब हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे ।

---

*रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच की मांग

DEMAND MADE FOR INQUIRY INTO THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश के आर्थिक कार्यों के विकास की एक महत्वपूर्ण संस्था है परन्तु जहां इसके भवन विशाल हैं वहां आर्थिक क्षेत्र में इसका योगदान इतना अच्छा नहीं है ।

बैंक के एक भूतपूर्व गवर्नर, श्री एच० वी० आर० आयंगर के अनुसार मुद्रा और बैंक-ऋणों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण न होकर सरकार का नियंत्रण है जो दबाव के आगे झुकती रही है । उन्होंने भारत में मुद्रा स्फीति का संबंध विश्व-व्यापी लहर से नहीं माना है और ऋण देने में विस्तार पर सीमा संबंधी चर्चा संसद में किए जाने का सुझाव दिया है । मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि संसद को इस ओर अंधेरे में रखा गया है और उसकी उपेक्षा की गई है ।

बैंक के गवर्नर, श्री बी० एन० अदार्कर ने बैंक की स्वायतता के पक्ष में यह कारण बताया है कि इससे ऋण देने की क्षमता का राजनीति-रहित समझ और विशेषज्ञ के तौर पर उपयोग सुनिश्चित किया जा सका है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जनता या संसद इसकी आलोचना नहीं कर सकती । उनके अनुसार, इस आलोचना से बैंक को लाभ ही होगा ।

संघीय व्यवस्था में बैंक को राज्यों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए अन्य बैंकों या मंडी से ऋण लेकर ऋणों की व्यवस्था करनी पड़ती है जो बहुत ही अस्वस्थ प्रक्रिया है । यही उदगार श्री सरवर लतीफने भी प्रकट किए हैं ।

---

*आधे घण्टे की चर्चा ।

*Half an Hour Discussion.

हाल ही में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे एक लेख में भी रिजर्व बैंक और सरकार के संबंधों को अनुचित ठहराया गया है। अतः यह स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है परन्तु वित्त मंत्री ने इन सभी आरोपों का खण्डन ही किया है ।

रिजर्व बैंक के कर्तव्यों के बारे में एक पुस्तिका में कहा गया है कि उसका काम नोट इशू करना, बैंकों से बैंक के रूप में कार्य करना और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना है जैसा कि सभी देशों में होता है। और भी अनेक कर्तव्य इस बैंक के हैं। परन्तु अब देखना यह है कि इन कर्तव्यों का उसने कहां तक पालन किया है। श्री ज्ञानचन्द की विख्यात पुस्तक 'दि मिनेस आफ इनफलेशन' के अनुसार बैंक का मुख्य कर्तव्य मूल्यों पर नियंत्रण रखना है जिसमें वह असफल रहा है। मुद्रा-स्फीति को रोका नहीं गया क्योंकि इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरा एक मात्र हल अवमूल्यन माना गया और इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक स्वाधीनता, सम्मान और गौरव का सौदा किया गया है। यह हमारी सरकार का चलन, सफलता और कारनामा है ।

मूल्य वृद्धि के संबंध में, 1963 को आधार वर्ष मानते हुए जब सूचकांक 100 था, 1965 में भारत में बढ़कर 120 और 1971 में 174 हो गया जबकि मिस्र में 1965 में 112 से यह 1971 में बढ़कर 119.1 ही था। फ्रांस में ये आंकड़े 104 और 128 और ईरान में 106.3 और 121.9 हो ह जबकि जापान में 101.1 और 110.9 हैं और पाकिस्तान में 110.4 और 141.6 हैं। इस प्रकार हम महंगाई की भट्टी में भुन रहे हैं ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में अनाज के अतिरिक्त सभी वस्तुओं का सूचकांक 1965 में 124 था और अनाज का 127 था जो 1971 में बढ़कर क्रमशः 197 और 212 हो गया। इस क्षेत्र में हम संसार भर में सब से 'आगे' हैं ।

अब घाटे की अर्थव्यवस्था को लें तो पहली योजना में यह 333 करोड़, दूसरी में 954 करोड़, तीसरी में 1,133 करोड़ और तीन वार्षिक योजनाओं में 679 करोड़ थी। 1970-71 में वास्तव में की गई घाटे की अर्थव्यवस्था 510 करोड़, 1971-72 में 1,183 करोड़ और 1972-73 में 1,342 करोड़ रुपये थी। मैं श्री चव्हाण से जानना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक ने सरकार को इस संबंध में क्या सलाह दी है और सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया है और यदि वह सलाह ठुकरा दी गई है तो क्यों और यदि मान ली है तो उसे कैसे लागू किया गया है ?

21 दिसम्बर, 1957 को वित्त मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर सरकारी अफ़सर नहीं है और वह सरकार की आलोचना कर सकते हैं। परन्तु सच यह है कि हमने उनके मुख से कभी सरकार की आलोचना नहीं सुनी। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस संबंध में जहां उनकी राय सरकार से भिन्न थी उसका उल्लेख वह अपने उत्तर में करें ।

यद्यपि कानून द्वारा बैंक के बैंकिंग और इस विभागों को अलग कर दिया गया है तथापि इशू विभाग का ब्यौरा बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया जाता है—ऐसा क्यों ?

सरकार की आर्थिक नीति पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा के लिए हमारे लिए सरकारी ऋणों, प्रतिभूतियों की किस्मों और उनके मूल्य ह्रास संबंधी जानकारी आवश्यक है। वित्त मंत्री को यह भी बताना होगा कि इस जानकारी से सभा को क्यों वंचित रखा जाता है क्योंकि इसके बिना सरकार और बैंक के संबंधों की त्रुटियों का संकेत करना संभव नहीं है। यही कारण है कि गत 14 मास में सरकार ने रुपये का अवमूल्यन कर या है और जनता को इसका पता भी नहीं चला है ।

करेंसी नोटों का नष्ट किया जाना भी घोटाला बन चुका है। आपाती प्रक्रिया के अधीन नष्ट किए जाने वाले सभी नोटों को बिगाड़ कर उसके कुछ मांग की जांच के पश्चात उन्हें नष्ट किया जाता था परन्तु

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

उक्त प्रक्रिया के स्थान पर विशेष प्रक्रिया लागू की गई है जिससे नोटों को नष्ट करने से पूर्व बिगाड़ने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इससे न केवल बेकारी बढ़ी है परन्तु खराब नोट चलने लगे है, अच्छे नोट नष्ट कर दिए जाते है और गड्डियों में नोटों की घटाबढ़ी देखने में आती है।

विदेशी मुद्रा के मामले में बैंक को सर्वाधिकार प्राप्त हैं परन्तु मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि देश में आने वाली मुद्रा का कोई लेखा नहीं रखा जाता। बंक ने अपने को इस दायित्व से मुक्त कर लिया है क्योंकि इसमें शक्तिशाली गोरे एकाधिकारियों को लाभ होता है। इसी कारण मेरा अनुमान है कि देश से 1,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा चोरी से बाहर ले जाई जाती है।

इस संबंध में बैंक के अधिकारियों से मैं ने अनेक प्रश्न किए परन्तु मुझे किसी का भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला यद्यपि इसमें करोड़ों की विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। यही कारण है कि 'मूंधड़ा' और 'शाहवालेस' के घोटाले दिखाई देते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है, और इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसे रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के डीलर के रूप में प्राधिकृत किया है?

मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक असफलता का एक नमूना है। पश्चिम जर्मनी के एक बैंक की धोखाधड़ी और हिन्डल के द्वारा धन बाहर भेजने के मामले इसके साक्षी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक और श्री चव्हाण ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है। एक ओर जहां हम काला धन बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं वहां रिज़र्व बैंक ने वांचू आयोग को अपना प्रतिवेदन वापस लेने को कहा । हम नागरवाला कांड के बारे में की गई अन्तिम कार्यवाही के बारे में भी जानना चाहते हैं।

निदेशक बोर्ड के सदस्यों को देखिए—श्री किर्लोस्कर, श्री भास्कर मित्तर, श्री एंड्रयू यूल——ये हैं श्री चव्हाण या श्री जगन्नाथन के प्रतिनिधि जो अंग्रेजी शासन में हमें जूते मारते रहे। सभी नामज़द व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि वे पूंजी पति, **कुलक** या अफसरशाह हैं . . . (**व्यवधान**) , मैं रिजर्व बैंक की पूरी पुस्तिका यहां पढ़कर सुना सकता हूं परन्तु इसमें बहुत समय लग जाएगा।

अन्त में मैं रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के मुझे मिले तार का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि एक और दो रुपये के नोट कुल नोटों का 51 प्रतिशत हैं और मुद्रा नियंत्रण विभाग के निर्यात अनुभाग में संगणक लगाने से लगभग 300 कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। यह इसलिए किया जा रहा है कि श्री चव्हाण चाहते हैं कि किसी बड़े व्यापारी के संगणक खरीदे जाएं। भारत का रिजर्व बैंक अपने प्रभावशाली भवन और बड़े अधिकारियों के बावजूद जनसाधारण का हित करने में असफल रहा है। उसने देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया है। उसके लिए संसदविज्ञों और अर्थशास्त्रियों की एक जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो लोक हित में उसकी सर्वांगीण जांच करे।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : गत वर्ष सभा में माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सट्टा व्यापार करने वालो को ऋण नहीं दिये जायेंगे । किन्तु इसके बावजूद, उन्हें उदारतापूर्वक ऋण दिये गये। रिजर्व बैंक के अधिकारियों को सभा में दिये गये आश्वासनों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो तर्क दिये हैं उनमें से कुछ संगत हैं। श्री बसु ने मुख्य रूप से यह मामला उठाया है कि रिजर्व बैंक के कार्यकरण की जांच की जाये। मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का ऐसी जांच कराने का इरादा नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक के बारे में, जो देश में सबसे बड़ा बैंक है, जन-मन में गलत धारणा पैदा करने के उद्देश्य से यह मामला सभा में उठाया गया है। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं—देश में चल मुद्रा की स्थिति को सुस्थिर बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

जहां तक श्री एच० वी० आर० आयंगर के भाषण का सम्बन्ध है, उसमें श्री आयंगर ने मुख्यत: घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि क्या घाटे की अर्थव्यवस्था की कोई सहनीय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती; क्या रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई राय दी है और यदि हां, तो क्या उस पर संसद में विचार नहीं हो सकता। यहां इस सम्बन्ध में उनका विचार संक्षेप में बताना उचित होगा। 'हमारे जैसे विकासशील देश में संसाधनों को ऐसे साधनों से जुटाना सम्भव नहीं है जिनसे मुद्रास्फीति न बढ़े। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हम बिना मुद्रा स्फीति के अपना काम चला सकते है, बल्कि प्रश्न यह है कि मुद्रा स्फीति की वह सीमा क्या है जिसे देश में सहन किया जा सकता है। यह वास्तव में एक तर्कसंगत बात है। यह बात हम भी मानते हैं। परन्तु इस प्रश्न पर सैद्धान्तिक विचार प्रकट नहीं किये जा सकते क्योंकि यह समस्या कोई आर्थिक न होकर आर्थिक मनोवैज्ञानिक है। श्री आयंगर ने रिजर्व बैंक को चलमुद्रा और अर्थ-व्यवस्था का निर्माता बताया है किन्तु साथ ही यह कहा है कि वह इस मामले में अन्तिम निर्णायक नहीं है। इस मामले में अन्तिम निर्णय सरकार का ही होना है। देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार उत्तरदायी है और सरकार ही संसद के प्रति उत्तरदायी है रिजर्व बैंक नहीं, हालांकि रिजर्व बैंक का अर्थव्यवस्था बनाने में प्रमुख योगदान रहता है। जहां तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है उसकी सहनीय सीमा कई पहलुओं पर आश्रित है। और उस पर सैद्धान्तिक रूप से विचार करने से कोई लाभ नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर निरन्तर विचार-विमर्श होता रहता है। परिणामत: कुछ बात सरकार रिजर्व बैंक की मानती है और अन्य मामलों में सरकार के निर्णय बैंक मानता है। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा जनता से कितना ऋण लिया जाना चाहिए, इस मामले में सरकार रिजर्व बैंक की सलाह मानती है। मैं श्री आयंगर के इस कथन से सहमत हूं कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था न केवल आर्थिक मामला है बल्कि इस बारे में निर्णय लेते समय कुछ राजनीतिक नीतियों पर भी विचार करना पड़ता है। इस मामले में हम संसद को भी अवगत करते हैं। बजट प्रस्तुत करते समय या अनुपूरक मांग रखते समय उन पर संसद की अनुमति ली जाती है। संसद से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं छिपाया जाता। हां, रिजर्व बैंक इस मामले में परामर्श अवश्य देता है। जिस पर अन्तिम निर्णय सरकार लेती है।

श्री बसु का यह आरोप कि संसद की पूर्व अनुमति के बिना ही गुप्त रूप से अवमूल्यन किया जा रहा है, ठीक नहीं है। जहां तक विनियम-दर का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्तर पर जो स्थिति होती है मैं उससे सभा को अवगत कराता रहता हूं। हाल ही में मैंने इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। विश्व में जब कुछ देशों में मुद्रा का अवमूल्यन किया जा रहा है और कुछ में उसका मूल्य पुन: निर्धारित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और जो भी मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति होती है उसकी सूचना संसद को दे दी जाती है। अत: यह कहना गलत है कि गुप्त रूपसे अवमुल्यन किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ व्यक्तियों और कम्पनियों के नामों का उल्लेख किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में रिजर्व बैंक ने कार्यवाही नहीं की है। मुझे पूरा विश्वास है कि रिजर्व बैंक को जब भी कोई मामला बताया जाता है, वह उसकी जांच करता है। अत: रिजर्व बैंक पर जो आरोप लगाये गये हैं उनमें से मैं एक को भी स्वीकार नहीं करता हूं और सबका खंडन करता हूं। अत: मैं रिजर्व बैंक के कार्यक्रम की जांच की मांग भी स्वीकार नहीं करता। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में देश के गण्यमान अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध जन नेता हैं, जो अपने क्षेत्र में अनुभवी और पारंगत है। हमें उन पर गर्व होना चाहिये।

यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सट्टाव्यापारियों को ऋण देने की स्वीकृति दी थी। ऋण देने का कार्य बैंक करते हैं, रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं। हमारी नीति यह है कि ऋण वास्तिक आर्थिक प्रयोजनों और उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रयोजनों के लिए गुप्त

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

रूप से ऋण लेता है तो उस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए, किन्तु रिजर्व बैंक के गवर्नर को ऐसी बातों से जोड़ना शोभा नहीं देता। रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यत: उत्तर दायी है। अत: ऐसी संस्था की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिये।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 अप्रैल, 1973/20 चैत्र, 1895(शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, April 10, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 1—10 लोक सभा/73—26-7-73—490